62वीं वार्षिक रिपोर्ट
62nd Annual Report
2018-2019

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

जन-जन के लिए भण्डारण / WAREHOUSING FOR EVERYONE

अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग दिनांक 2 मार्च, 2019 को निगम के 63वां स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर संबोधित करते हुए।

Additional Secregtary and Financial Advisor, Consumer Affairs, Food and Public Distribution addressing on the occasion of 63rd foundation day of CWC on 2nd March, 2019.

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2018-19

केन्द्रीय भंडारण निगम
CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

विषय सूची
CONTENTS

क्र. सं. S. No.	विषय Subject	पृष्ठ सं. Page No.
1	निदेशक मण्डल Board of Directors	v
2	प्रबन्धन Management	vi
3	अंशधारियों को सूचना Notice to Shareholders	x
4	लक्ष्य, दूरदर्शिता एवं उद्देश्य Mission, Vision & Objectives	xiii
5	प्रमुख विशिष्टताएं Highlights	xiv
6	निदेशक मण्डल की रिपोर्ट Directors' Report	1
7	निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास गतिविधियों पर रिपोर्ट Report on Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Activities	43
8	कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट Report on Corporate Governance	49
9	कॉरपोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन प्रमाणपत्र Compliance Certificate on Corporate Governance	66
10	केन्द्रीय भण्डारगृहों की सूची एवं उनकी भंडारण क्षमता List of Central Warehouses and their Storage Capacity	68
11	सामान्य निधि लेखे का विवरण	95
12	सामान्य निधि अनुसूचियां	102
13	Statement of Account of General Fund	141
14	General Fund Schedules	148
15	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और निगम के प्रत्युतर Auditors' Report and Replies of the Corporation	187
16	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और निगम के प्रत्युतर Report of the C&AG of India and Replies of the Corporation	193
17	अध्यक्ष का अभिभाषण Chairman's Address	199

केन्द्रीय भण्डारण निगम की 57वीं वार्षिक साधारण बैठक के अवसर पर श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक, दिनांक 28 सितम्बर, 2019 को अंशधारियों को संबोधित करते हुए।

Shri Arun Kumar Shrivastava, Managing Director, CWC addressing the shareholders on the occasion of 57th Annual General Meeting on 28th September, 2019.

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

श्री डी. वी. प्रसाद, आईएएस
अध्यक्ष
(11.01.2019 से)
Sh. D.V. Prasad, IAS
Chairman
(w.e.f. 11.01.2019)

श्री योगेन्द्र त्रिपाठी
आईएएस, अध्यक्ष
(31.11.2018 तक)
Sh. Yogendra Tripathi
IAS, Chairman
(Upto 31.11.2018)

श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक
Sh. Arun Kumar Shrivastava
Managing Director

श्री ई.के. माझी
अपर सचिव
(संग्रह एवं पीजी)
Sh. E.K. Majhi
Additional Secretary
(Storage & PG)

श्री अदिकेसवन एस.
Sh. Adikesavan S.

श्री अजय व्यास
(23.07.2019 तक)
Sh. Ajay Vyas
(Upto 23.07.2019)

श्री शारदा प्रसाद
आईएएस (रिटायर्ड)
Sh. Sharda Prasad
IAS (Retd.)

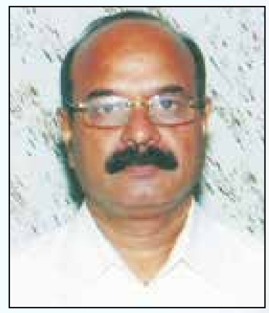

श्री वीरेन्द्र सिंह
Sh. Virendra Singh

श्री के.वी. प्रदीप कुमार
Sh. K.V. Pradeepkumar

श्री एस.सी. मुडगेरिकर
निदेशक (एम एंड सीपी)
(30.09.2019 तक)
Sh. S.C. Mudgerikar
Director (M&CP)
(Upto 30.09.2019)

श्री एस. चार्ल्स
निदेशक (वित्त)
Sh. S. Charles
Director (Finance)

श्री राकेश कुमार सिन्हा
निदेशक (कार्मिक)
(16.05.2019 से)
Sh. Rakesh Kumar Sinha
Director (Personnel)
(w.e.f. 16.05.2019)

प्रबंधन
MANAGEMENT

श्री प्रणय प्रभाकर, आई.आर.टी.एस.
मुख्य सतर्कता अधिकारी
Sh. Pranai Prabhakar, IRTS
Chief Vigilance Officer

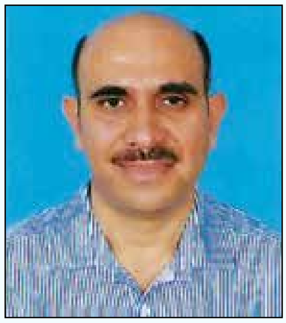

ले. कर्नल एस.सी. चतुर्वेदी
समूह महाप्रबंधक (तकनीकी)
Lt. Col. S. C. Chaturvedi
Group General Manager
(Technical)

श्री अनिल मानिक राव
महाप्रबंधक (प्रणाली)
Sh. Anil Manik Rao
General Manager (System)

श्री आर.आर. अग्रवाल
महाप्रबंधक (लेखा)
Sh. R. R. Aggarwal
General Manager
(Accounts)

श्री एम.के. वर्मा
महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)
Sh. M. K. Verma
General Manager
(Comm)

श्री अमित पुरी
सचिव एवं महाप्रबंधक (एफ एण्ड ए)
Sh. Amit Puri
Secretary & General Manager
(F&A)

श्री सोमनाथ आचार्य
महाप्रबंधक (कार्मिक)
Sh. Somnath Acharya
General Manager
(Personnel)

प्रबंधन
MANAGEMENT

श्री आर.एस. रपेरिया
मुख्य अभियंता
Sh. R.S. Raperia
Chief Engineer

श्री अमरीश गौतम
उप महाप्रबंधक (कार्मिक)
Sh.Amrish Gautam
Deputy General Manager
(Personnel)

श्री एम.एल. मीणा
उप महाप्रबंधक (तकनीकी)
Sh. M. L. Meena
Deputy General Manager
(Technical)

श्री एच.बी. दास
उप महाप्रबंधक (लेखा)
Sh. H. B. Das
Deputy General Manager
(Accounts)

श्रीमती जेसी जैकब
उप महाप्रबंधक (लेखा)
Mrs. Jessy jacob
Deputy General Manager
(Accounts)

श्री सुबल चन्द्र मल्लिक
उप महाप्रबंधक (लेखा)
Sh. Subal Chandra Mallick
Deputy General Manager
(Accounts)

श्री अतुल गहराना
अधीक्षण अभियंता
Sh. Atul Gaharana
Superintending Engineer

क्षेत्रीय प्रबंधक
REGIONAL MANAGER

श्री विष्णु वर्धन मंगलम
महालक्ष्मी चार रास्ता, उन्नति विद्यालय के सामने
पालदी, अहमदाबाद–380 007
Sh.Vishnu Vardhan Mangalam
Mahalaxmi Char Rasta, Opp. Unnati Vidyalaya, Paldi, Ahmedabad-380007

श्री शिवानंद राय
नं.–9, मिशन रोड, पल्लवी कॉम्पलैक्स,
बेंगलूरू–560027
Sh. Shivanand Rai
No.9, Mission Road, Pallavi Complex,
Bengaluru-560027

श्री पी.के. साव
75, अरेरा हिल्स,
केन्द्रीय विद्यालय न. 1 के सामने,
मैदा मिल, भोपाल–462 011
Sh. P. K. Saw
75, Arera Hills, Opp: Kendriya Vidyalay
No.1, Maida Mill, Bhopal-462011

डॉ. अनुराग त्रिपाठी
बे सं. 39–42, सैक्टर–31ए,
चंडीगढ़–160030
Dr. Anurag Tripathi
Bay No. 39-42, Sector-31a
Chandigarh-160030

श्री के.के. पांडा
थिरूवल्लरीलम, 4,नॉर्थ एवेन्यू,
श्री नगर कॉलोनी, सैदापेट
चेन्नई– 600 015

Sh.K.K.Panda
Thiruvalarillam, No. 4, North Avenue, Sri Nagar Colony, Saidapet, Chennai-600 015

श्री राजीव के. बंसल
स्कोप मीनार, कोर–3, प्रथम तल,
लक्ष्मी नगर, डिस्ट्रिक्ट सैंटर
दिल्ली –110 092
Sh. Rajeev K. Bansal
Scope Minar, Core-3, Ist Floor, Laxmi Nagar District Centre, Delhi-110092

श्री विनय चिरानिया
39,सप्तस्वाहिद पथ, सारूमटोरिया, दिसपुर,
गुवाहाटी– 781006
Sh.Binay Chirania
39, Saptashvahid Path, Sarumotoria,
Dispur, Guwahati-781006

क्षेत्रीय प्रबंधक
REGIONAL MANAGER

श्री सैम्यूल प्रवीण कुमार
वेअरहाउसिंग सदन
गांधी भवन के पीछे, पीबी सं.–34, नामपल्ली,
हैदराबाद–500 001
Sh. Samuel Praveen Kumar
Warehousing Sadan, Behind Near Gandhi Bhawan, Post Box No.-34, Nampally,
Hyderabad-500 001

श्री नरेन्द्र कुमार
ए–25, सिद्धार्थ हाउस, उद्योग भवन के सामने,
तिलक मार्ग, ''सी'' स्कीम,
जयपुर–302005
Sh. Narendra Kumar
A-25, Sidharth House, Opp. Udyog Bhawan, Tilak Marg, "C" Scheme,
Jaipur-302005

श्री पी.आर.के. नायर
2253 डी, मावेली रोड, गांधी नगर,
कदवंतरा, कोच्चि–682020
Sh. P.R.K. Nair
2253 D, Maveli Road, Gandhi Nagar
Kadavanthara, Kochi-682020

श्रीमती ई. एस. ब्रिसोहबार
सीएमसी बिल्डिंग, फेस–1, छठा तल,
न्यू मार्केट कॉम्पलैक्स, 15–एन,
नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता–700 087
Smt. E.S. Brisohbar
CMC Building, Phase-I, 6th Floor,
New Market Complex, 15 N,
Nellie Sengupta Sarani, Kolkata-700 087

श्री राम कुमार
'वेअरहाउसिंग भवन' रोडवेज़ वर्कशाप के निकट,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226 010
Sh. Ram Kumar
Warehousing Bhawan, Near Roadways Workshop, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow-226010

श्री बी. निर्मल
तुर्भे के पास, रेलवे स्टेशन,
वाशी, नवी मुंबई–400613
Sh. B. Nirmal
Near Turbhe, Railway Station,
Vashi, Navi Mumbai-400613

डॉ. सिद्धार्थ रथ
मौर्य लोक कॉम्प्लैक्स,
ब्लॉक–ए, द्वितीय तल, डाक बंगला रोड,
पटना–800001
Dr. Siddarth Rath
Maurya Lok Complex, Block-A,
2nd Floor, Dak Bungalow Road,
Patna-800001

केंद्रीय भंडारण निगम

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

सं0 के.भ.नि./बीएण्डसी/एजीएम./2019 दिनांकः 26 अगस्त, 2019

सूचना

केन्द्रीय भंडारण निगम (सामान्य) विनियम, 1965 के विनियम 20 के साथ पठित भंडारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 13 (1) के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि केन्द्रीय भंण्डारण निगम के अंशधारियों की 57वीं वार्षिक साधारण बैठक दिनांक 28 सितम्बर, 2019 (शनिवार) को प्रातः 11.00 बजे 4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौजखास, नई दिल्ली–110016 स्थित निगम के ऑडिटोरियम में होगी, जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जायेंगेः–

1. केन्द्रीय भण्डारण निगम की 29 सितम्बर, 2018 को हुई 56वीं वार्षिक साधारण बैठक के कार्यवृतों की पुष्टि ।
2. वर्ष 2018–19 के वार्षिक लेखों तथा इन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित वर्ष 2018–19 के दौरान निगम के कार्यकलाप पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा तथा इनका अंगीकरण ।
3 निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं 5/2/2016–नीति, दिनांक 27 मई, 2016 दवारा जारी सीपीएसई के पूंजी पुनर्गठन पर दिशा–निर्देशों पर निगम का अनुपालन नोट ।
4. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय ।

टिप्पणी

क. कोई अंशधारी अथवा परोक्षी धारक निगम की किसी वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित होने और वोट देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक संकल्प की प्रति तथा वार्षिक साधारण बैठक में वोट देने के उद्देश्य के लिए विशेष रूप से निर्धारित प्रपत्र में परोक्षी–1 के साथ प्रमाणकर्ता अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं मोहर लगे संकल्प की विधिवत् प्रमाणित प्रति निगम के निगमित कार्यालय में 24 सितम्बर, 2019 तक अथवा इससे पहले जमा न कर दी जाएगी। अतः 24 सितम्बर, 2019 के बाद तथा सूचना जारी होने की तारीख 26 सितम्बर, 2019 से पहले जमा की गई परोक्षी/ए.आर पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(केन्द्रीय भण्डारण निगम (सामान्य) विनियम, 1965 के विनियम 31 एवं 32)

ख. निगम का शेयर रजिस्टर 30 अगस्त, 2019 से 28 सितम्बर, 2019 तक 30 दिनों के लिए बन्द रहेगा ।

(भण्डारण निगम नियम, 1963 के नियम 21)

ग. केन्द्रीय भण्डारण निगम की 28 सितम्बर, 2019 को होने वाली अंशधारियों की वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने वाले अंशधारियों के प्रतिनिधियों को नियमानुसार किसी टी.ए./डी.ए. के भुगतान का प्रावधान नहीं है ।

भवदीय

(अमित पुरी)
सचिव

टेलीफोन नं.: 26966268, 26566107/124 फैक्स नं0 : 26518013

जन जन के लिए भण्डारण / Warehousing for Every One

निगमित कार्यालय 4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली – 110016
Corporate Office: 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016
दूरभाष Telephone : 26966268 और and 26566107/124 फैक्स 91-11-26518013

Central Warehousing Corporation

(A Government of India Undertaking)

No. CWC/B&C / AGM/2019 Dated: 26th August, 2018

NOTICE

Pursuant to Section 13(1) of the Warehousing Corporations Act, 1962 read with Regulation 20 of the Central Warehousing Corporation (General) Regulations, 1965, notice is hereby given that the 57th Annual General Meeting of the shareholders of Central Warehousing Corporation will be held at Corporate Office at 11.00 A.M. on 28th September, 2019 (Saturday) in the Auditorium of the Corporation situated at 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016, to transact the following business:-

1. To confirm the minutes of the 56th Annual General Meeting held on 29th September, 2018.
2. To discuss and adopt the Annual Accounts of the Corporation for the year 2018-19 and Auditor's Report thereon together with the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation during the year 2018-19.
3. The compliance note of the Corporation on the guidelines on capital restructuring of CPSEs issued by the Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), Ministry of Finance, Govt.of India vide OM No. 5/2/2016-Policy dated 27th May, 2016.
4. Any other matter with the permission of the Chair.

Note

a) No shareholder or proxy holder shall attend or vote at any Annual General Meeting of Corporation unless a copy of the resolution and the proxy- 1 in the prescribed form is made out specially for the purpose of voting at the Annual General Meeting and is deposited alongwith duly certified copy of resolution signed under the seal of the certifying officer at the Head Office of the Corporation on or before 24th September, 2019. As such, the proxies/ARs deposited after 24th September, 2019 and prior to the date of issue of notice i.e. 26.08.2019 will not be entertained.
(Regulation 31 & 32 of the CWC (General) Regulations, 1965).

b) The Share Register of the Corporation shall remain closed 30 days from 30th August, 2019 to 28th September, 2019.
(Rule 21 of the Warehousing Corporation Rules,1963)

c) As per Rules, there is no provision for payment of TA/DA to the representative of the shareholding institutions, who may attend the Annual General Meeting of the Shareholders of the Central Warehousing Corporation scheduled to be held on 28th September, 2019.

Yours truly,

(Amit Puri)
Secretary

टेलीफोन नं.: 26966268, 26566107 / 124 फैक्स नं0 : 26518013

जन जन के लिए भण्डारण / Warehousing for Every One

निगमित कार्यालय 4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली – 110016
Corporate Office: 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016
दूरभाष Telephone : 26966268 और and 26566107/124 फैक्स 91-11-26518013

बैंकर्स Bankers	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India पंजाब नेशनल बैंक Punjab National Bank केनरा बैंक Canara Bank यूको बैंक UCO Bank ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स Oriental Bank of Commerce विजया बैंक Vijaya Bank सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया Central Bank of India बैंक ऑफ इण्डिया Bank of India इंडियन बैंक Indian Bank कॉरपोरेशन बैंक Corporation Bank आन्ध्रा बैंक Andhra Bank बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda आईडीबीआई बैंक IDBI Bank यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया United Bank of India बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra सिंडीकेट बैंक Syndicate Bank पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक Punjab & Sind Bank यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
सांविधिक लेखा परीक्षक Statutory Auditors	मैसर्स रमेश सी. अग्रवाल एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउटेंट्स M/s. Ramesh C. Agrawal & Co., Chartered Accountants
शाखा लेखा परीक्षक Branch Auditors	उत्तरी क्षेत्र Northern Zone: मैसर्स रमेश सी. अग्रवाल एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउटेंट्स M/s. Ramesh C. Agrawal & Co., Chartered Accountants पूर्वी क्षेत्र Eastern Zone मैसर्स बी.चावाचारिया एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउटेंट्स M/s. B.Chhawchharia & Co., Chartered Accountants दक्षिणी क्षेत्र Southern Zone मैसर्स जवाहर एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउटेंट्स M/s. Jawahar & Associates, Chartered Accountants पश्चिमी क्षेत्र Western Zone: मैसर्स सुरेश सुरना एण्ड एसोसिएट्स एल.एल.पी, चार्टर्ड एकाउटेंट्स M/s. Suresh Surana & Associates L.L.P, Chartered Accountants

लक्ष्य

सामाजिक दायित्वपूर्ण एवं पर्यावरण–अनुकूल ढंग से विश्वसनीय, किफायती, मूल्य संवर्द्धक तथा एकीकृत भण्डारण एवं लॉजिस्टिक्स समाधान सुलभ कराना।

दूरदर्शिता

हितधारी की संतुष्टि पर बल देते हुए भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के सम्बल के रूप में एकीकृत भण्डारण अवसंरचना एवं अन्य लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करने वाले बाजार के एक अग्रणी संसाधक के रूप में खड़ा होना।

उद्देश्य

- ➢ वैज्ञानिक भण्डारण एवं संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए कृषि, उद्योग, व्यापार व अन्य क्षेत्रों की परिवर्तनशील आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- ➢ भण्डारण, हैण्डलिंग एवं वितरण के दौरान होने वाली हानियों को कम करना।
- ➢ पर्यावरण अनुकूल विधियां प्रयोग करते हुए पैस्ट सेवाओं के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाना।
- ➢ बैकिंग संस्थाओं एवं गैर–बैकिंग वित्तीय कम्पनियों के माध्यम से भण्डारित वस्तुओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में भण्डारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 के क्रियान्वयन में सहयोग करना।
- ➢ पोर्ट हैण्डलिंग, प्रापण एवं वितरण, कोल्ड चेन, भण्डारण वित्त पोषण, 3 पी. एल., परामर्शी सेवाएं, मल्टी मॉडल परिवहन जैसे क्षेत्रों में फारवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन द्वारा लॉजिस्टिक्स वेल्यू चेन की योजना बनाना और विविधता लाना।
- ➢ भण्डारण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में वैश्विक उपस्थिति दर्ज करना।
- ➢ ग्राहक संतुष्टि हेतु कर्मचारियों की प्रतिबद्धता, अभिप्रेरणा और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास कार्यक्रम की योजना बनाना तथा क्रियान्वित करना।

MISSION

To provide reliable, cost-effective, value-added and integrated warehousing and logistics solutions in a socially responsible and environment friendly manner.

VISION

To emerge as a leading market facilitator by providing integrated warehousing infrastructure and other logistics services, supporting India's growing economy with emphasis on stakeholder satisfaction.

OBJECTIVES

- ➢ To meet changing needs of agriculture, trade, industry and other sectors by providing scientific warehousing and related infrastructural facilities.
- ➢ To reduce losses during warehousing, handling and distribution.
- ➢ To be a major player in providing pest control services using environment friendly methods.
- ➢ To assist in implementation of Warehousing (Development & Regulation) Act, 2007 with a view to expand credit potential of Warehoused goods through banking institutions and NBFCs.
- ➢ To plan and diversify across the logistics value chain, through forward and backward integration in areas such as port handling, procurement and distribution, cold chain, warehousing financing, 3PL, consultancy services, multi –modal transport, etc.
- ➢ To achieve global presence in the warehousing and logistics field.
- ➢ To plan and implement Human Resource Development programmes to improve commitment, motivation and productivity of employees for achieving customer satisfaction.

2018–19 के दौरान कार्य निष्पादन के मुख्य बिन्दु

i) निगम ने वर्ष 2018–19 के दौरान बाज़ार में कड़ी प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद 1604.62 करोड़ रु. का टर्नओवर प्राप्त किया।

ii) वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कर–पूर्व लाभ 225.42 करोड़ रुपये रहा जबकि गत वर्ष यह 27.62 करोड़ रुपये था।

iii) वर्ष 2017–18 के दौरान 31.88 करोड़ रुपये की तुलना में कर–पश्चात् लाभ 163.61 करोड़ रुपये रहा।

iv) वर्ष 2017–18 के दौरान 44.81 लाख मी.टन की तुलना में इस वर्ष खाद्यान्नों की कुल क्षमता उपयोगिता 49.71 लाख रही।

v) 03 राज्यों में 05 स्थानों पर भूमि की लागत सहित 12.04 करोड़ रुपये के पूंजी परिव्यय के साथ 33540 मी.टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया।

vi) वर्ष 2018–19 के लिए कर पश्चात् लाभ का 30 प्रतिशत की दर से (प्रदत्त पूंजी का 72.20 प्रतिशत) 49.08 करोड़ रुपये (पहले से ही भुगतान किए गए 23.79 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश सहित) का लाभांश प्रस्तावित है।

vii) भारत–बंगलादेश सीमा पर पैट्रापोल (पश्चिम बंगाल) के ट्रक टर्मिनल द्वारा वर्ष 2017–18 के दौरान 21.19 करोड़ रुपये की तुलना में 23.78 करोड़ रुपये का सकल राजस्व अर्जित किया गया।

viii) भारत–पाक सीमा पर अटारी, पंजाब में आईसीपी द्वारा वर्ष 2017–18 के दौरान 53.28 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2018–19 में 54.45 करोड़ रुपये का सकल राजस्व अर्जित किया गया।

ix) आईसीपी, अगरतला के कार्गो टर्मिनल द्वारा वर्ष 2017–18 के दौरान 3.49 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2018–19 में 4.02 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।

x) बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद कीट नियंत्रण सेवाओं से 17.08 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।

xi) वर्ष 2018–19 के दौरान निगम ने निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास गतिविधियों पर 4.02 करोड़ रुपये खर्च किए जिसमें से 1.29 करोड़ रुपये ''स्वच्छ भारत कोष'' पर खर्च किए गए तथा ''नमामि गंगे'' में 0.2 करोड़ रुपये का योगदान दिया गया।

HIGHLIGHTS OF PERFORMANCE DURING 2018-19

i) The Corporation has achieved the turnover of Rs. 1604.62 crore, during 2018-19 inspite of stiff competition in the market.

ii) During the financial year 2018-19, the Profit Before Tax is Rs. 225.42 crore as against Rs. 27.62 crore during the last year.

iii) The Profit After Tax is Rs. 163.61 crore as against Rs. 31.88 crore during 2017-18.

iv) Overall capacity utilization of food grains was 49.71 lakh MT during this year as against 44.81 lakh MT during 2017-18.

v) Additional storage capacity of 33540 MT constructed at 5 locations in 3 States with a capital outlay of Rs. 12.04 crore including cost of land.

vi) Proposed dividend for 2018-19 is @30% of Profit After Tax (Being 72.20% of paid-up capital) amounting to Rs.49.08 crore (including interim dividend of Rs. 23.79 crore already paid).

vii) The Truck Terminal at Petrapole (West Bengal) on Indo-Bangladesh Border earned gross revenue of Rs. 23.78 crore as against Rs. 21.19 crore during the year 2017-18.

viii) The ICP on Indo-Pak Border at Attari, Punjab earned gross revenue of Rs. 54.45 crore during 2018-19 as against Rs. 53.28 crore during 2017-18.

ix) Cargo Terminal at ICP, Agartala earned revenue of Rs. 4.02 crore during 2018-19 as against Rs. 3.49 crore during 2017-18.

x) Earned a revenue of Rs.17.08 crore from Pest Control Services inspite of stiff competition in the market.

xi) During the year 2018-19, Corporation has spent Rs. 4.02 crore under CSR and Sustainable Development Activities, an amount of Rs.1.29 crore has spent on Swachh Bharat Kosh and Rs. 0.2 crore on contributed towards 'Namami Gange'.

कार्यनिष्पादन विशिष्टताएँ–गत 6 वर्षों के दौरान निरन्तर वृद्धि

Performance Highlights-Consistent Growth During Last 6 years

क्र. सं. S. No.	मानदण्ड Parameter	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	क्षमता (लाख मी.टन) वार्षिक औसत Capacity (Lakh MT) yearly average	105.54	106.21	115.11	99.65	99.69	99.80
2.	स्वयं की/निर्मित क्षमता (लाख मी.टन) Owned/Constructed Capacity (Lakh MT)	74.14	75.85	76.64	77.59	77.88	78.22
3.	क्षमता उपयोग (%) वर्षवार औसत क्षमता Capacity Utilization (%) yearly average	86.00	80.00	80.00	74.53	79.00	83
4.	खाद्यान्नों के लिए उपयोग की गई क्षमता (लाख मी. टन) वर्षवार औसत क्षमता Utilization by foodgrains yearly average	52.54	49.00	43.09	40.71	44.81	49.71
5.	खाद्यान्नों के लिए उपयोग की गई क्षमता (कुल क्षमता का %) वर्षवार औसत क्षमता Utilization by foodgrains (% of total Utilization) yearly average	58.00	57.00	47.00	55.00	57.00	59.95
6.	टर्नओवर (करोड़ रु. में) Turnover (Rs. in crore)	1528.19	1561.83	1639.93	1606.29	1582.94	1604.62
7.	सकल बिक्री (करोड़ रु. में) Gross sale (Rs. in crore)	1410.12	1473.32	1540.66	1508.51	1502.09	1519.51
8.	कर पूर्व लाभ (करोड़ रु. में) Profit before Tax (Rs. in crore)	256.47	260.06	283.56	260.59	27.62	225.42
9.	कर पश्चात् लाभ (करोड़ रु. में) Profit After Tax (Rs. in crore)	161.05	182.12	197.82	231.22	31.88	163.61
10.	पैस्ट नियंत्रण सेवा से आय (करोड़ रु. में) PCS Income (Rs. In crore)	19.67	19.70	19.05	19.66	16.24	17.08
11.	कंटेनर प्रचालन परिवहन से आय (लाख रु. में) CRT Income (Rs. in Lakh)	47.04	44.29	41.34	47.87	52.68	20.43
12.	हैंडल किए गए टीईयू (लाख टीईयूं) TEUs Handled (Lakh TEUs)	10.36	9.51	9.25	7.79	6.49	5.60
13.	लाभांश (%) Dividend (%)	48	54	88	142	32	30

6A
ISO-9001:2000
QUALITY POLICY
QUALITY OBJECTIVES

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय अंशधारियो

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखों के विवरण सहित निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास, लेखा परीक्षकों के अनुपालन प्रमाण पत्र सहित कारपोरेट गवर्नेंस, लेखों के लेखा परीक्षित विवरण के साथ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणी तथा प्रबंधन के उत्तर के साथ केंद्रीय भंडारण निगम के व्यवसाय एवं प्रचालनों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1.) वित्तीय परिणाम

DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

Your Directors are pleased to present their report on the business and operations of the Central Warehousing Corporation (CWC) and the statement of accounts for the financial year ended on 31st March, 2019 along with Reports on Corporate Social Responsibility and Sustainable Development, Corporate Governance with the Auditors' Compliance Certificate thereon, Audited Statements of Accounts together with the Auditors' Report and Comments on the Accounts by the Comptroller and Auditor General (C&AG) of India and the reply of the Management thereto.

1. FINANCIAL RESULTS

(करोड़ रु. में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	2017-18	2018-19
टर्नओवर Turnover	1582.94	1604.62
व्यय Expenses	1555.32	1379.20
मूल्यह्रास एवं कर पूर्व लाभ (पीबीडीटी) Profit Before Depreciation & Tax (PBDT)	161.36	312.32
कर पूर्व लाभ (पीबीटी) Profit Before Tax (PBT)	27.62	225.42
कर पश्चात् लाभ (पीएटी) Profit After Tax (PAT)	31.88	163.61
प्रचालन से राजस्व Revenue from Operations	1502.09	1519.51
प्रचालन लाभ Operating Profit	-53.23	140.31
निवल मूल्य Net Worth	1926.45	2034.00
नियोजित पूंजी Capital Employed	1783.67	1898.78
औसत निवल मूल्य Average Net Worth	1926.60	1980.23
पूंजी व्यय CAPEX	162.87	167.51
लाभांश Dividend	21.75	33.91
लाभांश/कर पश्चात् लाभ (%) Dividend/Profit After Tax (%)	68.22	20.73
प्रचालन लाभ/प्रचालनों से राजस्व (%) Operating Profit/Revenue from Operations (%)	-3.54	9.23
पीएटी/निवल मूल्य (%) PAT/Net Worth (%)	1.65	8.04
पीएटी/औसत निवल मूल्य (%) PAT/Average Net Worth (%)	1.65	8.26
लाभांश/निवल मूल्य (%) Dividend/Net Worth (%)	1.13	1.67
प्रचालनों से राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में प्राप्ति योग्य व्यापार Trade Receivable as number of days of Revenue from Operations	99.46	74.40

विवरण Particulars	2017-18	2018-19
निगम के विरुद्ध ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावों में कमी का प्रतिशत (समग्र आधार – पर) {31.03.2018 को 738.13 करोड़ रु. के प्रारंभिक शेष पर 31.03.2019 को 624.07 करोड़ रु.} %age reduction in claims against the Corporation not acknowledged as debts (overall basis-on) {Rs. 624.07 crore as on 31.03.2019 against opening balance of Rs. 738.13 crore as on 31.03.2018}	7.87	15.45
31.03.2018 तक वर्तमान पंजीकृत विक्रेताओं पर एम एस ई उद्यमियों/विक्रेताओं के पंजीकरण के प्रतिशत में वृद्धि (31.03.2018 को पंजीकृत विक्रेताओं की कुल संख्या 96 थी जो 2018–19 में बढ़कर 218 हो गई, अर्थात् वर्ष 2018–19 के दौरान एमएसई उद्यमियों/विक्रेताओं की संख्या में 122 की वृद्धि हुई)। %age increase in registration of MSE entrepreneurs/vendors over existing registered vendors as on 31.03.2018 (As on 31.03.18 total number of registered vendors were 96 which increased to 218 during 2018-19 i.e. increase of 122 number of MSE Entrepreneurs/vendors during the year 2018-19).	लागू नहीं NA	127

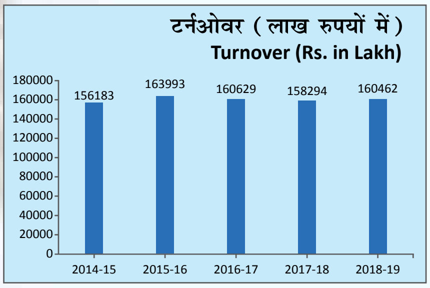

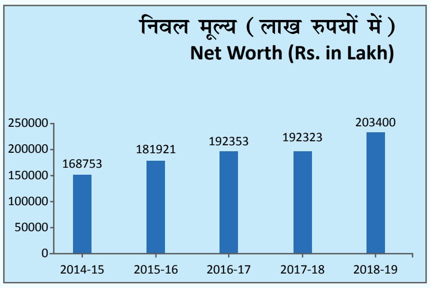

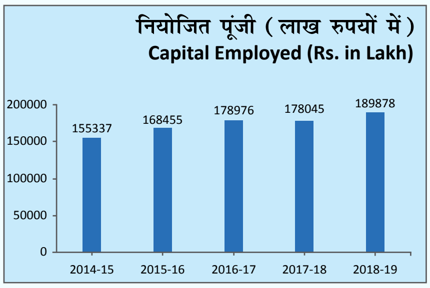

1.1 लाभांश

वर्ष के दौरान, निगम ने वर्ष 2017–18 के लिए 1012.31 लाख रु. के अतिरिक्त लाभांश तथा वर्ष 2018–19 के लिए 2379.15 लाख रु. के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया। वर्ष 2018–19 के लिए कर पश्चात् लाभ का 30 प्रतिशत (प्रदत्त पूंजी का 72.20%) की दर से 4908.16 लाख रुपये का अंतिम लाभांश प्रस्तावित है। वर्ष 2018–19 के लिए प्रस्तावित लाभांश की अप्रदत्त राशि का लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी एएस 4 (पैरा 14) के अनुसार बही खाते में नहीं किया गया है।

डीआईपीएएम के दिनांक 27.05.2016 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार न्यूनतम वार्षिक लाभांश कर–पश्चात् लाभ के 30 प्रतिशत या निवल मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से, जो भी अधिक हो का भुगतान करना होता है। वर्ष 2019–20 के दौरान निगम की पूंजी व्यय आवश्यकताओं को देखते हुए, निगम ने लाभांश का भुगतान करने के संबंध में जारी डीआईपीएएम के दिशा–निर्देशों में छूट के लिए आवेदन किया है और निवल मूल्य में 5% की दर से लाभांश के भुगतान के लिए जोड़ दिए बिना कर–पश्चात लाभ के 30 प्रतिशत की दर से लाभांश का भुगतान करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

1.1 DIVIDEND

During the year, Corporation paid additional dividend of Rs. 1012.31 lakh for the year 2017-18 and Interim Dividend of Rs. 2379.15 lakh for the year 2018-19. The dividend for the year 2018-19 is proposed @30% of Profit After Tax (Being 72.20% of paid-up capital) amounting to Rs. 4908.16 lakh (including Interim dividend of Rs. 2379.15 lakh already paid). The unpaid amount of proposed dividend for the year 2018-19 has not been accounted in the books as per AS 4 (Para 14) issued by ICAI.

The guidelines issued by DIPAM vide its OM dated 27.05.2016 provides for payment of minimum annual dividend @30% of Profit After Tax or 5% of Net Worth, whichever is higher. Keeping in view, the CAPEX requirements of the Corporation during the year 2019-20, Corporation has applied for seeking exemption from DIPAM to pay the dividend as per the said guidelines and allow CWC to pay dividend @30% of PAT, without insisting for payment of dividend @ 5% of Net Worth.

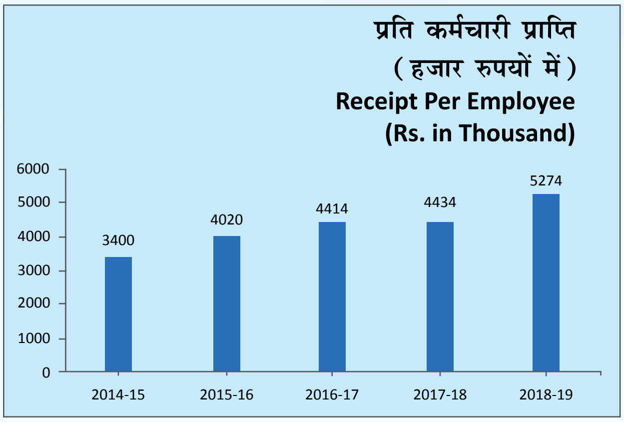

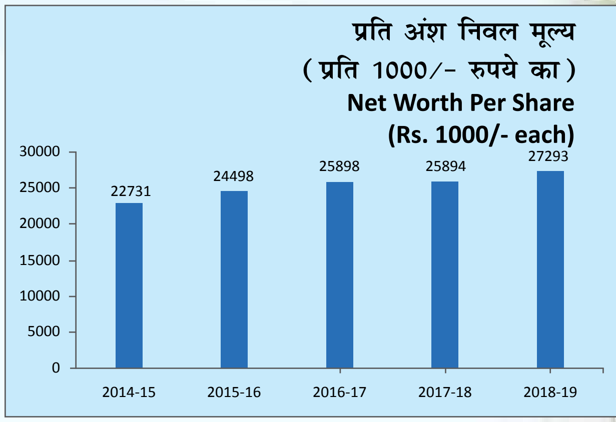

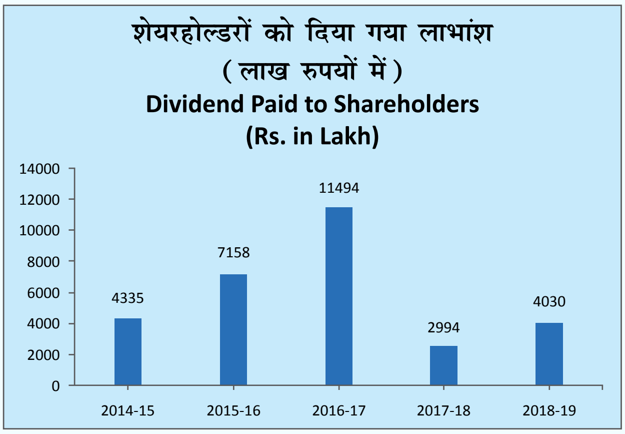

1.2 वित्तीय विशिष्टताएं

आपके निगम का टर्नओवर गत वर्ष के 1582.94 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2018–19 में 1604.62 करोड़ रुपये रहा अर्थात् इसमें 21.68 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। गत वर्ष के 27.62 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2018–19 के दौरान कर पूर्व लाभ 225.42 करोड़ रुपये रहा। गत वर्ष के 31.88 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2018–19 में कर–पश्चात् लाभ 163.61 करोड़ रु. रहा।

1.2 FINANCIAL HIGHLIGHTS

The turnover of your Corporation for the year 2018-19 is Rs. 1604.62 crore as compared to Rs. 1582.94 crore in the previous year i.e. increase of Rs. 21.68 crore. Profit Before Tax for the year 2018-19 is Rs. 225.42 crore as against Rs. 27.62 crore in the previous year. The Profit After Tax for the year 2018-19 is Rs.163.61 crore as against Rs. 31.88 crore in the previous year.

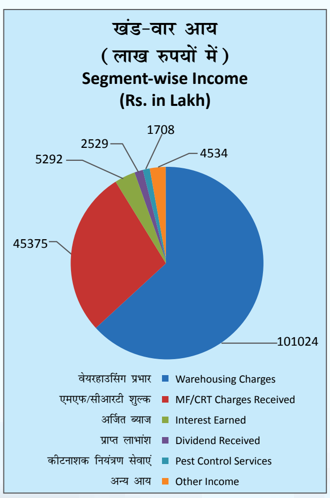

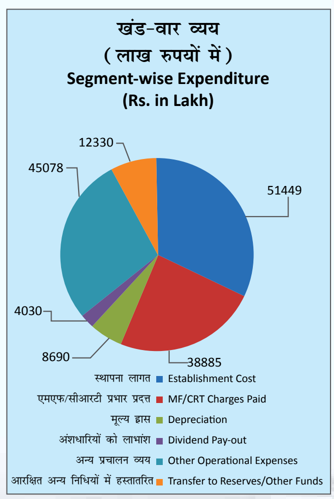

2. प्रचालनात्मक निष्पादन

2.1 31 मार्च, 2019 को आपका निगम 422 वेअरहाउस चला रहा था जिनकी कुल प्रचालनात्मक भंडारण क्षमता 99.80 लाख मी. टन है। इसमें 40 कस्टम बांडेड वेअरहाउस, 24 सीएफएस/आईसीडी एवं 3 एअर कार्गो कॉम्पलेक्स (एसीसी)/एअर फ्रेट स्टेशन (एएफएस)/एकम्पनीड बैगेज वेअरहाउस (एबीडब्ल्यू) 3 तापमान/ आर्द्रता नियंत्रित यूनिट, 3 एकीकृत चैक पोस्ट (आईसीपी) हैं। वर्ष के दौरान, 33540 मी. टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया। वर्ष 2017–18 के 79 प्रतिशत की तुलना में रिपोर्ट वर्ष के दौरान औसत क्षमता उपयोग 83 प्रतिशत रहा। गत दो वर्ष की तुलना में रिपोर्ट वर्ष के दौरान निगम के प्रचालनात्मक निष्पादन की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है:

2. OPERATIONAL PERFORMANCE

2.1 As on 31st March, 2019, your Corporation has operated 422 warehouses with a total operational storage capacity of 99.80 lakh MT. This includes 40 Custom Bonded warehouses, 24 CFSs/ICDs and 3 Air Cargo Complexes (ACCs) / Air Freight Station (AFS) / Accompanied Baggage Warehouse (ABW), 3 Temperature / Humidity Controlled Units, 3 Integrated Check Posts (ICPs). During the year, 33540 MT additional storage capacities have been constructed. The average capacity utilization during the year under report was 83% as against 79% during 2017-18. Comparative operational performance of the Corporation during the year under report as against the preceding two years is as under: -

(लाख मी. टन क्षमता) (Capacity in lakh MT)

क्र. स. Sr. No.	विवरण Particulars	2016-17	2017-18	2018-19
1. वर्ष के दौरान उपलब्धियां 1 Achievements during the year				
क a	औसत प्रचालन क्षमता Average operational capacity	99.65	99.69	99.80
ख b	औसत क्षमता उपयोगिता Average capacity utilization	74.27	78.73	82.91
ग c	औसत क्षमता की उपयोगिता का प्रतिशत %age utilization of average capacity	75	79	83
2. वस्तु–वार (औसत) उपयोगिता 2 Commodity-wise (average) utilization				
क a	खाद्यान्न Foodgrains	40.71	44.81	49.71
ख b	उर्वरक Fertilizers	3.45	2.42	1.31
ग c	अन्य Others	30.11	31.50	31.89
	कुल Total	**74.27**	**78.73**	**82.91**

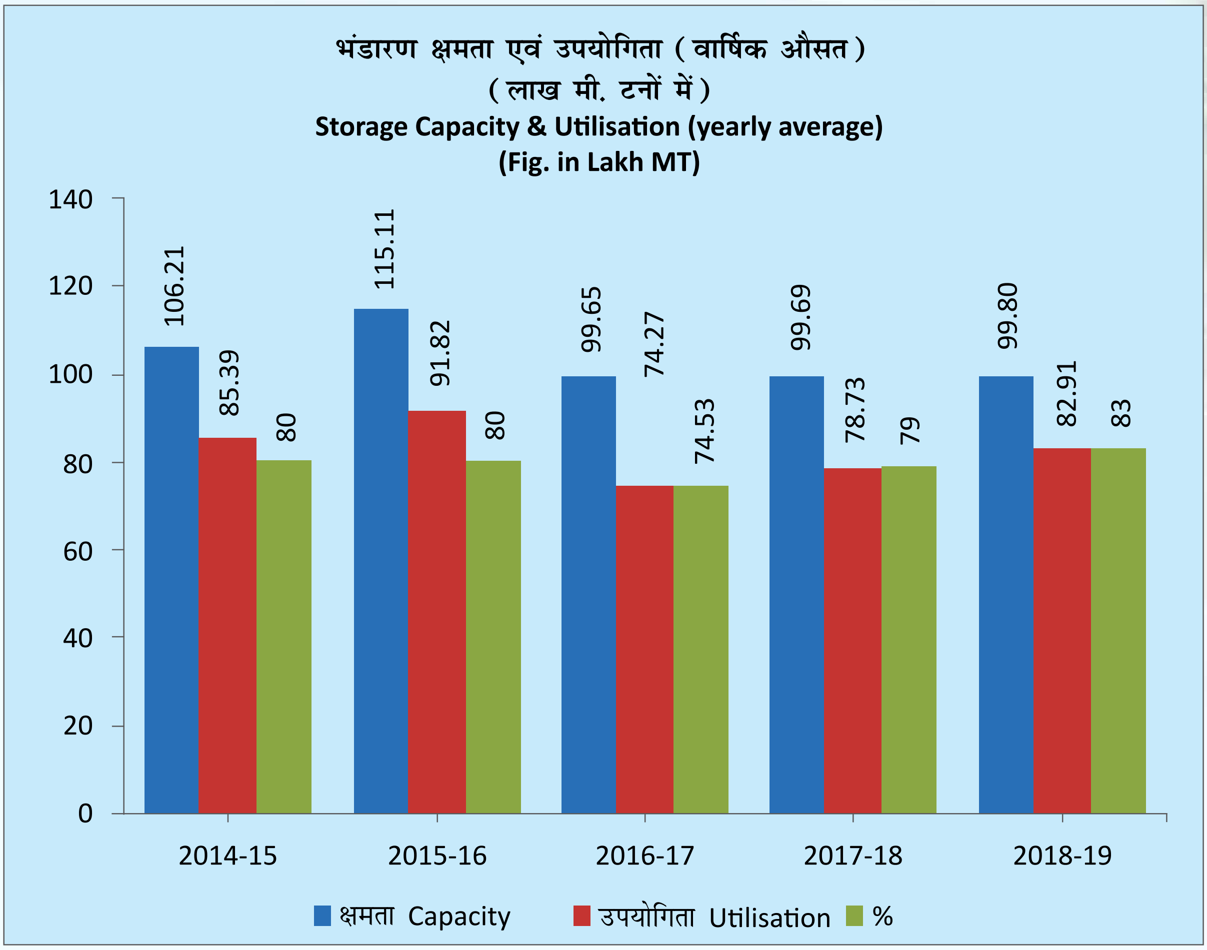
भंडारण क्षमता एवं उपयोगिता (वार्षिक औसत)
(लाख मी. टनों में)
Storage Capacity & Utilisation (yearly average)
(Fig. in Lakh MT)
140
120
100
80
60
40
20
0
106.21
85.39
80
115.11
91.82
80
99.65
74.27
74.53
99.69
78.73
79
99.80
82.91
83
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
क्षमता Capacity
उपयोगिता Utilisation
%

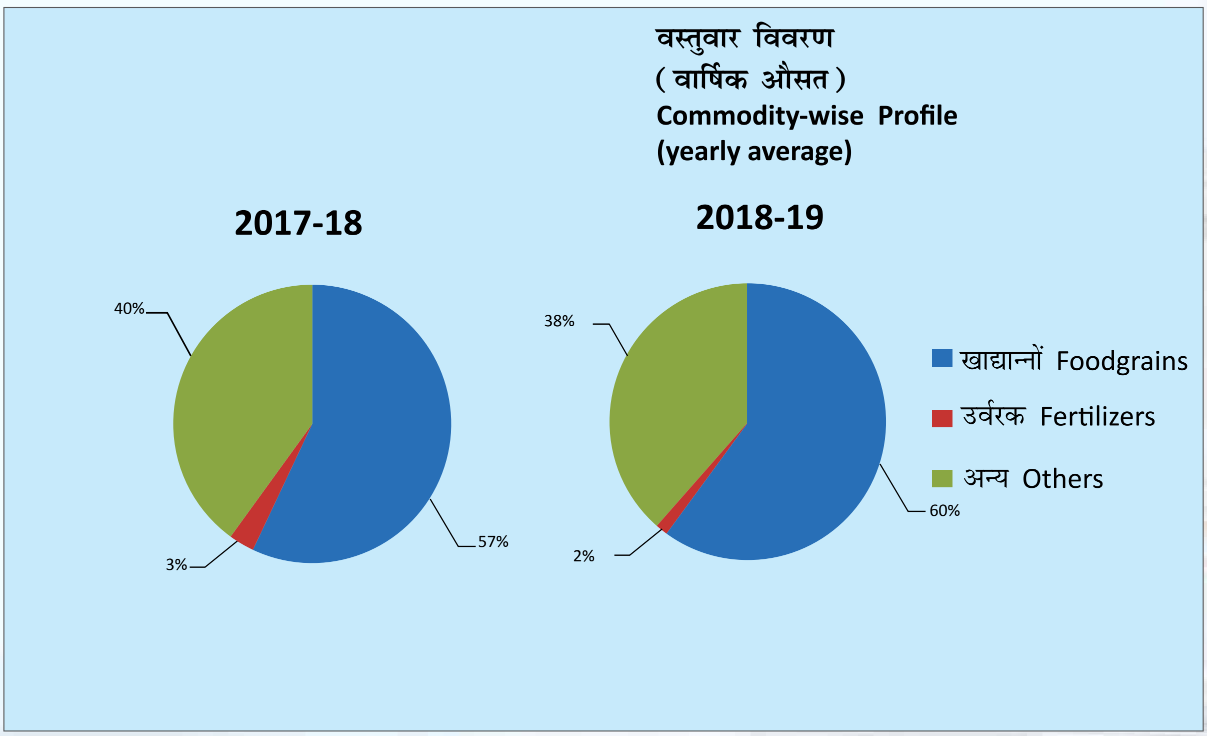
वस्तुवार विवरण
(वार्षिक औसत)
Commodity-wise Profile
(yearly average)
2017-18
2018-19
40%
57%
3%
38%
60%
2%
खाद्यान्नों Foodgrains
उर्वरक Fertilizers
अन्य Others

2.2 आईसीडी / सीएफएस / एसीसी / एएफएस / यूबीडब्ल्यू का प्रचालन: कड़ी प्रतिस्पर्धा एवं मुख्य पोर्टों पर कंटेनरों की "सीधी पोर्ट डिलीवरी" (डीपीडी) में वृद्धि के बावजूद आपके निगम ने रिपोर्ट वर्ष के दौरान अपने 24 कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) / इनलैंड क्लिअरेंस डिपो (आईसीडी) द्वारा 5.60 लाख टीईयू हैंडल किए। वर्ष के दौरान आपके निगम ने गोवा में एक एअर कार्गो कॉम्पलैक्स (एसीसी), विरुगमबक्कम, तमिलनाडु में एक एअर फ्रेट स्टेशन (एएफएस) और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एअरपोर्ट, दिल्ली में एक एकम्पनीड बैगेज वेअरहाउस (एबीडब्ल्यू) का प्रचालन भी किया है।

2.2 Operation of ICDs/CFSs/ACC/AFS/ABW: In spite of stiff competition and increase in 'Direct Port Delivery' (DPD) of containers at major ports, your Corporation handled 5.60 lakh TEUs during the year under report at its 24 Container Freight Stations (CFSs)/ Inland Clearance Depots (ICDs). Your Corporation is also operating one Air Cargo Complex (ACC) at Goa, one Air Freight Station (AFS) at Virugambakkam, Tamil Nadu and one Accompanied Baggage Warehouse (ABW) at IGI Airport, Delhi.

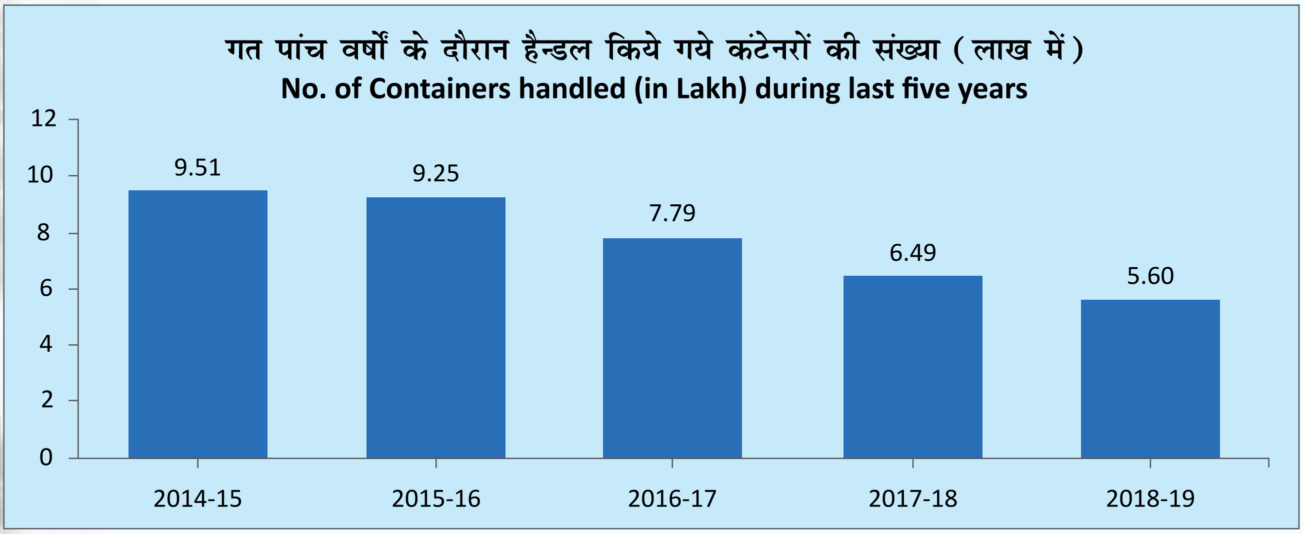

2.3 कार्गो टर्मिनल एवं एकीकृत चैक पोस्ट (आईसीपी): एकीकृत चैक पोस्ट (आईसीपी) अटारी (अमृतसर के पास भारत–पाक सीमा पर) के कार्गो टर्मिनल का प्रबंधन कार्य लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एलपीएआई) द्वारा केन्द्रीय भंडारण निगम को सौंपा गया है। इस आईसीपी का निष्पादन उत्साहवर्धक है क्योंकि इस सुविधा ने 100 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की और वर्ष 2017–18 के 53.28 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2018–19 में 54.45 करोड़ रु. का सकल राजस्व प्राप्त किया।

भारत–बांग्लादेश सीमा पर आईसीपी, अगरतला (त्रिपुरा) के कार्गो टर्मिनल का प्रबंधन कार्य भी एलपीएआई द्वारा निगम को सौंपा गया है। इस सुविधा ने 107 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की और वर्ष 2017–18 के 3.49 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष

2.3 Cargo Terminals & Integrated Check Posts (ICPs): The management of the Cargo Terminal of the Integrated Check Post (ICP) at Attari (near Amritsar on Indo Pak border) has been entrusted to CWC by the Land Port Authority of India (LPAI). The performance of this ICP has been encouraging as the facility recorded 100% occupancy and earned gross revenue of Rs. 54.45 crore during 2018-19 as against Rs. 53.28 crore during 2017-18.

The management of Cargo Terminal at ICP, Agartala, (Tripura) on Indo Bangladesh border is also entrusted by LPAI to CWC. This facility recorded 107% occupancy and earned gross revenue of Rs. 4.02 crore

भारत पाकिस्तान सीमा पर अटारी (पंजाब) में लैण्ड कस्टम स्टेशन पर कार्गो टर्मिनल ।
Cargo terminal at Land Customs Station at Attari (Punjab) on Indo-Pakistan Border.

2018–19 में 4.02 करोड़ रु. का सकल राजस्व अर्जित किया है।

भारत–बांग्लादेश सीमा पर पैट्रापोल, पश्चिम बंगाल में लैंड कस्टम स्टेशन (एलसीएस) सड़क मार्ग से बांग्लादेश के लिए आयात–निर्यात व्यापार की सुविधा प्रदान कर रहा है, इसे 12 फरवरी, 2016 में एकीकृत चैक पोस्ट (आईसीपी) में परिवर्तित कर दिया गया। आईसीपी, पैट्रापोल सुविधा का प्रबंधन कार्य लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एलपीएआई) द्वारा केन्द्रीय भंडारण निगम को दीर्घ अवधि आधार पर सौंपा गया है। रिपोर्ट वर्ष के दौरान इस सुविधा से 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग दर्ज किया गया और वर्ष 2017–18 के 21.19 करोड़ रु. के राजस्व की तुलना में 23.78 करोड़ रु. का सकल राजस्व अर्जित किया गया। बार्डर से लगे देशों को जाने वाले माल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा देने के कारण आईसीपी, अटारी टर्मिनल पर सी.डब्ल्यूसी की कारगो हैन्डलिंग से होने वाली आय कम हो गई है।

2.4 **कंटेनर रेल परिवहन (सीआरटी) प्रचालनः** केन्द्रीय भंडारण निगम लगातार अन्य कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों (सीटीओ) की ट्रेनों के माध्यम से लोनी तथा मुंद्रा एवं पिपावाव बन्दरगाहों के बीच आयात–निर्यात कंटेनरों के परिवहन के अतिरिक्त जेएन पोर्ट तथा

during 2018-19 as against Rs. 3.49 crore during 2017-18.

Land Customs Station (LCS) at Petrapole, West Bengal on the Indo Bangladesh border facilitating the Import/Export trade with Bangladesh through land route has been converted into Integrated Check Post (ICP) on 12th February, 2016. The management of the facility of ICP, Petrapole has been entrusted by Land Port Authority of India (LPAI) to CWC on long term basis. During the year under report, the facility recorded 100% capacity utilization and earned gross revenue of Rs. 23.78 crore as against revenue of Rs. 21.19 crore earned during 2017-18. CWC income from the handling of Cargo Terminal at ICP, Attari has reduced due to imposition higher Custom Duty on the impose from nerving country.

2.4 **Container Rail Transportation (CRT) Operations:** CWC continued to run container trains between JN Port and ICD, Loni, Ghaziabad, besides transporting Exim containers between Loni and Mundra and Pipavav Ports through trains

आईसीडी, लोनी (गाजियाबाद) के बीच कंटेनर ट्रेन चला रहा है। वर्ष 2018–19 के दौरान निगम ने सैन्ट्रल वेअरहाउस, कालम्बोली में रेल द्वारा कार्गो परिवहन की हैंडलिंग भी शुरु की है।

of other Container Train Operators (CTOs). During the year 2018-19, Corporation also commenced handling of cargo transported by rail at CW, Kalamboli.

आईसीडी, लोनी में कंटेनर हैंडलिंग सुविधाओं का एक दृश्य।
A view of container handling facilities at ICD, Loni.

2.5 **वेअरहाउसिंग (विकास एवं विनियामक) अधिनियम, 2007 के अधीन वेअरहाउसों का पंजीकरणः** आपके निगम के कुल 139 वेअरहाउस डब्ल्यूडीआरए में पंजीकृत हैं जिसका उद्देश्य डब्ल्यूडीआरए में पंजीकृत ऐसे वेअरहाउसों द्वारा जारी नेगोशिएबल वेअरहाउस रसीद (एनडब्ल्यूआर) के आधार पर किसानों एवं अन्य को ऋण की सुविधाओं का लाभ प्रदान करना है। निगम ने 9 बैंको अर्थात् सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक, केनरा बैंक, आईडीबीआई बैंक, आंध्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कॉरपोरेशन बैंक तथा सिंडिकेट बैंक के साथ किसानों एवं अन्य को ऋण सुविधाएं प्रदान करने

2.5 **Registration of warehouses under Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007.** Your Corporation has registered 139 warehouses with WDRA with the objective to facilitate the farmers and others in availing credit facilities on the strength of Negotiable Warehouse Receipts (NWRs) issued through such WDRA registered warehouses. The Corporation has Memorandum of Agreement (MoA) with nine banks namely Central Bank of India, Punjab National Bank, Punjab & Sind Bank, Canara Bank, IDBI Bank, Andhra Bank, ICICI Bank,

के लिए करार का ज्ञापन (एमओए) भी किया है। वर्ष के दौरान 11234 नेगोशिएबल वेअरहाउस रसीद (एन.डब्ल्यू.आर.) जारी की गईं जिसमें 988.90 करोड़ रु. मूल्य की वस्तुओं का भण्डारण शामिल हैं।

2.6 **निजी फ्रेट टर्मिनलों का विकास:** केंद्रीय भंडारण निगम ने नाभा और कालम्बोली में निजी फ्रेट टर्मिनल (पीएफटी) शुरु किया है। केंद्रीय भंडारण निगम नाभा में 50,000 मी.टन क्षमता के रेलसाइड स्टील साइलोज स्थापना करने की प्रक्रिया में है। निगम ने कालम्बोली में एक इंटीग्रेटेड रेल टर्मिनल (आईआरटी) शुरू किया है। केंद्रीय भंडारण निगम बामनहेड़ी, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) में भी यह पीएफटी शुरू करने की प्रक्रिया में है।

2.7 **सैंट्रल वेअरहाउस, कालम्बोली में हैंडल की गई गुड्स ट्रेन:** वर्ष 2017–18 में हैंडल की गई 66 गुड्स ट्रेन की तुलना में वर्ष 2018–19 के दौरान सैंट्रल वेअरहाउस, कालम्बोली में कुल 130 गुड्स ट्रेन हैंडल की गईं।

3. पूंजी संरचना

रिपोर्ट वर्ष के दौरान निगम की प्राधिकृत एवं प्रदत्त पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और यह क्रमश: 100 करोड़ रु. और 68.02 करोड़ रु. रही। अंशधारण पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भारत सरकार, भारतीय स्टेट बैंक, 33 अन्य अधिसूचित बैंक, 401 सहकारी समितियां, 7 बीमा कंपनियां और 6 कृषि उत्पादों का व्यापार करने वाली मान्यता प्राप्त संस्थाएं/कंपनियां अंशधारी हैं।

4. पूंजी व्यय:

भंडारण क्षमता के निर्माण, भूमि अधिग्रहण, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर और अन्य उपकरण इत्यादि पर 167.51 करोड़ रु. का पूंजी व्यय किया गया। वर्ष 2018–19 के दौरान भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य जमाकर्ताओं के स्टॉक के भंडारण के लिए 03 राज्यों में 05 स्थानों पर 12.04 करोड़ रु. के कुल पूंजी व्यय से 33540 मी.टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया।

केन्द्रवार जोड़ी गई क्षमता का विवरण नीचे दिया गया है:

Corporation Bank and Syndicate Bank to facilitate credit facilities to farmers and others. During the year, 11234 numbers of NWRs were issued covering commodities of Rs. 988.90 crore value in storage.

2.6 **Development of Private Freight Terminal (PFT):** CWC has commissioned a PFT at Nabha & Kalamboli .CWC is in the process of setting up rail side steel Silos of 50,000 MT capacity at Nabha. CWC has commissioned one Integrated Rail Terminal(IRT) at Kalamboli. CWC is also in the process of commissioning PFT at Bamanheri, Muzzafarnagar (UP).

2.7 **Goods Train Handled at CW Kalamboli:** Total 130 goods trains were handled during 2018-19 at CWC Kalamboli as against 66 goods trains handled during the year 2017-18.

3. CAPITAL STRUCTURE

During the year under report, the authorized and paid-up capital of the Corporation remained unchanged at Rs. 100 crore and Rs. 68.02 crore respectively. The shareholding pattern remained unchanged. The shareholders are the Government of India, State Bank of India, 33 other Scheduled Banks, 401 Cooperative Societies, 7 Insurance Companies and 6 Recognized Associations/Companies dealing in agricultural produce.

4. CAPITAL EXPENDITURE

Capital expenditure of Rs. 167.51 crore was incurred on construction of warehousing capacity, acquisition of land, IT infrastructure, furniture and other equippments etc. During the year 2018-19, additional storage capacity of 33540 MT was constructed at 5 locations in 3 states with total CAPEX of Rs. 12.04 crore.

The details of centre-wise capacity addition are given below:-

क्र.सं. Sr. No.	केन्द्र Centre	राज्य State	क्षमता (मी.टन में) Capacity (In MT)
1.	अदीलाबाद Adilabad	तेलंगाना Telangana	10000
2.	हुबली Hubli	कर्नाटक Karnataka	10000
3.	कन्नूर Kannur	केरल Kerala	5940
4.	काकनचेरी Kakkancherry	केरल Kerala	5000
5.	कुन्नमथानम Kunnamthanam	केरल Kerala	2600
	कुल TOTAL		**33,540**

निगम के मुख्य सतर्कता अधिकारी, निदेशक मंडल के सदस्य तथा क्षेत्रीय प्रबंधक, बेंगलूरू कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन करते हुए।
Chief Vigilance Officer and Member of Board and Regional Manager Bangaluru inauguration of Newly constructed office building.

आपके निगम ने वर्ष 2018–19 के दौरान 19 वेअरहाउसों को अपग्रेड किया, जिससे 31 मार्च, 2019 तक 106 वेअरहाउस अपग्रेड किए गए। आपके निगम ने वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में 172 और वेअरहाउसों को अपग्रेड करने की भी योजना बनाई है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आपके निगम की देश के विभिन्न स्थानों में 2.12 लाख मी.टन की अतिरिक्त भंडारण

Your Corporation has upgraded 19 warehouses during the year 2018-19, with this totaling to 106 warehouses are upgraded till 31st March, 2019. Your Corporation has also drawn up plan to upgrade 172 more warehouses during the year 2019-20 and 2020-21.

Your Corporation has planned to construct additional storage capacity of 2.12 lakh MT

क्षमता के निर्माण की योजना है। इसके अलावा,नाभा, पंजाब में पीपीपी मोड पर 50,000 मी.टन क्षमता के रेल लिंक्ड साइलो के कार्य की भी योजना है। नैशनल फर्टिलाइज़र लि. के जमा कार्य के रूप में पानीपत (हरियाणा), भटिंडा (पंजाब) और इंदौर (मध्य प्रदेश) में तीन स्थानों पर प्रत्येक में 4400 मी.टन क्षमता के सीड प्रोसेसिंग यूनिट और गोदाम के निर्माण की भी योजना है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आपके निगम की देश के विभिन्न स्थानों में 1.37 लाख मी. टन अयोग्या भण्डारण क्षमता को भण्डारण योग्य बनाने की योजना है।

5. सूचना प्रौद्योगिकी

5.1 निगम अपनी वृद्धि, परिचालन दक्षता, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मकता, जनशक्ति कमी की चुनौतियों का शमन आदि के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का लाभ उठाने के प्रयास में डब्ल्यूएमएस, एचआरएमएस, टैली ईआरपी, सीएफएस/आईसीडी, आईसीपी, सीसीटीवी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डॉस, सीसीटीवी जैसे प्रौद्योगिकी उन्नयन में उद्योग के नवीनतम विकास को अपना रहा है। इन सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं ने निगमित कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय दोनों स्तरों पर तेजी से निर्णय लेने की सुविधा के लिए निगम की सभी परिचालन इकाईयों को जोड़ने की परिकल्पना की। इसके अलावा, यह प्रणाली वित्तीय लेखांकन, मानव संसाधन प्रबंधन, पेरोल, ई–भुगतान गेटवे, कैश मैनेजमेंट सिस्टम आदि के साथ सहजता से एकीकृत होगा।

5.2 वेअरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम (डब्ल्यूएमएस), एक क्लाउड आधारित एप्लिकेशन है, जिससे विभिन्न कार्यों को स्वचालित करके निगम के सभी गोदामों में लागू किया जा रहा है, जहां ग्राहक न केवल देश भर के गोदामों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि वेअरहाउसिंग स्थान को ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। 380 गोदामों में से, 369 गोदामों में डिजिटाइज़ेशन और डेटा माइग्रेशन पूरा हो चुका है।

5.3 टैली ईआरपी, एक क्लाउड आधारित एप्लीकेशन है जिससे वित्तीय डेटा को ऑनलाइन व्यवस्थित करने के लिए वित्तीय कार्यों को स्वचालित करके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और निगमित कार्यालय में सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

5.4 सीएफएस–आईसीडी ऑटोमेशन सोफ्टवेयर, क्लाउड आधारित एप्लिकेशन है जिससे सीएफएस और

at various locations in the country during the financial year 2019-20. In addition to this, CWC has also planned to take up the work of Rail Linked 50000 MT capacity Silos at Nabha, Punjab on PPP mode. There are also plans to construct Seed Processing Units and godown as deposit work for National Fertilizers Limited at 03 locations each of 4400 MTC at Panipat (Haryana), Bathinda (Punjab) and Indore (Madhya Pradesh). Your Corporation has planned to make the unstorage worthy capacity of 1.37 lakh MT as storage wothry capacity at various locations in the country during the financial year 2019-20.

5. INFORMATION TECHNOLOGY

5.1 The Corporation in its endeavor to leverage Information Technology (IT) for its growth, operational efficiency, transparency, competitiveness, mitigation of challenges of manpower depletion etc. is leveraging the latest technology tools like WMS, HRMS, Tally ERP, CFS/ICD, ICP, CCTV, Video Conferencing, DOS, CCTVetc. These IT project envisaged linking all the operational units of Corporation to facilitate faster decision both at the Corporate Office and Regional Office level. In addition, the systems will seamlessly integrate with Financial Accounting, Human Resource Management, Payroll, E-payment gateway, Cash Management System etc.

5.2 Warehouse Management System (WMS), a cloud based application, automating the various functions is being implemented at all warehouses in the Corporation where customer not only can browse information about warehouses across PAN India but also can book the warehousing space online. Out of 380 warehouses, digitization and data migration has been completed at 369 warehouses.

5.3 Tally ERP, a cloud based application, automating the financial functions for managing financial data online has been successfully implemented at all Regional Offices and Corporate Office.

5.4 CFS-ICD Automation Software, a cloud based application, automating the function

आईसीडी के कार्य को स्वचालित करके सीएफएस कोलकाता, कांडला, माधवारम, पटपड़गंज, अंबड, वालुज में लागू किया गया है और शेष सीएफएस/आईसीडी में लागू किया जा रहा है।

5.5 गोदामों में सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए, 340 स्थानों पर सीसीटीवी निगरानी प्रणाली पहले ही स्थापित की जा चुकी है और शेष गोदामों पर कार्य प्रगति पर है।

5.6 भारतीय खाद्य निगम का डिपो ऑनलाइन सिस्टम 156 गोदामों में स्थापित किया गया है।

5.7 निगमित कार्यालय के सभी विभागों में फाइल ट्रैकिंग सिस्टम को सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है।

5.8 मानव संसाधन (एचआर) के क्षेत्र में पेरोल, सीपीएफ, पेंशन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, आयकर निवेश दस्तावेज, आईएसओ दस्तावेजों का डिजिटलीकरण, वार्षिक कार्य–निष्पादन समीक्षा (एपीआर) अवकाश, एलटीसी आदि को सफलतापूर्वक स्वचालित किया गया है।

5.9 नियमित निगरानी और सीवीसी को समय–समय पर ऑनलाइन रिटर्न जमा करने के अलावा शिकायतों/जांच/दंड/पुरस्कार आदि के शीघ्र निपटान के लिए निगम में सतर्कता सूचना प्रणाली (वीआईएस) लागू कर सतर्कता विभाग की विभिन्न गतिविधियों को स्वचालित किया गया है।

5.10 निगम फेसबुक और ट्विटर एकाउंट के माध्यम से सोशल मिडिया से भी जुड़ा हुआ है। निगम के नवीनतम समाचार और महत्वपूर्ण गतिविधियों को नियमित रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के साथ साझा किया जाता है।

5.11 निगम ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर समय–समय पर होने वाली बैठकों, चर्चाओं और रिपोर्टों के लिए निगमित कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा को लागू किया है।

5.12 निगम की अधिकारिक वेबसाइट को क्लाउड पर होस्ट किया गया है जो केंद्रीय भंडारण निगम के विभिन्न कार्यक्षेत्रों के बारे में अद्यतन जानकारी के अलावा टेंडर होस्टिंग भी करता है।

of CFSs and ICDs has been implemented at CFS Kolkata, Kandla, Madhvaram, Patparganj, Ambad, Waluj and at remaining CFSs/ICDs, it is being implemented.

5.5 To strengthen the security system at warehouses, CCTV Surveillance System has already been installed at 340 locations and work is in progress at remaining warehouses.

5.6 FCI's Depot Online System have been installed at 156 warehouses.

5.7 The File Tracking System has been successfully implemented at all the divisions of the Corporate Office.

5.8 On the Human Resource (HR) front, Payroll, CPF, Pension, Medical reimbursement, Income tax investment documents, digitization of ISO documents, Annual Performance Review (APR), Leave, LTC etc. have been successfully automated.

5.9 Vigilance Information System (VIS), has been implemented in the Corporation automating the various activities of the Vigilance Division for regular monitoring and speeding up the disposal of complaints/investigations/Penalty/awards etc. besides online submission of periodical returns to the CVC.

5.10 Corporation has also registered its presence on the social media through Facebook & Twitter Accounts. The latest news and important activities of the Corporation are regularly shared with the public through social media.

5.11 Corporation has implemented Video Conferencing facility at Corporate Offices and Regional Offices for carrying out periodical meetings, discussions and reports on the important issues.

5.12 Official website of the Corporation has been hosted on the cloud which carries updated information about the various verticals of CWC besides hosting the tenders.

5.13 निगम ने ई–प्रोक्योरमेंट वेबसाइट भी तैयार की है जो ऑनलाइन होस्टिंग और व्यापक प्रचार के लिए ई–टेंडर/ई–नीलाम सेवाओं को सपोर्ट करती है और पारर्शिता से सर्वोत्तम दरों की खोज का समर्थन करता है।

6. मानकीकरण/प्रमाणन

आपकी निगम ने उन्नत गुणवत्ता मानक आईएसओ 9001:2015 को सफलतापूर्वक कार्यान्वित एवं व्यवस्थित रखा है। सभी 368 स्वनिर्मित वेअरहाउसों/सीएफएस/आईसीडी/एसीसी और 15 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं निगमित कार्यालय को क्यूएमएस के लिए आईएसओ 9001:2015, ईएमएस के लिए आईएसओ 14001:2015 तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए ओएचएसएएस 18001:2007 को प्रमाणित किया गया।

7. पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी

सैन्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी लि. (सीआरडब्ल्यूसी) का गठन 10 जुलाई, 2007 को हुआ और इसने व्यावसायिक शुरूआत के लिए 24 जुलाई, 2007 को प्रमाण पत्र प्राप्त किया। सीआरडब्ल्यूसी केन्द्रीय भंडारण निगम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसकी इक्विटी में 40.56 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

7.1 सीआरडब्ल्यूसी 3,32,467 मी.टन की कुल स्थापित क्षमता के साथ 19 रेलसाइड वेअरहाउस कॉम्पलैक्स ;आर डब्ल्यू सीद्ध का संचालन कर रहा है और वर्ष 2018.19 के दौरान 1,27,332 बैगनों को संभाला है।

7.2 डेहरी.ऑन.सोन में मौजूदा अर्मिनल के स्थान पर पहलेजा ;विहारद्ध में 13,800 मी.टन आरडब्ल्यूसी का निर्माण पूरा हो गया है।

7.3 फतुहा, बिहार में 20400 मी.टन क्षमता के वेअरहाउस का निर्माण कार्य शुरू हो गया है जिसे शीघ्र ही पूरा किया जाएगा।

7.4 न्यू जलपाईगुडी ;एनजेपीद्ध पश्चिम बंगाल और मंनचेश्वर ;ओडिशाद्ध में आर. डब्ल्यू. सी. के निर्माण के लिए रेलवे से स्वीकृति मिल गई है।

7.5 सीआरडब्ल्यूसी का गत तीन वर्षों का वित्तीय विवरण नीचे दिया गया है।

5.13 Corporation also maintains e-procurement website that supports online hosting and submission of e-tender/e-auction for greater publicity and transparency and discovering of best rates.

6. STANDARDISATION/ CERTIFICATIONS

Your Corporation successfully implemented and maintained upgraded Quality Standard ISO 9001:2015. All the 368 own constructed warehouses/CFSs/ICDs/ ACCs and 15 Regional Offices and Corporate Office have been certified under ISO 9001:2015 for QMS, ISO 14001:2015 for EMS and OHSAS 18001:2007 for occupational Health & Safety Management System.

7. WHOLLY OWNED SUBSIDIARY:

The Central Railside Warehouse Company Limited (CRWC) was incorporated on 10th July, 2007 and received the certificate for commencement of business on 24th July, 2007. CRWC is wholly owned subsidiary company of CWC with investment of Rs. 40.56 crore in its equity.

7.1 CRWC has been operating 19 Railside Warehouse Complexes (RWCs) with a total installed capacity of 3,32,467 MT and has handled 1,27,332 no.of wagons during the year 2018-19

7.2 Construction of 13,800 MTC RWC at Pahlega (Bihar) in place of existing terminal at Dehri-on-Sone has been completed.

7.3 Construction of 20400 MT warehouse at Fatuha, Bihar has been started and the same will be completed shortly.

7.4 Approval has been obtained from Railways for construction of RWC at New Jalpaiguri (NJP), West Bengal and Mancheshwar (Odissa)

7.5 The financial details of CRWC for the last three years is as follows:-

(राशि करोड़ रु. में) (Rs. in Crore)

वित्तीय वर्ष Year	आय Income	व्यय Expenditure	कर–पूर्व लाभ Profit Before Tax	कर–पश्चात् लाभ Profit After Tax
2016-17	86.71	66.99	19.72	12.68
2017-18	96.88	73.24	23.64	15.33
2018-19	87.94	71.58	16.35	14.87

8. राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी)

दिनांक 31 मार्च, 2019 को 19 राज्य भंडारण निगम थे। आपके निगम की इन 19 राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी) में 50 प्रतिशत इक्विटी है तथा शेष 50 प्रतिशत इक्विटी संबंधित राज्य सरकारों की है। 31 मार्च, 2019 को ये राज्य भंडारण निगम 340.83 लाख मी. टन की कुल भंडारण क्षमता के 2145 वेअरहाउस चला रहे थे। वर्ष के दौरान राज्य भंडारण निगमों द्वारा 7.25 लाख मी. टन की स्वयं निर्मित भंडारण क्षमता बढ़ाई गई। राज्य भंडारण निगमों द्वारा परिचालित भंडारण क्षमता का विवरण नीचे तथा अनुलग्नक–I में दिया गया है:–

8. STATE WAREHOUSING CORPORATIONS (SWCs)

As on 31st March, 2019, there were 19 State Warehousing Corporations. Your Corporation holds 50% equity in these 19 State Warehousing Corporations (SWCs) with the respective State Governments holding the remaining 50% of the equity. As on 31st March, 2019, these SWCs were operating a network of 2145 warehouses with an aggregate storage capacity of 340.83 lakh MT. During the year, 7.25 lakh MT of owned constructed storage capacity was added by the SWCs. Details of the storage capacity operated by SWCs are given below and at Annex-I

(क्षमता लाख मी.टन में) (Capacity in lakh MT)

भंडारण क्षमता Storage Capacity	2016-17	2017-18	2018-19
निजी/निर्मित Owned/Constructed	172.20	174.03	181.28
किराये पर (कवर्ड) Hired (Covered)	36.73	81.09	73.39
प्लिन्थ Plinth	3.58	2.30	2.17
प्रबंधन वेअरहाउसिंग Management Warehousing	57.53	51.35	83.99
कुल Total	**270.04**	**308.77**	**340.83**
वेअरहाउसों की संख्या No. of Warehouses	1820	1929	2145

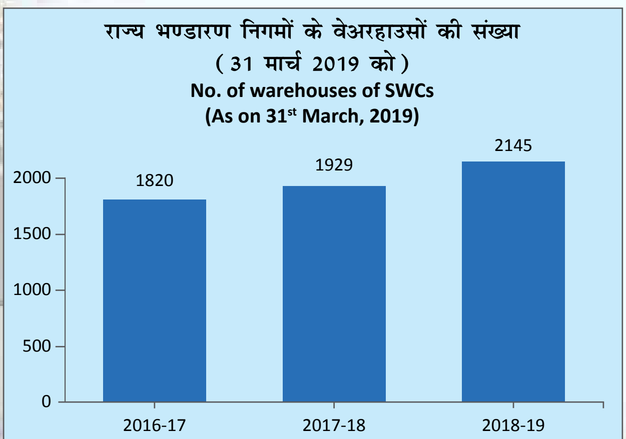

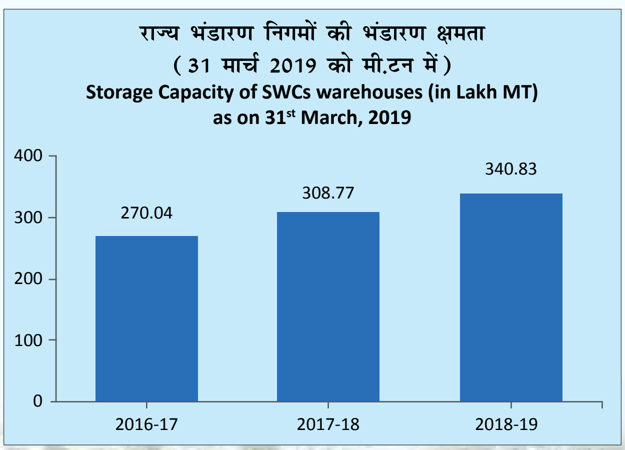

31 मार्च, 2019 को आपके निगम द्वारा राज्य भंडारण निगमों की इक्विटी में 61.79 करोड़ रु. का कुल निवेश किया गया। राज्य भंडारण निगमों में किए गए निवेश का ब्यौरा अनुलग्नक–II में दिया गया है। रिपोर्ट वर्ष के दौरान 11 राज्य भंडारण निगमों ने अपनी 15 वार्षिक साधारण बैठकें आयोजित कीं तथा लाभांश के रूप में 18.40 करोड़ रु. की राशि घोषित की। राज्य भंडारण निगम द्वारा घोषित लाभांश एवं केंद्रीय भंडारण द्वारा प्राप्त राशि का ब्योरा अनुलग्नक–III पर दिया गया है।

9. मानव संसाधन विकास

9.1 आपका निगम अपने बेहद प्रेरित और सक्षम मानव संसाधन में गर्व महसूस करता है जिन्होंने निगम को वर्तमान ऊंचाईयों पर लाने के लिए अपना सर्वोत्तम योगदान दिया है। 31 मार्च, 2019 तक निगम के कर्मचारियों की संख्या 3042 थी जबकि पिछले वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 3570 थी।

युवा और अनुभवी कर्मचारियों का आपसी संतुलन होने के साथ, यह अब जीवंत, प्रगतिशील और नवपरिवर्तन उन्मुख संगठन है। केन्द्रीय भंडारण निगम सीखने एवं विकास तथा सर्वोत्तम औद्योगिक पद्धतियाँ स्थापित करने पर विशेष ध्यान देकर कर्मचारी महत्व को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है।

निगम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण पर भारत सरकार के अनुदेशों का अनुपालन करता है। वर्तमान में, निगम के कुल कर्मचारियों में से 25.99 प्रतिशत कर्मचारी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) के हैं। 31 मार्च, 2019 को कर्मचारियों की समूहवार संख्या निम्नानुसार थी :

As on 31st March, 2019, the aggregate investment by your Corporation in the equity of the SWCs stood at Rs. 61.79 crore. The details of investment in SWCs are given at Annex -II. During the year under report, 11 SWCs held their 15 AGMs and an amount of Rs. 18.40 crore was declared as dividend. The details of the dividend declared by the SWCs and amount received by CWC are given at Annex -III.

9. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

9.1 Your Corporation takes pride in having a motivated and competent Human Resource that has contributed its best to bring the Corporation to its present heights. As on 31st March, 2019, the total strength of the Corporation stood at 3042 employees as against 3570 employees at the end of the preceding year.

With a balanced mix of young and experienced employees, it is now a vibrant, progressive and innovation oriented organization. CWC has consistently strived towards creating an employee value proposition by putting special focus on learning and development and instituting best in-industry practices.

The Corporation follows the Government of India directives on reservation of SCs, STs and OBCs. At present, the SCs and STs (excluding Safaiwala) constitute 25.99% of the total strength of the Corporation. The group- wise strength / population of staff as on 31st March, 2019 was as under:-

समूह Group	कुल कर्मचारी Total Employees	अनु.जाति SC	अनु.जनजाति ST	कुल Total	अनु.जाति/अनु.जन–जातियों का प्रतिशत % of SCs/ STs
क A	284	47	18	65	22.88%
ख B	746	134	30	164	21.98%
ग C	1658	325	120	445	26.83%
घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) D(Excl. Safaiwala)	216	50	31	81	37.50%
कुल Total	**2904**	**556**	**199**	**755**	**25.99%**
घ (सफाई कर्मचारी) D (Safaiwala)	138	97	-	97	70.28%
कुल योग Grand Total	**3042**	**653**	**199**	**852**	**28.00%**

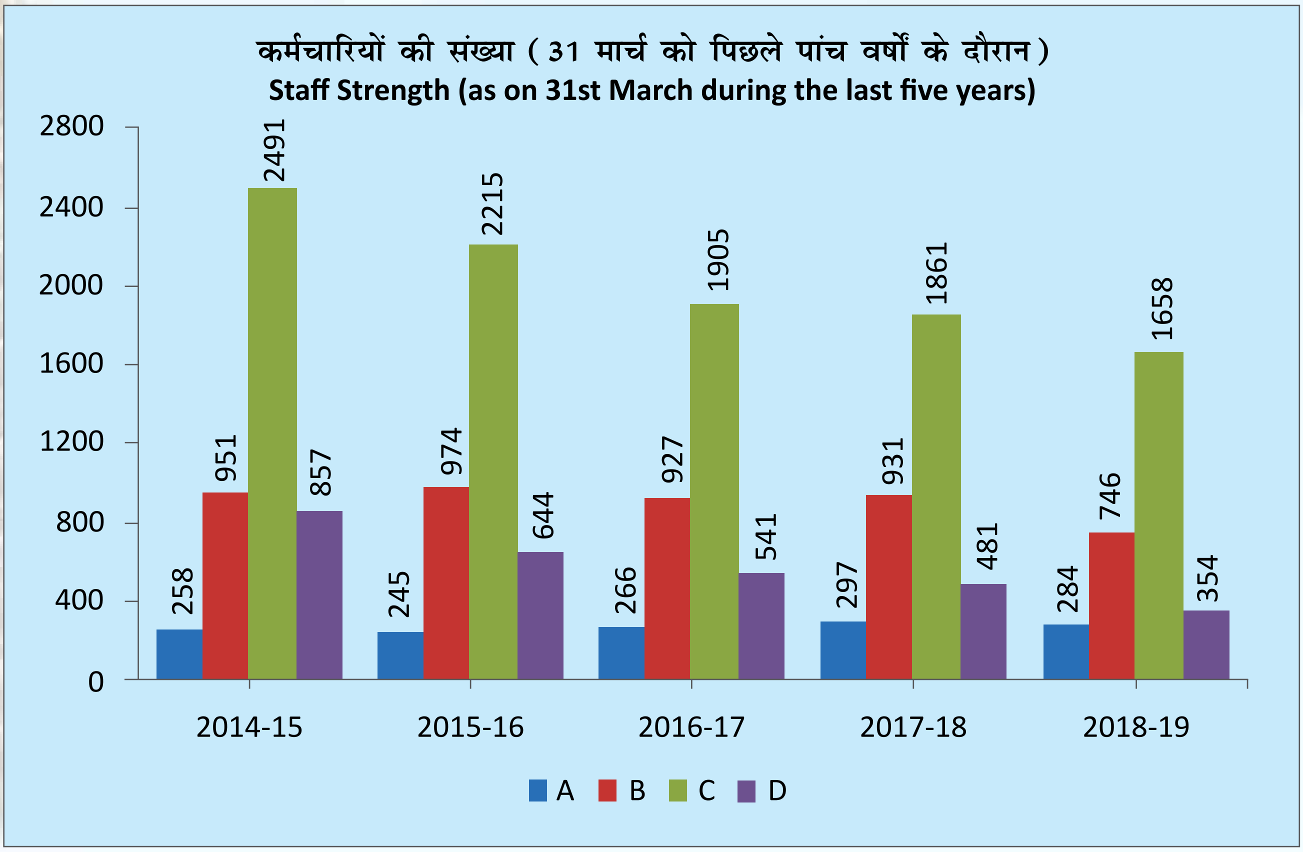

9.2 **कार्मिकों का प्रशिक्षणः–** आपका निगम मानव संसाधन विकास (एचआरडी) गतिविधियों पर पर्याप्त बल देता है। रिपोर्ट वर्ष के दौरान, कर्मचारियों की कुशलता और दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी) के कर्मचारियों द्वारा भी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठाया गया। वर्ष 2018–19 के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया हैः–

9.2 **Training of Personnel:** Your Corporation lays adequate emphasis on Human Resource Development (HRD) activities. During the year under report, a number of need based training programmes were conducted on different functional areas for upgrading the skills and competencies of the officials. These training programmes were also availed by the officials of State Warehousing Corporations (SWCs). Details of the officials trained during 2018-19 are given below:-

क्र.सं. Sr. No	प्रशिक्षण का प्रकार Nature of training	निगमित कार्यालय तथा हापुड़ में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या No. of Officials trained at CO & Hapur			क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या No. of Officials trained at ROs			कुल Total
		केभनि CWC	राभनि SWC	अन्य Others	केभनि CWC	राभनि SWC	अन्य Others	
1.	इनहाउस कार्यक्रम निगमित कार्यालय/हापुड़–संख्या 39 क्षेत्रीय कार्यालय–संख्या 38 In-house Programme CO/Hapur - 39 Nos. RO - 38 Nos.	1153	71	27	1488	-	-	2739

2.	हापुड़ में भुगतान आधार पर आईजीएमआरआई के लिए 08 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 08 Special training programmes for IGMRI on payment basis at Hapur	38	11	148	–	–	–	197
3.	हापुड़ में गैर–भुगतान आधार पर आईजीएमआर के लिए 02 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 02 Special training programmes for IGMRI on non-payment basis at Hapur	-	11	26	–	–	–	37
4.	डब्ल्यू डी आर ए के लिए भुगतान आधार पर अहमदाबाद/बैंगलुरू कोयम्बटूर/हापुड़ में 04 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 04 Special training programmes for WDRA on payment basis at Ahmedabad/ Bangalore/ Coimbatore/ Hapur	-	-	140	–	–	–	140
5.	अन्य संस्थानों को नामांकन Nominations to other Institutes	106	–	–	–	–	–	106
6.	आईआईएम, अहमदाबाद में ''वेअरहाउस डिज़ाइन और प्रबंधन'' पर 01 आवासीय एमडीपी 01 Residential MDP on "Warehouse Design & Management" at IIM Ahmedabad	19	–	–	–	–	–	19
7.	विदेश में अन्य संस्थानों को नामांकन Nominations to other Institutes abroad	02	–	–	–	–	–	02
	कुल Total	**1318**	**93**	**341**	**1488**	–	–	**3240**

यहां यह उल्लेख करना संगत होगा कि कुशल रख–रखाव, दस्तावेजीकरण तथा वेअरहाउसों में संबद्ध वस्तुओं के स्टॉक के अनुरक्षण के लिए निगम में शुरू किए गए वेअरहाउस प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूएमएस) मॉड्यूल के कारण अखिल भारतीय स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालयों में डब्ल्यूएमएस प्रशिक्षण आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, अनेक कम्प्यूटर प्रशिक्षण और आई.एस.ओ ऑडिट एवं इलैक्ट्रानिक–नैगोशिएबल वेअरहाउस रसीद (ई–एनडब्ल्यूआर) पर प्रशिक्षण भी दिए गए।

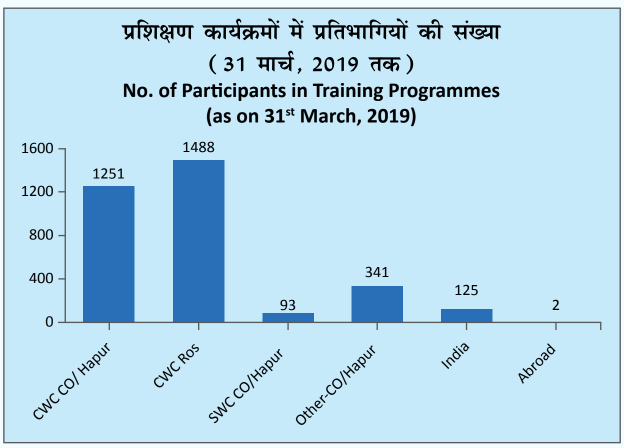

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागियों की संख्या
(31 मार्च, 2019 तक)
No. of Participants in Training Programmes
(as on 31st March, 2019)

It is pertinent to mention that on account of Warehouse Management System (WMS) Module introduced in CWC for efficient upkeep, documentation and maintenance of stock of allied commodities at warehouses, WMS trainings were held at Regional Offices on a PAN India Basis. Besides, several computer trainings and trainings on ISO Audit & electronic-Negotiable Warehouse Receipt (e-NWR) were also held.

क. भारत में:

आपके निगम ने खाद्यान्नों एवं अन्य कृषि वस्तुओं के फसल बाद प्रबंधन का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से

A. Within India:

Your Corporation signed a MoU with the Department of Food and Public Distribution on

आईजीएमआरआई, हापुड़ की सुविधाओं को उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ दिनांक 25 अक्तूबर, 2012 को समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। आईजीएमआरआई परिसर, हापुड़ स्थित प्रशिक्षण संस्थान ने 08 मई, 2013 से कार्य करना शुरू कर दिया था। वर्ष 2018–19 के दौरान, केन्द्रीय भंडारण निगम ने निगम तथा राज्य भंडारण निगमों के कर्मचारियों के लिए निगमित कार्यालय एवं हापुड़ प्रशिक्षण संस्थान में 39 आंतरिक आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (जिसमें मंत्रालय के कार्यक्रमों को छोड़कर, निगमित कार्यालय में आयोजित 30 प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं आईजीएमआरआई, हापुड़ में आयोजित 09 प्रशिक्षण कार्यक्रम) शामिल हैं। केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम, राज्य सरकार की एजेंसियों, निजी उद्यमों तथा डब्ल्यूडीआरए द्वारा प्रायोजित एजेंसियों के लाभ के लिए विभिन्न प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान, निगम ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर अन्य विभागों/राज्य भंडारण निगमों/संस्थाओं/निजी प्रतिभागियों के 434 प्रतिभागियों (डब्ल्यूडीआरए द्वारा प्रायोजित 140 प्रतिभागियों सहित) को प्रशिक्षित किया तथा पाठ्यक्रम शुल्क एवं होस्टल प्रभारों के रूप में 100,36 लाख रु. वसूल किए।

25th October, 2012 for taking over the facilities of IGMRI, Hapur for developing it as a center of excellence for the purpose of training in post-harvest management of food grains and other agricultural commodities. The Training Institute at IGMRI Campus, Hapur had started functioning w.e.f. 8th May, 2013. During the year 2018-19, CWC conducted 39 in-house residential training programmes (which includes 30 training programmes conducted at CO and 09 training programmes conducted at IGMRI Hapur – excluding ministerial programmes) for the employees of CWC & SWCs at CO/Training Institute at Hapur. The training programmes are conducted by CWC in different functional areas for the benefit of FCI, CWC, SWCs, State Government agencies, Private Entrepreneurs and WDRA sponsored agencies. During the year, Corporation had trained 434 participants (including 140 sponsored by WDRA) of other Departments/SWCs/Institutes/private participants in different training programmes and realized Rs. 100.36 lakh towards course fee & hostel charges.

ख. विदेश में नामाकनः B. Nominations abroad:

क्र.सं. S .No.	नाम और पद Name & Designation	अवधि Duration	देश दौरा Country visited	उद्देश्य Purpose
1	श्री एस.सी. मुडगेरीकर निदेशक (एम एंड सीपी) Sh. S. C. Mudgerikar Director (M&CP)	30 अगस्त –08 सितम्बर, 2018 Aug.20 –Sep.08, 2018	सिंगापुर, शंघाई और बीजिंग Singapore, Shanghai & Beijing	स्कोप द्वारा आयोजित ''7वां एडवांस वैश्विक नेतृत्व कार्यक्रम' "7th Advanced Global Leadership Programme" organized by SCOPE.
2	श्री एस.चार्ल्स निदेशक (वित्त) Sh. S. Charles, Director (Finance)	29 अक्तूबर – 02 नवम्बर, 2018 Oct.29 – Nov.02, 2018	वाशिंगटन डी. सी. Washington D.C.	स्कोप द्वारा आयोजित ''सीपीएसईएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए शासन और नवाचार पर एडवांस नेतृत्व कार्यक्रम' "Advanced Leadership Programme on Governance & Innovation for Chief Executives of CPSEs" organized by SCOPE.

9.3 **स्थापना दिवस :** केन्द्रीय भंडारण निगम (के.भ.नि.) द्वारा 02 मार्च, 2019 को पूरे संगठन में 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर निगमित कार्यालय द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें श्री धर्मेन्द्र, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार, मुख्य अतिथि थे

9.3. **Foundation Day:-** Central Warehousing Corporation (CWC) celebrated its 63rd Foundation Day across the organization on 2nd March, 2019. A cultural programme was organized by the Corporate Office. On this occasion, Shri Dharmender, Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Food

तथा उनके साथ अन्य गणमान्य अतिथियों ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। देश के सभी केन्द्रों में स्थापना दिवस अत्यंत उत्साह के साथ सफलतापूर्वक मनाया गया।

& Public Distribution, Govt. of India was the Chief Guest and other dignitaries also graced the occasion. Foundation Day at all the Field Units was celebrated with great enthusiasm and grand success.

निगम के स्थापना दिवस के अवसर पर दिनांक 02.03.2019 को दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार।

Inaugration of foundation day programme on 2nd March, 2019 by lighting the lamp by Aditional Secretary & Financial Advisor of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.

9.4 **स्वच्छ भारत अभियान :** वर्ष के दौरान केन्द्रीय भंडारण निगम ने भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर सक्रिय रूप से भाग लिया। इन गतिविधियों में कार्यालयों जैसे कॉमन एरिया, प्रसाधन, सीढ़ियाँ, लिफ्ट, कार्यालय के बाहरी क्षेत्र में सफाई रखना निगमित कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं वेअरहाउसों की पुरानी फाइलों एवं रिकार्डों की वीडिंग आउट करना शामिल है। वर्ष 2018–19 के दौरान निगम द्वारा 129.25 लाख रु. का योगदान ''स्वच्छ भारत कोष'' में तथा ''नमामि गंगे कोष'' में

9.4 **Swachh Bharat Mission:-** CWC actively participated in Swachh Bharat Mission launched by Govt. of India by carrying out special cleanliness drives during the year. The activities included upkeep and cleaning of offices including common area, toilets, stairs, lifts, area outside the office, weeding out of old files and records at Corporate Office, Regional Offices and Warehouses. A sum of Rs. 129.25 lakh has been contributed by the Corporation to "Swachh Bharat Kosh" & Rs. 20.49 lakh in "Namami Gange Fund" during

20.49 लाख रु. का योगदान दिया गया। ''स्वच्छ पखवाड़ा'' के दौरान बच्चों को स्वच्छता के विषय में जागरूक करने के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया।

2018-19. The painting competition for the kids to aware them about cleanliness was also organized during the "Swachh Pakhawada."

स्वच्छ भारत अभियान के अवसर पर निगम के प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) तथा अन्य अधिकारी निगमित कार्यालय परिसर में सफाई करते हुए।
MD, CWC , Director (Finance) & other officer cleaning the premises of CO on the occasion of Swachh Bharat Mission.

स्वच्छ भारत मिशन के अवसर पर स्वच्छता अभियान में शामिल निगम के प्रबंध निदेशक एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण।
MD, CWC & other Officers and employees of the Corporation participating in cleanliness drive on the occasion of Swachh Bharat Mission.

9.5 **औद्योगिक संबंध :** वर्ष 2018–19 के दौरान संगठन में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। इस अवधि में औद्योगिक अशांति या हड़ताल की कोई घटना नहीं हुई।

9.6 **मानव संसाधन प्रबंधन पर एमओयू लक्ष्य :** वर्ष के दौरान, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित लक्ष्य शामिल किए गए। लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:–

9.5 **Industrial Relations:-** Industrial Relations during the year 2018-19 remained cordial. There was no incident of industrial unrest or strike during the period.

9.6 **MoU Targets on HRM:-** During the year, following targets were included in the MoU signed with the Department of Food & Public Distribution. The target viz-a-viz achievements are as under:-

	मूल्यांकन मानदण्ड Evaluation Parameter	उत्कृष्टता हेतु लक्ष्य Target for Excellent	वास्तविक उपलब्धि Actual Achievement
(क) (a)	लोगों की क्षमता परिपक्वता मॉडल (पीसीएमएम) के अनुरूप स्तर का निर्धारण अथवा सीपीएसई में इसके समकक्ष तथा बोर्ड के समक्ष इस मामले को प्रस्तुत करना यह निर्णय लेने के लिए कि क्या इस स्तर पर अपग्रेडेशन किया जाए और यदि हाँ, तो बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करना। यदि नहीं, तो बोर्ड संकल्प में यथोचित कारण रिकार्ड किया जाना (लक्षित तिथि) Assessment of level in line with People Capability Maturity Model (PCMM) or its equivalent in the CPSE & placing the matter before the Board for taking a decision whether to go for up-gradation in level and, yes, getting the approval for the timelines from the Board. If not, justifiable reason to be recorded in the Board Resolution (Target Date)	15.12.2018	03.12.2018
(ख) (b)	ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) क्रियान्वयन (ऑनलाइन कर्मचारी आंकड़े प्रशासन/कर्मचारी स्वंय सेवा, निकासी प्रक्रिया, प्रतिभा प्रबंधन इत्यादि सहित) और वित्त के साथ इसका एकीकरण। (लक्षित तिथि) On-line Human Resource Management System (HRMS) Implementation (consisting of online employee data administration, employee self-service, exit procedure, talent management etc.) and its integration with Finance (Target Date)	15.12.2018	03.12.2018
(ग) (c)	एच आर ऑडिट और ऑडिट की अनुशंसाओं पर बोर्ड का निर्णय (लक्षित तिथि) HR Audit and decision of the Board on recommendations of audit (Target Date)	15.12.2018	11.12.2018

केंद्रीय भंडारण निगम ने उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ वर्ष 2019–20 के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

Central Warehousing Corporation signed the Memorandum of Understanding (MoU) for the year 2019-20 with Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Govt.of India.

10. विशेष उपलब्धियाँ

आपके निगम ने अपने क्रियाकलापों के क्षेत्र में उत्कृष्टता बनाए रखी तथा वर्ष के दौरान निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किए:–

10.1 पीएसयू कैटेगरी में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानि पब्लिक सेक्टर–सर्विस सेक्टर मीडियम इन ट्रांस्पोर्टेशन एण्ड लॉजिस्टिक्स द्वारा **"एक्सीलेंस इन कॉस्ट मैंनेजमेंट–2017" का तृतीय राष्ट्रीय पुरस्कार"।**

10.2 वर्ष 2017–18 के लिए निगम की त्रैमासिक गृह पत्रिका **"भण्डारण भारती"** को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा **राजभाषा कीर्ति पुरस्कार** के प्रथम पुरस्कार से 14 सितम्बर, 2018 को माननीय उप–राष्ट्रपति महोदय द्वारा सम्मानित किया गया।

10.3 निगम की त्रैमासिक गृह पत्रिका "भण्डारण भारती" को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 2018 को **वर्ष 2017–18 के लिए श्रेष्ठ गृह पत्रिका के प्रथम पुरस्कार** से सम्मानित किया गया।

10.4 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा अपने उपक्रमों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में वर्ष 2017–18 के लिए राजभाषा कार्यान्वयन में श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन के लिए निगम को दिनांक 25 सितम्बर, 2018 को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

11. ऊर्जा संरक्षण

11.1 ऊर्जा संरक्षण:

गत एक वर्ष में ऊर्जा संरक्षण के लिए किए जा रहे सतत् प्रयासों के रूप में वेअरहाउसों में इलैक्ट्रीकल फिटिंग में एलईडी लाईटें उपलब्ध कराई गईं।

आपके निगम ने वर्षा जल के उपयोग से भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए 73 वर्षा जल संचयन संरचना भी लगाईं जिसमें 104.85 लाख रु. का निवेश किया गया।

12. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

रिपोर्ट वर्ष के दौरान आपके निगम में दिनांक 20 अगस्त–08 सितम्बर, 2018 को सिंगापुर/शंघाई में आयोजित **7वीं एडवांस ग्लोबल लीडरशिप प्रोग्राम"** में आपके निदेशक

10. SPECIAL ACHIEVEMENTS

Your Corporation continued to excel in fields of its activities and was a proud recipient of the following awards during the year:-

10.1 3^{rd} National Award for **"Excellence in Cost Management- 2017"** was given by the Institute of Cost Accountants of India in PSU Category i.e. Public Sector – Service Sector Medium in Transportation & Logistics.

10.2 1^{st} Prize in **"Rajbhasha Kirti Puraskar"** for best in-house quarterly Magazine **"Bhandaran Bharti"** for the year 2017-18 by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs on 14^{th} September, 2018 awarded by Hon'ble Vice-President of India.

10.3 1^{st} prize for best publication for quarterly magazine "Bhandaran Bharti" for the year 2017-18 from Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), Delhi on 25^{th} September, 2018.

10.4 2^{nd} prize for excellent performance in 'Implementation of Official Language for the year 2017-18' on 25^{th} September, 2018 by the Department of Food and Public Distribution, Govt. of India among its undertakings and subordinate offices.

11. ENERGY CONSERVATION

11.1 Conservation of Energy

As a part of continued efforts towards energy conservation for the last one year, electrical fittings in the warehouses have been provided with the LED lights.

Your Corporation has also constructed 73 nos. of Rain Water Harvesting Structures at an investment of Rs. 104.85 lakh to harness the rain water so as to improve the ground water level.

12. FOREIGN EXCHANGE EARNINGS & OUTGO

During the year under report, your Corporation has spent 14470 $ (USD) as participation fees of Director (M&CP) in 7^{th} **Advanced Global**

(एमएंडसीपी) के प्रतिभागिता शुल्क के रूप में 14,470 डॉलर (यूएसडी) तथा दिनांक 29.10.2018 से 02.11.2018 के लिए वाशिंगटन डी.सी. में आयोजित **एडवांसड लीडरशिप प्रोग्राम ऑन गवरनेंस एंड इनोवेशन फॉर चीफ एक्जीक्यूटीव ऑफ सीपीएसई"** में निदेशक (वित्त) की प्रतिभागिता शुल्क के रूप में 13,420 डॉलर (यूएसडी) खर्च किए। कुल खर्च की गई राशि 19.61 लाख रुपये है।

13. तकनीकी एवं गुणवत्ता नियंत्रण

13.1 **गुणवत्ता नियंत्रण एवं परिरक्षण:** केन्द्रीय भंडारण निगम वैज्ञानिक भंडारण के लिए एक प्रमुख संगठन के तौर पर अपने मूल्यवान जमाकर्ताओं के स्टॉक को डिलीवरी तक अच्छी स्थिति में परिरक्षित करने के लिए पूरा प्रयास करता है बशर्ते कि निगम के नियंत्रण से परे, कोई प्राकृतिक संकुचन, सूखा और आपदाएं न हों। निगम के योग्य एवं प्रशिक्षित तकनीकी कार्मिकों द्वारा समय–समय पर, जब आवश्यक हो रोग–रोधी एवं उपचारात्मक उपायों द्वारा स्टॉक की गुणवत्ता बनाए रखी जाती है। वर्ष 2018–19 के दौरान इस प्रकार के किए गए कार्य का विवरण निम्नानुसार है:–

Leadership programme from 20th August - 8th September, 2018 at Singapore/Shanghai and 13420 $ (USD) as participation fees of Director (Finance) in **Advanced Leadership Programme on Governance & Innovation for Chief Executives of CPSEs** from 29th October-2nd November, 2018 at Washington D.C. The total amount spent was Rs. 19.61 lakh.

13. TECHNICAL & QUALITY CONTROL:

13.1 **Quality Control and Preservation:-** Central Warehousing Corporation being a premier organization for scientific storage, is making utmost efforts to preserve the stock of its valued depositors in good condition till its delivery, subject to natural shrinkage, driage and calamities beyond its control. The qualified and trained technical personnel of the Corporation maintain the quality of stocks by undertaking timely prophylactic and curative treatment as and when required. The detail of work undertaken during the year 2018-19 is as under: -

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	लाख मी.टन में In lakh MT
1	रोग–रोधी उपचार किए गए स्टॉक की मात्रा Qty. of stock prophylactically treated	437.44
2	प्रधूमित/प्रारंभिक प्रधूमन सहित स्टॉक की मात्रा Qty. of stock fumigated/including Initial Fumigation	160.42

13.2 **नमूना विश्लेषण प्रयोगशालाएँ:** वेअरहाउसों में स्टॉक की प्राप्ति और भंडारण के दौरान खाद्यान्नों के स्टॉक का विश्लेषण नियमित रूप से किया जा रहा है। वेअरहाउस में प्राप्त स्टॉक की गुणवत्ता का सत्यापन करने के लिए निरीक्षण के दौरान लिए गए कुछ नमूनों को चंडीगढ़, हैदराबाद और अहमदाबाद स्थित केन्द्रीय भंडारण निगम अनाज विश्लेषण प्रयोगशालाओं में भेजा गया था। वर्ष 2018–19 के दौरान, 1457 नमूनों का विश्लेषण किया गया।

13.2 **Sample Analysis Laboratories:-** Analysis of food grain stocks is being done regularly during receipt and storage of the stock at the warehouses. In order to have verification of the quality of the stocks received at the warehouse, some of the samples drawn during inspection are referred to Central Warehousing Corporation Grain Analysis Laboratories situated at Chandigarh, Hyderabad and Ahmedabad. During the year 2018-19, 1457 nos. of samples were analyzed.

केंद्रीय भंडारण निगम की गेंहूँ विश्लेषण प्रयोगशाला के दृश्य।
A view of Central Warehousing Corporation Grain Analysis Laboratory.

13.3 किसान विस्तार सेवा योजनाः इस योजना का मूल उद्देश्य किसानों में खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भण्डारण, सार्वजनिक गोदामों के उपयोग तथा कृषक समुदाय को वेअरहाउस रसीद गिरवी रखकर ऋण लेने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु जागरूकता पैदा करना है। यह योजना पूरे देश में 313 वेअरहाउसों के माध्यम से चलाई जा रही है। वर्ष 2018–19 के दौरान, 5535 गांवों का दौरा किया गया और 238191 किसानों को प्रशिक्षित किया गया। 2018–19 के दौरान, 855 किसानों हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। किसानों को फसल बाद की हानि को कम करने के लिए प्रशिक्षित किया गया तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में सभी प्रशिक्षु किसानों को निगम की सीएसआर योजना के तहत निःशुल्क मैटल स्टोरेज बिन दिए गए।

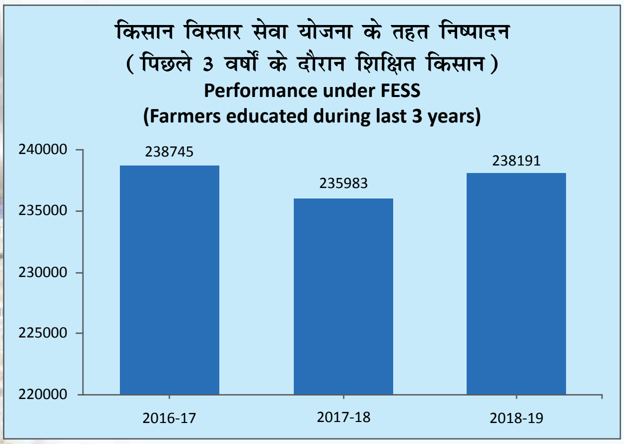

13.3 Farmers Extension Service Scheme:- The basic objective of this scheme is to create awareness amongst the farmers about scientific storage of foodgrains, use of public warehouses and assisting the farming community to get loans against pledge of the warehouse receipt. This scheme is being operated through 313 warehouses all over the country. 5535 number of villages were visited and 238191 farmers were educated during the year 2018-19. During the year 2018-19, training programs of two days duration were organized for 855 farmers. The farmers were educated for minimizing the Post-Harvest losses and at the end of the training programme, all the trainee farmers were given metallic storage bins free of cost under the CSR scheme of the Corporation.

दो दिवसीय ''पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नोलॉजी'' की कार्यशाला में किसानों को मैटल बिन तथा प्रशिक्षण सामाग्री वितरित किए गए।
Metal bins and training material distributed to the Farmers during two days "Post-Harvest Technology" Workshop.

इसके अलावा, किसानों को भंडारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 एवं नेगोशिएबल वेअरहाउस रसीद प्रणाली के लाभ के बारे में जानकारी देने के लिए 40 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 2007 किसानों ने भाग लिया।

13.4 संगरोध प्रधूमन: वेअरहाउस में जब भी खाद्यान्न का स्टॉक कीटग्रस्त स्थिति में प्राप्त होता है तो उसका संगरोध प्रधूमन किया जाता है। रिपोर्ट वर्ष के दौरान, निगम ने 48105 मी. टन स्टॉक का संगरोध प्रधूमन किया।

13.5 भंडारण हानियाँ: खाद्यान्नों के मामले में भंडारण अवधि के दौरान स्टॉक में भंडारण हानि एक प्राकृतिक घटना है और यह कई जलवायु कारकों पर निर्भर करती है। वर्ष 2018–19 के दौरान, उचित भंडारण और परिरक्षण तकनीकों द्वारा भंडारण हानियों को न्यूनतम रखा गया। वर्ष 2018–19 के दौरान खाद्यान्नों में कुल भंडारण हानियाँ 0.13 प्रतिशत रही।

14. पैस्ट नियंत्रण सेवाएं

केन्द्रीय भंडारण निगम 1968 से किसानों, व्यापारियों, निर्यातकर्ताओं, आयातकर्ताओं तथा शिपिंग एजेंन्टों आदि के लाभ के लिए पैस्ट नियंत्रण सेवाएं प्रदान कर रहा है। इन सेवाओं को रेलवे कोचों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स, जहाजों और कंटेनरों में आयात तथा निर्यात किए जाने वाले कार्गो के लिए विस्तारित भी किया जा रहा है। निगम ने पैस्ट नियंत्रण गतिविधि से पिछले वर्ष के 16.24 करोड़ की तुलना में वर्ष 2018–19 में 17.08 करोड़ रु. का राजस्व अर्जित किया। रेलवे कोचों का कीटनाशन महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है जिससे वर्ष के

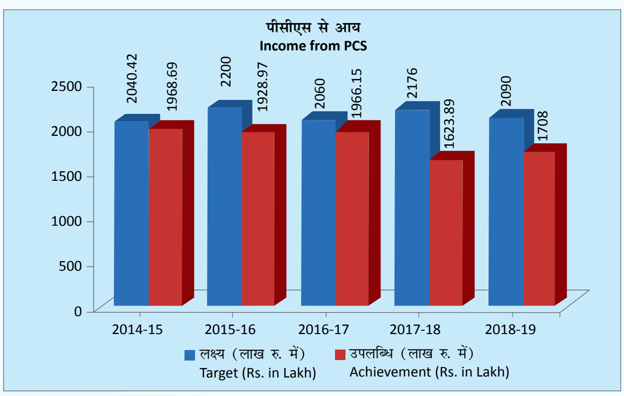

Besides, in order to acquaint the farmers about benefits of Warehousing (Development & Regulation) Act, 2007 and Negotiable Warehouse Receipt system, 40 special training programmes were conducted in which 2007 farmers participated.

13.4 Quarantine Fumigation:- Food grain stock as and when received at the warehouse in infested condition is subjected to quarantine fumigation. During the year under report, the Corporation undertook the quarantine fumigation of 48105 MT of stocks.

13.5 Storage Losses:- The storage loss in case of food grain stocks during the storage period is a natural phenomenon and depends upon the climatic factors. During the year 2018-19, storage losses were kept to bare minimum by proper storage and preservation techniques. The overall storage losses in food grains during 2018-19 were 0.13%.

14. PEST CONTROL SERVICES

Since 1968, CWC has been providing Pest Control Services for the benefit of Farmers, Traders, Exporters, Importers, and Shipping Agents etc. The services are also being extended for Railway coaches, Aircrafts, Hospitals, Hotels & Restaurants, Export and Import Cargo in Containers and Ships. Corporation earned revenue of Rs. 17.08 crore in the year 2018-19 from Pest Control activity as against Rs. 16.24 crore in the last year. The disinfestations of

केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा पैस्ट नियंत्रण सेवाएं।
Pest Control Services by Central Warehousing Corporation.

दौरान 2186258 एसी/ नॉन–एसी रेल कोच और पेंट्री कारों के उपचार से 3.66 करोड़ रु. प्राप्त किए गए। जबकि कीटनाशन के अन्य क्षेत्रों जैसे उपचार, छिडकाव आदि कार्य से 6.03 करोड़ रु. अर्जित किए गए। इसी प्रकार वर्ष 2018–19 के दौरान निगम ने कंटेनर प्रधूमन, विमान प्रधूमन, शिप प्रधूमन वस्तुओं के प्रधूमन आदि विभिन्न प्रधूमन सेवाओं से 4.13 करोड़ रु. अर्जित किए। निगम ने दीमक रोग–रोधी उपचार से 3.26 करोड़ रु. अर्जित किए तथा निगम अपनी सेवाओं के अन्य क्षेत्रों जैसे वेक्टर नियंत्रण, वीड नियंत्रण तथा कीटाणुनाशन क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रहा है।

15. अनुसंधान एवं विकास

पिछले वर्षों से निगम के अनुसंधान एवं विकास उप–विभाग ने 200 से अधिक वस्तुओं जिनमें कृषि उत्पाद, औद्योगिक रसायन और अन्य अधिसूचित वस्तुएं शामिल हैं, के लिए ''कोड ऑफ स्टोरेज प्रैक्टिसिस'' तैयार किया है। यह स्टॉक की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए फील्ड यूनिटों को दिशा निर्देश प्रदान करने हेतु मौजूदा 'स्टोरेज प्रैक्टिसिस में सुधार का कार्य भी कर रहा है। रिपोर्ट वर्ष के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान एवं विकास कार्य किए गए:–

क. प्रयोगशाला स्थितियों के अधीन भंडारित अनाज कीटों के लिए मैलाथियन और डीडीवीपी के विकल्प के रूप में नए कीटनाशकों की प्रभावकारिता का परीक्षण करने पर एक अध्ययन।

ख. भारतीय खाद्य निगम एवं केन्द्रीय भंडारण निगम के वेअरहाउसों में खाद्यान्नों में हुई भंडारण लाभ/ हानियों के निर्धारण पर भा.खा.नि/केभनि/ रा.भं.नि. का संयुक्त अध्ययन तथा कुशल वेअरहाउस प्रबंधन में भंडारण लाभ/हानियों के मानदण्डों की संस्तुति का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर), नई दिल्ली द्वारा गेहूँ, चावल, धान और मक्का में हुई लाभ/हानि की सीमा चिन्हित करने, भंडारण में होने वाले लाभ/हानियों के लिए जिम्मेदार कारकों तथा विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में भंडारण लाभ/हानि के मानदण्डों को बनाने के उद्देश्य के साथ सौंपा गया है।

16. राजभाषा

रिपोर्ट दौरान के अधीन आपके निगम द्वारा सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रभावी

Railway coaches continues to be a distinctive segment and fetched revenue of Rs. 3.66 crore by treatment of 2186258 AC/Non-AC Rail coaches & pantry cars during the year. Whereas, Rs. 6.03 crore earned from other segments of disinfestations like area treatment, spraying work etc. Similarly, the Corporation earned Rs. 4.13 crore from various fumigation services such as container fumigation, aircraft fumigation, ship fumigation, commodity fumigation etc. during the year 2018-19. Corporation has generated revenue of Rs. 3.26 crore towards anti-termite treatment and making consistent efforts in other segments of service like vector control, weed control and disinfection.

15. RESEARCH AND DEVELOPMENT

Over the years, the Research and Development Sub-division of the Corporation has formulated 'Code of Storage Practices' for more than 200 commodities including agricultural produce, industrial chemicals and other notified commodities. It has also been working on improving existing storage practices to provide guidelines to the field units to maintain quality of the stock. During the year under report, the following Research and Development activities were undertaken:-

a. A study on testing the efficacy of newer insecticides as an alternative to Malathion and DDVP against stored grain insect pests under lab conditions.

b. A collaborative study of FCI/CWC/SWC on determination of storage losses/gain in foodgrains in FCI and CWC warehouses and to recommend norms for storage losses/gain in efficient warehouse management has been entrusted to Indian Council of Agriculture Research (ICAR), New Delhi with the objective to identify the extent of losses/gain in Wheat, Rice, Paddy & Maize, factors responsible for storage losses/gain and formation of storage loss/gain norms in different Agro-climatic zones.

16. RAJBHASHA

During the year under report, your Corporation took several steps for progressive use of Hindi

संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण अवसर पर गणमान्य सांसदों के साथ मंत्रालय के संयुक्त सचिव, प्रबन्ध निदेशक, निदेशकगण एवं अन्य अधिकारी
Joint Secretary of the Ministry, Managing Director, Directors and other Officers alongwith Hon'ble Member of Parliament during the Inspection Committee of Parliament on Official language.

57वीं वार्षिक साधारण बैठक के अवसर पर दिनांक 28.09.2019 को ''भंडारण भारती–राजभाषा विशेषांक'' का विमोचन करते हुए निगम के अध्यक्ष श्री डी वी प्रसाद।
Sh.D.V. Prasad, Chairman, Central Warehousing Corporation releasing the "Bhandaran Bharti- Rajbhasha Visheshank" during 57th AGM on 28.09.2019.

कदम उठाए जा रहे हैं। राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हिंदी में पत्राचार बढ़ाने तथा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा हेतु निगमित कार्यालय सहित विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं। रिपोर्ट वर्ष के दौरान निगमित कार्यालय द्वारा प्रत्येक तिमाही में पूर्ण एक दिवसीय चार हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें 107 अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया। राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से निगमित कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं वेअरहाउसों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा अनुवाद से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 21 से 25 जनवरी, 2019 तक पांच दिवसीय राजभाषा कार्यान्वयन एवं अनुवाद कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

वर्ष के दौरान आपके निगम ने त्रैमासिक गृह पत्रिका भण्डारण भारती के तीन अंक प्रकाशित किए। इन पत्रिकाओं में वैज्ञानिक भण्डारण एवं अन्य विषयों पर लेख सहित निगम की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी प्रकाशित की गई। दिनांक 29.09.2018 को आयोजित निगम के अंशधारियों की वार्षिक साधारण बैठक के दौरान ''भण्डारण भारती–राजभाषा विशेषांक'' का प्रकाशन तथा लोकार्पण किया गया। इसके अतिरिक्त, निगम में 14 सितम्बर से 28 सितम्बर 2018 तक हिन्दी पखवाड़े का भी आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान हिन्दी की उत्तरोतर प्रगति

in official work. Quarterly meetings of Official Language Implementation Committee in the Corporate Office as well as various Regional Offices were held regularly to review the progress made and to chalk out activities to enhance the Hindi correspondence as per target fixed by the Official Language Department. During the year under report, in every quarter, full day Hindi workshops were conducted at Corporate Office in which 107 officers and staff participated. To promote Official Language Hindi, five days Rajbhasha Implementation and Translation Skill Development Training Programme was organized from 21st to 25th January, 2019 for the officials dealing in Official Language Policy Implementation and translation work at Corporate Office, Regional Offices and at Warehouses.

During the year, your Corporation has published three issues of the quarterly house magazine "Bhandaran Bharati". Articles on scientific warehousing and other subjects as well as various activities of the Corporation were also published in these magazines. "Bhandaran Bharti-Rajbhasha Special Issue" was published and released during the Annual General Meeting of the shareholders of the Corporation held on 29th September, 2018. In addition, Hindi Fortnight was also observed from 14th September to 28 September. During

के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा 12 विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। वर्ष के दौरान हिन्दी में अधिकाधिक नोाटिंग–ड्राफ्टिंग करने के लिए 46 अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा डिक्टेशन के लिए 02 अधिकारियों को नकद पुरस्कार भी दिए गए। निगमित कार्यालय के 06 विभागों को हिन्दी में उल्लेखनीय कार्य के लिए राजभाषा शील्ड भी प्रदान की गई। 02 मार्च, 2019 को निगम के स्थापना दिवस के अवसर पर राजभाषा में श्रेष्ठ कार्य–निष्पादन के लिए क, ख तथा ग क्षेत्रों के क्षेत्रीय कार्यालयों को पुरस्कार प्रदान किए गए। आपके निगम को निम्न पुरस्कार प्राप्त हुए:–

➢ राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2018 को वर्ष 2017–18 के लिए भंडारण भारती त्रैमासिक पत्रिका को उत्कृष्ट पत्रिका के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार ('क' क्षेत्र में प्रथम) प्रदान किया गया। यह पुरस्कार माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर–कमलों से प्रदान किया गया।

➢ खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय राजभाषा शील्ड योजना के अंतर्गत उपक्रमों एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों में से वर्ष 2017–18 के लिए राजभाषा में उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

➢ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली द्वारा वर्ष 2017–18 के दौरान प्रकाशित त्रैमासिक गृह पत्रिका "भंडारण भारती" के उत्कृष्ट प्रकाशन हेतु प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।

➢ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ, गुवाहाटी, कोच्चि एवं चैन्नई को भी पुरस्कार प्रदान किए गए।

वर्ष 2018–19 के दौरान माननीय संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति द्वारा निगमित कार्यालय का राजभाषा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान समिति के सभी सदस्यों ने कार्यालय में हुई राजभाषा की उत्तरोत्तर प्रगति पर संतोष व्यक्त किया ।

17. सतर्कता

रिपोर्ट वर्ष के दौरान, सतर्कता विभाग द्वारा निवारक सतर्कता

the period, various competitions relating to progressive use of Hindi were held and 12 cash prizes were awarded to winners. During the year, cash prizes were also awarded to 46 officials for doing maximum noting/ drafting and 02 officers for dictation in Hindi. Six Divisions of the Corporate Office were also awarded Rajbhasha Shield for doing commendable work in Hindi. For Official Language Implementation in A, B & C Regions, the best performing Regional Offices were presented trophies on the occasion of Foundation Day of CWC held on 2nd March, 2019. Your Corporation received/awarded:

➢ "Rajbhasha Kirti Puraskar" (First Prize in 'A' region) for the year 2017-18 by Department of Official Language, Home Ministry on 14th September, 2018 for best In-house quarterly magazine "Bhandaran Bharti". This prize was awarded by Hon'ble Vice-President of India.

➢ Second Prize for the best performance in implementation of Official Language for the year 2017-18 by the Department of Food and Public Distribution, Government of India, among its undertakings and subordinate offices under All India Rajbhasha Shield Yojna.

➢ First prize from Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), Delhi for Best Publication of its quarterly In-house magazine "Bhandaran Bharti" which was published during the year 2017-18.

➢ Regional Office - Lucknow, Guwahati, Kochi and Chennai were also awarded prize for the year 2017-18 by TOLIC for excellent work in Official Language.

During the year 2018-19, Corporate Office was inspected by the Hon'ble Second Sub-Committee of Parliament on Official Language. During the inspection, all the Committee members expressed satisfaction over the progressive use of Hindi in the office.

17. VIGILANCE

During the year under report, Vigilance

के अन्तर्गत मुख्य सतर्कता अधिकारी के दौरों सहित 31 निवारक निरीक्षण किए गए। अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया गया। रिपोर्ट वर्ष के दौरान 11 मामलों की जाँच पूरी की गई। मेजर पैनल्टी के 09 मामलों की जिसमें 25 कार्मिक शामिल थे तथा माइनर पैनल्टी के 10 मामलों जिसमें 21 कार्मिक शामिल थे, की जाँच कार्रवाई शुरू की गई। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप इस अवधि में 12 मामलों की माइनर पेनल्टी चार्जशीट में शामिल 31 अधिकारी तथा 08 मामलों की मेजर पैनल्टी चार्जशीट में शामिल 23 कार्मिकों के संबंध में निर्णय लिया गया। निवारक जाँच के कारण ठेकेदारों से कुल 2.83 लाख रु. की वसूली की गई। दिनांक 29.10.2018 से 03.11.2018 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर ''सतर्कता–एक–परिदृश्य'' नामक पुस्तिका का 18वां संस्करण प्रकाशित किया गया जिसमें केंद्रीय भंडारण निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों में सतर्कता मामलों के प्रति संवेदनशीलता जागृत करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण परिपत्रों सहित सतर्कता मामलों पर लेख शामिल किए गए। प्रभावपूर्ण तकनीकी द्वारा सतर्कता प्रशासन में सुधार लाने, नियामक प्रवर्तन के निर्वहन तथा निगम के अन्य कार्यों में ई–गवर्नेंस टूल्स के प्रभावशाली प्रयोग द्वारा पारदर्शिता की संस्कृति का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन हेतु बल दिया गया है। निवारण जांच के दौरान पाई गई कमियों के आधार पर जांच एवं पूछताछ कार्रवाई तथा पद्धति में सुधारों पर दिशा–निर्देश जारी किए गए।

सतर्कता विभाग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान दिनांक 31.10.2018 से 02.11.2018 तक 03 दिन संविदा प्रबन्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त, दिनांक 24.09.2018 से 26.09.2018 तथा 25.02.2019 से 27.02.2019 तक आई.ओ./पी.ओ. के लिए प्रशासनिक सतर्कता पर दो प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

18. निरीक्षण एवं ऑडिट

रिपोर्ट वर्ष के अधीन, वेअरहाउसों के 661 सामान्य निरीक्षण और 1190 तकनीकी निरीक्षण किए गए। वर्ष के दौरान 198 यूनिटों की आन्तरिक लेखा परीक्षा करने का लक्ष्य तय किया गया था, जिसमें वेअरहाउस, सीएफएस/आईसीडी/क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं। 198 यूनिटों में से 107 यूनिटों की लेखा परीक्षा आउटसोर्सड चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म द्वारा की गई तथा शेष 91 यूनिटों की लेखा परीक्षा निगम की

Division undertook 31 preventive checks under preventive vigilance including visits by the CVO. Emphasis was laid on expeditious completion of disciplinary proceedings. Investigation in 11 cases was completed during the year. Major penalty proceedings in 09 cases involving 25 officials and minor penalty proceedings in 10 cases involving 21 officials were initiated. As a result of concerted efforts, 12 cases of minor penalty charge-sheets involving 31 officials and 08 cases of major penalty charge-sheets involving 23 officials were decided during the period. A sum of Rs. 2.83 lakhs has been recovered from the contractors due to preventive checks. Vigilance Awareness Week was observed from 29.10.2018 to 03.11.2018. On this occasion, 18th edition of booklet titled "Vigilance- An Overview" containing articles on vigilance matters including important CVC circulars was released in order to sensitize CWC officials on vigilance matters. Greater emphasis has been laid on implementing CVC guidelines towards improving vigilance administration by leveraging technology, in creating a culture of transparency through effective use of e-governance tools in discharge of regulatory enforcement and other functions of the Corporation. Based on the deficiencies noticed during the preventive checks, investigation and inquiry proceedings, guidelines on system improvements have been issued.

Vigilance Division conducted a three days training programme on 'Contract Management' from 31st October, 2018 to 2nd November, 2018 during the Vigilance Awareness Week. In addition, two trainings on Administrative Vigilance for IO/PO was conducted from 24th September, 2018 to 26th September, 2018 and from 25th February, 2019 to 27th February, 2019.

18. INSPECTION AND AUDIT

During the year under report, 661 general inspections and 1190 technical inspections of the warehouses were conducted. During the year, internal audit of 198 units were fixed as a target which includes warehouses/CFSs/ICDs/ROs. Out of the 198 units, 107 units were audited by outsourced CA firms and rest 91 units were

आन्तरिक लेखा परीक्षा टीम द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018–19 के दौरान 02 यूनिटों की विशेष लेखा परीक्षा भी की गई। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान बोर्ड की लेखा समिति की 06 बैठकें आयोजित की गई ।

19. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

निगम में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) कार्यान्वित किया गया है जिसमें निगमित कार्यालय में समूह महाप्रबंधक (कार्मिक), केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और क्षेत्रीय प्रबंधक जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन निदेशक (कार्मिक) अपीलीय प्राधिकारी हैं।

पेंशन के लिए एक अन्य सीपीआईओ को समूह महाप्रबंधक (कार्मिक), के साथ प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान, आरटीआई अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के लिए 597 आवेदन प्राप्त हुए जिनका निपटान कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 83 अपीलें प्राप्त हुई और उनका भी निपटान कर दिया गया है।

20. प्रचार

रिपोर्ट वर्ष के दौरान दूरदर्शन (नैशनल चैनल) ने भी अपने ''कृषि दर्शन कार्यक्रम'' के माध्यम से निगम की गतिविधियों को कवर किया । आपके निगम ने विभिन्न प्रदर्शनियों/कृषि एक्सपो, व्यापार मेलों एवं मेला आदि में भाग लिया, जिनमें सें प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं:–

- ➢ जगन्नाथ धाम, पुरी, ओडिशा में दिनांक 03.06.2018 से 07.06.2018 तक 9वें कृषि मेला, 2018 में भाग लिया।
- ➢ नासिक (महाराष्ट्र) में दिनांक 22.11.2018 से 26.11.2018 तक इन्टरनेशनल एग्रीकल्चर टैक्नोलॉजी मेला, कृषि एक्सपो–2018 में भाग लिया।
- ➢ नैशनल रेल म्यूजियम, नई दिल्ली में दिनांक 22.11.2018 से 23.11.2018 तक चार्टर्ड इंस्टीयूट ऑफ लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट (सीआईएलटी) इंडिया एक्सपो–2018 में भाग लिया ।
- ➢ महाराष्ट्र, नागपुर में दिनांक 23.11.2018 से 26.11.2018 तक 10वें एग्रोविज़न एग्जीविशन में भाग लिया।
- ➢ दिनांक 08 जून, 2018 को होटल शंगरी–ला बेंगलूरू में यूएन ग्लोबल मॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया

audited by Internal Audit Cell of the Corporation. In addition to above, Special Audit of 2 units was also conducted during the year 2018-19. Six meetings of the Audit Committee of the Board were held during the financial year 2018-19.

19. IMPLEMENTATION OF RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

The Right to Information Act, 2005 has been implemented in CWC, with the Group General Manager (Personnel) at the Corporate Office as the Central Public Information Officer (CPIO) and the Regional Managers as the PIOs. The Director (Personnel) is the Appellate Authority under the RTI Act, 2005.

One other CPIO for Pension has been designated along with Group General Manager (Personnel) as First Appellate Authority.

During the year under report, 597 applications seeking information under the RTI Act, 2005 were received which were disposed off. Besides this, 83 appeals were received by the Appellate Authority and these were also disposed off.

20. PUBLICITY

During the year under report, Doordarshan (National Channel) also covered the activities of the CWC through their Krishi Darshan Programmes. Your Corporation participated in various Exhibitions, Krishi Expos, Trade Fairs, and Melas etc. prominent among those being:

- ➢ 9th Krishi Fair, 2018 at Jagannath Dham, Puri, Odissa w.e.f. 03.06.2018 to 07.06.2018.
- ➢ International Agriculture Technology Fair Krishi Expo 2018 at Nasik (Maharashtra) w.e.f. 22.11.2018 to 26.11.2018.
- ➢ The Chartered Institute of Logistics & Transport (CILT) India Expo-2018 from November 22.11.2018 to 23.11.2018 at National Rail Museum, New Delhi,
- ➢ 10th Agrovision Exhibition at Nagpur, Maharashtra w.e.f. 23.11.2018 to 26.11.2018.
- ➢ 13th National Convention of UN Global Compact Network India (UN-GCNI)

(यूएन–जीसीएनआइ) के 13वें नैशनल कन्वेशन में भाग लिया।

- दिनांक 29.06.2018 को होटल आईटीसी ग्राउंड चोला चैन्नई में 10 वें इंडियन ऑफ साउथ ईस्ट सीईओ कंन्क्लेव तथा एवार्ड – 2018 में भाग लिया ।
- दिनांक 20.01.2019 से 21.01.2019 तक जे.डब्ल्यू. मैरियट होटल, पूना में 59वें राष्ट्रीय कांस्ट कन्वेशन–2019 में भाग लिया।
- पीएचडी हाउस, नई दिल्ली में दिनांक 24 जनवरी, 2019 को मल्टी ट्रांसपोर्टेशन कंन्क्लेव–2019 में भाग लिया।

21. निदेशक दायित्व विवरण

आपके निदेशकों द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि:–

(क) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करते समय संगत लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है और इसमें कोई भी विचारणीय अंतर नहीं है।

(ख) लेखा नीतियों का चयन कर उन्हें निरंतर रीति से लागू किया गया है। निर्णय एवं तैयार किए गए प्राक्कलन उचित एवं विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष को निगम के कामकाज और अर्जित लाभ की स्पष्ट एवं सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।

(ग) निगम की परिसम्पत्तियों के संरक्षण एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के उद्देश्य से वेअरहाउसिंग कारपोरेशंस अधिनियम, 1962 के प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार लेखाकरण के उचित एवं पर्याप्त रिकार्ड रखने हेतु पूरी सावधानी रखी गई है।

(घ) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को ''गोईंग कन्सर्न'' आधार पर तैयार किया गया है।

(ङ.) निगम द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए और ये पर्याप्त हैं तथा इन्हें प्रभावी रूप से संचालित किया गया ।

(च) सभी लागू कानूनी प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली बनाई गई

at Hotel Shangri-la, Bangalore held on 08.6.2018.

- 10th Indian of South East CEO Conclave and Award-2018 Hotel ITC Ground Chola Chennai on 29.06.2018.
- 59th National Cost Convention-2019 at J.W. Mariott Hotel Pune w.e.f. 20.01.2019 to 21.01.2019.
- Multi Transportation Conclave 2018 on 24.01.2019 at PHD House, New Delhi.

21. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Your Directors hereby confirms that:

(a) In the preparation of the Annual Accounts for the year ended as on March 31, 2019, the relevant accounting standards have been followed and there has been no material departure.

(b) The accounting policies have been selected and applied consistently and judgments and estimates made are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Corporation as at March 31, 2019 and of the Profit of the Corporation for the year ended on that date.

(c) Proper and sufficient care has been taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Warehousing Corporations Act, 1962 and the rules framed there under for safeguarding the assets of the Corporation and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

(d) The annual accounts for the financial year ended March 31, 2019 have been prepared on a "going concern" basis.

(e) The internal financial controls to be followed by the Corporation have been laid down and the same were operating effectively.

(f) Proper system has been devised to ensure compliance with the provisions of all

है एवं ये प्रणालियां पर्याप्त थीं तथा प्रभावपूर्ण ढंग से प्रचालित की गईं।

22. प्रबंधन के विचार एवं विश्लेषण रिपोर्ट

22.1 आतंरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उसकी उपयुक्तता

निगमित अधिशासन के उच्चतम स्तर को प्रदान करने सहित विनियामक एवं सांविधिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आपके निगम ने संगत विधियों एवं नियमों के अनुपालन और परिसंपत्तियों की संरक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता, व्यावसायिक प्रचालनों को सहज, प्रभावी तथा सक्षम रूप से चलाने के लिए आतंरिक प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत किया है। सभी चैक एवं बैलेंस की उपयुक्तता तथा सभी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की व्यवस्था, नियमितता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निगम के अपने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के सहयोग से चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स की अनुभवी फर्मों द्वारा संपूर्ण आंतरिक लेखा परीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, निगम में निदेशक मंडल स्तर की लेखा परीक्षा समिति है जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन एवं उनकी उपयुक्तता पर कड़ी निगरानी रखती है।

आपके निगम के पास निम्नलिखित व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सक्षम आंतरिक नियंत्रण प्रणाली हैः–

- ➢ व्यावसायिक प्रचालनों की क्षमता एवं प्रभावशीलता;
- ➢ अनधिकृत एक्सेस, उपयोग एवं व्यवस्था से परिसम्पत्तियों की संरक्षा;
- ➢ वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता और तत्परता;
- ➢ निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन; तथा
- ➢ विभिन्न विधियों और विनियमों का अनुपालन;

रिपोर्ट वर्ष के दौरान, 198 इकाइयों की आंतरिक लेखा परीक्षा लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित की गई थी जिसमें वेअरहाउस/सीएफएस/आईसीडी/क्षेत्रीय कार्यालय सम्मिलित हैं। 198 इकाइयों में से 107 इकाइयों की लेखा परीक्षा आउटसोसर्ड चार्टर्ड अकांउटेंट फर्मों द्वारा की गई तथा शेष 91 इकाइयों को निगम के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा लेखा परीक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018–19 के दौरान 02 इकाइयों की विशेष लेखा परीक्षा भी की गई। वेअरहाउसों के कुल 661 सामान्य निरीक्षण और 1190

applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

22. MANAGEMENT DISCUSSIONS & ANALYSIS REPORT

22.1 INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND THEIR ADEQUACY

To ensure regulatory and statutory compliance as well as to provide highest level of corporate governance, your Corporation has robust internal systems and processes in place for smooth, effective and efficient conduct of business operations, reliability of financial reporting, safeguarding of assets and compliance with relevant laws and regulations. In order to ensure that all checks and balances are in place and all internal control systems are in order, regular and exhaustive internal audits are conducted by the experienced firms of Chartered Accountants in close co-ordination with the Corporation's own Internal Audit Division. Besides, the Corporation has one committee of the Board viz. Audit Committee to keep a close watch on compliance with Internal Control Systems and their adequacy.

Your Corporation has an efficient system of internal controls for achieving the following business objectives:

- ➢ Efficiency and effectiveness of business operations;
- ➢ Safeguarding of assets from unauthorized access, use and disposition;
- ➢ Accuracy and promptness of financial reporting;
- ➢ Compliance with the laid down policies and procedures; and
- ➢ Compliance with various laws and regulations.

During the year under report, internal audit of 198 units were fixed as a target which includes warehouses/CFSs/ICDs/ROs. Out of the 198 units, 107 units were audited by outsourced CA firms and rest 91 units were audited by Internal Audit Cell of the Corporation. In addition to above, Special Audit of 2 units was also conducted during the year 2018-19. Total 661 general inspections and 1190 technical inspections of the warehouses were also

तकनीकी निरीक्षण भी किए गए। सतर्कता विभाग ने भी मुख्य सतर्कता अधिकारी के दौरे सहित निवारक सतर्कता के अन्तर्गत 31 निवारक जाँच कीं।

22.2 स्वॉट (एसडब्ल्यूओटी) विश्लेषण

शक्तियाँ: निगम की प्रमुख शक्ति वेअरहाउसों का मुख्य स्थानों पर स्थित होना, वेअरहाउसों के विस्तृत नेटवर्क में ग्राहक सेवा स्तर तथा वितरण नेटवर्क, विविध वस्तुओं के पोर्ट फोलियो और वेअरहाउसों में खाद्यान्न स्टॉक के भंडारण एवं परिरक्षण में मूल सक्षमता के साथ व्यापक क्लांइटेल बेस है। निगम अपनी प्रशिक्षित तकनीकी जन–शक्ति द्वारा पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों का प्रयोग करके पैस्ट नियंत्रण सेवाएं प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभा रहा है। गुणवत्ता, पर्यावरण एवं सुरक्षा के लिए निगम के आईएसओ प्रमाणित संस्था होने के कारण ग्राहकों द्वारा अपने सामान के भंडारण और सेवाओं के लिए वरीयता दी जाती है। बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए नियमित अंतराल पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

कमियाँ: निगम के लिए उसकी पुरानी अवसंरचना मुख्य विषय है। मौजूदा अवसंरचना में सुधार एवं उन्नयन के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं तथा अतिरिक्त अवसंरचना सृजन पर ध्यान दिया जा रहा है।

अवसर: पड़ोसी देशों के साथ सीमा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा एकीकृत चैक पोस्ट और लैण्ड कस्टम स्टेशन खोलने से निगम को इन सुविधाओं के प्रबंधन कार्य का अवसर मिला है। 2018–19 के दौरान तीन आईसीपी का प्रबंधन कार्य निगम द्वारा किया जा रहा है। चूंकि एलपीएआई और अधिक संख्या में आईसीपी की स्थापना करने के प्रयास में है, निगम इस क्षेत्र में आगे और अधिक अवसर प्राप्त करना चाहता है। निगम ने नाभा में एक प्राईवेट फ्रेट टर्मिनल स्थापित किया है तथा कालम्बोली और बामनहेड़ी में दो और पीएफटी की स्थापना प्रक्रियाधीन है। इनसे वर्तमान वेअरहाउसिंग कॉम्पलैक्स में अतिरिक्त व्यापार मिलेगा।

ई–कॉमर्स देश में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और संभावना है कि आने वाले दिनों में इन्टरनेट कनेक्टीविटी के आने से ई–कॉमर्स व्यापार में वृद्धि होगी। निगम के पास अखिल भारतीय स्तर पर मौजूद अपने केन्द्रों के साथ इस बढ़ते हुए बाज़ार पर अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर है।

केन्द्रीय भंडारण निगम अन्य एजेंसियों को वेअरहाउसिंग अवसंरचना के निर्माण के लिए प्रशिक्षण/परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। वेअरहाउस प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूएमएस) विकसित

conducted. Vigilance Division also undertook 31 preventive checks under preventive vigilance including visits by the CVO.

22.2 SWOT ANALYSIS

Strengths: The major strength of the Corporation is strategic locations of warehouses, the distribution network and customer service levels in its wide network of warehouses, diversified commodity portfolio, wide clientele base and core competency in storage and preservation of food grain stocks at warehouses. Corporation is a major player in providing pest control services using environment friendly methods managed by its trained technical manpower. CWC being an ISO certified organization for Quality, Environment and Safety is preferred by clients for storage of their goods and services. Training of employees is organized at regular intervals for better performance.

Weaknesses: Ageing infrastructure is one of the concerns for CWC. All out efforts are being made to maintain and upgrade the existing infrastructure and attention is being given to create additional infrastructure.

Opportunities: Opening up of ICP's and Land Custom Stations by Government for promotion of border trade with neighboring countries provides opportunity for the Corporation to manage these facilities. Three ICP's were being managed by CWC during 2018-19. Since LPAI is in process of setting up more number of ICPs, CWC is looking forward to getting further opportunities in this sector. Corporation has established a Private Freight Terminal at Nabha and two more PFTs are under process of setting up at Kalamboli and Bamanheri. These will provide additional business in existing warehousing complexes.

E-commerce has gained its foothold in the country and it is expected that in coming days with the penetration of internet connectivity, the e-commerce business will grow substantially. Corporation has an opportunity to tap this growing market with its PAN India presence.

CWC offers Consultancy Services / Training for the construction of warehousing infrastructure to other agencies. Warehouse Management

की जा रही है एवं यह कई वेअरहाउसों पर पहले से ही लगा दी गई है। निगम वेअरहाउसिंग कुशलता में सुधार के लिए कुछ चिन्हित स्थानों पर कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स और मल्टी स्टोरी गोदामों के निर्माण की योजना बना रहा है। बेहतर पारदर्शिता के लिए डिपो ऑनलाइन सिस्टम (डीओएस) और ई–एपीएआर मोड्यूल विकसित किए गए हैं।

चुनौतियाँ: आपका निगम अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक व्यापारिक वातावरण में कार्य कर रहा है और अपने समस्त व्यापार क्षेत्रों जैसे–एग्री वेअरहाउसिंग, औद्योगिक वेअरहाउसिंग, कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस)/इनलैण्ड क्लीयरेंस डिपा (आईसीडी), कंटेनर रेल ट्रांस्पोर्टेशन (सीआरटी) में यह अत्यंत प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न और अन्य कृषि वस्तुओं की भंडारण क्षमता के सृजन में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए पीईजी टैक्स प्रोत्साहन, पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन इत्यादि जैसी विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने से कृषि वेअरहाउसिंग के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और अधिक कड़ी हो गई है।

23. निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास गतिविधियाँ

आपका निगम निगमित सामाजिक दायित्व के प्रति अत्यन्त उत्तरदायित्व एवं संवेदना रखता है तथा यह अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए जागरूक है। निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ पढ़े गए निगमित सामाजिक दायित्व नियम, 2014 में निहित प्रावधानों तथा उक्त अधिनियम की अनुसूची–VII के साथ दिनांक 21.10.2014 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी सीआरएस पर डीपीई के दिशा–निर्देश को अपनाया है। रिपोर्ट वर्ष के दौरान विविध निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास गतिविधियों पर 402.65 लाख रु. खर्च किए गए जिसमें से 20.49 लाख रु. 'नमामि गंगे' निधि तथा 129.25 लाख रु. का योगदान 'स्वच्छ भारत कोष' में दिया गया। सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास गतिविधियों पर एक रिपोर्ट अनुलग्नक–ए पर संलग्न है।

24. जोखिम एवं चिन्ताएं

आपका निगम घरेलू व्यावसायिक वातावरण में होने वाली घटनाओं, से आने वाली चुनौतियों के प्रति जागरूक और संवेदनशील है जिसमें वे प्रतिस्पर्धी भी शामिल हैं जो सूक्ष्म जोखिम बढ़ा सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए आपके

System (WMS) is being developed and is already installed at many warehouses. CWC proposes to improve warehousing efficiency by construction of multi storied godowns and Cold storage units at few identified locations. DOS and e-APAR modules have been developed for better transparency.

Threats: Your Corporation is operating in a highly competitive business environment and is facing intense competition in all its business verticals such as Agri Warehousing, Industrial Warehousing, Container Freight Stations (CFSs) / Inland Clearance Depots (ICDs), Container Rail Transportation (CRT). In the field of Agri warehousing, the competition has become more intense in view of various incentives successfully rolled out by the Government of India in form of PEG tax incentives, capital investment subsidy, etc. to incentivize private sector participation in creation of storage capacity for food grains and other agri commodities.

23. CSR AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT ACTIVITIES

Your Corporation has a great sense of responsibility and sensitivity towards CSR and is conscious of meeting its social obligations. Your Corporation has adopted DPE guidelines on CSR issued vide OM dated 21.10.2014 together with the relevant provisions contained in Companies Act, 2013 read with CSR Rules, 2014 and Schedule VII of the said Act. During the year under report, Rs. 402.65 lakh were spent on various Corporate Social Responsibility and Sustainable Development activities, out of which Rs. 20.49 lakh contributed towards 'Namami Gange' Fund and Rs. 129.25 lakh contributed to 'Swachh Bharat Kosh'. A report on CSR and sustainable development activities as per the guidelines of the Department of Public Enterprises is placed at Annex–A.

24. RISK & CONCERNS

Your Corporation is conscious and sensitive to the challenges posed to its business by the events unfolding in domestic business environment including competitors which could give rise to substantive risks. With this in

निगम ने बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति, निगमित स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति तथा क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर भी जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है जिससे निगम को जोखिम को कुशलता पूर्वक व्यवस्थित करने, वृद्धि को बनाए रखने तथा हितधारियों के लिए मूल्य सृजित करने में सहायता मिलती है। रिपोर्ट वर्ष के दौरान, जोखिम प्रबंधन नीति भी आईएसओ प्रमाणित दस्तावेज के तहत सम्मिलित की गई है।

केन्द्रीय भंडारण निगम ने दिनांक 05 मार्च, 2014 को हुई निदेशक मंडल की बैठक में लिए गए अनुमोदन से सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा निर्देशों के अनुसार जोखिम प्रबंधन नीति को अपनाया है। तब से निगम में जोखिम प्रबंधन सुदृढ़ हुआ है। यह नीति निगम में व्यापार जोखिमों के प्रबंधन कार्य हेतु दिशा–निर्देश प्रदान करती है। यह नियमित रूप से एवं दी गई समय–सीमा के भीतर जोखिम की पहचान करने, मूल्यांकन करने तथा उसे कम करने की सुनिश्चितता पर बल देती है।

निगमित स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति, जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन पर नज़र रखती है जिसकी निगरानी बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (बीएलआरएमसी) द्वारा की जाती है। निगमित स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति अर्धवार्षिक आधार पर जोखिम और उसके कम होने की स्थिति की समीक्षा करती है और इसकी रिपोर्ट निगम के मुख्य जोखिम अधिकारी को देती है। मुख्य जोखिम अधिकारी जोखिम रिपोर्ट तैयार करता है और उसे गत वर्ष पहचाने गए जोखिम पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ समीक्षा के लिए निदेशक मंडल के समक्ष वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करता है।

निगम के समक्ष आए मुख्य जोखिमों का विश्लेषण जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा विस्तार से किया जाता है। मुख्य जोखिम क्षेत्रों की समीक्षा निगमित स्तर और बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा नियमित रूप से की जाती है।

25. भविष्य का दृष्टिकोण

केन्द्रीय भंडारण निगम एफएमसीजी कम्पनियों, एमएनसी, बड़े व्यापारिक घरानों, थोक जमाकर्ताओं आदि से व्यवसाय लेने की संभावना तलाश रहा है। वर्तमान रबी सीजन, 2019 में निगम के वेअरहाउसों में गेहूँ और दालों के भंडारण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र की वस्तुओं के न्यूनतम समर्थित मूल्य (एमएसपी) में हुई वृद्धि के साथ यह उम्मीद की जाती है कि वर्ष 2019–20 में निगम की धारिता बढ़ेगी।

view, your Corporation has constituted a Board Level Risk Management Committee, Corporate Level Risk Management Committee and also at ROs Level Risk Management Committee to help the Corporation to efficiently manage risk, sustain growth and create value for the stakeholders. During the year under report, the Risk Management Policy has also covered under the ISO Certified document.

CWC adopted the Risk Management Policy as per guidelines of the Department of Public Enterprises with the approval of the Board of Directors in its meeting held on 5th March, 2014. Since then the risk management has matured in CWC. The policy provides guidance for the management of the business risks across CWC. It focuses on ensuring that the risks are identified, evaluated and mitigated within a given time frame on a regular basis.

Corporate Level Risk Management Committee has to oversee the implementation of Risk Management Policy which is monitored by Board Level Risk Management Committee (BLRMC). Corporate Level Risk Management Committee reviews the risks and its mitigation status on half yearly basis and reports the same to Chief Risk Officer of CWC. Chief Risk Officer prepares a Risk Report and places it before the Board of Directors for its review on annual basis along with action taken report of previous year on the risk identified.

Key risks being faced by the Corporation are analyzed in detail by the Risk Management Committee. Top risk areas are regularly reviewed by the Corporate Level and Board Level Risk Management Committee.

25 FUTURE OUTLOOK

Central Warehousing Corporation is exploring the possibility of attracting business from FMCG companies, MNCs, big trade houses, Bulk depositors, etc. In current Rabi season, 2019, there is significant increase in storage of wheat and pulses at CWC warehouses. With increase in the Minimum Support Price (MSP) of agri sector commodities, it is expected that CWC will have higher occupancies during the year 2019-20. Further, CWC is in the process

इसके अतिरिक्त, निगम कृषि भंडारण में अधिकतम कारोबार आकर्षित करने के लिए ई–पोर्टल के माध्यम से भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) के साथ अपनी पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर रहा है। निगम वेअरहाउस प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूएमएस), लेखा प्रणाली और मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) को शामिल करके अपनी गतिविधियों को कम्प्यूटरीकृत कर रहा है।

26. चुनौतियाँ पूर्ण करने की रणनीति

उपरोक्त दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि पर आपके निगम ने बढ़ते प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की चुनौतियों के बावजूद उच्च लाभप्रदत्ता के साथ और आगे बढ़ने की रणनीति तैयार की है। इस विस्तृत रणनीति में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:–

1. वेअरहाउसिंग क्षमता का विस्तार।
2. रेल लिंक वेअरहाउसों में प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल (पीएफटी) की स्थापना।
3. अधिक से अधिक मूल्य संवर्धक सेवाएं जैसे इन्वेंटरी प्रबंधन, बिलिंग, आवश्यकता के अनुरूप वितरण प्रदान करना।
4. वेअरहाउसिंग तथा ई–बिजनेस की बढ़ती संभावनाओं का लाभ उठाना।
5. प्रचार तथा विज्ञापनों में वृद्धि करना।
6. लेन–देन की लागत को न्यूनतम करने तथा ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न गतिविधियों में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग।

27. आभार

आपके निदेशक निगम के मामलों के प्रभावी प्रबंधन में भारत सरकार, विशेष रूप से उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए निरंतर सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन के लिए तथा इन सबसे ऊपर आपके निगम द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के नियमित ग्राहकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बोर्ड निवर्तमान अध्यक्ष श्री योगेन्द्र त्रिपाठी एवं निदेशक श्री अजय व्यास को निगम के बोर्ड में उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान तथा सभी हितधारियों को उनके निरंतर सहयोग हेतु आभार व्यक्त करता है।

to streamline its registration process with Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA) through e-portal for attracting maximum business in agri warehousing. CWC is computerizing its activities by induction of Warehouse Management System (WMS), accounting system and Human Resource Management System (HRMS).

26. STRATEGY TO MEET CHALLENGES

Against the backdrop of the outlook presented above, your Corporation has formulated a strategy for taking the growth further with higher profitability, despite the challenges of an increasingly competitive market. The broad strategy includes:-

1. Expansion of warehousing capacity.
2. Setting up of Private Freight Terminals (PFT) in warehouses having rail linkage.
3. Providing more and more value added services such as inventory management, billing, distribution customized to the requirements of customers.
4. To tap the growing potential of warehousing and e-Business opportunities.
5. Increase in publicity and advertisement.
6. More extensive use of information technology in various activities for minimizing transaction costs and meeting customer requirements.

27. ACKNOWLEDGEMENTS

Your Directors express their gratitude for continued co-operation, support and guidance in effective management of affairs of the Corporation provided by the Government of India, in particular the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution and above all the customers who have patronized the services provided by your Corporation. The Board also places on record its gratitude to the outgoing Chairman Shri Yogendra Tripathi and Director Shri Ajay Vyas for their valuable contribution during their tenure on the Board of the Corporation and to all the stakeholders for their unstinted support.

अंततः आपके निदेशक निगम को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे उत्कृष्ट निष्पादन और उसकी उत्तरोत्तर प्रगति सुनिश्चित करने हेतु सीडब्ल्यूसी की टीम द्वारा की जा रही कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता, बहुमूल्य योगदान और अथक प्रयासों के लिए अत्यंत सराहना करते हैं।

निदेशक मण्डल आप सभी को यह आश्वासन भी देना चाहेगा कि आपका निगम अपने हितधारियों की संतुष्टि के लिए अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करने एवं सभी स्तरों पर अपने कार्यनिष्पादन तथा उत्पादकता को निरंतर उन्नत करने के लिए हरसंभव प्रयास करता रहेगा।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(अरुण कुमार श्रीवास्तव)

प्रबंध निदेशक

Last but not the least, your Directors would like to place on record its deep and sincere appreciation for the hard work, dedication, valuable contribution and unstinted efforts by the team of CWC in steering the Corporation to excellent performance and ensuring that it achieves greater milestones.

The Board of Directors would also like to assure that your Corporation would continue to make best efforts for fulfilling its objectives and continue improving its performance and productivity at all levels for satisfaction of its stakeholders.

For and on behalf of the Board of Directors

(Arun Kumar Shrivastava)

Managing Director

अनुलग्नक - I
ANNEX - I

राज्य भंडारण निगमों के केन्द्रों, भण्डारण क्षमता (स्वनिर्मित, किरायों के, प्लिंथ एवं प्रबंधन) सूची आंकड़ों का विवरण यथा 31.03.2019

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF CENTRES AND STORAGE CAPACITY (CONST. HIRED, PLINTH & MANAGEMENT) AVAILABLE WITH THE STATE WAREHOUSING CORPORATIONS AS ON 31ST MARCH, 2019.

(क्षमता लाख मी.टन) (Cap. in lakh MT)

क्रम सं. S. No	एस.डब्ल्यू.सी.के नाम Name of SWC	केन्द्रों की संख्या No. of Centres	स्वनिर्मित Const	किराये के Hired	प्लिंथ Plinth	प्रबंधन Management	कुल क्षमता Total Capacity	धारिता Occupancy	
								कुल Total	प्रतिशत % age
1.	आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	102	6.61	1.06	–	5.70	13.37	11.40	85
2.	असम Assam	44	2.21	0.17	–	–	2.38	1.65	69
3.	बिहार Bihar	51	5.09	0.79	–	2.15	8.03	6.29	78
4.	छत्तीसगढ़ Chhatisgarh	133	15.48	4.39	–	–	19.87	18.96	95
5.	गुजरात Gujarat	113	1.45	11.81	–	–	13.26	12.71	96
6.	हरियाणा Haryana	111	15.41	2.22	--	–	17.63	13.08	74
7.	कर्नाटक Karnataka	148	14.49	2.44	–	–	16.93	14.05	83
8.	केरल Kerala	55	1.91	0.64	–	–	2.55	2.36	93
9.	मध्य प्रदेश डब्ल्यू.एल.सी. MPWLC	233	22.11	2.10	–	49.00	73.21	51.25	70
10.	महाराष्ट्र Maharashtra	198	15.78	2.42	–	1.55	19.75	14.78	75
11.	मेघालय Meghalaya	6	0.17	–	–	–	0.17	0.17	100
12.	ओडिशा Odisha	68	5.15	0.17	–	–	5.32	4.27	80
13.	पंजाब Punjab	120	27.05	22.86	2.17	–	52.08	47.89	92
14.	राजस्थान Rajasthan	93	10.79	3.37	–	–	14.16	13.65	89
15.	तमिलनाडु Tamil Nadu	57	7.37	0.01	–	–	7.38	5.26	71
16.	तेलंगाना Telangana	284	2.76	9.14	--	12.81	24.71	25.12	102
17.	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	157	25.00	3.74	–	11.66	40.40	35.55	88
18.	उत्तराखण्ड Uttarakhand	12	1.00	0.30	–	–	1.30	1.05	81
19.	पश्चिम बंगाल West Bengal	160	1.45	5.76	–	1.12	8.33	7.23	87
	कुल Total	**2,145**	**181.28**	**73.39**	**2.17**	**83.99**	**340.83**	**286.72**	**84**

अनुलग्नक -II
ANNEX -II

दिनांक 31 मार्च, 2019 को राज्य भंडारण निगमों की अंश पूंजी में निवेश (लागत पर)
INVESTMENT (AT COST) IN SHARE CAPITAL OF STATE WAREHOUSING CORPORATIONS AS ON 31ST MARCH, 2019.

क्रम सं. Sr. No	राज्य भंडारण निगम का नाम Name of State Warehousing Corporations (SWCs)	अंशों की संख्या No. of Shares		राशि (रु.) Amount (Rupees)	
		इस वर्ष Current Year 2018-19	गत वर्ष Previous Year 2017-18	इस वर्ष Current Year 2018-19	गत वर्ष Previous Year 2017-18
1.	आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	2,61,502	2,61,502	2,61,50,200	2,61,50,200
2.	तेलंगाना Telangana	1,86,889	1,86,889	1,86,88,900	1,86,88,900
3.	असम Assam	5,47,000	5,47,000	5,47,00,000	5,47,00,000
4.	बिहार Bihar	3,20,994	3,20,994	3,20,99,400	3,20,99,400
5.	छत्तीसगढ़ Chhatisgarh	2,01,920	2,01,920	2,01,92,000	2,01,92,000
6.	गुजरात Gujarat	2,00,000	2,00,000	2,00,00,000	2,00,00,000
7.	हरियाणा Haryana	2,92,037	2,92,037	2,92,03,700	2,92,03,700
8.	कर्नाटक Karnataka	3,90,000	3,90,000	3,90,00,000	3,90,00,000
9.	केरल Kerala	5,75,000	5,75,000	5,75,00,000	5,75,00,000
10.	मध्य प्रदेश डब्ल्यू.एल.सी. MPWLC $	3,78,080	3,78,080	3,78,08,000	3,78,08,000
11.	महाराष्ट्र* Maharashtra *	4,35,560	4,35,560	4,11,32,000	4,11,32,000
12.	मेघालय Meghalaya	1,22,562	1,22,562	1,22,56,200	1,22,56,200
13.	ओडिशा Odisha	1,80,000	1,80,000	1,80,00,000	1,80,00,000
14.	पंजाब Punjab	4,00,000	4,00,000	4,00,00,000	4,00,00,000
15.	राजस्थान Rajasthan	3,92,630	3,92,630	3,92,63,000	3,92,63,000
16.	तमिलनाडु Tamil Nadu	3,80,500	3,80,500	3,80,50,000	3,80,50,000
17.	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	5,39,770	5,39,770	5,39,77,000	5,39,77,000
18.	उत्तराखण्ड Uttarakhand	18,480	18,480	18,48,000	18,48,000

क्रम सं. Sr. No	राज्य भंडारण निगम का नाम Name of State Warehousing Corporations (SWCs)	अंशों की संख्या No. of Shares		राशि (रु.) Amount (Rupees)	
		इस वर्ष Current Year 2018-19	गत वर्ष Previous Year 2017-18	इस वर्ष Current Year 2018-19	गत वर्ष Previous Year 2017-18
19.	पश्चिम बंगाल West Bengal	3,80,700	3,80,700	3,80,70,000	3,80,70,000
	कुल (क) Total (A)	**62,03,624**	**62,03,624**	**61,79,38,400**	**61,79,38,400**
(ख)	**पूर्ण स्वामित्व एवं सहायक (B) Wholly owned & Subsidiary**				
	सैन्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लि. ** (अनुद्धृत 4,05,59,990 अंश प्रत्येक का अंकित मूल्य 10/–रु.) Central Railside Warehouse Company Ltd ** (Unquoted 4,05,59,990 Shares each having face value of Rs. 10/-)			40,55,99,900	40,55,99,900
	एनएमसीई में निवेश Investment in NMCE			–	8,32,89,873
	इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (आईसीईएक्स) में निवेश अनुद्धृत 58,963,956 शेयर प्रत्येक का अंकित मूल्य 5/–रु. Investment in Indian Commodity Exchange Limited (ICEX) Unquoted 58,963,956 shares each having face value of Rs. 5/-			8,32,89,873	–
	कुल (ख) Total (B)			**1,10,68,28,173**	**1,10,68,28,173**
	सकल योग (क + ख) GRAND TOTAL (A + B)			**1,02,35,38,300**	**1,02,35,38,300**

1. $ निगम ने मध्य प्रदेश राज्य भंडारण निगम (एमपीएसडब्ल्यूसी) में 480 लाख रु. का निवेश किया जो मध्य प्रदेश वेअरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन (एमपीडब्ल्यूएलसी) तथा छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम (सीएसडब्ल्यूसी) के रूप में विभाजित हो गया। इसके अतिरिक्त, इन दोनों राज्य भंडारण निगमों में प्रत्येक को 50 लाख रु. की इक्विटी दी गई। विभाजन से पूर्व इक्विटी शेयर पूंजी में दिए गए अंशदान को एमपीडब्ल्यूएलसी द्वारा 2011–12 तक ऋण एवं 2012–13 से पूंजी के रूप में माना जा रहा है, किंतु निगम इससे सहमत नहीं है क्योंकि इक्विटी को ऋण में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एमपीएसडब्ल्यूसी की प्रदत्त अंश पूंजी विनियोजन को एमपीडब्ल्यूएलसी को (68.35 प्रतिशत) तथा सीएसडब्ल्यूसी को (31.65 प्रतिशत) तथा इक्विटी का 20 प्रतिशत की दर से लाभांश देने के संबंध में 16.11.2012 को अधिसूचना जारी की है तथा दिनांक 06.03.2014 के पत्र सं. 7–01/2013–एसजी द्वारा भी इसकी पुनः पुष्टि की गई है। मामले का समाधान अभी भी नहीं हुआ है।
   $ Corporation had invested Rs. 480 lakh in Madhya Pradesh State Warehousing Corporation (MPSWC) which was bifurcated into Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation(MPWLC) and Chhattisgarh State Warehousing Corporation (CSWC). Further equity of Rs. 50 lakh each was given to these two SWCs. The contribution to the equity share capital made prior to the bifurcation is being treated by MPWLC as Loan upto 2011-12 and as capital w.e.f. 2012-13, but this has not been agreed by the Corporation as the equity cannot be converted into loan The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution issued a notification dated 16.11.2012 for apportionment of paid up share capital of MPSWC to MPWLC (68.35%) and CSWC (31.65%) and for paying dividend @ 20% of the equity and also reconfirmed the same vide letter no. 7-01/2013-SG dated 06.03.2014. The issue is not yet resolved.

2. # 10 शेयर सीडब्ल्यूसी के नामितियों के पास उनकी कार्यालयी क्षमता में सीआरडब्ल्यूसी में हैं।
   # Ten shares are held by the nominees of CWC in their official capacity in CRWC.

3. * वर्ष 1996–97 के दौरान महाराष्ट्र राज्य भंडारण निगम द्वारा बोनस शेयर के रूप में जारी किए गए 24,240 शेयर सम्मिलित हैं।
   * Includes 24,240 share issued by Maharashtra State Warehousing Corporation as Bonus Shares during the year 1996-97.

4. भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना राज्य भंडारण निगम में निवेश स्थानान्तरित नहीं होगा।
   The investments held in the State Warehousing Corporation are not transferable without prior approval of the Govt. of India.

अनुलग्नक-III
ANNEX -III

वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य भण्डारण निगमों द्वारा घोषित एवं 31 मार्च, 2019 तक प्राप्त लाभांश तथा आयोजित की गई वार्षिक साधारण बैठकों की तिथि दर्शाने वाला विवरण।

STATEMENT SHOWING THE ANNUAL GENERAL MEETINGS HELD, DIVIDEND DECLARED BY THE STATE WAREHOUSING CORPORATIONS DURING THE YEAR 2018-19 AND RECEIVED UPTO 31ST MARCH, 2019

क्रम सं. Sr. No	राज्य भंडारण निगम का नाम Name of the State Warehousing Corporation	वार्षिक साधारण बैठक का वर्ष Year of AGM	वार्षिक साधारण बैठक की तिथि Date of AGM	के.भ.नि. का निवेश (राशि रु. में) CWC"s Investment (Amt. in Rs)	घोषित लाभांश Dividend Declared	
					दर प्रतिशत में Rate in %age	प्राप्त राशि (रु.) Amount Received (Rs.)
1	आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	–	2017–18 के लिए अंतरिम लाभांश	2,61,50,200	–	3,00,00,000
		–	2018–19 के लिए अंतरिम लाभांश		–	3,00,00,000
		2014–15	29,03,2019		.	वित्तीय वर्ष 2014–15 के लाभांश का भुगतान वित्तीय वर्ष 2015–16 में पहले ही कर दिया गया था।
2	तेलंगाना Telengana	–	2017.18 के लिए अंतरिम लाभांश	1,86,88,900	इक्विटी पर 94%	1,75,00,000
3	असम Assam	2011–12	12.10.2018	5,47,00,000	–	–
		2012–13	12.10.2018		–	–
		2013–14	12.10.2018		–	–
4	बिहार Bihar	–	2011–12 के लिए अंतरिम लाभांश	3,20,99,400	–	1,46,218
		–	2012–13 के लिए अंतरिम लाभांश		–	16,00,601
5	छत्तीसगढ़ Chhattisgarh	–		2,01,92,000	–	–
6	गुजरात Gujarat	–		2,00,00,000	–	–
7	हरियाणा Haryana	2016–17	29,08,2018	2,92,03,700	पीएटी पर 15%	2,14,79,250
8	कर्नाटक Karnataka	2016–17	20,07,2018	3,90,00,000	पीएटी पर 20%	62,16,597
9	केरल Kerala	2014–15	24.05.2018	5,75,00,000	–	–
		2015–16	23.11.2018			

क्रम सं. Sr. No	राज्य भंडारण निगम का नाम Name of the State Warehousing Corporation	वार्षिक साधारण बैठक का वर्ष Year of AGM	वार्षिक साधारण बैठक की तिथि Date of AGM	के.भ.नि. का निवेश (राशि रु. में) CWC"s Investment (Amt. in Rs)	घोषित लाभांश Dividend Declared	
					दर प्रतिशत में Rate in %age	प्राप्त राशि (रु.) Amount Received (Rs.)
10	एमपीडब्ल्यूएलसी MPWLC	2016–17	15.03.2019	3,78,08,000	इक्विटी का 64%	2,41,97,120
11	महाराष्ट्र Maharashtra	2017–18	29.09.2018	4,11,32,000	इक्विटी का 24%	1,00,00,000
12	मेघालय Meghalaya	2016–17	11.09.2018	1,22,56,200	–	–
13	ओडिशा Odisha	2016–17	28.11.2018	1,80,00,000	पीएटी पर 30%	3,10,72,017
14	पंजाब Punjab	2015–16	22.06.2018	4,00,00,000	–	–
		2016–17	28.03.2019		–	–
15	राजस्थान Rajasthan	2017–18	27.09.2018	3,92,63,000	इक्विटी का 30%	1,17,78,900
16	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	–	–	5,39,77,000	–	–
17	उत्तराखण्ड Uttarakhand	–	–	18,48,000	–	–
18	तमिलनाडु Tamil Nadu	–	–	3,80,50,000	–	–
19	पश्चिम बंगाल West Bengal	–	–	3,80,70,000	–	–
20	सीआरडब्ल्यूसी CRWC	2018–19			इक्विटी का 17%	6,89,52,000
	कुल Total			**61,79,38,400**		**25,29,42,703**

अनुलग्नक–क

निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास गतिविधियों पर रिपोर्ट

1. केन्द्रीय भंडारण निगम निगमित सामाजिक दायित्व के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण एवं संवेदनशील है तथा अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए जागरूकता से कार्य कर रहा है। निगम ने निगमित सामाजिक दायित्व पर डीपीई के संशोधित दिशानिर्देशों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 से संबंधित निगमित सामाजिक दायित्व प्रावधानों, निगमित सामाजिक दायित्व नियम, 2014, कंपनी अधिनियम की अनुसूची –VII एवं उसमें समय–समय पर हुए संशोधनों को अपनाया है। केन्द्रीय भंडारण निगम का उद्देश्य नीचे दी गई गतिविधियों के द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व से निम्नलिखित दूरदर्शिता प्राप्त करना है:–

क. **समाज के विकास** सहित समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं देश के पिछड़े जिलों के विकास की ओर ध्यान देना है। इन क्षेत्रों में यह गतिविधियां शामिल होंगीं:–

- (i) पीने का स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सफाई प्रदान करना।
- (ii) शिक्षा/कौशल विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना।
- (iii) महिलाओं, शारीरिक रूप से विकलांग, बुजुर्गों, अनाथों एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सशक्त करना।
- (iv) अवसंरचनात्मक विकास।

ख. **पर्यावरणीय सुस्थिरता :–**

- (i) जल एवं ऊर्जा प्रबंधन।
- (ii) ऊर्जा के नवीनीकरण योग्य स्रोतों को प्रोत्साहन देना।
- (iii) पर्यावरण संरक्षण/सुस्थिरता।

2. निगमित सामाजिक दायित्व समिति में निम्नलिखित 3 निदेशक हैं जिसमें एक स्वतंत्र निदेशक होता है और वह समिति का अध्यक्ष होता है।

श्री शारदा प्रसाद,	:	अध्यक्ष
श्री अदिकेसवन एस.	:	सदस्य
श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव	:	सदस्य

3. निगम का तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों का औसत निवल लाभ 186.59 करोड़ रु. है।

4. वर्ष 2018–19 के दौरान निगम को निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास गतिविधियों

Annexure-A

REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT ACTIVITIES

1. CWC has a great sense of responsibility and sensitivity towards CSR and is conscious of meeting its social obligations. Corporation has adopted revised guidelines of DPE on CSR and CSR provisions contained in Companies Act, 2013. CSR Rules, 2014, schedule VII of time to time. CWC aims to achieve following vision from CSR through the activities mentioned below:

a) **Inclusive growth of society** with attention to development of weaker sections of society and backward districts to the country. This will include activities in the field of :

- i.) Providing safe drinking water, health care and sanitation.
- ii.) Promotion of education/ skill development programme
- iii.) Empowering women, physically handicapped, elders, orphans and economically backward groups'
- iv.) Infrastructural development

b) **Environmental sustainability**

- i. Water and energy management
- ii. Promotion of renewable source of energy
- iii. Environment protection / sustainability

2. The CSR Committee comprise of following three Directors, with an Independent Director being the Chairman of the Committee:-

Sh. Sharda Prasad	:	Chairman
Sh. Adikesavan S.	:	Member
Sh. Arun Kumar Shrivastava	:	Member

3. Average net profit of the Corporation of the three immediately preceding financial year is Rs.186.59 crore.

4. The Corporation was required to spend Rs. 392.74 lakh on Corporate Social Responsibility and Sustainable

पर 392.74 लाख रु. खर्च करना अपेक्षित था जिसमें वर्ष 2017–18 में न खर्च की गई शेष राशि 19.57 लाख रु. भी शामिल हैं।

5. वित्तीय वर्ष के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व पर किए गए खर्च का विवरण :

(क) वित्तीय वर्ष के लिए कुल खर्च की जाने वाली राशि 392.74 लाख रु. है।

(ख) वर्ष 2018–19 के दौरान की गई वास्तविक खर्च राशि 402.65 रु. है।

(ग) वित्तीय वर्ष में खर्च न की गई राशि शून्य .लाख रुपए है!

(घ) वित्तीय वर्ष के दौरान जिस प्रकार राशि खर्च की गई, उसका ब्योरा निम्न प्रकार है :

Development Activities during the year 2018-19 which includes Rs.19.57 lakh that remained unspent during the year 2017-18.

5. Details of CSR spent during the financial year:

a) Total amount to be spent for the financial year is Rs.392.74 lakh.

b) Amount actually spent during the year 2018-19 is Rs. 402.65 lakh.

c) Amount unspent in the financial year is Rs NIL lakh.

d) Manner in which the amount spent during the financial year is detailed:-

क्र. सं. S. No.	निगमित सामाजित दायित्व परियोजना या पहचान की गई गतिविधि CSR project or activity identified	जिस क्षेत्र में परियोजना कवर की गई Sector in which the project is covered	(1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य में परियोजना अथवा कार्यक्रम (2) राज्य एवं जिले का ब्यौरा जिसमें परियोजना अथवा कार्यक्रम किए गए Projects or programs local area or other Specify the state and district where projects or programmes was undertaken	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (बजट) Amount outlay (Budget) project or programs wise	परियोजना अथवा कार्यक्रम उप–शीर्ष पर खर्च की गई राशिः (1) परियोजना अथवा कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष खर्च (2) ऊपरी खर्च Amount spent on the projects or programs Sub-heads: 1) Direct expenditure on projects or program 2) Overheads	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च Cumulative expenditure up to the reporting period	सीधे अथवा कार्यान्वित एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई राशिः Amount spent: Direct or through implementing agency
1	हिन्दलैब्स डायग्नोस्टिक सैन्टर ऑफ एचएलएल लाईफ केयर लि. (भारत सरकार का उद्यम) Hindlabs, Diagnostic Centre of HLL Life care Limited (A Government of India Enterprise)	स्वास्थ्य Health	ओडिशा (रायगढ़ एवं बेरहामपुर), उत्तर प्रदेश (बलिया) एवं असम (बारपेटा) Odisha (Rayagada & Berhampur), Uttar Pradesh (Ballia) & Assam (Barpeta)	11.20	11.20	11.20	बाहरी एजेंसी (हिंदलैब्स, नई दिल्ली) Outside Agency (Hindlabs, New Delhi)
2	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, हासका, रेवाड़ी Rajkiya Varishtha Madhyamik Vidyalaya, Hasaka, Rewari	शिक्षा / पर्यावरण एवं सुस्थिरता Education/ Environment & Sustainability	रेवाड़ी Rewari	0.90	0.90	0.90	सरकारी विद्यालय Govt. School

3	नेशनल हैंडिकेप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नई दिल्ली National Handicapped Finance and Development Corporation, New Delhi	कौशल विकास Skill Development	हरिद्वार में 100 पीडब्ल्यूडी (उत्तराखंड) 100 PwDs at Haridwar (Uttarakhand)	28.17	28.17	28.17	बाहरी एजेंसी (एनएचएफडीसी, नई दिल्ली) Outside Agency (NHFDC, New Delhi)
4	प्राथमिक विद्यालय जिवाला अहातमल, जिला सहारनपुर Prathmik Vidyalaya Jiwala Ahatmal, Distt. Saharanpur	शिक्षा Education	सहारनपुर Saharanpur	1.60	1.60	1.60	सरकारी विद्यालय Govt. School
5	डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मुज्जफरनगर District Institute of Education and Training, Muzaffarnagar	शिक्षा Education	मुज्जफरनगर Muzaffarnagar	2.30	2.30	2.30	सरकारी विद्यालय Govt. School
6	सीएससी एकेडमी, ई–गवर्नेंस सर्विस इंडिया लि., विद्युत एवं आईटी मंत्रालय CSC Academy, e-governance Service India Ltd, Minisrty of Electronics & IT	महिला स्वास्थ्य Women Health	विविध स्थान Various Places	5.00	5.00	5.00	बाहरी एजेंसी (सीएससी अकेडेमी, नई दिल्ली) Outside Agency (CSC Academy, New Delhi)
7	आर्टिफिशिएल लिम्ब मैनुफेक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एएलएमआईसीओ) The Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India {ALMICO}	स्वास्थ्य Health	मोगा Moga	25.00	25.00	25.00	बाहरी एजेंसी (एएलआई एमसीओ, कानपुर) Outside Agency (ALIMCO, Kanpur)
8	प्रेमधाम, नि:शक्त, निराश्रित एवं बीमार पुनर्वास केन्द्र, नजीबाबाद, बिजनौर, उत्तर प्रदेश Premdham, A Rehabilitation Centre for Differently-abled, Destitute and Terminally ill, Najibabad, Bijnor, U.P.	पर्यावरण एवं सुस्थिरता Environment & Sustainability	बिजनौर Bijnor	4.41	4.41	4.41	बाहरी एजेंसी; (प्रेमधाम बिजनौर) Outside Agency (Prem-dham Bijnor)

9	अगस्त, 2018 में प्रोजेक्ट पूरा होने की रिपोर्ट जमा करने के उपरान्त वर्ष 2017–18 के लिए राष्ट्रीय पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम (एनबीएफसीडी) National Backward Class Finance & Development Corporation (NBFCD) for the year 2017-18, after submission of the project completion report in Aug.2018	कौशल विकास Skill Development	कामरूप एवं बालासौर Kamrup & Balasore	28.80	28.80	28.80	बाहरी एजेंसी (एनबीएफसीडी, नई दिल्ली) Outside Agency (NBFCD, New Delhi)
10	दिनांक 01.08.2016 की डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार स्वच्छ भारत कोष Swachh Bharat Kosh, as per DPE guidelines, dated 01.08.2016.	पर्यावरण एवं सुस्थिरता Environment & Sustainability		129.25	129.25	129.25	भारत सरकार Govt. of India
11.	जिवाला अहातमल (सहारनपुर), डीआईईटी (मुज्जफ़रनगर), बालाचौर (बीबीएस नगर), डीआईईटी (अदीलाबाद) एवं वारंगल के 5 विद्यालयों में शौचालय बनवाना Toilets in 05 Schools at Jiwala Ahatmal (Saharanpur), DIET (Muzaffarnagar), Balachaur (BBS Nagar), DIET (Adilabad) and Warangal	स्कूल शिक्षा एवं अवसंरचना School Education & Infrastructure	सहारनपुर, मुज्ज़फरनगर, पंजाब, अदिलाबाद, वारंगल Saharanpur, Muzaffarnagar, Punjab, Adilabad, Warangal	16.02	16.94	16.94	सरकारी विद्यालय Govt. School
12.	अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 65 वर्षा जल संचयन ईकाइयों (आरडब्ल्यूएच) का निर्माण Construction of 65 nos of Rain Water Harvesting Units (RWHs) by Engineering Division	पर्यावरण एवं सुस्थिरता Environmental Sustainability	विविध स्थान Various Places	98.98	104.85	104.85	सीधे (अभियांत्रिकी विभाग, केभनि, नि.का., नई दिल्ली) Direct (Engg. Div., CWC, CO, New Delhi)

13.	''फसलोंपरान्त तकनीक'' पर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम Training program for farmers on "Post-Harvest Technology"	ग्रामीण विकास Rural Development	विविध स्थान Various Places	19.57	16.36	16.36	सीधे (तकनीकी विभाग, केभनि, नि.का., नई दिल्ली) Direct (Tech. Div., CWC, CO, New Delhi)
14.	नमामि गंगे फंड Namami Gange Fund	पर्यावरण एवं सुस्थिरता Environmental Sustainability		20.49	20.49	20.49	भारत सरकार Govt. of India
15.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम National Schedule Caste Finance and Development Corporation	कौशल विकास प्रशिक्षण Skill Development Training		7.38	7.38	7.38	बाहरी एजेंसी (एनएससीएफ एवं डीसी, नई दिल्ली) Outside Agency (NSCF & DC, New Delhi)
	कुल राशि **Total Amount**			**399.07**	**402.65**	**402.65**	

एतदद्वारा यह पुष्टि की जाती है कि निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास नीति का कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास के उद्देश्यों एवं निगम की नीति के अनुपालन में है।

It is hereby confirmed that the implementation and monitoring of CSR and Sustainable Development Policy is in compliance with CSR and Sustainable Development objectives and policy of the Corporation.

Central Warehousing Corporation
केन्द्रीय भण्डारण निगम भारत की प्रमुख भण्डारण एजेन्सी
के सीएसआर कार्यक्रम के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों के वितरण हेतु
निःशुल्क वितरण शिविर
दिनांक 15 जुलाई 2019
स्थान: भूपिन्दर खालसा स्कूल, मोगा
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को)
एस. ए. एस. नगर (मोहाली) - 140103
(भारत सरकार का एक मिनीरत्न II उपक्रम)

कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

1. निगम की कॉरपोरेट गवर्नेस पर दूरदर्शिता

कॉरपोरेट गवर्नेंस के संबंध में केन्द्रीय भंडारण निगम का उद्देश्य पारदर्शिता, समुचित प्रकटन एवं रिपोर्टिंग को इस तरह सुनिश्चित करके लम्बी अवधि के लिए अंशधारियों के अंशों के मूल्य को बढ़ाना है जिससे संपूर्ण संगठन में सांविधिक विनियमों के अनुपालन सहित नैतिक आचरण भी प्रोन्नत हो सके। केन्द्रीय भंडारण निगम सरकारी नीतियों को कार्यान्वित करने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए न्यासिता, सशक्तीकरण एवं प्रबन्धन की जवाबदेही के माध्यम से सुशासन में विश्वास करता है।

केन्द्रीय भण्डारण निगम का लक्ष्य सामाजिक दायित्व एवं पर्यावरण अनुकूल तरीके से विश्वसनीय, लागत–प्रभावी, मूल्य संवर्द्धन एवं एकीकृत भण्डारण एवं लॉजिस्टिक सेवाएं मुहैया करना है। निगम की दूरदर्शिता ग्राहक संतुष्टि पर बल देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्बल के रूप में एकीकृत भण्डारण अवसंरचना एवं अन्य लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करते हुए एक अग्रणी संसाधन के रूप में उभरने की है।

निगम कॉरपोरेट गवर्नेंस के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करता है ताकि वह स्टेकहोल्डर्स के प्रति अपने कॉरपोरेट गवर्नेंस के दायित्वों को पूरा कर सके।

2. निदेशक मंडल का गठन

निगम के निदेशक मंडल का गठन वेअरहाउसिंग कारपोरेशन्स अधिनियम, 1962 की धारा 7(1) के अंतर्गत हुआ है। इसमें प्रकार्यात्मक, नामिती एवं स्वतंत्र निदेशक सम्मिलित हैं। निदेशक मंडल, में अध्यक्ष सहित 6 अंशकालिक निदेशक हैं जिन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा नामित किया गया है, अंशधारी के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नामित एक स्वतंत्र निदेशक, 3 निदेशक संबंधित श्रेणी के अंशधारियों द्वारा निर्वाचित हैं, प्रबन्ध निदेशक तथा तीन प्रकार्यात्मक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है।

31.03.2019 को निदेशक मंडल का गठन इस प्रकार था :

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

1. CORPORATION'S CORPORATE GOVERNANCE PHILOSOPHY

The objective of the Central Warehousing Corporation (CWC) in relation to Corporate Governance is to enhance shareholders value in the long run by ensuring transparency, proper disclosures and reporting in a manner so as to comply with the statutory regulations and also promote ethical conduct across the organization. CWC believes in good governance through trusteeship, empowerment and accountability of the management while remaining proactive to implement the Government policies.

CWC operates with the mission to provide reliable, cost-effective, value-added and integrated warehousing and logistics solutions in a socially responsible and environment friendly manner. The vision of the Corporation is to emerge as a leading market facilitator by providing integrated warehousing infrastructure and other logistics services, supporting India's growing economy with emphasis on stakeholder satisfaction.

Corporation has complied with the guidelines of the Corporate Governance to help fulfil its corporate governance responsibilities towards stakeholders.

2. COMPOSITION OF THE BOARD

The Board of Directors of the Corporation has been constituted under Section 7(1) of the Warehousing Corporations Act, 1962 and has a mix of Functional, Nominee and Independent Directors. The Board comprises of six part-time Directors including Chairman nominated by the Department of Food & Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Government of India, one Independent Director nominated by the State Bank of India being a shareholder, three Directors elected by the respective class of shareholders, three Functional Directors and a Managing Director appointed by the Government of India.

The composition of the Board as on 31.03.2019 was as under:

क्र.सं. S. No.	निदेशक का नाम Name of Director	श्रेणी Category	क्र.सं. S. No.	अन्य निदेशक मंडलों में निदेशिता Directorship in other Boards	क्र.सं. S. No.	निदेशक मंडल की उप समिति जिसके सदस्य/अध्यक्ष ह Sub-Committee of Board of which Member/ Chairman
1.	श्री डी.वी.प्रसाद 11.01.2019 Shri D.V. Prasad w.e.f. 11.01.2019	नामित Nominee	(i) (ii) (iii)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम C.M.D, FCI अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी Chairman, CWC अध्यक्ष, सीआरडब्ल्यूसी लि. Chairman CRWC Ltd.	(i) (ii)	अध्यक्ष, कार्यकारी समिति (ईसी) केभनि Chairman – Executive Committee (EC) CWC. अध्यक्ष, कार्यकारी समिति (ईसी) भाखानि Chairman – Executive Committee (EC) FCI.
2.	श्री ई.के. माझी, आईएएस Shri E.K. Majhi, IAS	नामित Nominee		सीआरडब्ल्यूसी लि. CRWC Ltd.	(i)	सदस्य–कार्यकारी समिति, केभनि Member -Executive Committee, CWC
3.	श्री वीरेन्द्र सिंह Shri Virendra Singh	स्वतंत्र Independent		शून्य NIL		सदस्य, बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति, सदस्य पारिश्रमिक समिति, केभनि Member-Board Level Risk Management Committee, Remuneration Committee, CWC.
4.	श्री के.वी. प्रदीप कुमार Shri K.V. Pradeep Kumar	स्वतंत्र Independent		शून्य NIL	(i) (ii) (iii) (iv)	सदस्य, बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति Member-Board Level Risk Management Committee. अध्यक्ष, पारिश्रमिक समिति, केभनि Chairman- Remuneration Committee, CWC. सदस्य, लेखा परीक्षा समिति, केभनि Member Audit Committee, CWC. सदस्य–कार्यकारी समिति, केभनि Member-Executive Committee, CWC
5.	श्री अदिकेसवन एस. Shri Adikesavan S.	स्वतंत्र Independent		निदेशक– नेशनल ई–रेसपॉन्सबिलिटी लि. (एन.ई.आरएल) Director-National E- Responsibility Limited (N.E-RL)	(i) (ii) (iii) (iv)	अध्यक्ष, बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति, के.भ.नि. Chairman- Board Level Risk Management Committee, CWC. सदस्य पारिश्रमिक समिति, केभनि Member-Remuneration Committee, CWC. सदस्य, सीएसआर समिति, केभनि Member-CSR Committee, CWC. सदस्य लेखा परीक्षा समिति, केभनि Member-Audit Committee, CWC

6.	श्री अजय व्यास Shri Ajay Vyas	स्वतंत्र Independent	(i) (ii)	एनएसडीसी के अधीन सीईडीएमएपी CEDMAP under NSDC सीएमपीजीबी CMPGB	(i)	सदस्य, लेखा परीक्षा समिति, केभनि Member -Audit Committee, CWC
7.	श्री शारदा प्रसाद, आईएएस (सेवानिवृत्त) Shri Sharda Prasad, IAS (Retd.)	स्वतंत्र Independent			(i) (ii)	अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति, केभनि Chairman-Audit Committee, CWC. अध्यक्ष, सीएसआर समिति, केभनि Chairman CSR Committee, CWC.
8.	श्री एस.चार्ल्स Shri S. Charles	प्रकार्यात्मक Functional	(i) (ii)	तमिलनाडु एसडब्ल्यूसी TN SWC मेघालय एसडब्ल्यूसी MEGHALAYA SWC		
9.	श्री एस.सी. मुडगेरिकर Shri S.C. Mudgerikar	प्रकार्यात्मक Functional	(i) (ii) (ii)	महाराष्ट्र, एसडब्ल्यूसी Maharashtra, SWC पश्चिमी बंगाल एसडब्ल्यूसी West Bengal SWC इफको– सीआरडब्ल्यूसी संयुक्त उद्यम IFFCO-CRWC Joint Venture		
10.	श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव Shri Arun Kumar Shrivastava	प्रकार्यात्मक Functional	(i) (ii)	सीआरडब्ल्यूसी CRWC भारतीय खाद्य निगम Food Corporation of India	(i) (ii) (iii)	सदस्य– केभनि की कार्यकारी समिति Member- Executive Committee of CWC सदस्य– सीआरडब्ल्यूसी की सीएसआर, पारिश्रमिक एवं लेखा परीक्षा समिति Member-CSR, Remuneration & Audit Committees of CRWC. सदस्य– बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति, भारतीय खाद्य निगम Member-Board Level Risk Mgmt. Committee of Food Corporation of India.

निदेशक मंडल में परिवर्तन

रिपोर्ट वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

(i) श्री योगेन्द्र त्रिपाठी, आईएएस के स्थान पर दिनांक 11.01.2019 को भारत सरकार द्वारा बोर्ड में श्री डी.वी.प्रसाद, आईएएस को नामित किया गया है।

(ii) श्री सुरेश कुमार वशिष्ठ, आईएएस के स्थान पर दिनांक 08.05.2018 को भारत सरकार द्वारा बोर्ड में श्री ई.के. माझी, आईएएस, अपर सचिव (संग्रह) को नामित किया गया।

(iii) श्री जे. एस. कौशल, निदेशक (कार्मिक) जिनके पास प्रबंध निदेशक का भी चार्ज था, के स्थान पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 18.06.2018 को श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यग्रहण करने पर बोर्ड में सम्मिलित हुए।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन हुए :–

(क) जो निदेशक कार्यमुक्त हुए :

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS:

During the year under report, the following changes in the Board of Directors took place:

(i) Shri D.V. Prasad, IAS was nominated on 11.01.2019 by the Govt. of India on the Board in place of Shri Yogendra Tripathi, IAS.

(ii) Shri E.K. Majhi, IAS, Additional Secretary (Storage) was nominated by the Govt. on the Board on 08.05.2018 in place of Shri Suresh Kumar Vashishth, IAS.

(iii) Shri Arun Kumar Shrivastava, Managing Director, joined the Board on 18.06.2018 on his appointment by the Govt. of India in place of Shri J.S.Kaushal, Director(Personnel), who was also holding the charge of Managing Director.

During the year under report, the following changes took place:

(a) Directors who relinquished the charge

नाम Name	कार्यमुक्ति की तिथि Date of Relieving	श्रेणी Category
श्री योगेन्द्र त्रिपाठी, आईएएस Shri Yogendra Tripathi, IAS	30.11.2018	सरकारी नामित निदेशक Govt. Nominee Director
श्री सुरेश कुमार वशिष्ठ, आईएएस Shri Suresh Kumar Vashishth, IAS	13.04.2018	सरकारी नामित निदेशक Govt. Nominee Director
श्री जे.एस. कौशल Shri J.S. Kaushal	02.06.2018	प्रकार्यात्मक निदेशक Functional Director

(ख) जिन निदेशकों ने कार्यभार ग्रहण किया:

(b) Directors who joined:

नाम Name	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि Date of joining	श्रेणी Category
श्री डी.वी.प्रसाद, आईएएस Shri D.V. Prasad, IAS	11.01.2019	सरकारी नामित निदेशक Govt. Nominee Director
श्री ई.के.माझी, आईएएस Shri E.K. Majhi, IAS	08.05.2018	सरकारी नामित निदेशक Govt. Nominee Director
श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव Shri Arun Kumar Shrivastava	18.06.218	प्रकार्यात्मक निदेशक Functional Director

3. निदेशकों का पारिश्रमिक

केन्द्रीय भंडारण निगम भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसमें प्रबन्ध निदेशक तथा 3 प्रकार्यात्मक निदेशक खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उनके संबंधित वेतनमानों एवं परिलब्धियों पर नियुक्त किए जाते हैं। प्रबन्ध निदेशक तथा प्रकार्यात्मक निदेशक पांच वर्ष अथवा उनकी अधिवर्षिता की तारीख अथवा अगले आदेशों तक, जो भी स्थिति पहले हो, के लिए नियुक्त किए जाते हैं। गैर सरकारी, अंशकालिक, स्वतंत्र निदेशक, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा नामित किए जाते हैं अथवा संबंधित अंशधारियों की श्रेणी (सहकारी समितियां, बीमा कंपनियां इत्यादि एवं अन्य अनुसूचित बैंक) द्वारा तीन वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। निदेशक मंडल तथा निदेशक मंडल की उप समितियों अर्थात् कार्यकारी समिति, लेखा परीक्षा समिति, वित्तीय स्थायी समिति, पारिश्रमिक समिति, निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर समिति तथा निदेशक मंडल स्तरीय जोखिम प्रबन्धन समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए गैर–सरकारी निदेशकों को भुगतान किया जाने वाला सिटिंग शुल्क दिनांक 13.06.2017 से 6000/–रु. एवं 4500/–रु. से बढ़ाकर क्रमशः 8,000/–रु. एवं 7000/–रु. कर दिया गया।

वर्ष 2018–19 के दौरान निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र) :

3. REMUNERATION OF DIRECTORS

CWC is a Government of India Undertaking in which the Managing Director and three Functional Directors are appointed by the Department of Food & Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution Govt of India on their respective pay scales with perquisites. The Managing Director and the Functional Directors are appointed for a period of five years or till the date of their superannuation or until further orders, whichever is earlier. Non-official part-time Independent Directors are nominated by the Department of Food & Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution or elected by the respective class of shareholders (Co-operative Societies, Insurance Companies etc, and other Scheduled Banks) for a period of three years. The sitting fee paid to the non-official Directors was increased to Rs. 8,000/- and Rs. 7000/- from Rs. 6,000/- and Rs. 4500/- w.e.f. 13.06.2017 respectively for attending each meeting of the Board and the Sub-Committees of the Board (i.e Executive Committee, Audit Committee, Standing Committee on Finance, Remuneration Committee, Committee on Corporate Social Responsibility & Sustainability and Board level Risk Management Committee) respectively.

The details of the remuneration paid to the Directors during 2018-19 are given below:

(i) NON OFFICIAL DIRECTORS (Independent):

नाम **Name**	पदनाम **Designation**	सिटिंग शुल्क (रु.) **Sitting fees (Rs.)**
श्री वीरेन्द्र सिंह, Sh Virendra Singh	निदेशक/Director	69,000/-
श्री के.वी.प्रदीप कुमार, Sh K.V. Pradeep Kumar	निदेशक/Director	1,54,000/-
श्री शारदा प्रसाद, आईएएस (सेवानिवृत्त) Sh. Sharda Prasad, IAS(Retd.)	निदेशक/Director	1,26,000/-

(ii)अंशकालिक निदेशक (नामिती एवं स्वतंत्र) :

(ii) PART – TIME DIRECTORS (Nominee and Independent):

नाम **Name**	**कार्यमुक्ति की तिथि** **Date of Relieving**	**श्रेणी** **Category**
श्री योगेन्द्र त्रिपाठी, आईएएस, Shri Yogendra Tripathi, IAS	निदेशक (नामिती)/Director (Nominee)	शून्य/Nil
श्री सुरेश कुमार वशिष्ठ, आईएएस, Shri Suresh Kumar Vashishth, IAS	निदेशक (नामिती)/Director (Nominee)	शून्य/Nil
श्री अदिकेसवन एस., Shri Adikesavan S.	निदेशक (नामिती)/Director (Nominee)	शून्य/Nil

(iii) प्रकार्यात्मक निदेशक:

प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक

(iii) FUNCTIONAL DIRECTORS:

Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors

क्र. सं. S. No	पारिश्रमिक का विवरण Particulars of Remuneration	प्रबंध निदेशक/पूर्ण कालिक निदेशक नाम Name of MD/WTD				राशि लाख रु. में (Rs. in Lakh)
		श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक Sh.Arun Kumar Shrivastava, MD	**श्री सावरी मुत्थु चार्ल्स, निदेशक (वित्त) Sh. Savarimuthu Charles, Director (Finance)**	**श्री श्रीनिवास सी. मुडगेरिकर, निदेशक (एमसीपी) Sh.Shrinivas C. Mudgerikar, Director (M&CP)**	**श्री जे.एस.कौशल निदेशक (कार्मिक) Sh.J.S.Kaushal, Director (Personnel)**	
		दिनांक 18.06.2018 को प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यग्रहण Joined CWC on 18.06.2018 as Managing Director			दिनांक 31.05.2018 को मूल संगठन (आईओसीएल) में प्रत्यावर्तित Repatriated to parent organisation (IOCL) on 31.05.2018	
(क) (a)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप वेतन Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	31.18	43.27	40.74	10.96	126.15
(ख) (b)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत परिलब्धियॉं Value of perquisites u/s 17(2) of the Income-tax Act, 1961	2.37	0.76	4.92	0.74	8.79
(ग) (c)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ Profits in lieu of salary under section 17 (3) of the Income-tax Act, 1961	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	सकल वेतन कुल (क+ख+ग) Gross Salary Total (a+b+c)	**33.55**	**44.03**	**45.66**	**11.70**	**134.94**

4. निदेशक मंडल की बैठकें:

सामान्यत: निदेशक मंडल की बैठक निगम के निगमित कार्यालय या निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित स्थान पर प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होती है तथा इसकी तारीख तथा समय पहले ही निश्चित कर लिया जाता है। निदेशक मंडल की बैठकें संरचित कार्यसूची के आधार पर होती हैं तथा निदेशक मंडल का कोई भी सदस्य चर्चा हेतु कार्यसूची में किसी विषय को शामिल करने के लिए सिफारिश करने हेतु स्वतंत्र है। विस्तृत कार्यसूची के कागजात पहले ही परिचालित कर दिए जाते हैं ताकि निदेशक मंडल के सदस्य इन पर विचार कर निर्णय ले सकें।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों तथा 29 सितबर, 2018 को हुई 56वीं वार्षिक साधारण बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

4. BOARD MEETINGS:

The meeting of the Board of Directors are generally held at least once in a quarter at the Corporate Office of the Corporation or at place decided by the Board of Directors and are scheduled well in advance. The meetings of the Board of Directors are governed by a structured agenda and any member of the Board is free to recommend inclusion of any subject matter in the agenda for deliberations. Detailed agenda papers are circulated well in advance to facilitate the Directors to take considered decisions.

The Attendance of Directors at the Board meetings held during the year under report and at the 56th Annual General Meeting held on the 29th September, 2018 was as under:

निदेशक का नाम Name of Director	श्रेणी Category	28.06.18	09.08.18	28.08.18	28.09.18	27.11.18	08.02.19	13.03.19	निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति की सं. No. of Board meeting attended	दिनांक 29.09.2018 को हुई वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थिति Whether present during the AGM on 29.09.2018
श्री योगेन्द्र त्रिपाठी, आईएएस, अध्यक्ष, केभनि (अतिरिक्त प्रभार) Sh. Yogendra Tripathi, IAS Chairman, CWC, (add. Charge)	नामित निदेशक Nominee Director	✓	✓	✓	✓	✓	लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A.	5/5	जी हाँ Yes
श्री ई.के.माझी, आईएएस Sh. E.K. Majhi, IAS	नामित निदेशक Nominee Director	X	X	✓	x	✓	✓	✓	4/7	जी नहीं NO
श्री वीरेन्द्र सिंह Sh. Virendra Singh	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7	जी हाँ Yes
श्री के.वी. प्रदीप कुमार Sh. K.V. Pradeep Kumar	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7	जी हाँ Yes

श्री एस. चार्ल्स निदेशक (वित्त) Sh. S. Charles, Director (Finance)	प्रकार्यात्मक निदेशक Functional Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7	जी हाँ Yes
श्री एस.सी. मुडगेरीकर, निदेशक (एमसीपी) Sh. S.C. Mudgerikar Director (M&CP)	प्रकार्यात्मक निदेशक Functional Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	6/7	जी हाँ Yes
श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक Sh. Arun Kumar Shrivastava Managing Director	प्रकार्यात्मक निदेशक Functional Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7	जी हाँ Yes
श्री अजय व्यास Sh. Ajay Vyas	स्वतंत्र निदेशक Independent Director		X	X	वी सी V.C.		X		4/7	x
श्री अदिकेसवन एस. Sh. Adikesavan S.	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	X	X	वी सी V.C.	वी सी V.C.		वी सी V.C	X	4/7	जी नहीं No
श्री शारदा प्रसाद, आईएएस (सेवानिवृत्त) Sh. Sharda Prasad, IAS (Retd.)	स्वतंत्र निदेशक Impendent Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7	जी हाँ yes
श्री डी.वी. प्रसाद, आईएएस, अध्यक्ष Sh. D.V Prasad, IAS, Chairman	नामिति निदेशक Nominee Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA			2/2	लागू नहीं NA

✓ – बैठक में उपस्थित
एनए – लागू नहीं (पद पर नहीं)
X – बैठक में भाग नहीं लिया
वी सी – विडियो कॉन्फ्रेंसिंग

1. उपर्युक्त के अतिरिक्त, दिनांक 16.04.2018 व 12.12.2018 को बोर्ड की दो बैठक संचालन द्वारा आयोजित हुई जिसमें मामले की अति आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बहुमत से एजेंडा को अनुमोदित किया गया।

5. निदेशक मंडल की समितियां :

निदेशक मंडल ने अपनी सुस्पष्ट भूमिका, जवाबदेही तथा प्राधिकार के साथ निम्नलिखित समितियां गठित की हैं :

✓ - Meeting attended
NA - Not applicable (not in position)
X - Meeting not attended
VC - Video conferencing

1. In addition to above two Board Meeting was conducted by circulation on 16.04.2018 & 12.12.2018 wherein an agenda was got approved by majority decision keeping in view of the urgency on the matter.

5. COMMITTEES OF THE BOARD:-

The Board of Directors has constituted the following committees with their distinct role, authority and accountability:

(क) कार्यकारी समिति

(ख) लेखा परीक्षा समिति

(ग) वित्त स्थायी समिति

(घ) पारिश्रमिक समिति

(ङ) निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिरता समिति

(च) जोखिम प्रबन्धन समिति

(छ) निगम में सभी संवर्गों के भर्ती नियमों (आर.आर.) में संशोधन के लिए समिति।

(क) कार्यकारी समिति

वेअरहाउसिंग कारपोरेशंस अधिनियम, 1962 की धारा–12 के अधीन कार्यकारी समिति (ईसी) गठित की गई जिसमें अंशकालिक अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशक मंडल द्वारा निदेशकों में से निर्वाचित दो सदस्य होते हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान कार्यकारी समिति की 04 बैठकें हुईं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:–

(a) Executive Committee

(b) Audit Committee

(c) Standing Committee on Finance

(d) Remuneration Committee

(e) Committee on Corporate Social Responsibility & Sustainability

(f) Committee on Risk Management

(g) Committee on Amendments in Recruitment Rules (RRs) across all cadres in the Corporation.

(a) Executive Committee

The Executive Committee (EC) constituted under Section 12 of the Warehousing Corporations Act, 1962 consists of the part time Chairman, Managing Director and two members elected by the Board from among the Directors. During the year 2018-19, the EC met 04 times as per details given below:-

क्र.सं. S. No.	बैठक की तिथि Date of Meeting	उपस्थित सदस्य Members present	अध्यक्ष Chairman
1.	14.06.2018	श्री एस.सी. मुडगेरीकर Sh. S.C. Mudgerikar श्री के.वी. प्रदीप कुमार Sh. K.V. Pradeep Kumar	श्री ई.के. माझी, आईएएस Sh. E.K. Majhi, IAS
2.	13.09.2018	श्री ई.के.माझी, आईएएस Sh. E.K. Majhi, IAS श्री के.वी. प्रदीप कुमार Sh. K.V. Pradeep Kumar श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव Sh. Arun Kumar Shrivastava	श्री योगेन्द्र त्रिपाठी, आई.ए.एस. Sh. Yogendra Tripathi, IAS
3.	08.02.2019	श्री ई.के.माझी, आईएएस Sh. E.K. Majhi, IAS श्री के.वी. प्रदीप कुमार Sh. K.V. Pradeep Kumar श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव Sh. Arun Kumar Shrivastava	श्री डी.वी. प्रसाद, आई.ए.एस. Sh. D.V. Prasad, IAS
4.	13.03.2019	श्री ई.के.माझी, आईएएस Sh. E.K. Majhi, IAS श्री के.वी. प्रदीप कुमार Sh. K.V. Pradeep Kumar श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव Sh. Arun Kumar Shrivastava	श्री डी.वी. प्रसाद, आई.ए.एस. Sh. D.V. Prasad, IAS

प्रकार्यात्मक निदेशकों ने भी आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्यकारी समिति की बैठकों में सहायता के लिए चर्चा में भाग लिया।

(ख) लेखा परीक्षा समिति

निदेशक मण्डल द्वारा लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया जिसमें एक अंशकालिक नामिती निदेशक एवं तीन स्वतंत्र निदेशक इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं। एक स्वतंत्र निदेशक लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं। तत्पश्चात् एक और स्वतंत्र निदेशक को समिति में नामित किया गया जिसके फलस्वरूप दिनांक 28.06.2018 से समिति में स्वतंत्र निदेशकों की कुल संख्या तीन हो गई हैं। लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में लेखा परीक्षा कार्य पर निगरानी रखना, महत्वपूर्ण निष्कर्षों की समीक्षा करना, लेखा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा निदेशक मण्डल को प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय विवरणों को सहमति देना शामिल है। वर्ष 2018–19 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की छह बैठकें हुई जिसका विवरण इस प्रकार है:–

The Functional Directors also attended the meetings of the EC as invitees to assist during the deliberations.

(b) Audit Committee

The Audit Committee constituted by the Board of Directors comprises of one part time nominee Director and two Independent Directors as its members with one of the Independent Directors as the Chairman of the Audit Committee. Subsequently one more Independent Director was nominated in the committee from 28.06.2018. The terms of reference of the Audit Committee include overseeing the audit function, reviewing critical findings, ensuring compliance with accounting standards and concurring financial statements before being submitted to the Board. During the year 2018-19, the Audit Committee had six meetings as given below:-

क्र.सं. S. No.	बैठक की तिथि Date of meeting	उपस्थित सदस्य Members present	अध्यक्ष Chairman
1	06.06.2018	श्री के.वी. प्रदीप कुमार Sh. K.V. Pradeep Kumar	श्री शारदा प्रसाद, आईएएस (सेवानिवृत्त) Sh. Sharda Prasad, IAS (Rtd.)
2	22.08.2018	श्री के.वी. प्रदीप कुमार Sh. K.V. Pradeep Kumar	श्री शारदा प्रसाद, आईएएस (सेवानिवृत्त) Sh. Sharda Prasad, IAS (Rtd.)
3	28.08.2018	श्री ई.के. माझी, आईएएस Sh. E.K. Majhi, IAS श्री के.वी. प्रदीप कुमार Sh. K.V. Pradeep Kumar श्री अदिकेसवन एस. Sh. Adikesavan S.	श्री शारदा प्रसाद, आईएएस (सेवानिवृत्त) Sh. Sharda Prasad, IAS (Rtd.)
4	28.09.2018	श्री के.वी. प्रदीप कुमार Sh. K.V. Pradeep Kumar श्री अदिकेसवन एस. Sh. Adikesavan S.	श्री शारदा प्रसाद, आईएएस (सेवानिवृत्त) Sh. Sharda Prasad, IAS (Rtd.)
5	27.11.2018	श्री ई.के. माझी, आईएएस Sh. E.K. Majhi, IAS श्री के.वी. प्रदीप कुमार Sh. K.V. Pradeep Kumar श्री अदिकेसवन एस. Sh. Adikesavan S.	श्री शारदा प्रसाद, आईएएस (सेवानिवृत्त) Sh. Sharda Prasad, IAS (Rtd.)
6	13.03.2019	श्री के.वी. प्रदीप कुमार Sh. K.V. Pradeep Kumar	श्री शारदा प्रसाद, आईएएस (सेवानिवृत्त) Sh. Sharda Prasad, IAS (Rtd.)

निदेशक (वित्त) ने 13.03.2019 तक छः बैठकों में भाग लिया और प्रबंध निदेशक ने 06.06.2018 को लेखा परीक्षा समिति की एक बैठकों में विशेष आमंत्रिती के रूप में चर्चा में भाग लिया।

Director (Finance) attended six meetings i.e upto 13.03.2019 and Managing Director has attended one meeting held on 06.06.2018 as special invitees to assist the Audit Committee during its deliberations.

(ग) वित्त स्थायी समिति

निदेशक मण्डल द्वारा वित्त स्थायी समिति (वि.स्थायी.स.) का गठन किया गया जिसमें एक नामिती स्वतंत्र निदेशक एवं दो स्वतंत्र निदेशक सदस्यों के रूप में शामिल हैं जिसमें से एक स्वतन्त्र निदेशक वित्तीय स्थायी समिति के अध्यक्ष होते हैं। वर्ष के दौरान वित्त स्थायी समिति की एक बैठक आयोजित की गईं जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः–

(c) Standing Committee on Finance:

The Standing Committee on Finance (SCF) constituted by the Board, comprises of one Nominee Independent Director and two Independent Directors as members with nominee Independent Director as the Chairman of SCF. One meeting of the SCF was called during the year. The details of the meeting of the SCF are as under:

क्र. सं. S No.	बैठक की तिथि Date of meeting	उपस्थित सदस्य Members Present	अध्यक्ष Chairman
1	06.06.2018	श्री के.वी. प्रदीप कुमार Sh. K.V. Pradeep Kumar	श्री शारदा प्रसाद, आईएएस (सेवानिवृत्त) Sh. Sharda Prasad, IAS (Rtd.)

संयुक्त सचिव (संग्रह) ने दिनांक 06.06.2018 को आयोजित बैठक में विशेष आमंत्रिती के रूप में भाग लिया तथा निदेशक (एमसीपी) एवं निदेशक (वित्त) ने स्थायी विशेष आमंत्रिती के रूप में एससीएफ की सहायतार्थ चर्चा में भाग लिया।

The Joint Secretary (Storage) attended the meeting on 06.06.2018 as Special Invitee and Director(M&CP) & Director (Finance) attended the meeting on 06.06.2018 as Permanent Special Invitees to assist the S.C.F. in its deliberations.

(घ) पारिश्रमिक समिति

निदेशक मण्डल द्वारा पारिश्रमिक समिति (आरसी) गठित की गई जिसमें तीन स्वतन्त्र निदेशक तथा एक अंशकालिक नामिती निदेशक को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है तथा उनमें से एक स्वतंत्र निदेशक पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान पारिश्रमिक समिति की एक बैठक आयोजित की गईं। पारिश्रमिक समिति की बैठक के विवरण नीचे दिये गए हैं :–

(d) Remuneration Committee

The Remuneration Committee (RC) of the Board, comprises of three Independent Directors and one part-time Nominee Director as members with an Independent Director as the Chairman. During the year 2018-19. During the year, one meeting of the Remuneration committee was held. The details of the meeting of the Remuneration Committee are as under:

क्रम सं. S No.	बैठक की तिथि Date of meeting	उपस्थित सदस्य Members Present	अध्यक्ष Chairman
1	08.02.2019	श्री अदिकेसवन एस. (वी.सी के माध्यम से) Sh. Adikesavan S. (through VC)	श्री के.वी. प्रदीप कुमार Sh. K.V. Pradeep Kumar

(ई) निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिरता समिति

निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिरता समिति में दो स्वतंत्र निदेशक तथा निदेशक(कार्मिक) सहित एक स्वतंत्र नामिती निदेशक अध्यक्ष के रूप में होता है। वर्ष 2018–19 के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिरता समिति की एक बैठक आयोजित हुई जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः–

(e) Committee on Corporate Social Responsibility and Sustainability

The Committee on Corporate Social Responsibility and Sustainability comprises of two Independent Directors, Director (Personnel) with one nominee Independent Director as the Chairman. During the year 2018-19, one meeting of the Corporate Social Responsibility and Sustainability Committee was held as detailed below:-

क्रम सं. S No.	बैठक की तिथि Date of meeting	उपस्थित सदस्य Members Present	अध्यक्ष Chairman
1	13.03.2019	श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव Sh. Arun Kumar Shrivastava	श्री शारदा प्रसाद, आईएएस (सेवानिवृत्त) Sh. Sharda Prasad Rtd. IAS

(च) जोखिम प्रबन्धन समिति

जोखिम प्रबन्ध समिति में तीन स्वतंत्र निदेशक सदस्य के रूप में होते हैं, जिनमें से एक स्वतंत्र निदेशक समिति का अध्यक्ष होता है।

वर्ष 2018–19 के दौरान जोखिम प्रबन्धन समिति की दो बैठक हुई थीं जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः–

(f) Committee on Risk Management

The Committee on Risk Management comprises of three Independent Directors as members. Out of them one and Independent Director as the Chairman.

During the year 2018-19, two meetings of the Committee on Risk Management were held as detailed below:

क्रम सं. S No.	बैठक की तिथि Date of meeting	उपस्थित सदस्य Members Present	अध्यक्ष Chairman
1	28.06.2018	श्री के.वी. प्रदीप कुमार Sh. K.V. Pradeep Kumar	श्री वीरेन्द्र सिंह Sh. Virendra Singh
2	08.02.2019	श्री वीरेन्द्र सिंह Sh. Virendra Singh श्री के.वी. प्रदीप कुमार Sh K.V. Pradeep Kumar	श्री अदिकेसवन एस. (वी.सी के माध्यम से) Sh. Adikesavan S. (through VC)

प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (वित्त) ने दिनांक 28.06.2018 को विशेष आमंत्रिती के रूप में चर्चा के दौरान बैठक में भाग लिया।

(छ) भर्ती नियम (आर.आर.) में संशोधन के लिए समिति

वर्ष 2018–19 के दौरान भर्ती नियमों (आर.आर.) में संशोधन के लिए समिति की दो बैठकें हुई जिनका विवरण नीचे दिया गया हैः–

The Managing Director & Director (Finance) attended the meeting on 28.06.2018 as special invitees to assist during the deliberations.

(g) Committee on Amendment in Recruitment Rules (RRs).

During the year 2018-19, two meetings of the Committee on Amendments in Recruitment Rules (RRs) was held as detailed below:

क्रम सं. S No.	बैठक की तिथि Date of meeting	उपस्थित सदस्य Members Present	अध्यक्ष Chairman
1	27.11.2018	1 संयुक्त सचिव (संग्रह), के स्थान पर निदेशक (संग्रह) श्री एन.के. कश्मीरा बैठक में उपस्थित हुए JS (Storage) attended by Director(Storage) Sh.N.K. Kashmira 2 श्री वीरेन्द्र सिंह Sh. Virendra Singh 3 निदेशक (कार्मिक), केभनि के रूप में श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव बैठक में उपस्थित हुए Director(Pers.), CWC Attended by Sh. Arun Kumar Shrivastava	श्री शारदा प्रसाद, आईएएस (सेवानिवृत्त) Sh. Sharda Prasad, IAS (Rtd.)
2	08.03.2019	श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव Sh. Arun Kumar Shrivastava श्री ई.के. माझी, आईएएस Sh. E.K. Majhi, IAS	श्री शारदा प्रसाद, आईएएस (सेवानिवृत्त) Sh. Sharda Prasad, IAS (Rtd.)

6. वार्षिक साधारण बैठक

निगम की वार्षिक साधारण बैठकें निगमित कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। गत 3 वित्तीय वर्षों में हुई इन बैठकों का विवरण इस प्रकार है:–

6. ANNUAL GENERAL MEETING

The Annual General Meetings of the Corporation are held at the Corporate Office of the Corporation. The details of such meetings held during the past three financial years are as under:

वार्षिक साधरण बैठक Annual General Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	विशेष संकल्प पारित किया गया Special Resolution Passed
54वीं वा.सा. बैठक 54th AGM	24.09.2016 11:30 पूर्वाह्न / 11:30 AM	शून्य NIL
55वीं वा.सा. बैठक 55th AGM	23.09.2017 11:30 पूर्वाह्न / 11:30 AM	शून्य NIL
56वीं वा.सा. बैठक 56th AGM	29.09.2018 11:30 पूर्वाह्न / 11:30 AM	शून्य NIL

7. आचार संहिता

निदेशक मण्डल ने अपने सभी सदस्यों तथा निगम के वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिकों के लिए आचार संहिता निर्धारित की है। यह आचार संहिता निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है। निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों तथा प्रबन्धन के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

8. पर्दाफाश की नीति

पर्दाफाश नीति जून, 2004 से केन्द्रीय भण्डारण निगम में अपनाई गई है।

9. सहायक कम्पनियां

केन्द्रीय भंडारण निगम ने रेलसाइड वेअरहाउसिंग कॉम्पलेक्सों (सीआरडब्ल्यूसी) के प्रचालन और प्रगति के लिए सेंट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लिमिटेड (सीआरडब्ल्यूसी) नामक 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाई। सीआरडब्ल्यूसी लि. 10 जुलाई, 2007 को बनाई गई और 24 जुलाई, 2007 से इसने कार्य प्रारंभ करने का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया। केन्द्रीय भंडारण निगम ने सीआरडब्ल्यूसी लिमिटेड को 40.56 करोड़ रुपए का अंशदान शेयर पूंजी के रूप में दिया।

04 मई, 2010 को लोक उद्यम विभाग द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशा–निर्देशों के चेप्टर 6 के अनुसार केवल वे सहायक कंपनियाँ ही सहायक कंपनियाँ मानी जाएंगी जिनका टर्नओवर या निवल पूंजी तत्काल पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में उस कंपनी के क्रमशः टर्नओवर या निवल पूंजी के 20% से कम न हो। निगम की सहायक कंपनी सीआरडब्ल्यूसी लि. सहायक कंपनी की इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती। अतः यह केन्द्रीय भंडारण निगम पर लागू नहीं है।

7. CODE OF CONDUCT

The Board has laid down a Code of Conduct for all the Board members and senior management personnel of the Corporation. The Code is hosted on the website of the Corporation. All the Board members and senior management personnel confirmed compliance with the Code.

8. WHISTLE BLOWER POLICY

The Whistle Blower Policy has been in place in the Corporation since June, 2004.

9. SUBSIDIARY COMPANY

The CWC has formed a 100% owned subsidiary company namely Central Railside Warehouse Company Ltd. (CRWC) for development and operation of Railside Warehousing Complexes (RWCs). CRWC Ltd. was incorporated on 10th July, 2007 and received certificate for commencement of business on 24th July, 2007. CWC has subscribed Rs. 40.56 crore as share capital of CRWC Ltd.

As per Chapter 6 of Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (CPSEs), issued by Department of Public Enterprises on 4th May, 2010, only those subsidiaries, whose turnover or net worth is not less than 20% of the turnover or net worth respectively of the holding company in the immediate preceding accounting year may be treated as subsidiary companies. CRWC Ltd., the subsidiary of CWC does not come under the ambit of this definition of subsidiary company. Hence, it is not applicable to CWC.

10. प्रकटन

(i) वर्ष के दौरान, निदेशकों अथवा प्रबन्धन अथवा उनके रिश्तेदारों के साथ लेन–देन का कोई मामला नहीं है जो व्यापक रूप से निगम के हितों के विरुद्ध हो।

(ii) संबंधित पार्टी प्रकटनों के विवरणों को लेखों की टिप्पणी के भाग रूप में कवर किया गया है।

(iii) निगम ने भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों का अनुसरण किया है।

(iv) रिपोर्ट के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान निगम के साथ किसी भी स्वतंत्र निदेशक का आर्थिक अथवा लेन–देन का कोई संबंध नहीं है।

(v) निदेशक मंडल निगम पर लागू होने वाले सभी कानूनों की अनुपालनात्मक रिपोर्टों की आवधिक रूप से समीक्षा करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं था जिसमें किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा लागू कानूनों का अनुपालन न करने पर निगम पर कोई दण्ड लगाया गया हो।

(vi) निगम ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेन्स पर जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने के लिए उपाय किए हैं। दिशा–निर्देशों के अनुसार, निगम ने निदेशक मण्डल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिकों के लिए व्यापार कदाचार कोड एवं नीतिशास्त्र तैयार किया है।

(vii) व्यय के उस किसी भी मद को लेखा–खातों में 'डेबिट' नहीं किया गया है जो कारोबार के उद्देश्य के लिए नहीं हैं। निदेशक मण्डल के निदेशकों एवं उच्च प्रबन्धन के लिए उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार संविदागत बाध्यताओं को छोड़कर ऐसा किसी भी प्रकार का कोई व्यय नहीं किया गया है, जो निजी प्रकृति का हो।

(viii) निदेशक मंडल द्वारा निगम की जोखिम प्रबंधन नीति को अनुमोदित कर दिया गया है। आईसीडी/सीएफएस सहित वेअरहाउसों में भण्डारित स्टॉक सभी प्रकार के जोखिम जैसे आग, बाढ़, चोरी, सेंधमारी, दंगे, हड़ताल एवं उपद्रव इत्यादि के लिए पर्याप्त रूप से बीमाकृत होता है। इसके अतिरिक्त जोखिम निर्धारण तथा न्यूनतम उपाय के रूप में सुरक्षित भण्डारण एवं परिरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए निगम के सतर्कता विभाग

10. DISCLOSURES

(i) During the year, there were no transactions of material nature with the Directors or the management or their relatives that had potential conflict with the interest of the Corporation.

(ii) The details of related party disclosures have been covered as part of notes to accounts.

(iii) The Corporation follows Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

(iv) None of the Independent Directors had any pecuniary relationship or transactions with the Corporation during the financial year under report.

(v) The Board periodically reviews Compliance Reports of all the laws applicable to the Corporation. During the last three years, there has been no instance of penalty imposed on the Corporation by any statutory authority owing to non-compliance under applicable laws.

(vi) The Corporation has taken measures to comply with the guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises (DPE). In accordance with the guidelines, Corporation has evolved a Code of Business Conduct and Ethics for its Board members and senior management personnel.

(vii) No item of expenditure has been debited to books of accounts, which is not for the purpose of business. No expenses, which are personal in nature, have been incurred for the Board of Directors and top management except which are contractual obligations as per their terms of appointment.

(viii) The Risk Management Policy of the Corporation has been approved by the Board. The stocks stored at the Warehouses, including in ICDs/CFSs, are adequately insured against all risks such as fire, flood, theft, burglary, riots, strikes, civil commotion, etc. Besides, in order to ensure safe storage

द्वारा आवधिक निरीक्षण, लेखा परीक्षा एवं निवारक जांच की पद्धति मौजूद है।

11. कॉरपोरेट गवर्नेंस के अनुपालन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

निगम द्वारा वर्ष के दौरान कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया गया। निगम के लेखा परीक्षकों द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस का अनुपालन प्रमाण पत्र रिपोर्ट के अंत में दिया गया है।

12. अंशधारियों के संबंध में सूचना

सूचना का साधन: निगम के वार्षिक परिणाम वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 6 माह के अन्दर घोषित किए जाते हैं तथा इन्हें निगम की वेबसाइट www.cewacor.nic.in पर भी उपलब्ध कराया जाता है।

वार्षिक साधारण बैठक: निगम की 57 वीं वार्षिक साधारण बैठक– 28 सितम्बर, 2019 को निगमित कार्यालय, नई दिल्ली में हुई है।

खाताबन्दी की तारीखें: वार्षिक साधारण बैठक एवं इस बैठक में लाभांश घोषित करने के उद्देश्य से सदस्यों की शेयर हस्तांतरण बहियां एवं रजिस्टर 31 अगस्त, 2019 से 28 सितम्बर, 2019 तक (दोनों दिन शामिल) बन्द रहेगा।

लाभांश का भुगतान: पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त लाभांश का विवरण (लाभांश वितरण कर को छोड़कर) नीचे दिया गया है:–

and preservation, as a risk assessment and minimization measure, the Corporation has in place a system of periodic inspection, audit and preventive check by the Vigilance Division.

11. AUDITOR'S CERTIFICATE ON COMPLIANCE OF CORPORATE GOVERNANCE:

The Corporation has complied with the conditions of Corporate Governance during the year. The Compliance Certificate on Corporate Governance issued by the auditors of the Corporation is given at the end of this report.

12. SHAREHOLDERS' INFORMATION

Means of communication: The annual results of the Corporation are announced within six months of the end of financial year, and are also hosted on the website of the Corporation, www.cewacor.nic.in.

Annual General Meeting: The 57th Annual General Meeting of the Corporation has been held on 28th September, 2019 at Corporate Office, New Delhi.

Dates of Book Closure: The Share Transfer Books and Register of Members shall remain closed from 31st August, 2019 to 28th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM and declaration of dividend at the Annual General Meeting.

Dividend Payment: The details of the dividend paid (excluding dividend distribution tax) during the last three years are as under:

वर्ष Year	लाभांश राशि (करोड़ रु. में) Amount of Dividend (Rs. In Crore)	प्रदत्त पूंजी पर प्रतिशत Percentage on the paid-up capital
2015-16	59.82	88%
2016-17	96.53	142%
2017-18	21.75	32%
2018-19 (वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए अतिरिक्त लाभांश) (Additional Dividend for financial year 2017-18	10.12	14.89%
2018-19 (अंतरिम लाभांश) (Interim Dividend)	23.80	35%

अंश हस्तांतरण प्रणाली: वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन्स अधिनियम, 1962 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार केन्द्रीय भण्डारण निगम के शेयर अंशधारियों की विशिष्ट श्रेणी के अलावा हस्तांतरित नहीं होते। 31.03.2019 को अंशधारियों की विभिन्न श्रेणियों की शेयरधारिता इस प्रकार थी :–

Share Transfer System: The shares of the Central Warehousing Corporation are not transferable except to the specified classes of shareholders in accordance with the regulations made under the Warehousing Corporations Act, 1962. The shareholding of various category of shareholders as on 31.3.2019 was as follows:

श्रेणी **Category**	**अंशों की संख्या** **No. of shares held**	**कुल प्रदत्त पूंजी का शेयरधारिता प्रतिशत** **Shareholding Percentage of total paid up capital**
केन्द्र सरकार Central Government	3,74,250	55.02%
भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	1,77,140	21.75%
अन्य अधिसूचित बैंक Other Scheduled Banks	1,40,843	15.99%
सहकारी समितियाँ Cooperative Societies	1,487	0.21%
बीमा कम्पनियाँ Insurance Companies	51,454	7.02%
अन्य Others	76	0.01%
कुल **Total**	**7,45,250**	**100.00%**

क्र.सं. **Sl. No.**	**शहर का नाम** **Name of city**	**अंशधारियों की संख्या** **No. of Shareholders**	**अंशों की संख्या** **No of Shares**	**कुल का%** **% of total**
1	आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	43	397	0.053
2	असम Assam	05	19	0.003
3	बिहार Bihar	30	129	0.0173
4	गुजरात एवं महाराष्ट्र Gujarat & Maharashtra	44	287416	38.57
5	केरल Kerala	32	62	0.008
6	कर्नाटक Karnataka	97	139	0.018
7	मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	14	131	0.018
8	ओडिशा Odisha	10	49	0.006
9	पंजाब एवं हरियाणा Punjab & Haryana	44	1670	0.22

क्र.सं. Sl. No.	शहर का नाम Name of city	अंशधारियों की संख्या No. of Shareholders	अंशों की संख्या No of Shares	कुल का% % of total
10	राजस्थान Rajasthan	21	129	0.02
11	तमिलनाडु Tamil Nadu	121	22608	3.03
12	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	106	339	0.05
13	पश्चिम बंगाल West Bengal	10	32808	4.40
14	हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	19	48	0.006
15	दिल्ली Delhi	03	399300	53.58
16	मणिपुर Manipur	01	01	0.0001
17	त्रिपुरा Tripura	01	01	0.0001
केन्द्र शासित प्रदेश Union Territories				
1	पाण्डिचेरी Pondicherry	04	04	0.0005
	कुल Total	**605**	**7,45,250**	**100**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

सचिव,

पत्राचार का पताः

सचिव
केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौजखास,
नई दिल्ली–110016
ईमेलः secycwc@nic.in

For and on behalf of the Board of Directors

Secretary

Address for communication:

The Secretary,
Central Warehousing Corporation
(A Government of India Undertaking)
4/1, Siri Institutional Area,
August Kranti Marg, Hauz Khas,
New Delhi – 110016.
Email:- secycwc@nic.in

रमेश सी अग्रवाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

कॉरपोरेट गवर्नेंस अनुपालन के लिए प्रमाण पत्र

सेवा में,
सभी अंशधारी
केंद्रीय भंडारण निगम

हमने केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (दिशा–निर्देश) के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशा–निर्देशों में अनुबंधित कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबन्धन का होता है। हमारी जांच इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकांउटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस की मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुसार निष्पादित की गई जो कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु निगम द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित थी। यह न कोई लेखा परीक्षा है और न ही निगम के वित्तीय विवरण पर किसी राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि निगम ने कॉरपोरेट गवर्नेंस की उपरोलिखित दिशा–निर्देशों में अनुबंधित शर्तों का निम्न के अतिरिक्त अनुपालन किया हैः–

वर्ष 2018–19 के दौरान भंडारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 7 की उप धारा (i) के खंड (क) एवं केंद्रीय भंडारण निगम नियम, 1963 के नियम 3(ii) के अनुसार निगम के निदेशक मंडल में गैर–सरकारी निदेशकों की इष्टतम संख्या नहीं थी।

वर्ष 2018–19 के दौरान श्री अरुण कुमार श्रीवास्त्व, प्रबंध निदेशक को दिनांक 18.06.2018 से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया।

हमारा आगे यह कहना है कि ऐसा अनुपाल़न न तो निगम के भविष्य की व्यवहार्यता और न ही उसके कार्यकौशल या प्रभावकारिता का आश्वासन है जिसके अनुसार प्रबंधन ने निगम के कार्य किए हैं।

कृते रमेश सी. अग्रवाल एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन–0017770 सी

RAMESH C. AGRAWAL & CO. NEW DELHI Chartered Accountants

सौम्य अग्रवाल
(पार्टनर)
सदस्यता नं. 416438
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 20 अगस्त, 2019

मुख्य कार्यालय एस.क्यू. 28 डीडीए फ्लैटस्, गुलमोहर एनक्लेव, नई दिल्ली–110049
मोबाइल : 8130611815, ई–मेल : rca123@gmail.com

Ramesh C Agrawal & Co.
Chartered Accountants

COMPLIANCE CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To,

The Shareholders of
Central Warehousing Corporation

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Central Warehousing Corporation for the year ended 31st March, 2019 as stipulated in the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (Guidelines), as issued by the Department of Public Enterprises (DPE).

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination as carried out with the guidance Note of Corporate Governance issued by the Institute of Chartered Accountants of India, was limited to procedure and implementation thereof, adopted by the Corporation for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Corporation.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Corporation has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned guidelines subject to the following:-

During the year 2018-19, the corporation did not have optimum number of non-official directors on its Board of Directors as per the clause (a) of sub section (1) of section 7 of the Warehousing Corporation Act, 1962 and Rule 3(ii) of the Central Warehousing Corporation Rules, 1963.

During the year 2018-19 Sh. Arun Kumar Shrivastava, Managing Director held the additional charge of Director(Pers.) w.e.f. 18.06.2018 which continue till the end of the financial year.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the corporation nor of the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Corporation.

For Ramesh C Agrawal & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 001770C

RAMESH C. AGRAWAL & CO. NEW DELHI Chartered Accountants

Saumy Agrawal
(Partner)
M. No. 416438
Place: New Delhi
Date:- 20th August, 2019

H.O. SQ 28, DDA Flats, Gulmohar Enclave, New Delhi-110049
Mobile : 8130611815, e-mail : rca123@gmail.com

सैन्ट्रल वेअरहाउसों की सूची एवं उनकी भण्डारण क्षमता

(आंकड़े मी. टन में)

LIST OF CENTRAL WAREHOUSES AND THEIR CAPACITY

(Figures in Metric Tonnes)

क्षेत्र – अहमदाबाद
REGION : AHMEDABAD

राज्य : गुजरात
STATE : GUJARAT

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
1	अहमदाबाद Ahmedabad	अहमदाबाद-I Ahmedabad-I	18262	0	0	0	18262
2	अहमदाबाद Ahmedabad	ईशानपुर Ishanpur	0	6736	0	0	6736
3	अमरेली Amreli	सीएफएस पिपावाव CFS Pipavav	12500	0	6875	0	19375
4	अमरेली Amreli	पिपावाव Pipavav	37500	0	0	0	37500
5	आनन्द Anand	आनन्द Anand	4820	0	0	0	4820
6	आनन्द Anand	वाडोड Vadod	12500	0	0	0	12500
7	आनन्द Anand	वाडोड (पीईजी) Vadod (PEG)	4800	0	0	0	4800
8	बड़ोदा Baroda	बड़ोदा-I Baroda-I	16650	0	0	0	16650
9	बड़ोदा Baroda	कराचिया Karachia	5000	0	12373	0	17373
10	भारूच Bharuch	झगडिया Jhagadia	0	0	0	5000	5000
11	भावनगर Bhavnagar	भावनगर Bhavnagar	14250	0	0	0	14250
12	गांधीनगर Gandhi nagar	सीएफएस अदालज CFS Adalaj	0	0	0	0	0
13	जामनगर Jamnagar	जामनगर Jamnagar	19700	0	0	0	19700
14	जूनागढ़ Junagadh	मालिया हटिना (एयूबी) Maliya Hatina (AUB)	0	24054	0	0	24054
15	काण्डला Kandla	सीएफएस काण्डला CFS Kandla	21600	0	30000	0	51600
16	खेड़ा Kheda	नडियाड Nadiad	8500	21122	0	0	29622
17	खेड़ा Kheda	नडियाड (पीईजी) Nadiad (PEG)	0	5000	0	0	5000
18	कच्छ Kutch	सीएफएस मुन्द्रा CFS Mundra	33625	0	87375	0	121000
19	कच्छ Kutch	गांधीधाम (हायर्ड) Gandhidham (Hired)	0	12617	0	0	12617
20	कच्छ Kutch	मुन्द्रा Mundra	66000	0	0	0	66000
21	राजकोट Rajkot	राजकोट Rajkot	25000	0	0	0	25000

क्षेत्र – अहमदाबाद | राज्य : गुजरात

REGION : AHMEDABAD | STATE : GUJARAT

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
22	सूरत Surat	सूरत Surat	21400	0	0	0	21400
23	वडोदरा Vadodra	आईसीडी–दशरथ ICD dashrath	0	11860	21500	0	33360
24	वलसाड Valsad	आईसीडी–वॉलवाडा ICD valvada	0	3400	18800	0	22200
		कुल (24) Total (24)	**322107**	**84789**	**176923**	**5000**	**588819**

क्षेत्र – बेंगलूरू | राज्य : कर्नाटक

REGION : BENGALURU | STATE : KARNATAKA

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
1	बेंगलूरू Bengaluru	बेंगलूरू– I/एपीएमसी/यशवंतपुरा Bang-I/APMC/ Yeshwantpura	25535	0	6793	0	32328
2	बेंगलूरू Bengaluru	सीएफएस, व्हाइटफील्ड CFS, Whitefield	24080	0	31740	0	55820
3	बेंगलूरू Bengaluru	डोडाबल्लापुरा Doddaballapura	0	0	3333	0	3333
4	बेंगलूरू Bengaluru	होसकोटे Hoskote	0	4275	0	0	4275
5	बेंगलूरू Bengaluru	आर.वी. लेआउट / बेंगलूरू–V R.V. Layout/ Bang-V	5017	0	0	0	5017
6	बेलगाम Belgaum	बेलगाम Belgaum	15950	0	468	0	16418
7	बेलगाम Belgaum	सोनदत्ती Soundatti	9000	0	0	0	9000
8	बिदर Bidar	बिदर Bidar	20000	0	0	0	20000
9	दक्षिण कन्नड़ा Dakshina kannada	मनगुड्डा/मंगलौर–I Mannguda/Mangalore-I	13390	0	0	0	13390
10	दक्षिण कन्नड़ा Dakshina kannada	पैनम्बर / सीएफएस Panambur/CFS	14000	0	700	0	14700
11	देवनगिरी Davangere	देवनगिरी Davangere	21118	0	0	0	21118
12	धारवाड़ Dharwad	धारवाड़ Dharwad	23333	0	0	0	23333

क्षेत्र – बेंगलूरू | राज्य : कर्नाटक

REGION : BENGALURU | STATE : KARNATAKA

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
13	धारवाड़ Dharwad	हुबली Hubli	19311	0	0	0	19311
14	गडग Gadag	गडग–I Gadag-I	23500	0	0	0	23500
15	गडग Gadag	गडग-II (पीईजी) Gadag-II (PEG)	28520	0	0	0	28520
16	गडग Gadag	नारगुण्ड Nargund	10000	0	0	0	10000
17	गुलबर्गा Gulbarga	गुलबर्गा-I Gulbarga-I	9780	0	0	0	9780
18	गुलबर्गा Gulbarga	गुलबर्गा-II (पीईजी) Gulbarga-II (PEG)	67000	0	0	0	67000
19	गुलबर्गा Gulbarga	सेदम Sedam	3000	4965	0	0	7965
20	मंड्या Mandya	मंड्या Mandya	0	5538	0	0	5538
21	रायचूर Raichur	रायचूर Raichur	0	3682	0	0	3682
22	शिमोगा Shimoga	शिकारीपुर Shikaripur	10500	0	0	0	10500
23	शिमोगा Shimoga	शिमोगा Shimoga	0	8691	0	0	8691
24	दुमकर Tumkur	टुमकुर / गुब्बी Tumkur/Gubbi	23065	0	0	0	23065
		कुल (24) Total (24)	**366099**	**27151**	**43034**	**0**	**436284**

क्षेत्र – भोपाल | राज्य : मध्य प्रदेश

REGION : BHOPAL | STATE : MADHYA PRADESH

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
1	बालाघाट Balaghat	गडक (पीईजी) Balaghat (PEG)	18900	0	0	0	18900
2	भिण्ड Bhind	भिंड (पीईजी) Bhind (PEG)	20000	0	0	0	20000
3	भिण्ड Bhind	मलानपुर Mallanpur	16000	0	0	0	16000
4	भोपाल Bhopal	भोपाल-I Bhopal-I	40740	0	0	0	40740

क्षेत्र – भोपाल
REGION : BHOPAL

राज्य : मध्य प्रदेश
STATE : MADHYA PRADESH

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
5	भोपाल Bhopal	भोपाल-II Bhopal-II	0	8962	0	0	8962
6	छतरपुर Chhatarpur	छतरपुर Chhatarpur	0	6473	0	0	6473
7	छिंदवाड़ा Chhindwara	छिंदवाडा (पीईजी) Chhindwara (PEG)	10000	0	0	0	10000
8	धार Dhar	पिथमपुर (पीईजी) Pithampur (PEG)	15000	0	0	3586	18586
9	ग्वालियर Gwalior	ग्वालियर Gwalior	19750	0	0	0	19750
10	होशंगाबाद Hoshangabad	सुहागपुर Sohagpur	5000	0	0	0	5000
11	इंदौर Indore	इंदौर-I Indore-I	12500	0	334	0	12834
12	इंदौर Indore	इंदौर-II Indore-II	3750	0	0	0	3750
13	इंदौर Indore	इंदौर-III Indore-III	18500	0	0	0	18500
14	इंदौर Indore	इंदौर-IV Indore-IV	16000	0	0	0	16000
15	इंदौर Indore	इंदौर-V Indore-V	20000	0	0	0	20000
16	इंदौर Indore	सनवर Sanwer	7000	0	0	0	7000
17	कटनी Katni	कटनी Katni	25100	8640	0	0	33740
18	खण्डवा Khandwa	बुरहानपुर–I Burhanpur-I	27200	0	0	0	27200
19	खण्डवा Khandwa	खण्डवा–बीडी (पीईजी) Khandwa-BD (PEG)	70000	0	0	0	70000
20	खण्डवा Khandwa	खण्डवा–II (पीईजी) Khandwa-II (PEG)	33400	0	0	0	33400
21	मुरैना Morena	मुरैना-I Morena-I	31450	0	0	0	31450
22	मुरैना Morena	मुरैना–II (पीईजी) Morena-II (PEG)	42800	0	0	0	42800
23	नरसिंहपुर Narsinghpur	नरसिंहपुर–I (पीईजी) Narsinghpur-I (PEG)	25600	0	0	0	25600
24	शाहदोल Shahdol	शाहदोल Shahdol	0	5640	0	0	5640
25	शाहजापुर Shajapur	मकसी (पीईजी) Maksi (PEG)	28000	0	0	0	28000
26	श्योपुर Sheopur	श्योपुरकलां-I Sheopurkalan-I	11000	0	0	0	11000

क्षेत्र – भोपाल राज्य : मध्य प्रदेश

REGION : BHOPAL STATE : MADHYA PRADESH

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
27	श्योपुर Sheopur	श्योपुरकलां -II Sheopurkalan-II (PEG)	40000	0	0	0	40000
		कुल (27) Total (27)	**557690**	**29715**	**334**	**3586**	**591325**

क्षेत्र – भोपाल राज्य : छत्तीसगढ़

REGION : BHOPAL STATE : CHHATTISGARH

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
1	बिलासपुर Bilaspur	बिलासपुर –I Bilaspur-I	28000	0	0	0	28000
2	बिलासपुर Bilaspur	बिलासपुर–II (पीईजी) Bilaspur-II (PEG)	38350	0	0	0	38350
3	दुर्ग Durg	धामतेरी Dhamtari	10000	0	0	0	10000
4	रायगढ़ Raigarh	रायगढ़–I (पीईजी) Raigarh-I	11300	0	0	0	11300
5	रायगढ़ Raigarh	रायगढ़–II (पीईजी) Raigarh-II (PEG)	32000	0	0	0	32000
6	रायपुर Raipur	भाटापारा–I Bhatapara-I	23400	0	0	0	23400
7	रायपुर Raipur	भाटापारा–II Bhatapara-II	28900	0	0	0	28900
8	रायपुर Raipur	रायपुर–I Raipur-I	13000	0	0	0	13000
9	रायपुर Raipur	रायपुर–II Raipur-II	8800	0	0	0	8800
10	रायपुर Raipur	रायपुर–III Raipur-III	25600	0	0	0	25600
11	रायपुर Raipur	रायपुर–IV Raipur-IV	20000	0	0	0	20000
		कुल (11) Total (11)	**239350**	**0**	**0**	**0**	**239350**
38		**क्षेत्रकी कुल क्षमता (38) **Reg Total (38)**	**797040**	**29715**	**334**	**3586**	**830675**

क्षेत्र – भुवनेश्वर राज्य : ओडिशा

REGION : BHUBANESWAR STATE : ODISHA

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
1	बालासोर Balasore	बालासोर Balasore	11000	0	0	0	11000
2	बालासोर Balasore	बालासोर–II Balasore-II	10000	0	0	0	10000

क्षेत्र – भुवनेश्वर
REGION : BHUBANESWAR

राज्य : ओडिशा
STATE : ODISHA

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
3	बारगढ़ Bargarh	बारगढ़–I Bargarh-I	10100	0	0	0	10100
4	बारगढ़ Bargarh	कुण्डुपल्ली–I Kendupalli-I	20000	0	0	0	20000
5	बारगढ़ Bargarh	कुण्डूपल्ली–II Kendupalli-II	22500	0	0	0	22500
6	भद्रक Bhadrak	बलजीतपारा Baljitpara	10000	0	0	0	10000
7	बोलनगीर Bolangir	बोलनगीर Bolangir	30000	0	0	0	30000
8	कटक Cuttack	चौदवार Choudwar	14650	0	0	0	14650
9	कटक Cuttack	कटक Cuttack	16400	0	0	0	16400
10	गंजम Ganjam	असका Aska	10000	0	0	0	10000
11	गंजम Ganjam	बरहामपुर Berhampur	45000	0	0	0	45000
12	जाजपुर Jajpur	जाजपुर रोड Jajpur Road	9000	0	0	0	9000
13	कालाहांडी Kalahandi	जूनांगढ Junagarh	30300	0	0	0	30300
14	कालाहांडी Kalahandi	कोकसारा Koksara	13000	0	0	0	13000
15	केन्द्रपारा Kendrapara	मारशाघाई Marshaghai	10000	0	0	0	10000
16	खुर्दा Khurda	जटनी Jatni	15000	0	0	0	15000
17	कोरापुट Koraput	जयपौर Jeypore	17800	0	0	0	17800
18	नबरंगपुर Nabarangpur	नबरंगपुर Nabarangpur	10000	0	0	0	10000
19	संबलपुर Sambalpur	कलामाटी Kalamati	10000	0	0	0	10000
20	सोनपुर Sonepur	रायगडा Rayagada	11400	0	0	0	11400
21	सुबारनापुर Subarnapur	सोनपुर (पीईजी) Sonepur (PEG)	10000	0	0	0	10000
		कुल (21) Total (21)	**336150**	**0**	**0**	**0**	**336150**

क्षेत्र – चण्डीगढ़ | राज्य : पंजाब

REGION : CHANDIGARH | STATE : PUNJAB

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
1	अमृतसर Amritsar	अमृतसर Amritsar	20000	0	0	0	20000
2	अमृतसर Amritsar	अमृतसर बी डी Amritsar BD	55150	0	0	0	55150
3	अमृतसर Amritsar	आईसीपी अमृतसर ICP Amritsar	0	4377	0	0	4377
4	भटिंडा Bathinda	भटिंडा Bathinda	45000	0	0	0	45000
5	भटिंडा Bathinda	मनसा Mansa	19100	0	0	0	19100
6	फतेहगढ़ साहब Fatehgarh Sahib	मण्डी गोविन्दगढ़ Mandi Gobindgarh	17800	0	0	0	17800
7	फतेहगढ़ साहब Fatehgarh Sahib	सरहिन्द Sirhind	14700	0	0	0	14700
8	फिरोजपुर Ferozpur	अबोहर–I Abohar-I	25800	0	0	0	25800
9	फिरोजपुर Ferozpur	अबोहर–II Abohar-II	0	10392	0	0	10392
10	फिरोजपुर Ferozpur	फाजिल्का Fazilka	11700	0	0	0	11700
11	गुरदासपुर Gurdaspur	गुरदासपुर Gurdaspur	7950	0	0	0	7950
12	गुरदासपुर Gurdaspur	पठानकोट बीडी Pathankot BD	50000	0	0	0	50000
13	होशियारपुर Hoshiarpur	गढ़शंकर Garshankar	15080	0	0	0	15080
14	होशियारपुर Hoshiarpur	होशियारपुर Hoshiarpur	15000	0	0	0	15000
15	जालंधर Jalandhar	भोगपुर Bhogpur	14900	0	0	0	14900
16	लुधियाना Ludhiana	लुधियाना Ludhiana	13850	0	0	0	13850
17	मोगा Moga	अजीतवाल Ajitwal	0	9870	0	0	9870
18	मोगा Moga	मोगा–I Moga-I	17250	20000	0	0	37250
19	मोगा Moga	मोगा–II Moga-II	110600	0	0	0	110600
20	मुक्तसर Muktsar	मुक्तसर Muktsar	11250	0	0	0	11250
21	पटियाला Patiala	नाभा Nabha	12000	0	0	0	12000
22	पटियाला Patiala	नाभा बीडी Nabha BD	120000	0	0	0	120000

क्षेत्र – चण्डीगढ़ | राज्य : पंजाब

REGION : CHANDIGARH | STATE : PUNJAB

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
23	रोपड़ Ropar	चेनालोन Chanalon	15000	0	0	0	15000
24	रोपड़ Ropar	मोहाली Mohali	19200	0	0	0	19200
25	रोपड़ Ropar	रोपड़ Ropar	17700	0	0	0	17700
		कुल (25) Total (25)	**649030**	**44639**	**0**	**0**	**693669**

क्षेत्र – चण्डीगढ़ | राज्य : चण्डीगढ़ (यू.टी.)

REGION : CHANDIGARH | STATE : CHANDIGARH (U.T.)

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
1	चण्डीगढ़ (यू.टी) Chandigarh (U.T.)	चण्डीगढ़ Chandigarh	10550	0	1667	0	12217
		कुल (1) Total (1)	**10550**	**0**	**1667**	**0**	**12217**

क्षेत्र – चण्डीगढ़ | राज्य : हरियाणा

REGION : CHANDIGARH | STATE : HARYANA

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
1	अम्बाला Ambala	नरायणगढ़ Naraingarh	30000	0	0	0	30000
2	भिवानी Bhiwani	भिवानी Bhiwani	0	10985	0	0	10985
3	चरखी दादरी Charkhi Dadri	चरखी दादरी Charkhi Dadri	15800	0	0	0	15800
4	फतेहाबाद Fatehabad	फतेहाबाद Fatehabad	0	4721	0	0	4721
5	फतेहाबाद Fatehabad	टोहना Tohana	24880	0	0	0	24880
6	गुडगांव Gurgaon	गुडगांव Gurgaon	18000	0	0	0	18000
7	हिसार Hissar	हिसार Hissar	28400	0	0	0	28400
8	हिसार Hissar	मण्डी आदमपुर Mandi Adampur	17250	0	0	0	17250
9	हिसार Hissar	अकलाना Uklana	0	4946	0	0	4946
10	जीन्द Jind	नरवाना Narwana	6000	0	0	0	6000
11	कैथल Kaithal	कैथल Kaithal	25700	0	0	0	25700

क्षेत्र – चण्डीगढ़ | राज्य : हरियाणा

REGION : CHANDIGARH | STATE : HARYANA

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
12	करनाल Karnal	असंध Assandh	23000	0	0	0	23000
13	करनाल Karnal	इन्द्री Indri	15180	0	0	0	15180
14	करनाल Karnal	करनाल–I Karnal-I	12600	17403	0	0	30003
15	करनाल Karnal	करनाल–III Karnal-III	72100	0	0	0	72100
16	कुरुक्षेत्र Kurukshetra	कुरुक्षेत्र Kurukshetra	0	5000	0	0	5000
17	कुरुक्षेत्र Kurukshetra	लाडवा Ladwa	25200	1634	0	0	26834
18	रोहतक Rohtak	रोहतक Rohtak	0	4900	0	0	4900
19	सिरसा Sirsa	सिरसा Sirsa	23700	0	0	0	23700
20	सोनीपत Sonepat	बरही Barhi	26600	0	1000	0	27600
21	सोनीपत Sonepat	गोहाना Gohana	0	9915	0	0	9915
22	सोनीपत Sonepat	कुंडली Kundli	5250	0	0	0	5250
23	सोनीपत Sonepat	सोनीपत Sonepat	19280	0	0	0	19280
24	यमुनानगर Yamunanagar	जगाधरी Jagadhari)	28900	6373	0	0	35273
		कुल (24) Total (24)	417840	65877	1000	0	484717

क्षेत्र – चण्डीगढ़ | राज्य : हिमाचल प्रदेश

REGION : CHANDIGARH | STATE : HIMACHAL PRADESH

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
1	कांगडा Kangra	देहरा Dehra	4270	0	0	0	4270
2	मण्डी Mandi	मण्डी Mandi	2370	0	0	0	2370
3	सोलन Solan	सोलन Solan	3000	0	0	0	3000
		कुल (3) Total (3)	**9640**	**0**	**0**	**0**	**9640**
		क्षेत्र की कुल क्षमता (53) Region Total (53)	**1087060**	**110516**	**2667**	**0**	**1200243**

क्षेत्र – चेन्नई
REGION : CHENNAI

राज्य : तमिलनाडु
STATE : TAMILNADU

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
1	चेन्नई Chennai	रोयापुरम Royapuram	5000	0	0	0	5000
2	चेन्नई Chennai	विरूगमबक्कम /सीएफएस Virugambakam/CFS	58020	0	8180	0	66200
3	कोयम्बतूर Coimbatore	कोयम्बतूर Coimbatore	7500	0	0	0	7500
4	कोयम्बतूर Coimbatore	सिंगनाल्लूर एसीसी एवं आईसीडी Singanallur ACC & ICD	18438	0	0	0	18438
5	कुड्डालोर Cuddalore	चिदम्बरम Chidambaram	17900	0	0	0	17900
6	कुड्डालोर Cuddalore	कुड्डालोर Cuddalore	15000	0	0	0	15000
7	इरोड Erode	इरोड Erode	10360	0	0	0	10360
8	इरोड Erode	मूलापलयम Moolapalayam	12000	0	0	0	12000
9	कांचीपुरम Kancheepuram	सीएफएस चितलापक्कम/ क्रोमपेट CFS Chitlapakkam/ Chromepet	76096	0	3200	0	79296
10	कांचीपुरम Kancheepuram	एमईपीजेड MEPZ	3000	0	0	0	3000
11	कन्याकुमारी Kanyakumari	नागरकोईल Nagercoil	16340	0	0	0	16340
12	कृष्णागिरी Krishangiri	होसूर Hosur	30000	0	0	0	30000
13	मदुरै Madurai	मदुरै–I Madurai-I	6460	0	0	0	6460
14	मदुरै Madurai	मदुरै–II Madurai-II	29590	0	0	0	29590
15	थंजावुर Thanjavur	कुम्बाकोणम Kumbakonam	12400	0	0	0	12400
16	थंजावुर Thanjavur	थंजावुर Thanjavur	50000	0	0	0	50000
17	थंजावुर Thanjavur	थंजावुर–II Thanjavur-II	20000	0	0	0	20000

क्षेत्र – चेन्नई
REGION : CHENNAI

राज्य : तमिलनाडु
STATE : TAMILNADU

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
18	थिरुवल्लूर Thiruvallur	थिरुवोत्तयूर:सीसीटी Thiruvottyur-CTT	0	0	30600	0	30600
19	थिरुवरूर Thiruvarur	मनारगुड्डी Manargudi	50000	0	0	0	50000
20	थूथुकुड्डी Thoothukudi	थूथूकुड्डी सीएफएस Thoothukudi CFS	22500	0	12500	0	35000
21	त्रिरूपुर Tiruppur	उदमलपेट Udumalpet	5000	0	0	0	5000
22	थिरुवल्लूर Tiruvallur	अम्बातूर Ambattur	6098	0	0	0	6098
23	थिरुवल्लूर Tiruvallur	माधवरम सीएफएस Madhavaram CFS	10000	0	13750	0	23750
24	त्रिचि Trichy	त्रिचि Trichy	90000	0	33883	0	123883
25	विरूधुनगर Virudhunagar	विरूधुनगर Virudhunagar	17650	0	0	0	17650
		कुल (25) Total (25)	**589352**	**0**	**102113**	**0**	**691465**

क्षेत्र – चेन्नई
REGION : CHENNAI

राज्य : पुडुचेरी (यू.टी.)
STATE : PUDUCHERY (U.T.)

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
1	पुडुचेरी (यू.टी.) Puduchery (U.T.)	पुडुचेरी Puduchery	**7350**	**0**	**0**	**0**	**7350**
		कुल (1) **Total (1)**	**7350**	**0**	**0**	**0**	**7350**

क्षेत्र – चेन्नई
REGION : CHENNAI

राज्य : अण्डमान एवं निकोबार (यू.टी.)
STATE : ANDAMAN & NICOBAR ISLAND (U.T.)

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
1	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह Andaman & Nicobar Island	पोर्ट ब्लेयर Port Blair	2700	0	0	0	2700
		कुल (1) Total (1)	**2700**	**0**	**0**	**0**	**2700**
		क्षेत्र की कुल क्षमता: (27) Reg Total: (27)	**599402**	**0**	**102113**	**0**	**701515**

क्षेत्र – दिल्ली
REGION : DELHI

राज्य : दिल्ली
STATE : DELHI

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
1	दिल्ली (मध्य) Delhi (Central)	सफदरजंग फ्लाईओवर Safd. Flyover	0	2041	0	0	2041
2	दिल्ली (पूर्व) Delhi (East)	पटपड़गंज–आईसीडी Patparganj-ICD	26383	0	10812	0	37195
3	दिल्ली (बाहरी) Delhi (Outer)	नांगलोई Nangloi	0	8074	0	0	8074
4	दिल्ली (बाहरी) Delhi (Outer)	नरेला Narela	14800	0	1666	0	16466
5	दिल्ली (बाहरी) Delhi (Outer)	आईजीआई एअरपोर्ट IGI Airport	0	200	0	0	200
6	दिल्ली (सदर) Delhi (Sadar)	कीर्तिनगर Kirti Nagar	19025	0	0	0	19025
7	दिल्ली (सदर) Delhi (Sadar)	आर.पी.बाग R.P.BAGH	35951	0	2387	0	38338
8	दिल्ली (दक्षिण) Delhi (South)	ओखला–I Okhla-I	5000	0	1166	0	6166
9	दिल्ली (दक्षिण) Delhi (South)	ओखला–II Okhla-II	10500	0	0	0	10500
		कुल (9) Total (9)	111659	10315	16031	0	138005

क्षेत्र – दिल्ली
REGION : DELHI

राज्य : उत्तर प्रदेश
STATE : UTTAR PRADESH

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
1	गौतमबुद्ध नगर Gautambudh Nagar	ग्रेटर नोएडा –I Grt. Noida-I	35060	0	0	0	35060
2	गौतमबुद्ध नगर Gautambudh Nagar	कासना Kasna	16882	0	0	0	16882
3	गौतमबुद्ध नगर Gautambudh Nagar	नोएडा Noida	15000	0	0	0	15000
4	गौतमबुद्ध नगर Gautambudh Nagar	नोएडा (एनएसईजेड) Noida (NSEZ)	1800	867	0	0	2667
5	गौतमबुद्ध नगर Gautambudh Nagar	सूरजपुर–I (यू.पी.) Surajpur-I (UP)	23072	0	0	0	23072
6	गाजियाबाद Ghaziabad	लोनी आईसीडी Loni-ICD	36300	0	77107	0	113407
7	गाजियाबाद Ghaziabad	साहिबाबाद–I (एमएन) Sahibabad-I (MN)	5767	0	0	0	5767
8	गाजियाबाद Ghaziabad	साहिबाबाद–II Sahibabad-II	20200	0	0	0	20200
		कुल (8) Total (8)	**154081**	**867**	**77107**	**0**	**232055**
		क्षेत्र की कुल क्षमताः (17) Region Total : (17)	**265740**	**11182**	**93138**	**0**	**370060**

क्षेत्र – गुवाहाटी
REGION : GUWAHATI

राज्य : असम
STATE : ASSAM

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
1	बारपेटा Barpeta	सोरभोग (पीईजी) Sorbhog (PEG)	17200	0	1793	0	18993
2	धूबरी Dhubri	धूबरी (पीईजी) Dhubri (PEG)	12100	0	0	0	12100
3	जोरहाट Jorhat	जोरहाट–I Jorhat-I	10500	0	0	0	10500
4	जोरहाट Jorhat	जोरहाट–II Jorhat-II	5000	0	0	0	5000
5	केमरिमगंज Kamrimganj	एफएसडी, नीलम बाजार FSD, Nilambazar	0	0	0	5000	5000
6	कामरूप Kamrup	अमीनगांव Amingaon	20000	0	0	0	20000
7	कामरूप Kamrup	मालीगांव Maligaon	9550	0	565	0	10115
		कुल (7) Total (7)	**74350**	**0**	**2358**	**5000**	**81708**

क्षेत्र – गुवाहाटी
REGION : GUWAHATI

राज्य : नागालैण्ड
STATE : NAGALAND

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
1	दीमापुर Dimapur	दीमापुर Dimapur	13000	0	0	0	13000
		कुल (1) Total (1)	**13000**	**0**	**0**	**0**	**13000**

क्षेत्र – गुवाहाटी
REGION : GUWAHATI

राज्य : त्रिपुरा
STATE : TRIPURA

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
1	अगरतला Agartala	आईसीपी अगरतला ICP Agartala	0	3400	13350	0	16750
2	अगरतला (पश्चिम) Agartala (West)	अगरतला Agartala	19250	0	3677	0	22927
3	अगरतला (पश्चिम) Agartala (West)	अगरतला सीएस Agartala CS	4750	0	0	0	4750
		कुल (3) Total (3)	**24000**	**3400**	**17027**	**0**	**44427**
		क्षेत्र की कुल क्षमताः (11) Region Total : (11)	**111350**	**3400**	**19385**	**5000**	**139135**

क्षेत्र – हैदराबाद
REGION : HYDERABAD

राज्य : आंध्र प्रदेश
STATE : ANDHRA PRADESH

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
1	अनंथपुर Ananthapur	अनंथपुर Ananthapur	0	7700	0	0	7700
2	चित्तूर Chittoor	रेनीगुन्टा Renigunta	20000	0	0	0	20000
3	गोदावरी (पूर्व) Godawari (East)	काकीनाडा Kakinada	30000	0	0	0	30000
4	गोदावरी (पूर्व) Godawari (East)	राजामुन्द्री Rajahmundry	50000	0	717	0	50717
5	गोदावरी (पश्चिम) Godawari (West)	टाडेपालीगुडम Tadepalligudem	72000	0	2152	0	74152
6	गुन्टूर Guntur	डुग्गीराला Duggirala	10100	0	0	0	10100
7	गुन्टूर Guntur	गुन्टूर Guntur	27920	0	0	0	27920
8	गुन्टूर Guntur	पैडाकाकनी Pedakakani	75750	0	0	0	75750
9	गुन्टूर Guntur	सतनापल्ली Sattenapalli	5000	0	0	0	5000
10	गुन्टूर Guntur	वाडलामुडी Vadlamudi	35000	0	0	0	35000
11	कडापा Kadapa	कडापा Kadapa	25000	0	0	0	25000
12	कृष्णा Krishna	गुडीवाडा Gudivada	40000	0	0	0	40000
13	कृष्णा Krishna	कैकालूर Kaikalur	20280	0	0	0	20280
14	कृष्णा Krishna	मछलीपटनम Machilipatnam	49030	0	0	0	49030
15	कृष्णा Krishna	निदामानूर Nidamanur	47500	0	0	0	47500
16	कृष्णा Krishna	रायनापाडु Rayanapadu	64160	0	0	0	64160
17	कृष्णा Krishna	विजयवाड़ा–I Vijaywada-I	5600	0	0	0	5600
18	कृष्णा Krishna	विजयवाड़ा–II Vijaywada-II	15000	0	0	0	15000
19	कुरनूल Kurnool	अडोनी Adoni	22520	3128	0	0	25648
20	कुरनूल Kurnool	नंदीकोटकूर Nandikotkur	10000	0	0	0	10000
21	कुरनूल Kurnool	नंदयाल Nandyal	43000	0	0	0	43000

क्षेत्र – हैदराबाद
REGION : HYDERABAD

राज्य : आंध्र प्रदेश
STATE : ANDHRA PRADESH

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
22	नेल्लोर Nellore	नेल्लोर Nellore	48000	0	0	0	48000
23	प्रकाशम Prakasam	ओंगल Ongole	10000	0	0	0	10000
24	विजाग Vizag	अनकापल्ली Ankapally	10000	0	0	0	10000
25	विजाग Vizag	सीएफएस–विजाग CFS Vizag	8335	0	35165	0	43500
26	विजाग Vizag	विजाग–I Vizag-I	6500	0	14400	0	20900
		कुल (26) Total (26)	**750695**	**10828**	**52434**	**0**	**813957**

क्षेत्र – हैदराबाद
REGION : HYDERABAD

राज्य : तेलंगाना
STATE : TELANGANA

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
1	अदीलाबाद Adilabad	अदीलाबाद Adilabad	35000	10150	0	65606	110756
2	हैदराबाद Hyderabad	नामपल्ली Nampally	12000	0	0	0	12000
3	करीमनगर Karimnagar	करीमनगर–I Karimnagar-I	28400	0	0	20000	48400
	करीमनगर Karimnagar	करीमनगर–II Karimnagar-II	30000	0	0	0	30000
4	मेडक Medak	मेडक Medak	11250	0	0	0	11250
5	मेडक Medak	सिद्धिपेट Siddipet	17290	0	0	10000	27290
6	महबूबनगर Mehboobnagar	गड़वाल (पीईजी) Gadwal (PEG)	20000	0	0	0	20000
7	महबूबनगर Mehboobnagar	महबूबनगर Mehboobnagar	40000	0	0	0	40000
8	नालगोण्डा Nalgonda	चित्याल Chityal	8600	0	0	71530	80130
9	नालगोण्डा Nalgonda	सूर्यापेट Suryapet	60000	0	0	22710	82710
10	निजामाबाद Nizamabad	बोधन (पीईजी) Bodhan (PEG)	64305	0	0	0	64305
11	निजामाबाद Nizamabad	निजामाबाद Nizamabad	31000	0	0	0	31000
12	निजामाबाद Nizamabad	सारंगपुर Sarangpur	41000	0	0	0	41000

क्षेत्र – हैदराबाद | राज्य : तेलंगाना

REGION : HYDERABAD | STATE : TELANGANA

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
13	रंगारेड्डी Rangareddi	सीएफएस कुकटपल्ली CFS Kukatpally	0	6157	16725	0	22882
14	रंगारेड्डी Rangareddi	सीएफएस कुकटपल्ली बीओ CFS Kukatpally BO	0	5716	0	0	5716
15	रंगारेड्डी Rangareddi	सनाथनगर–फ्लाईओवर Sanathnagar FO	0	4611	0	10000	14611
16	वारंगल Warangal	जनगांव Jangaon	7590	0	0	15000	22590
17	वारंगल Warangal	वारंगल–I Warangal-I	21002	0	0	40261	61263
		कुल (17) Total (17)	**427437**	**26634**	**16725**	**255107**	**725903**
		क्षेत्र की कुल क्षमताः (43) Region Total : (43)	**1178132**	**37462**	**69159**	**255107**	**1539860**

क्षेत्र – जयपुर | राज्य : राजस्थान

REGION : JAIPUR | STATE : RAJASTHAN

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
1	अजमेर Ajmer	बेवाड़ Beawar	0	14849	0	0	14849
2	अलवर Alwar	अलवर Alwar	0	853	0	0	853
3	बांसवाड़ा Banswara	कुशलगढ़ Kushalgarh	3400	0	0	0	3400
4	बारन Baran	बारन Baran	20000	0	0	0	20000
5	भरतपुर Bharatpur	भरतपुर Bharatpur	11829	0	4483	0	16312
6	बीकानेर Bikaner	बीकानेर–I Bikaner-I	25400	0	0	0	25400
7	बीकानेर Bikaner	बीकानेर–II Bikaner-II	25000	0	0	0	25000
8	चौमू Chomu	चौमू Chomu	25000	0	0	0	25000
9	दौसा Dausa	महावा Mahwa	0	8820	0	0	8820
10	गंगानगर Ganganagar	सूरतगढ़ Suratgarh	0	10080	0	0	10080
11	हनुमानगढ़ Hanumangarh	हनुमानगढ़–I Hanumangarh -I	20700	0	0	0	20700

क्षेत्र – जयपुर
REGION : JAIPUR

राज्य : राजस्थान
STATE : RAJASTHAN

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
12	हनुमानगढ़ Hanumangarh	हनुमानगढ़–II Hanumangarh-II	45000	0	0	0	45000
13	हनुमानगढ़ Hanumangarh	टिब्बी Tibbi	0	10000	0	0	10000
14	जयपुर Jaipur	कोटपुतली Kotputli	10000	0	0	0	10000
15	जयपुर Jaipur	सीतापुरा–I Sitapura-I	6800	0	8070	0	14870
16	जयपुर Jaipur	सीतापुरा–II Sitapura-II	20000	0	0	0	20000
17	झुंझुंनू Jhunjhunu	झुंझुंनू Jhunjhunu	15000	0	0	0	15000
18	कोटा Kota	कोटा–I Kota-I	30325	0	0	0	30325
19	कोटा Kota	कोटा–II Kota-II	45000	0	717	0	45717
20	कोटा Kota	कोटा–III Kota-III	35000	0	0	0	35000
21	नागौर Nagaur	नागौर Nagaur	0	7401	0	0	7401
22	नागौर Nagaur	परबतसर Parbatsar	0	28093	0	0	28093
23	सीकर Sikar	सीकर Sikar	15000	0	0	0	15000
24	सीकर Sikar	श्रीमाधोपुर Srimadhopur	20600	0	0	0	20600
25	श्रीगंगानगर Sriganganagar	केसरीसिंहपुर Kesrisinghpur	0	10176	0	0	10176
26	श्रीगंगानगर Sriganganagar	रायसिंहनगर Raisinghnagar	0	8400	0	0	8400
27	श्रीगंगानगर Sriganganagar	श्रीगंगानगर–I Sriganganagar-I	25200	0	0	0	25200
28	श्रीगंगानगर Sriganganagar	श्रीगंगानगर–II Sriganganagar-II	33000	0	1919	0	34919
29	टोंक Tonk	देवली Deoli	10000	0	0	0	10000
30	उदयपुर Udaipur	उदयपुर Udaipur	8450	0	0	0	8450
		कुल (30) Total (30)	**450704**	**98672**	**15189**	**0**	**564565**

क्षेत्र – कोच्चि
REGION : KOCHI

राज्य : केरल
STATE : KERALA

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
1	एर्नाकुलम Ernakulam	ईडाथाला, अलुआ Edathala, Aluva	11700	0	0	0	11700
2	एर्नाकुलम Ernakulam	एर्नाकुलम Ernakulam	14065	0	0	0	14065
3	एर्नाकुलम Ernakulam	कक्कानाड Kakkanad	21850	0	223	0	22073
4	एर्नाकुलम Ernakulam	कोच्चि Kochi	5030	0	0	0	5030
5	कन्नूर Kannur	कन्नूर Kannur	5200	0	0	0	5200
6	कोझिक्कोड Kozikode	कोझिक्कोड/नाडूवन्नूर Kozikode/ Naduvannur	12254	0	0	0	12254
7	मल्लापुरम Malappuram	कक्कनचेरी Kakkancherry	10000	0	0	0	10000
8	पालाकड Pallakad	कांजीकोड/पालाकड Kanjikode/Pallakad	15000	0	0	0	15000
9	पथानमथिट्टा Pathanamthitta	कुनमथनम (पीईजी) Kunnamthanam (PEG)	10000	0	0	0	10000
10	त्रिचूर Trichur	त्रिचूर Trichur	32590	0	0	0	32590
11	त्रिवेन्द्रम Trivandrum	त्रिवेन्द्रम Trivandrum	19000	0	0	0	19000
		कुल (11) Total (11)	**156689**	**0**	**223**	**0**	**156912**

क्षेत्र – कोलकाता
REGION : KOLKATA

राज्य : पश्चिम बंगाल
STATE : WEST BENGAL

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
1	24 परगना (एन) 24 Parganas (N)	पानीहाती Panihati	33007	0	1393	3500	37900
2	24 परगना (एन) 24 Parganas (N)	पैट्रापोल Petrapole	14870	0	206617	0	221487
3	24 परगना (एन) 24 Parganas (N)	बोनहुगली Bonhooghly	31110	0	0	0	31110
4	बांकुरा Bankura	बिशनुपुर Bishnupur	16000	0	0	0	16000
5	बर्द्धवान Burdwan	बर्द्धवान–II Burdwan-II	5405	16683	0	0	22088
6	बर्द्धवान Burdwan	सरूल Sarul	26700	0	0	0	26700

क्षेत्र – कोलकाता
REGION : KOLKATA

राज्य : पश्चिम बंगाल
STATE : WEST BENGAL

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
7	कूच बिहार Cooch Behar	कूच बिहार Cooch Behar	6460	0	0	0	6460
8	दार्जलिंग Darjeeling	माटीगारा Matigara	5000	0	0	0	5000
9	हुगली Hooghly	मोगरा (गौरा) Mogra (Goara)	11500	0	0	0	11500
10	हावड़ा Howrah	पंचपारा Panchpara	18120	0	0	7000	25120
11	हावड़ा Howrah	उलबेरिया (पीईजी) Uluberia (PEG)	37590	0	0	0	37590
12	जलपायगुडी Jalpaiguri	रानी नगर (पीईजी) Raninagar (PEG)	20000	0	0	0	20000
13	कोलकाता Kolkata	सीएफएस–कोलकाता CFS-Kolkata	19730	0	30750	0	50480
14	कोलकाता Kolkata	आयात–निर्यात, कोलकाता Import-Export, Kolkata	35250	0	8652	0	43902
15	कोलकाता Kolkata	कान्तापुकुर Kantapukur	0	25151	0	0	25151
16	कोलकाता Kolkata	स्ट्रेंड बैंक रोड Strand Bank Road	0	6092	0	0	6092
17	कोलकाता Kolkata	तारातल्ला रोड Taratolla Road	4183	4825	0	0	9008
18	मालदा Malda	मालदा Malda	17400	0	0	0	17400
19	मिदनापुर (पूर्व) Midnapore (E)	हल्दिया Haldia	15000	0	0	0	15000
20	मिदनापुर (पूर्व) Midnapore (E)	दुर्गाचक Durgachak	32400	0	0	0	32400
21	मिदनापुर (प.) Midnapore (W)	बेलदा Belda	5645	0	0	0	5645
22	मिदनापुर (प.) Midnapore (W)	चन्द्रकोना रोड (पीईजी) Chandrakona Road (PEG)	31600	0	0	0	31600
23	मिदनापुर (प.) Midnapore (W)	खड़गपुर (पीईजी) Kharagpur (PEG)	32600	0	0	0	32600
24	मुर्शिदाबाद Murshidabad	बरहामपुर (पीईजी) Berhampore (PEG)	31600	0	0	0	31600
25	मुर्शिदाबाद Murshidabad	सरगाची (पीईजी) Sargachi (PEG)	17400	0	0	0	17400
		कुल (25) Total (25)	**468570**	**52751**	**247412**	**10500**	**779233**

क्षेत्र – लखनऊ
REGION : LUCKNOW

राज्य : उत्तर प्रदेश
STATE : UTTAR PRADESH

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
1	बहराइच Bahraich	बहराइच Bahraich	11570	0	0	0	11570
2	इलाहाबाद Allahabad	नैनी (पीईजी) Naini (PEG)	25600	0	0	0	25600
3	बलिया Ballia	बलिया Ballia	40250	0	0	0	40250
4	बांदा Banda	बांदा Banda	8500	0	0	0	8500
5	बस्ती Basti	बस्ती Basti	35640	0	0	0	35640
6	बिजनौर Bijnore	बिजनौर Bijnore	21730	0	0	0	21730
7	बुलन्दशहर Bulandshahar	जहांगीराबाद–I Jahangirabad-I	10000	0	0	0	10000
8	बुलन्दशहर Bulandshahar	जहांगीराबाद–II Jahangirabad-II	15000	0	0	0	15000
9	इटावा Etawah	इटावा Etawah	21940	0	0	0	21940
10	फैजाबाद Faizabad	फैजाबाद Faizabad	7750	0	0	0	7750
11	गौतमबुद्ध नगर Gautambudh Nagar	दादरी Dadri	19000	0	0	0	19000
12	गाजियाबाद Ghaziabad	गाजियाबाद–I Ghaziabad-I	16920	0	0	0	16920
13	गोरखपुर Gorakhpur	गोरखपुर Gorakhpur	29700	7500	0	0	37200
14	हरदोई Hardoi	हरदोई (पीईजी) Hardoi (PEG)	43200	0	0	0	43200
15	जौनपुर Jaunpur	शाहगंज Shahganj	50000	0	3400	0	53400
16	झाँसी Jhansi	चिरगांव Chirgaon	14450	0	0	0	14450
17	झाँसी Jhansi	झाँसी Jhansi	15240	0	0	0	15240
18	कानपुर Kanpur	आईसीडी–कानपुर ICD Kanpur	5000	0	3575	0	8575
19	कानपुर Kanpur	कानपुर सीबी Kanpur CB	0	4677	4412	0	9089
20	खीरी Kheeri	गोला गोकरनाथ Gola Gokarnath	15800	0	0	0	15800
21	लखनऊ Lucknow	लखनऊ–I Lucknow-I	26400	0	0	0	26400

क्षेत्र – लखनऊ　　　　　　　　　　　　　　　　राज्य : उत्तर प्रदेश

REGION : LUCKNOW　　　　　　　　　　　　　　　STATE : UTTAR PRADESH

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
22	लखनऊ Lucknow	लखनऊ–II Lucknow-II	7500	0	0	0	7500
23	मउ Mau	मउनाथ भंजन Maunath Bhanjan	14980	0	0	0	14980
24	मुरादाबाद Moradabad	चंदौसी–I Chandausi-I	16140	0	0	0	16140
25	मुरादाबाद Moradabad	चंदौसी–II Chandausi-II	10640	0	0	0	10640
26	मुजफ्फरनगर Muzaffar Nagar	मुजफ्फरनगर बीडी Muzaffar Nagar BD	150000	0	0	0	150000
27	मुजफ्फरनगर Muzaffar Nagar	मुजफ्फरनगर –I Muzaffar Nagar-I	31450	0	0	0	31450
28	मुजफ्फरनगर Muzaffar Nagar	शामली Shamli	5000	0	0	0	5000
29	पीलीभीत Pilibhit	बीसलपुर Bisalpur	8970	0	0	0	8970
30	रामपुर Rampur	रामपुर Rampur	24400	0	0	0	24400
31	रविदास नगर Ravidas Nagar	भदोई Bhadohi	5000	0	0	0	5000
32	सहारनपुर Saharanpur	सहारनपुर बीडी Saharanpur BD	55000	0	0	0	55000
33	सहारनपुर Saharanpur	सहारनपुर –I Saharanpur-I	26300	0	3016	0	29316
34	शाहजहाँपुर Shahjahanpur	शाहजहाँपुर Shahjahanpur	45700	0	0	0	45700
35	सिद्वार्थनगर Sidharthnagar	डूमरियागंज Dumariaganj	10000	0	0	0	10000
36	सोनभद्र Sonebhadra	रॉबर्ट्सगंज Robertsganj	5000	0	0	0	5000
		कुल (36) Total (36)	849770	12177	14403	0	876350

क्षेत्र – लखनऊ　　　　　　　　　　　　　　　　राज्य : उत्तराखण्ड

REGION : LUCKNOW　　　　　　　　　　　　　　　STATE : UTTARAKHAND

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
1	पौड़ी (गढ़वाल) Pauri (Garhwal)	श्रीनगर Sri Nagar	7900	0	0	0	7900
2	ऊधम सिंह नगर Udham Singh Nagar	बाजपुर Bazpur	13860	0	0	0	13860
3	ऊधम सिंह नगर Udham Singh Nagar	जसपुर Jaspur	15200	0	0	0	15200

क्षेत्र – लखनऊ
REGION : LUCKNOW

राज्य : उत्तराखण्ड
STATE : UTTARAKHAND

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
4	ऊधम सिंह नगर Udham Singh Nagar	काशीपुर–I Kashipur-I	11530	0	0	0	11530
5	ऊधम सिंह नगर Udham Singh Nagar	काशीपुर–II Kashipur-II	10000	0	0	0	10000
6	ऊधम सिंह नगर Udham Singh Nagar	खटीमा Khatima	6700	7070	0	0	13770
		कुल (6) Total (6)	**65190**	**7070**	**0**	**0**	**72260**
		क्षेत्र की कुल क्षमताः (42) Region Total : (42)	**914960**	**19247**	**14403**	**0**	**948610**

क्षेत्र – मुंबई
REGION : MUMBAI

राज्य : महाराष्ट्र
STATE : MAHARASHTRA

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
1	अहमदनगर Ahmednagar	पुनतांबा Puntamba	0	13192	0	0	13192
2	अकोला Akola	अकोला–I Akola-I	17420	0	0	0	17420
3	अकोला Akola	अकोला–II Akola-II	27400	0	0	0	27400
4	अमरावती Amravati	अमरावती Amravati	28920	0	0	0	28920
5	अमरावती Amravati	बाडनेरा (पीईजी) Badnera (PEG)	0	25000	0	0	25000
6	औरंगाबाद Aurangabad	चिकलथाना Chikalthana	6122	0	0	0	6122
7	औरंगाबाद Aurangabad	मालीवाडा (पीईजी) Maliwada (PEG)	0	25000	0	0	25000
8	औरंगाबाद Aurangabad	वालूज–आईसीडी Waluj-ICD	4947	0	0	0	4947
9	गोंडिया Gondia	गोंडिया–I Gondia-I	10350	0	0	0	10350
10	गोंडिया Gondia	गोंडिया–II (पीईजी) Gondia-II (PEG)	15000	0	0	0	15000
11	जलगांव Jalgaon	जलगांव Jalgaon	0	8494	0	0	8494
12	कोल्हापुर Kolhapur	कोल्हापुर–I Kolhapur-I	11250	0	0	0	11250
13	कोल्हापुर Kolhapur	कोल्हापुर–II Kolhapur-II	20000	0	0	0	20000
14	मुम्बई Mumbai	एम.एस.–जेठा M.S Jetha	4500	0	0	0	4500

क्षेत्र – मुंबई
REGION : MUMBAI

राज्य : महाराष्ट्र
STATE : MAHARASHTRA

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
15	मुम्बई Mumbai	वाडला Wadala	10500	0	2235	0	12735
16	नागपुर Nagpur	नागपुर Nagpur	14500	0	0	0	14500
17	नांदेड़ Nanded	नांदेड Nanded	0	36948	0	0	36948
18	नासिक Nasik	अम्बद–II Ambad-II	0	9314	0	0	9314
19	नासिक Nasik	अम्बद (नासिक)–I Ambad (Nasik)-I	10000	0	2905	0	12905
20	नासिक Nasik	नासिक रोड Nasik Road	19660	0	0	0	19660
21	पुणे Pune	पुणे–I सीएफएस–किर्लोस्कर Pune-I CFS-Kirloskar	12500	0	6325	3996	22821
22	सांगली Sangli	मिराज Miraj	10000	0	0	0	10000
23	सांगली Sangli	मिराज बीडी Miraj BD	80000	0	0	0	80000
24	सांगली Sangli	सांगली Sangli	16060	0	0	0	16060
25	थाणे Thane	अम्बरनाथ–I Ambernath-I	5000	0	0	0	5000
26	थाणे Thane	वाशी Vashi	76890	395	17325	0	94610
27	वाशिम Washim	करंजा Karanja	0	4016	0	0	4016
28	वाशिम Washim	वाशिम (पीईजी) Washim (PEG)	0	30000	0	0	30000
29	यवतवाल Yavatmal	यवतवाल (पीईजी) Yavatmal (PEG)	20000	0	0	0	20000
		कुल (29) Total (29)	**421019**	**152359**	**28790**	**3996**	**606164**

क्षेत्र – मुम्बई
REGION : MUMBAI

राज्य : महाराष्ट्र
STATE : MAHARASHTRA

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
1	रायगढ़ Raigad	सीएफएस डी नोड CFS D'Node	78163	0	68190	0	146353
2	रायगढ़ Raigad	सीएफएस डिस्ट्रीपार्क CFS-Distripark	33050	0	84561	0	117611

क्षेत्र – मुंबई
REGION : MUMBAI

राज्य : महाराष्ट्र
STATE : MAHARASHTRA

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
3	रायगढ़ Raigad	लॉजिस्टिक पार्क/ 30 हैक्टर Logistic Park/30 hector	50451	0	300000	0	350451
4	रायगढ़ Raigad	सीएफएस इम्पेक्स पार्क CFS-Impex Park	11808	0	40350	0	52158
5	रायगढ़ Raigad	आईआरटी कालम्बोली IRT-Kalamboli	20000	0	45200	1255	66455
		कुल (5) Total (5)	**193472**	**0**	**538301**	**1255**	**733028**

क्षेत्र – मुम्बई
REGION : MUMBAI

राज्य : गोवा
STATE : GOA

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
1	गोवा Goa	वेरना, गोवा, आईसीडी Verna, Goa, ICD	12402	0	12092	0	24494
2	गोवा Goa	गोवा Goa	11902	0	0	0	11902
		कुल (2) Total (2)	**24304**	**0**	**12092**	**0**	**36396**
		क्षेत्र की कुल क्षमताः (36) Region Total : (36)	**638795**	**152359**	**579183**	**5251**	**1375588**

क्षेत्र – पटना
REGION : PATNA

राज्य : बिहार
STATE : BIHAR

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
1	कैमूर Kaimur	मोहनिया Mohania	4950	0	1793	0	6743
2	कटिहार Katihar	कटिहार Katihar	8000	0	0	0	8000
3	किशनगंज Kishanganj	किशनगंज Kishanganj	12000	0	0	0	12000
4	मधेपुरा Madhepura	मधेपुरा Madhepura	4211	0	0	0	4211
5	मुंगेर Munger	खगड़िया (पीईजी) Khagaria (PEG)	10000	0	0	0	10000
6	मुंगेर Munger	मुंगेर (पीईजी) Munger (PEG)	17787	0	0	0	17787
7	पटना Patna	दरभंगा Darbhanga	6220	0	0	0	6220

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
8	पटना Patna	फतूहा Fatuha	4500	0	1793	0	6293
9	पटना Patna	मोकामा Mokama	5000	0	1793	0	6793
10	पटना Patna	मुसल्लापुर Musallapur	7487	0	0	0	7487
11	पटना Patna	पटना सिटी Patna City	6500	0	0	0	6500
12	रोहतास Rohtas	नोखा Nokha	6220	0	0	0	6220
13	समस्तीपुर Samastipur	समस्तीपुर Samastipur	17650	0	0	0	17650
14	सिवान Siwan	सिवान Siwan	0	14854	0	0	14854
15	सुपौल Supaul	सुपौल Supaul	6280	0	0	0	6280
16	वैशाली Vaishali	गौरल Goraul	0	4400	0	0	4400
17	पश्चिमी चम्पारन West Champaran	बेतिया (पीईजी) Bettiah (PEG)	20000	0	0	0	20000
		कुल (17) Total (17)	**136805**	**19254**	**5379**	**0**	**161438**

क्षेत्र – पटना
REGION : PATNA

राज्य : झारखण्ड
STATE : JHARKHAND

क्र. सं. S. No.	जिला District	वेअरहाउस Warehouse	निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	प्रबंधन Mgmt	कुल Total
1	हजारी बाग Hazaribagh	हजारी बाग Hazaribagh	15300	0	0	0	15300
2	जमशेदपुर Jamshedpur	जमशेदपुर Jamshedpur	5800	1687	6667	0	14154
3	रांची Ranchi	रांची Ranchi	14650	0	13240	0	27890
		कुल (3) Total (3)	**35750**	**1687**	**19907**	**0**	**57344**
		क्षेत्र की कुल क्षमताः (20) Reg Total: (20)	**172555**	**20941**	**25286**	**0**	**218782**
422		**कुल योग Grand Total**	7865353	648185	1388449	284444	10186431

केंद्रीय भंडारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन–पत्र एवं लाभ तथा हानि लेखा

सामान्य निधि

62वीं वार्षिक रिपोर्ट 2018–2019

31 मार्च, 2019 को तुलन पत्र (सामान्य निधि)

पूंजी एवं देयताएं	अनुसूची के अनुसार		31.03.2019 को ₹	31.03.2018 को ₹
अंश पूंजी	I		680,210,000	680,210,000
आरक्षित पूंजी				
–धारा 30 (1) के अधीन आरक्षित निधि	IV		19,654,238,980	18,565,098,108
–अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित	V		2,720,725,679	2,519,861,695
– अन्य आरक्षित	VI			
–आरक्षित पूंजी		-		45,954
–हितकारी निधि के लिए आरक्षित		16,360,523		3,187,533
–अनुसंधान एवं विकास निधि के लिए आरक्षित		-	16,360,523	28,994,266
कर्मचारी लाभ बाध्यता के लिए आरक्षित निधि	VII			
–सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ बाध्यता		625,669,608		2,097,339,182
–छुट्टी लाभ बाध्यता		1,291,044,809	1,916,714,417	1,408,589,572
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान			102,900,000	201,002,028
– बकाया देयताएं एवं प्रावधान				
– बकाया देयताएं	VIII		5,301,069,458	5,236,892,209
– वेतन और भत्तों के लिए प्रावधान	IX		1,045,384,806	1,250,229,577
आस्थगित कर देयता (निवल)			547,267,201	315,130,595
आयकर के लिए प्रावधान			163,836,157	315,953,568
अदावाकृत लाभांश			435,022	55,895
कुल			**32,149,142,243**	**32,622,590,182**

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते रमेश सी अग्रवाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन– 001770सी

(सौम्य अग्रवाल)
पार्टनर
सदस्यता सं. 416438

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 26 अगस्त, 2019

31 मार्च, 2019 को तुलन पत्र (सामान्य निधि)

संपत्ति एवं परिसंपत्तियां	अनुसूची के अनुसार		31.03.2019 को ₹	31.03.2018 को ₹
स्थायी परिसम्पत्ति	II		14,883,415,732	14,229,265,229
निवेश (लागत पर)	III			
– राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन		617,938,400		617,938,400
– अन्य		488,889,773	1,106,828,173	488,889,773
निवेशों पर उपार्जित आय	X		35,432,640	35,775,685
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ आरक्षित निधि निवेश			625,669,608	2,097,339,182
छुट्टी लाभ आरक्षित निधि निवेश			1,291,044,809	1,408,589,572
चालू परिसम्पत्तियाँ				
– स्टोर्स एवं स्पेयर्स	XI	60,738,978		60,487,210
– भंडारण एवं अन्य शुल्क उपार्जित		624,955,019		552,342,690
– विविध देनदार	XII			
प्राप्त माना		3,097,435,888		4,093,099,219
संदिग्ध माना		2,447,733,484		2,191,014,612
–ऋण एवं अग्रिम	XIII			
प्राप्त माना		224,351,361		711,443,401
–अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	XIV			
प्राप्त माना		2,138,232,508		1,964,950,532
संदिग्ध माना		237,559,555	8,831,006,793	293,131,454
नकद एवं बैंक शेष	XV		5,364,916,664	3,865,329,834
अपरिशोधित व्यय	XVI		10,827,824	12,993,389
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	XXXI			
लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियां	XXXII			
कुल			**32,149,142,243**	**32,622,590,182**

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लेखों का अभिन्न भाग है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(एस. चार्ल्स)
निदेशक (वित्त)

(अरुण कुमार श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का लाभ तथा हानि लेखा (सामान्य निधि)

व्यय	अनुसूची के अनुसार	इस वर्ष 31.03.2019 ₹	गत वर्ष 31.03.2018 ₹
वेअरहाउसिंग लाइसेंस फीस		7,013,923	7,389,594
रसायनों, कवर्स और डनेज का उपयोग	XVII	125,164,599	128,249,528
वेतन तथा भत्ते (प्रावधान सहित)	XVIII	5,144,878,932	5,562,151,850
यात्रा भत्ते इत्यादि	XIX	64,081,875	55,609,296
स्थापना (अन्य)		981,494,447	934,166,079
मजदूरी		164,185,763	142,029,333
मरम्मत एवं रख–रखाव	XX	300,665,861	394,995,249
किराया, दरें तथा कर	XXI	580,135,524	686,222,398
बीमा		236,722,391	230,554,577
मुद्रण तथा लेखन सामग्री		23,104,321	20,682,068
विविध खर्चे	XXII	746,886,600	792,808,576
विपणन सुसाध्य खर्चे		3,731,951,176	4,146,163,375
कंटेनर रेल परिवहन(सीआरटी) परिचालन खर्चे		156,533,082	461,281,419
बैंक प्रभार		799,019	534,631
ब्याज (खर्चे)	XXIII	10,370,274	43,998,699
सी.एस.आर. एवं सुस्थिर विकास व्यय		40,265,213	52,808,980
निदेशकों का पारिश्रमिक (शुल्क, यात्रा भत्ते इत्यादि)		1,580,512	1,594,925
लेखा परीक्षकों का शुल्क एवं खर्चे	XXIV	7,797,149	9,114,620
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि/बट्टे खाते डाली परिसम्पत्तियाँ		14,198,591	31,998,005
अशोध्य ऋण बट्टे खाते में		8,694,323	600,864
मूल्यह्रास/परिशोधन		869,008,178	1,337,500,488
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षण		589,462,819	461,175,338
		13,804,994,572	15,501,629,892
वर्ष के लिए लाभ		2,241,239,169	327,740,948
कुल		**16,046,233,741**	**15,829,370,840**
वर्ष के लिए लाभ		2,241,239,169	327,740,948
घटाया : पूर्व अवधि समायोजन (निवल)	XXV	(12,956,035)	51,587,895
कर पूर्व लाभ		2,254,195,204	276,153,053
घटाया : कर व्यय	XXVI	618,142,927	(42,600,224)
कर के बाद लाभ अधोनीत		1,636,052,277	318,753,277
प्रति अंश अर्जन			
मूल		2,405.22	468.61
मिश्रित		2,405.22	468.61

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते रमेश सी अग्रवाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन– 001770सी

(सौम्य अग्रवाल)
पार्टनर
सदस्यता सं. 416438

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 26 अगस्त, 2019

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का लाभ तथा हानि लेखा (सामान्य निधि)

व्यय	अनुसूची के अनुसार	इस वर्ष 31.03.2019 ₹	गत वर्ष 31.03.2018 ₹
वेअरहाउसिंग प्रभार (आय)	XXVII	9,522,455,053	8,400,177,136
विपणन सुसाध्य आय		4,368,434,529	4,936,403,931
कंटेनर रेल परिवहन (सीआरटी) परिचालन से आय		169,068,136	526,778,126
रणनीतिक भागीदारी के अन्तर्गत सीएफएस/आईसीडी से आय		579,997,482	612,438,770
पैस्ट नियंत्रण सेवाओं से आय		170,801,278	162,389,273
ब्याज (आय)	XXVIII	529,217,954	624,768,281
लाभांश आय	XXIX	252,942,703	159,763,997
विविध प्राप्तियां	XXX	398,188,371	386,615,624
अधिक देयता, प्रावधान एवं मूल्यह्रास पुरांकित		12,552,514	19,473,371
परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ		42,575,721	562,331
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	XXXI		
लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ	XXXII		
कुल		**16,046,233,741**	**15,829,370,840**

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लेखों का अभिन्न भाग है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(एस. चार्ल्स)
निदेशक (वित्त)

(अरुण कुमार श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का लाभ तथा हानि विनियोजन लेखा (सामान्य निधि)

विवरण	इस वर्ष	गत वर्ष
को		
विनियोजन		
धारा 30 (1) के अधीन आरक्षित निधि	1,060,044,757	-
अन्य निधि		
i) हितकारी निधि के लिए आरक्षित	20,060,523	3,187,533
ii) सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ के लिए आरक्षित निधि (आय कर देयता पर निवल ब्याजं)	89,828,958	90,582,451
iii) छुट्टी लाभ के लिए आरक्षित निधि (आय कर देयता पर निवल ब्याजं)	63,095,685	74,196,897
वर्ष 2017–18 के लिए अतिरिक्त लाभांश का भुगतान	101,231,292	-
वर्ष के लिए अन्तरिम लाभांश का भुगतान	237,914,670	217,521,984
वितरित लाभों पर कर	63,876,392	31,896,765
तुलन–पत्र में ले जाया गया शेष	-	-
कुल	**1,636,052,277**	**417,385,630**

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते रमेश सी अग्रवाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन– 001770सी

(सौम्य अग्रवाल)
पार्टनर
सदस्यता सं. 416438

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 26 अगस्त, 2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का लाभ तथा हानि विनियोजन लेखा (सामान्य निधि)

विवरण	इस वर्ष	गत वर्ष
द्वारा		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	-	72,446
कर में कमी पश्चात् लाभ	1,636,052,277	318,753,277
धारा 30 (1) के अधीन आरक्षित निधि से अंतरण	-	97,393,673
अनुसंधान एवं विकास निधि के लिए आरक्षित से अंतरण	-	1,166,234
कुल	**1,636,052,277**	**417,385,630**

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(एस. चार्ल्स)
निदेशक (वित्त)

(अरुण कुमार श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक

2018-2019

लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियां (सामान्य निधि)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियां (सामान्य निधि)

अनुसूची : I. अंश सूची

राशि (रु में)

		इस वर्ष 31.03.2019 ₹	गत वर्ष 31.03.2018 ₹
क)	प्राधिकृत	100,00,00,000	100,00,00,000
	प्रत्येक 1000/– रु. 1000000 अंश		
ख)	निर्गमित	74,52,50,000	74,52,50,000
	745250 अंश प्रत्येक 1000/– रु.		
ग)	अभिदत्त	74,52,50,000	74,52,50,000
	745250 अंश प्रत्येक 1000/– रु.		
घ)	मांगी गई एवं प्रदत्त		
	i. 663950 अंश प्रत्येक 1000/– रु. पूर्ण आमंत्रित एवं प्रदत्त	663,950,000	66,39,50,000
	ii. 81300 अंश प्रत्येक 1000/– रु. प्रति अंश 200/– रु. मांगी गई एवं प्रदत्त	16,260,000	1,62,60,000
	कुल	680,210,000	68,02,10,000

क्र. सं.	अंशधारी	अंशों की संख्या	निर्गमित एवं अभिदत्त ₹	मांगी गई एवं प्रदत्त ₹
1	केन्द्र सरकार	374,250	374,250,000	374,250,000
2	भारतीय स्टेट बैंक	177,140	177,140,000	147,940,000
3	अन्य अनुसूचित बैंक	140,843	140,843,000	108,704,600
4	सहकारी समितियाँ	1,045	1,045,000	1,026,600
5	भारतीय जीवन बीमा निगम सहित बीमा कंपनियाँ	51,454	51,454,000	47,774,000
6	कृषि उत्पाद का व्यापार करने वाली मान्यता प्राप्त संस्थाएँ	71	71,000	71,000
7	कृषि उत्पाद आदि का व्यापार करने वाली कंपनियाँ	5	5,000	5,000
	कुल	**744,808**	**744,808,000**	**679,771,200**
8	सहकारी समितियाँ (अयोग्य अंशधारी) अनुज्ञेय श्रेणी के अंशधारियों को लम्बित हस्तांतरण (टिप्पणी सं. (i) देखें)	442	442,000	438,800
		745,250	745,250,000	680,210,000
	गत वर्ष	**7,45,250**	**745,250,000**	**680,210,000**

टिप्पणी :

(i) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, जो वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन्स अधिनियम, 1962 की धारा 2 (घ) के अनुसार अंशधारी रहने के योग्य नहीं हैं, को अनुज्ञेय श्रेणी के अधीन अंशधारियों के रूप में अयोग्य घोषित किया गया है। अनुज्ञेय श्रेणी के अंशधारियों को इन अयोग्य अंशधारियों के अंशों का हस्तांतरण लंबित क्रम सं. 8 यानि सहकारी समितियों (अयोग्य अंशधारी) के अधीन दर्शाया गया है। वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन्स नियम, 1963 के नियम 26 (3) के अनुसार ऐसे अंशों के लिए लाभांश का भुगतान नहीं किया जा सकता।

अनुसूची : II. स्थायी परिसंपत्तियां

राशि (रु में)

क्र. सं.	विवरण	लागत			
		31.03.2018 तक सकल राशि ₹	वर्ष के दौरान जोड़ी गई ₹	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन ₹	31.03.2019 तक ₹
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण					
मूर्त संपत्ति					
1	भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	680,920,234	396,994,635	(18,802)	1,077,896,067
2	भूमि (पट्टे पर)	2,812,430,704	298,487,992	945,840	3,111,864,536
3(क)	छत (प्री–कोटिड गॉलवेल्यूम स्टील शीट)	174,411,119	158,219,116	(60,224)	332,570,011
3(ख)	फर्श (सीमेंट कंक्रीट)	46,089,251	35,707,310	-	81,796,561
3(ग)	सड़क (सीमेंट कंक्रीट)	203,935,027	150,089,669	-	354,024,696
3(घ)	वेअरहाउस एवं गोदाम और सहायक	12,126,055,764	398,083,854	(88,920,984)	12,435,218,634
4	कंटेनर यार्ड	1,062,604,243	32,058	(1)	1,062,636,300
5	विद्युत इंस्टालेशन	562,543,780	30,245,089	(365,537)	592,423,332
6	जल इंस्टालेशन	42,344,927	480,762	(53,340)	42,772,349
7	प्लांट एवं मशीनरी	1,179,290	-	-	1,179,290
8	कार्यालय बिल्डिंग	256,035,990	46,608	-	256,082,598
9	आवासीय फ्लैट्स	187,991,211	-	-	187,991,211
10	फर्नीचर	192,923,397	6,605,104	(1,187,990)	198,340,511
11	कार्यालय उपकरण	50,422,790	28,343,879	957,316	79,723,985
12	मोबाइल फोन	4,588,248	7,312,567	(499,623)	11,401,192
13	वाहन	19,078,421	1,755,326	(1,169,972)	19,663,775
14	प्रयोगशाला उपकरण	17,440,914	2,032,998	(290,102)	19,183,810
15	पीड़क जन्तुनाशक उपकरण	31,740,492	3,195,651	(953,867)	33,982,276
16	निर्माण उपकरण	674,195	25,193	-	699,388
17	अन्य उपकरण	522,699,291	118,351,483	(11,129,421)	629,921,353
18	लकड़ी के क्रेट्स	32,234,069	-	4,782,143	37,016,212
19	रैक्स	15,650,702	151,042	5	15,801,749
20	टिन ट्रे	223,032	-	-	223,032
21	रेलवे साइडिंग्स	42,970,865	-	-	42,970,865
22	कम्प्यूटर्स एवं लैपटॉप	148,084,367	38,964,791	(5,338,378)	181,710,780
23	एचबीएल शीट	69,477,957	-	(12,330,856)	57,147,101
24	पीसीसी ब्लॉक्स	1,461,360	-	-	1,461,360
25	पोली पैलेट्स	23,632,541	-	(211,310)	23,421,231
26	परिवर्तनीय प्लिंथ्स	11,130,131	-	-	11,130,131
27	अपरिवर्तनीय प्लिंथ्स	23,052,942	-	(771,682)	22,281,260
		19,364,027,254	**1,675,125,127**	**(116,616,785)**	**20,922,535,596**
28	कार्य प्रगति पर	320,966,756	521,744,798	(597,403,082)	245,308,472
29	हस्तगत उपकरण	14,441,893	12,042,883	(11,758,161)	14,726,615
	उप–योग	**19,699,435,903**	**2,208,912,808**	**(725,778,028)**	21,182,570,683
	अमूर्त परिसंपत्तियां :				
30	कंटेनर ट्रेन चलाने के लिए पंजीकरण शुल्क	500,000,000	-	-	500,000,000
31	भूमि के उपयोग का अधिकार	1,554,750	-	-	1,554,750
32	सॉफ्टवेयर	21,152,223	4,366,810	(860,148)	24,658,885
33	प्राईवेट फ्रेट टर्मिनल के लिए लाइसेंस	10,565,278	-	-	10,565,278
	उप–योग	**533,272,251**	**4,366,810**	**(860,148)**	**536,778,913**
	कुल	**20,232,708,154**	**2,213,279,618**	**(726,638,176)**	**21,719,349,596**
	गत वर्ष	**18,639,081,724**	**2,099,250,283**	**(505,623,853)**	**20,232,708,154**

अनुसूची : II. स्थायी परिसंपत्तियां

राशि (रु. में)

क्र. सं.	विवरण	मूल्यह्रास/क्षीणता/परिशोधन				ह्रासित मूल्य	
		01.04.2018 तक ₹	वर्ष के लिए ₹	वर्ष के दौरान कटौती/समायोजन ₹	31.03.2019 तक ₹	31.03.2019 को ₹	31.03.2018 को ₹
संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण							
मूर्त संपत्ति							
1	भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	-	-	-	-	1,077,896,067	680,920,234
2	भूमि (पट्टे पर)	710,461,187	120,242,951	1,074,148	831,778,286	2,280,086,250	2,101,969,517
3	छत (प्री–कोटिड गॉलवेल्यूम स्टील शीट)	2,400,294	9,402,322	86,681	11,889,297	320,680,714	172,010,825
4	फर्श (सीमेंट कंक्रीट)	895,983	2,617,560	(57,370)	3,456,173	78,340,388	45,193,268
5	सड़क (सीमेंट कंक्रीट)	2,646,141	10,331,882	1	12,978,024	341,046,672	201,288,886
6	वेअरहाउस एवं गोदाम और सहायक	3,102,433,034	519,858,295	(16,512,552)	3,605,778,777	8,829,439,857	9,023,622,730
7	कंटेनर यार्ड	386,620,225	46,812,134	-	433,432,359	629,203,941	675,984,018
8	विद्युत इंस्टालेशन	433,272,491	47,598,305	(347,260)	480,523,536	111,899,796	129,271,289
9	जल इंस्टालेशन	38,349,218	1,260,013	(47,676)	39,561,555	3,210,794	3,995,709
10	प्लांट एवं मशीनरी	1,120,463			1,120,463	58,827	58,827
11	कार्यालय बिल्डिंग	45,047,548	4,022,595		49,070,143	207,012,455	210,988,442
12	आवासीय फ्लैट्स	64,927,955	2,952,949	(1)	67,880,903	120,110,308	123,063,256
13	फर्नीचर	161,942,014	8,823,848	(1,211,201)	169,554,661	28,785,850	30,981,383
14	कार्यालय उपकरण	36,507,787	10,195,017	863,070	47,565,874	32,158,111	13,915,003
15	मोबाइल फोन	2,471,607	4,042,336	(353,966)	6,159,977	5,241,215	2,116,641
16	वाहन	15,666,413	727,761	(1,010,226)	15,383,948	4,279,827	3,412,008
17	प्रयोगशाला उपकरण	14,276,258	1,533,689	(270,066)	15,539,881	3,643,929	3,164,656
18	पीड़क जन्तुनाशक उपकरण	28,577,070	1,495,985	(856,611)	29,216,444	4,765,832	3,163,422
19	निर्माण उपकरण	563,132	40,808		603,940	95,448	111,063
20	अन्य उपकरण	334,767,820	30,283,616	(10,140,632)	354,910,804	275,010,549	187,931,471
21	लकड़ी के क्रेट्स	31,917,670	6,580	4,782,494	36,706,744	309,468	316,399
22	रैक्स	13,719,736	373,356	(20)	14,093,072	1,708,677	1,930,966
23	टिन ट्रे	215,008	-	-	215,008	8,024	8,024
24	रेलवे साइडिंग्स	18,262,877	1,740,410	1	20,003,288	22,967,577	24,707,988
25	कम्प्यूटर्स एवं लैपटॉप	122,107,936	20,437,705	(4,695,089)	137,850,552	43,860,228	25,976,431
26	एचबीएल शीट	64,061,015	1,834,715	(11,897,349)	53,998,381	3,148,720	5,416,942
27	पीसीसी ब्लॉक्स	1,313,910			1,313,910	147,450	147,450
28	पोली पैलेट्स	20,203,394	531,174	(211,084)	20,523,484	2,897,747	3,429,147
29	परिवर्तनीय प्लिंथ्स	3,452,478	503,071	(1)	3,955,548	7,174,583	7,677,653
30	अपरिवर्तनीय प्लिंथ्स	21,885,163		(717,966)	21,167,197	1,114,063	1,167,779
		5,680,085,827	**847,669,077**	**(41,522,675)**	**6,486,232,229**	**14,436,303,367**	**13,683,941,427**
31	कार्य प्रगति पर शून्य रु.	400,968	-	(400,968)	-	245,308,472	320,565,788
32	हस्तगत उपकरण	743,135	-	-	743,135	13,983,480	13,698,758
	उप–योग	**5,681,229,930**	**847,669,077**	**(41,923,643)**	**6,486,975,364**	**14,695,595,319**	**14,018,205,973**
अमूर्त परिसंपत्तियां :							
33	कंटेनर ट्रेन चलाने के लिए पंजीकरण शुल्क	300,000,000	25,000,000	-	325,000,000	175,000,000	200,000,000
34	भूमि के उपयोग का अधिकार	1,433,295	-	(1)	1,433,294	121,456	121,455
35	सॉफ्टवेयर	19,723,172	1,549,125	(860,147)	20,412,150	4,246,735	1,429,051
36	प्राईवेट फ्रेट टर्मिनल के लिए लाइसेंस	1,056,528	1,056,528	-	2,113,056	8,452,222	9,508,750
	उप–योग	**322,212,995**	**27,605,653**	**(860,148)**	**348,958,500**	**187,820,413**	**211,059,256**
	कुल	**6,003,442,925**	**875,274,730**	**(42,783,791)**	**6,835,933,864**	**14,883,415,732**	**14,229,265,229**
	गत वर्ष	**4,797,232,271**	**1,343,132,848**	**(136,922,194)**	**6,003,442,925**	**14,229,265,229**	**13,841,849,453**

अनुसूची : II. पर टिप्पणी : स्थायी परिसंपत्तियां

1) वेअरहाउसों और गोदामों की अनुषंगी में वेअरहाउस परिसर के सभी अनुषंगी सिविल कार्य जैसे बिटुमिनस रोड कार्यालय ब्लॉक, लेबर शेड, फेंसिंग, चार दीवारी, वेमेंट केबिन, लैवेटरी ब्लॉक, सेनेटरी बॉक्स, वर्षा जल संचयन, तार की जाली, स्टील दरवाजे शामिल हैं।

2) क छत (प्री–कोटेड गॉलवेल्यूम स्टील शीट), फर्श (सीमेंट कंक्रीट) और रोड (सीमेंट कंक्रीट) की उपयोगी अवधि वेअरहाउस और गोदाम के उपयोगी अवधि से अलग है और इसे अलग–अलग पूंजीकृत तथा मूल्यह्रासित किए गए हैं। वेअरहाउस और गोदाम की उपयोगी अवधि पूरी होने पर स्थिति के अनुसार मरम्मत या बदला जाता है। अन्य अतिरिक्त वेअरहाउस एवं गोदाम और उसकी अनुषंगी उसकी उपयोगी अवधि अर्थात् जो 30 वर्ष के आधार पर मूल्यह्रासित किया गया है।

ख जब भी नई सडक (सीमेंट कंक्रीट), वेअरहाउसों की छत (प्री–कोटेड गॉलवेल्यूम स्टील शीट) तथा फर्श (सीमेंट कंक्रीट) का निर्माण किया गया है। पुराने बिटुमिनस एसी छत और फर्श के ह्रासित मूल्य की खातों से मान्यता रद्द कर दी गई है। वर्ष 2018–19 में हटाई गई परिसंपत्तियों का ह्रासित मूल्य 108.06 लाख रु. था । पुरानी रोड, छत की मान्यता रद्द करने के उद्देश्य से वेअरहाउसों और गोदाम की कुल लागत के क्रमशः 11.06%, 5%, 5.06% के रूप में लागत रखी गई है।

3) वर्ष 2018–19 के दौरान ककनचेरी, सीडब्ल्यू कन्नौर और अदिलाबाद में कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए वेअरहाउसिंग सुविधाओं की स्थापना एवं प्रचालन के लिए 1102.97 लाख रु. की पूंजी खर्च की गई जिसके लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 एडी के अनुसार कटौती की अनुमति है। इसे वेअरहाउसों एवं गोदामों के अंतर्गत पूंजीकृत किया गया है।

4) भूमि (फ्रीहोल्ड एवं पट्टे पर): 415 स्थानों पर निगम ने कब्जा लिया है। 45 स्थानों जिनमें (क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद–5 बेंगलुरु–2, भुवनेश्वर–13, भोपाल–3, चंडीगढ़–3, कोलकाता–2, दिल्ली–2, गुवाहाटी–1, हैदराबाद–1, लखनऊ–3, मुम्बई–3, पटना–8) के अधिकार विलेख जिनका मूल्य 3385.17 लाख रु. है, अभी निष्पादित होने हैं। इन स्थानों की लेखांकन नीति सं. 11 के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी देयता के लिए प्रावधान किया गया है।

5) निगम के पास 19 लीज होल्ड भूमि के संबंध में, लीज अवधि समाप्त हो गई है। इन भूखण्डों के लिए लीज के नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है। देय प्रीमियम नवीनीकरण की अनुपलब्धता को देखते हुए उपलब्ध सूचना के आधार पर लीज किराए हेतु देयता को लेखाबद्ध किया गया है।

6) निगम को खबली और शिमला में सा.वि.प्र. (पीडीएस) गतिविधि के लिए गोदाम निर्माण हेतु उपयोग अधिकार आधार पर वन भूमि आबंटित की गई थी। इन भूखंडों पर वन विभाग का स्वामित्व है तथा कब्जा निगम के पास है। इन भूखंडों की लागत को भूमि उपयोग अधिकार के रूप में अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया गया है।

7) कृषि विभाग, बिहार सरकार ने प्रयोग के आधार पर खाद्यान्न के लिए भंडारण हेतु आधारभूत ढांचा बनाने के लिए मुंगेर, खगरिया और बेतिया में भूमि आबंटित की है। इस भूमि का स्वामित्व कृषि विभाग, बिहार सरकार के पास है और कब्जा निगम के पास है। चूंकि इन भूखण्डों को निःशुल्क आबंटित किया गया है अतः इन्हें अमूर्त सम्पत्तियों में नहीं दर्शाया गया है।

8) पटना क्षेत्र में मधेपुरा, की भूमि का टाईटल निजी पार्टी के पास है लेकिन इसका कब्जा निगम के पास है ।

9) निगम ने वर्ष 1998–99 में बोकदवीरा, नवी मुम्बई में 86 फ्लैट खरीदे थे जिसकी लागत 933.02 लाख रु. है। चूंकि

ये फ्लैट आज की तारीख तक खाली है तथा निगम दरों एवं करों, रख रखाव, सुरक्षा पर व्यय कर रहा है। अतः इन्हें बेचने का निर्णय लिया गया है। अनुमानित बिक्री मूल्य, खरीद की लागत से ज्यादा है, अतः फ्लैटों के मूल्य में कोई क्षीणता नहीं है।

10) निगम द्वारा लैंड कस्टम स्टेशन, पैट्रापोल (पश्चिम बंगाल) की भूमि और उस पर विकसित अचल सम्पत्ति दिनांक 31 जनवरी, 2016 को लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एमपीएआई) को स्थानान्तरित कर दी गई थी। दिनांक 15.06.2016 को एलपीएआई के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार अंकित मूल्य पर निगम द्वारा एलपीएआई को भूमि स्थान्तरित की जानी थी और जीएफआर नियमों के अनुसार उस पर विकसित परिसंपत्तियों को मूल्यांकन के आधार पर स्थानान्तरित किया जाना था। परिसम्पत्तियों को लेखा बहियों से निकाल दिया गया है। एलपीएआई से 108.50 लाख रु. की भूमि का अंकित मूल्य प्राप्त हो गया है। एलपीएआई ने उपरोक्त भूमि की अचल संपत्ति के मूल्यांकन के लिए सीपीडब्ल्यूडी को भेजा था जिसका दिनांक 08.12.2017 की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 1026.87 लाख रु. मूल्य आंका गया। निगम द्वारा इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया है। संशोधित मूल्यांकन रिपोर्ट लंबित है। इन परिसंपत्तियों की डब्ल्यूडीवी को एलपीएआई से वसूली योग्य दर्शाया जा रहा है। सीपीडब्ल्यूडी से संशोधित मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् लेखा बहियों में आवश्यक समायोजन किया जाएगा।

11) सै.वे., मुन्द्रा की लीज होल्ड भूमि जो निगम के कब्जे में है, पट्टाकर्ता ने भूमि के कब्जे का विवाद दाखिल किया है। के.भ.नि. ने माननीय उच्च न्यायालय, गुजरात, में अपील दायर की है और मामला विचाराधीन है।

12) थलासेरी में 3.71 एकड़ लीज़ होल्ड भूमि का आबंटन जिसका मूल्य 80.84 लाख रु. है, विवादों में है क्योंकि मैसर्स किन्फ्रा ने भूमि का आबंटन रद्द कर दिया है। मैसर्स किन्फ्रा द्वारा रिफण्ड की गई 50.55 लाख रु. की राशि को निगम ने स्वीकार नहीं किया है और उन्हें वापिस कर दिया है।

13) 8752.75 लाख रु. (गत वर्ष 13431.33 लाख रु.) की मूल्यह्रास राशि में 62.67 लाख रु. (नेट डेबिट) की पिछली अवधि मूल्य ह्रास (गत वर्ष 56.32 लाख रु.) (नेट डेबिट) शामिल है।

अनुसूची : III. निवेश (लागत पर)

(क) राज्य भंडारण निगम (एसोसिएट) वेअरहाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 की धारा 19 (2) के अंतर्गत निवेश

राशि (रु. में)

क्र. सं.	राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन के नाम	इक्विटी अंशों की संख्या (अनुधृत) (अंकित मूल्य 100 रु.)		राशि (₹)	
		इस वर्ष	गत वर्ष	इस वर्ष	गत वर्ष
1	आन्ध्र प्रदेश, राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन,	261,502	261,502	26,150,200	26,150,200
2	असम, राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	547,000	547,000	54,700,000	54,700,000
3	बिहार, राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	320,994	320,994	32,099,400	32,099,400
4	छत्तीसगढ, राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	201,920	201,920	20,192,000	20,192,000
5	गुजरात, राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	200,000	200,000	20,000,000	20,000,000
6	हरियाणा, राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	292,037	292,037	29,203,700	29,203,700
7	कर्नाटक, राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	390,000	390,000	39,000,000	39,000,000
8	केरल, राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	575,000	575,000	57,500,000	57,500,000
9	मध्य प्रदेश, वेअरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन$	378,080	378,080	37,808,000	37,808,000
10	महाराष्ट्र, राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन (24240 बोनस शेयर सहित)	435,560	435,560	41,132,000	41,132,000
11	मेघालय, राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	122,562	122,562	12,256,200	12,256,200
12	ओडिसा, राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	180,000	180,000	18,000,000	18,000,000
13	पंजाब, राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	400,000	400,000	40,000,000	40,000,000
14	राजस्थान, राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	392,630	392,630	39,263,000	39,263,000
15	तमिलनाडु, राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	380,500	380,500	38,050,000	38,050,000
16	तेलंगाना, राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	186,889	186,889	18,688,900	18,688,900
17	उत्तर प्रदेश, राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	539,770	539,770	53,977,000	53,977,000
18	उत्तराखंड, राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	18,480	18,480	1,848,000	1,848,000
19	पश्चिमी बंगाल, राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	380,700	380,700	38,070,000	38,070,000
(ख) अन्य निवेश		**6,203,624**	**6,203,624**	**617,938,400**	**617,938,400**
1	**सब्सिडी में निवेश (दीर्घावधि) (गैर उद्धृत)** सैन्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लि.(सहायक) अनुद्धृत 4,05,59,990 अंश प्रत्येक का अंकित मूल्य 10/–रु.			405,599,900	405,599,900
2	**अन्य (दीर्घावधि/वर्तमान) रु**				
	नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचैंज ऑफ इंडिया लि. (एसोसिएट) अनद्धृत) 56,78,347 शेयर प्रत्येक का अंकित मूल्य 10/–रु. (जिसमें 13,00,000 शेयर जिनकी 5/–रु. प्रति शेयर के प्रीमियम पर खरीद तथा 17,78,347 शेयर जिनकी 11.25/–रु. प्रति शेयर के प्रीमियम पर खरीद शामिल हैं)।			-	83,289,873
	इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (आईसीईएक्स) के अनुद्धृत 58,963,956 शेयरों, जिसमें में प्रत्येक का अंकित मूल्य 5 रु. प्रति शेयर है, को एनएमसीई में शेयर के बदले अनुमति दी है क्योंकि एनएमसीई का विलय आईसीईएक्स के साथ हो गया है।				
	दीर्घ अवधि निवेश (5% शेयरधारकों आईसीईएक्स 2,66,75,373 अर्थात् 5 रु. वाले अंकित मूल्य के शेयरों की संख्या)			37,680,451	
	वर्तमान निवेश (6.05% शेयरधारकों आईसीईएक्स 3,22,88,583 अर्थात 5 रु. वाले अंकित मूल्य के शेयरों की संख्या)			45,609,422	
	कुल (क) + (ख)			**1,106,828,173**	**1,106,828,173**

टिप्पणी:

1 $ निगम ने मध्य प्रदेश राज्य भंडारण निगम (एमपीएसडब्ल्यूसी) में 480 लाख रु. का निवेश किया जो मध्य प्रदेश वेअरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन (एमपीडब्ल्यूएलसी) तथा छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम (सीएसडब्ल्यूसी) के रूप में विभाजन हो गया। इसके अतिरिक्त इन दोनों राज्य भंडारण निगमों में प्रत्येक को 50 लाख रु. की इक्विटी दी गई। विभाजन से पूर्व दी गई इक्विटी शेयर पूंजी को एमपीडब्ल्यूएलसी द्वारा 2011–12 तक ऋण एवं 2012–13 से पूंजी के रूप में माना जा रहा है। किंतु निगम इससे सहमत नहीं है क्योंकि इक्विटी को ऋण में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एमपीएसडब्ल्यूसी की प्रदत्त अंश पूंजी विनियोजन को एमपीडब्ल्यूएलसी को (68.35 प्रतिशत) तथा सीएसडब्ल्यूसी को (31.65 प्रतिशत) तथा इक्विटी का 20 प्रतिशत की दर से लाभांश देने के संबंध में 16.11.2012 को अधिसूचना जारी की है तथा दिनांक 06.03.2014 के पत्र सं. 7–01/2013–एसजी द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है। मामले का अभी भी हल नहीं हुआ है।

2 भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना राज्य भंडारण निगमों में किया गया निवेश हस्तांतरणीय नहीं है।

3. # निगम ने नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएमसीई) की इक्विटी में 832.90 लाख रुपए का निवेश किया था। चूंकि नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएमसीई) का इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (आईसीईएक्स) के साथ 07.09.2018 को विलय हो गया, अतः आईसीईएक्स ने एनएमसीई में शेयर के बदले निगम को 5/–रु. प्रत्येक के 5,89,63,956 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं। निगम के आईसीईएक्स की इक्विटी में 11.05: शेयर हैं। एसईसीसी विनियम, 2018 के विनियम 17 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 5: से अधिक नहीं रख सकता है। सेबी के दिनांक 26 नवंबर, 2015 के परिपत्र के अनुसार, निगम ने आईसीईएक्स में अपनी इक्विटी को कम करने के कदम उठाए हैं ताकि इसे निर्धारित सीमा के भीतर लाया जा सके। इस विनियम का अनुपालन 5 मई, 2019 तक किया जाना था। निगम द्वारा आईसीईएक्स में रखी गई अतिरिक्त इक्विटी को कम करने में हुई देरी के कारण से बी ने मतदान के अधिकार और निगम द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक रखे गए शेयरों के लाभांश के भुगतान पर 5 मई, 2019 से नौ महीने की अवधि यानी 4 फरवरी, 2020 तक 5: की निर्धारित सीमा में शेयरों को कम किए जाने तक प्रतिबंध लगा दिया।

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियाँ (सामान्य निधि)

अनुसूची : IV. धारा 30 (1) के अधीन आरक्षित निधि

राशि (रु. में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष		इस वर्ष	गत वर्ष
1	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	18,565,098,108		
2	जोड़ा: अदावाकृत लाभांश (7 वर्षों से अधिक पुराना)	55,895		
3	जोड़ा: आरक्षित निधि से स्थानान्तरण	45,954		
4	जोड़ा: आरक्षित एवं विकास निधि से स्थानान्तरण	28,994,266		
	जोड़ा: पी एण्ड एल विनियोग खाते से स्थानान्तरण	1,060,044,757	19,654,238,980	18,565,098,108

अनुसूची : V. अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित

राशि (रु. में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष		इस वर्ष	गत वर्ष
1	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	2,519,861,695		
	जोड़ा: अतिरिक्त प्रावधान किया गया	589,462,819		
2	घटाया: आरक्षित पर बट्टे खाते में अशोध्य ऋण	388,598,835	2,720,725,679	2,519,861,695

अनुसूची : VI. अन्य आरक्षित

राशि (रु. में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष		इस वर्ष	गत वर्ष
1	**आरक्षित पूंजी**			
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	45,954		
	घटाया: धारा 30(1) के अधीन आरक्षित निधि से स्थानान्तरण	45,954	-	45,954
2	**हितकारी निधि के लिए आरक्षित**			
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	3,187,533		
	जोड़ा: पी एण्ड एल विनियोग खाते से स्थानान्तरण	20,060,523		
	घटाया: हितकारी निधि ट्रस्ट को किया गया भुगतान	6,887,533	16,360,523	3,187,533
3	**अनुसंधान एवं विकास निधि के लिए आरक्षित**			
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	28,994,266		
	घटाया: धारा 30(1) के अधीन आरक्षित निधि से स्थानान्तरण	28,994,266	-	28,994,266

अनुसूची : VII. कर्मचारी लाभ के लिए आरक्षित निधि

राशि (रु. में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष		इस वर्ष	गत वर्ष
1	**सेवानिवृत्त पश्चात् चिकित्सा लाभ निधि**			
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	2,097,339,182		
	जोड़ा : चिन्हित निवेश पर ब्याज	89,828,958		
	जोड़ा : वर्ष के दौरान सृजित आरक्षित	73,804,699		
	जोड़ा : सेवानिवृत्त कर्मचारियों से प्राप्त योगदान	2,487,332		
	घटाया: वर्ष के दौरान किया गया भुगतान (पीआरएमबी ट्रस्ट को किया गया 15000 लाख रु. का भुगतान शामिल है)	1,637,790,563	625,669,608	2,097,339,182
2	**छुट्टी लाभ निधि**			
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	1,408,589,572		
	जोड़ा: चिन्हित निवेश पर ब्याज	63,095,685		
	जोड़ा: वर्ष के दौरान सृजित आरक्षित	193,016,394		
	घटाया: वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	373,656,842	1,291,044,809	1,408,589,572

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियाँ (सामान्य निधि)

अनुसूची : VIII. बकाया देयताएँ

राशि (रु. में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष	गत वर्ष
1	फुटकर ऋणदाता (एमएफ एवं परियोजनाओं सहित)	1,780,990,593	2,256,264,660
2	अन्य देयताएं	1,492,963,655	1,228,600,878
3	प्रतिदेय जमा	263,298,492	265,094,575
4	व्यय के लिए देयताएं	1,140,186,979	862,239,330
5	खर्च के लिए प्रावधान	497,632,748	346,899,860
6	जमा कार्य (अन्य)	16,876,340	5,611,554
7	स्टॉम्प ड्यूटी के लिए देयता	78,794,470	63,073,795
8	वेतन संशोधन के लिए देयता	-	209,107,557
9	विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए देयताएं	30,326,181	-
	कुल	**5,301,069,458**	**5,236,892,209**

अनुसूची : IX. वेतन एवं भत्ते हेतु प्रावधान

राशि (रु. में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष		इस वर्ष	गत वर्ष
1	**उत्पादकता से जुड़ा प्रोत्साहन**			
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	14,500,000		
	जोड़ा : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	12,498,839		
	घटाया : वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	10,998,839	16,000,000	14,500,000
3	**पिछले तुलन पत्र के अनुसार**			
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-		
	जोड़ा : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	84,830,006	84,830,006	-
3	**ग्रेच्युटी**			
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	860,569,067		
	जोड़ा : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	64,071,566		
	घटाया : कर्मचारी ग्रेच्युटी ट्रस्ट को भुगतान	860,600,000	64,040,633	860,569,067
4	**एलटीसी**			
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	25,841,545		
	जोड़ा : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	15,981,857		
	घटाया : वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	12,110,702	29,712,700	25,841,545
5	**वेतन संशोधन प्रावधान**			
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	349,318,965		
	जोड़ा : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	501,482,502		
	घटाया : वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	-	850,801,467	349,318,965
	कुल		**1,045,384,806**	**1,250,229,577**

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियाँ (सामान्य निधि)

अनुसूची : X. निवेश पर प्रोद्भूत आय

राशि (रु. में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष		इस वर्ष	गत वर्ष
	प्राप्त माना			
1	राज्य भण्डारण निगमों में निवेश से			
	प्राप्त माना	-		60,056
	संदिग्ध माना	35,432,640	35,432,640	35,715,629
			35,432,640	**35,775,685**

अनुसूची : XI. स्टोर्स एवं स्पेयर्स

राशि (रु. में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष		इस वर्ष	गत वर्ष
1	**स्टोर एवं स्पेयर्स (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अनुसार)**			
	रसायन एवं प्रधूमक (निम्न वेटेज औसत लागत पर या निवल वसूली योग्य मूल्य)	40,210,279		38,475,254
	अन्य हस्तगत स्टोर (निम्न लागत मूल्य पर (एफआईएफओ) एवं निवल वसूली योग्य मूल्य)	19,394,569		21,371,531
	मार्ग में माल	1,134,130	60,738,978	640,425
	कुल		**60,738,978**	**60,487,210**

अनुसूची : XII. फुटकर देनदार

राशि (रु. में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष		इस वर्ष	गत वर्ष
1	**फुटकर देनदार (वेअरहाउसिंग प्रभार)**			
	प्राप्त माना	2,586,215,786		3,452,324,308
	संदिग्ध माना	2,298,267,262	4,884,483,048	2,026,774,536
2	**फुटकर देनदार (विपणन सुसाध्य प्रभार एवं अन्य)**			
	प्राप्त माना	511,220,102		640,774,911
	संदिग्ध माना	149,466,222	660,686,324	164,240,076
	कुल		**5,545,169,372**	**6,284,113,831**

अनुसूची : XIII. ऋण एवं अग्रिम

राशि (रु. में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष		इस वर्ष	गत वर्ष
1	**सैन्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी लि. (सीआरडब्ल्यूसी) को ऋण (प्रतिभूत)**			
	प्राप्त माना		113,869,880	241,696,388
2	**नकदी या वस्तु या मूल्य के लिए प्राप्त किए जाने वाले वसूली योग्य अन्य अग्रिम**			
	प्राप्त माना			
	क) स्टाफ को अग्रिम	11,425,042		10,868,008
	ख) पूंजी अग्रिम	4,910,781		93,818,693
	ग) अन्य अग्रिम	94,145,658	110,481,481	365,060,312
	कुल		**224,351,361**	**711,443,401**

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियाँ (सामान्य निधि)

अनुसूची : XIV. अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

राशि (रु. में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष		इस वर्ष	गत वर्ष
1	जमा एवं अन्य पर प्रोद्भूत ब्याज (बचत बैंक खाता सहित)		273,883,720	298,382,260
2	सैन्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लि. (सहायक कंपनी) से देय		9,492	9,492
3	स्रोत पर काटा गया आयकर			
	प्राप्त माना	963,434,041		347,368,311
	संदिग्ध माना	20,756,408	984,190,449	25,906,424
4	आयकर से वसूली योग्य		128,180,842	382,307,685
5	अन्य वसूली योग्य (44.07 लाख रु. प्रतिभूति जमा सहित (गत वर्ष 14.14 रु. विभिन्न पार्टियों को एफडीआर के रूप में भुगतान किए गए)			
	प्राप्त माना	772,724,413		936,882,784
	संदिग्ध माना	216,803,147	989,527,560	267,225,030
	कुल		2,375,792,063	2,258,081,986

अनुसूची : XV. नकद एवं बैंक शेष

राशि (रु. में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष		इस वर्ष	गत वर्ष
1	हस्तगत नकदी			
	(i) हस्तगत नकदी/अग्रदाय/स्टॉम्प नकदी	8,433,223		3,401,520
	(ii) अस्थायी अग्रिम	1,715,169	10,148,392	1,261,194
2	बैंकों में शेष			
	भारतीय स्टेट बैंक एवं उसके अनुषंगी :			
	(i) बचत/फ्लैक्सी/चालू खाते में बैंक गारंटी के विरुद्ध गिरवी {शून्य सहित गत वर्ष 6.18 लाख रु)}	132,766,045		260,517,127
	(ii) जमा खाते में {बैंक गारंटी के विरुद्ध गिरवी 135.79 लाख रु. शामिल (गत वर्ष 80 लाख रु)}	13,579,466		167,445,316
	अन्य– अनुसूचित बैंक			
	(i) बचत/फ्लैक्सी/चालू खातों में बैंक गारंटी के विरुद्ध गिरवी शामिल (गत वर्ष 10 लाख रु.)	519,725,071		892,200,133
	(ii) जमा खाते में {बैंक गारंटी के विरुद्ध गिरवी (255.58 लाख रु. शामिल (गत वर्ष 32.29 लाख रु.)}	4,629,922,268	5,295,992,850	2,472,808,995
3	**हस्तगत एफडीआर** (निगम के पक्ष में एफडीआर गिरवी के रूप में कॉन्ट्रैक्टर्स से प्राप्त प्रतिभूतियाँ)	43,189,991		63,400,723
4	बैंक ड्राफ्ट एवं चैक हस्तगत	14,941,821		3,983,360
5	मार्गस्थ प्रेषण/बैंक ड्राफ्ट/चैक	643,610	58,775,422	311,466
	कुल		5,364,916,664	3,865,329,834

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियाँ (सामान्य निधि)

अनुसूची : XVI. अपरिशोधित व्यय

राशि (रु. में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष		इस वर्ष	गत वर्ष
1	**सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ की गत अवधि लागत (पीआरएमबी)**			
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	12,993,389		15,158,954
	घटाया : वर्ष के दौरान परिशोधित	2,165,565	10,827,824	2,165,565
	कुल		**10,827,824**	**12,993,389**

अनुसूची : XVII. रसायन, कवर्स एवं डनेज का उपभोग

राशि (रु. में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष	गत वर्ष
1	रसायन	91,823,494	85,869,955
2	पॉलीथिन कवर्स	14,302,535	21,444,063
3	डनेज	19,038,570	20,935,510
	कुल	**125,164,599**	**128,249,528**

अनुसूची : XVIII. वेतन एवं भत्ते (प्रावधानों के साथ)

राशि (रु. में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष	गत वर्ष
1	अध्यक्ष	-	-
2	प्रबन्ध निदेशक	3,837,901	2,310,974
3	प्रकार्यात्मक निदेशक	9,472,795	5,742,424
4	अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी	3,483,510,764	3,289,706,344
5	भविष्य निधि में योगदान	299,364,008	294,324,591
6	पेंशन निधि में योगदान	195,911,511	223,220,027
7	सेवानिवृत्त पश्चात् चिकित्सा लाभ निधि में योगदान	72,831,304	98,296,055
8	व्यय का परिशोधन (पीआरएमबी लाभ)	2,165,565	2,165,565
9	मृत्यु मुआवजा	18,218,513	17,775,000
	प्रावधान		
10	**ग्रेच्युटी (पूंजीकृत {(4.36 लाख रु. (गत वर्ष 41.56 लाख रु.) को छोड़कर)}**	63,635,215	1,135,495,902
11	पीआरपी/पीएलआई {(पूंजीकृत 0.13 लाख रु.(गत वर्ष 0.95 लाख रु.) को छोड़कर)}	97,316,213	13,809,297
12	**छुट्टी लाभ** {(पूंजीकृत 40.61 लाख रु. (गत वर्ष 71.99 लाख रु.) को छोड़कर)}	188,954,933	16,923,793
13	**एलटीसी** {पूंजीकृत 2.20 लाख रु.) (गत वर्ष 5.19 लाख रु.) को छोड़कर)}	15,761,381	17,051,922
14	**वेतन संशोधन प्रावधान**	525,354,217	445,329,956
15	**विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एसवीआरएस) मुआवजा**	168,544,612	-
	कुल	**5,144,878,932**	**5,562,151,850**

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियाँ (सामान्य निधि)

अनुसूची : XIX. यात्रा भत्ते इत्यादि

राशि (रु. में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष	गत वर्ष
1	अध्यक्ष	-	-
2	प्रबन्ध निदेशक	348,252	343,734
	प्रकार्यात्मक निदेशक	787,711	789,316
	अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी	62,945,912	54,476,246
	कुल	**64,081,875**	**55,609,296**

अनुसूची : XX. मरम्मत एवं रखरखाव

राशि (रु. में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष	गत वर्ष
1	बिल्डिंग	225,771,582	337,377,313
2	उपकरण	74,894,279	57,617,936
	कुल	**300,665,861**	**394,995,249**

अनुसूची : XXI. किराया, दर एवं कर

राशि (रु. में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष	गत वर्ष
1	कार्यालय का किराया	4,868,347	35,143,169
2	गोदामों का किराया	203,682,045	183,343,037
3	लीज़ का किराया	195,559,538	307,831,820
4	दर एवं कर	176,025,594	159,904,372
	कुल	**580,135,524**	**686,222,398**

अनुसूची : XXII. विविध खर्चे

राशि (रु. में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष	गत वर्ष
1	स्थापना कस्टम कर्मचारी	59,195,909	54,863,768
2	स्टाफ प्रशिक्षण खर्च	10,344,824	10,487,312
3	प्रचार एवं प्रसार	2,117,636	2,831,541
4	रॉयल्टी	20,298,910	4,360,596
5	सेमिनार एवं सम्मेलन	2,164,687	2,713,812
6	कारोबार संवर्धन व्यय	1,620,793	1,990,904
7	तोल प्रभार	8,929,275	9,348,034
8	थोक जमाकर्माओं को नकद प्रोत्साहन	1,451,598	4,074,972
9	एमएफ प्रभारों पर नकदी छूट	-	23,137
10	अभियांत्रिकी परामर्शी सेवा खर्च	1,053,153	10,257,897
11	विज्ञापन खर्च	23,617,765	19,788,991
12	वाहन चार्ज	39,220,959	39,534,146
13	जमाकर्ताओं को मुआवजा	8,700,623	5,823,227
14	कम्प्यूटीकरण प्रभार	13,003,923	9,519,547
15	प्रगति में कार्य को बट्टे खाते में डालना	-	1,394,567
16	मनोरंजन	12,835,278	8,813,166
17	माल भाड़ा एवं चुंगी	4,117,478	4,042,259
18	गेस्टहाउस खर्च	1,036,994	1,536,719

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियाँ (सामान्य निधि)

अनुसूची : XXII. विविध खर्चे

राशि (रु. में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष	गत वर्ष
19	आन्तरिक हैंडलिंग	447,662	995,799
20	विधि खर्च	25,692,551	33,916,056
21	समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं	1,345,026	1,422,324
22	डाक, तार एवं टेलेक्स	5,998,328	6,030,686
23	पैसे को पूर्ण मानने में आया अंतर	(34,125)	(13,204)
24	अनुसंधान एवं विकास खर्चे	456,000	2,760,000
25	अंशदान एवं सदस्यता शुल्क	1,284,883	1,198,187
26	स्टाफ कार पैट्रोल खर्च	2,194,240	2,296,958
27	स्टाफ कार रख–रखाव खर्च	1,282,348	1,010,364
28	टेलीफोन खर्चे	17,197,249	17,444,350
29	जल एवं विद्युत प्रभार	132,215,804	125,592,386
30	प्रोफेशनल प्रभार	31,058,478	37,481,096
31	किसान विस्तार सेवा योजना खर्च	885,537	453,321
32	अन्य खर्चे –पीसीएस	44,241,237	49,070,465
33	कार्यालय खर्चे	6,591,666	5,357,101
34	आईएसओ खर्च	497,248	67,587
35	प्रयोग न किए गए जीएसटी/सेवा कर इनपुट क्रेडिट	222,910,951	280,417,793
36	बीमा मुआवजा हानि	1,445,242	-
37	अन्य विविध खर्चे	41,466,470	35,902,712
		746,886,600	**792,808,576**

अनुसूची : XXIII. ब्याज (व्यय)

राशि (रु. में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष	गत वर्ष
1	सरकार	-	-
2	बैंक	-	-
3	अन्य	10,370,274	43,998,699
	कुल	**10,370,274**	**43,998,699**

अनुसूची : XXIV. लेखा परीक्षकों का शुल्क एवं व्यय

राशि (रु. में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष	गत वर्ष
1	लेखा परीक्षा शुल्क {(शाखा लेखा परीक्षकों के लिए (32.99/–लाख रु. (गत वर्ष 38.86,15/–रु. शामिल)}	5,346,000	6,001,695
2	यात्रा खर्च	1,111,149	1,555,510
3	कर लेखापरीक्षा शुल्क {(शाखा लेखा परीक्षकों के लिए 5.50/–लाख रु.(गत वर्ष रु. 6.55/– लाख रु. शामिल)}	1,128,000	1,345,415
4	अन्य सेवाओं के लिए	212,000	212,000
	कुल	**7,797,149**	**9,114,620**

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियाँ (सामान्य निधि)

अनुसूची : XXV. पूर्व अवधि समायोजन (निवल)

राशि (रु. में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष	गत वर्ष
1	आय	(2,189,015)	18,434,970
2	व्यय	(10,767,020)	33,152,925
	कुल	**(12,956,035)**	**51,587,895**

अनुसूची : XXVI. कर व्यय

राशि (रु. में)

लेखा शीर्ष	इस वर्ष	गत वर्ष
चालू कर	410,736,829	656,035,844
आस्थागित कर	232,136,606	(561,114,622)
पूर्व वर्षों का कर समायोजन	(24,730,508)	(137,521,446)
	618,142,927	**(42,600,224)**

अनुसूची : XXVII. वेअरहाउसिंग प्रभार (आय)

राशि (रु. में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष	गत वर्ष
1	वेअरहाउसिंग प्रभार	9,690,908,542	8,568,844,660
	घटायाः सहकारी समितियों और अन्य को छूट	168,453,489	168,667,524
	कुल	**9,522,455,053**	**8,400,177,136**

अनुसूची : XXVIII. ब्याज (आय)

राशि (रु. में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष		इस वर्ष	गत वर्ष
1	जमा/बचत बैंक खाते से		493,191,437	445,211,321
2	निम्न को ऋण एवं अग्रिम से:			
	स्टाफ	(1,433,790)		2,871,365
	अन्य (निर्धारण वर्ष 1997–98, 1998–99, 2004–05 एवं 2005–06 के लिए 157.81 लाख रु. की आयकर वापसी पर ब्याज सम्मिलित है)	37,460,307	36,026,517	176,685,595
	कुल		**529,217,954**	**624,768,281**

अनुसूची : XXIX. लाभांश आय

राशि (रु. में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष	गत वर्ष
1	सहयोगियों के साथ निवेश (रा.भ.नि.)	183,990,703	98,923,997
2	सहायक कम्पनियों के साथ निवेश (सीआरडब्ल्यूसी)	68,952,000	60,840,000
	कुल	**252,942,703**	**159,763,997**

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियाँ (सामान्य निधि)

अनुसूची : XXX. विविध प्राप्तियाँ

राशि (रु. में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष	गत वर्ष
1	**प्रचालन :**		
	अभियांत्रिकी परामर्शी सेवाओं से	1,140,721	4,221,496
	अन्य विविध प्रचालन प्राप्तियाँ	383,160,943	378,508,878
		384,301,664	382,730,374
2	**गैर–प्रचालन :**		
	विदेशी विनिमय में अंतर (निवल लाभ)	832,395	33,386
	अन्य गैर–प्रचालन विविध प्राप्तियां	13,054,312	3,851,864
		13,886,707	3,885,250
	कुल	**398,188,371**	**386,615,624**

अनुसूची–XXXI महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

लेखांकन का आधार

(1) निगम के वित्तीय विवरण सामान्यतः भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों (इंडियन जीएएपी) के अनुसार लेखांकन के प्रोद्भूत आधार पर ऐतिहासिक लागत पद्धति के तहत तैयार किए गए हैं तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानकों (जहाँ तक लागू हो) का अनुपालन किया जाता है।

आकलन का प्रयोग

(2) भारतीय जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अपेक्षित है कि प्रबंधन आकलन तथा अनुमान बनाए जो वित्तीय विवरणों की तिथि तक आकस्मिक देयताओं के प्रकटन, परिसंपत्तियों एवं देयताओं की रिपोर्टिड राशि एवं रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व तथा व्यय की रिपोर्टिड राशि को प्रभावित करे। वास्तविक परिणाम आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

वस्तु सूचियाँ

(3) रसायन एवं निर्माण सामग्री का मूल्यांकन निम्न वार्षिक वेटेज औसत लागत तथा निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है। खरीद की लागत में शुल्क, कर, भाड़ा तथा कुल व्यापार छूट, रियायत एवं अन्य समान मदों पर अन्य खर्च सम्मिलित हैं।

(4) हस्तगत स्टोर जैसे प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी, वर्दियां, पॉलीथीन कवर एवं डनेज आदि को "प्रथम प्रवेश प्रथम निकास" आधार पर निम्न लागत तथा निवल वसूली योग्य मूल्य के अनुसार आंका गया है।

(5) अनुप्रयोज्य/पुरानी निर्माण सामग्री को निम्न वार्षिक वेटेज औसत लागत तथा निवल वसूली योग्य मूल्य के आधार पर आंका गया है।

(6) खरीदे गए स्टॉक को निम्न लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य के अनुसार आंका गया है। लागत "प्रथम प्रवेश, प्रथम निकास" आधार पर निकाली जा रही है।

पूर्व अवधि व्यय/आय

(7) प्रत्येक मद हेतु 1,00,000/–रु. या इससे कम की पूर्व अवधि व्यय/आय तथा प्रीपेड व्यय को वर्तमान वर्ष में मान्यता दी गई है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा मूल्यह्रास

(8) (क) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की मदों की संचित मूल्यह्रास तथा संचित न्यूनतम हानि की ऐतिहासिक लागत पर लिया गया गया है। यद्यपि, पूर्णरूपेण मूल्यह्रासित परिसम्पत्ति को अवशिष्ट मूल्य पर बनाए रखा गया है।

(ख) निगम द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को परिसंपत्तियों की निर्धारित उपयोग अवधि तथा अवशिष्ट मूल्य के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर (परिसंपत्तियों की उपयोग अवधि पर तकनीशियनों की रिपोर्ट पर आधारित) प्रभारित किया गया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:–

स्थायी परिसंपत्तियां	उपयोग अवधि (वर्ष में)	अवशिष्ट मूल्य (%)
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण/मूर्त परिसंपत्तियां		
वेअरहाउस एवं गोदाम तथा अनुषंगी कंटेनर यार्डस, छत (प्री–कोटेड गालवाल्यूम, स्टील शीटस) फर्श, सीमेंट कंक्रीट सड़क–सीमेंट कंक्रीट (सीसी)	30	5
परिवर्तनीय प्लिंथ	30	5
अपरिवर्तनीय प्लिंथ	5	5
कार्यालय भवन	60	5
आवासीय फ्लैट्स	60	5

स्थायी परिसंपत्तियां	उपयोग अवधि (वर्ष में)	अवशिष्ट मूल्य (%)
जल एवं विद्युत संस्थापना	10	5
प्लांट एवं मशीनरी/रेलवे साइडिंग/लॉरी वेब्रिज	15	5
फर्नीचर एवं फिटिंग्स/विद्युत उपकरण	10	5
कार्यालय उपकरण	5	5
अन्य उपकरण/निर्माण उपकरण	6	5
मोबाइल फोन	3	5
एचबीएल शीट	4	5
मोटर वाहन/मोटर लॉरी/मोटरकार	8	5
प्रयोगशाला उपकरण	5	5
कीटनाशन उपकरण	4	5
लकड़ी के क्रेट	6	5
पीसीसी ब्लॉक्स	8	5
रैक्स/टिन ट्रे	10	5
पोली पैलेट्स	10	5
कंप्यूटर्स	3	5
अमूर्त परिसम्पत्तियाँ		
कंटेनर ट्रेनों के लिए पंजीकरण शुल्क	20	शून्य
भूमि प्रयोग का अधिकार	10	शून्य
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3	शून्य
लाइसेंस फीस–प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल	10	शून्य

(ग) वेअरहाउस/भवन तथा अनुषंगी, कंटेनर यार्ड, छत (प्री–कोटेड गॉलवाल्यूम स्टील शीट), फर्श (सीमेंट कंक्रीट), सड़क (सीमेंट कंक्रीट) तथा लीज़होल्ड भूमि पर निर्मित/सृजित अन्य परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास उनकी उपरोल्लिखित उपयोगी अवधि के अनुसार प्रभारित किया गया है, चूंकि लीज़ अवधि की समाप्ति के बाद ही सामान्यतः लीज़ नवीकृत होती है। यदि भूमि की लीज़ नवीकृत नहीं हुई हो तो इन परिसंपत्तियों पर प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि से ह्रासित मूल्य तथा लाभ या हानि, यदि कोई है, से समायोजित कर लेन–देन को बही खाते में लेखाबद्ध किया गया है।

(घ) जिन परिसंपत्तियों का मूल्य 500/– रु. तक है, उन्हें राजस्व में प्रभारित किया गया है। जिन परिसंपत्तियों का मूल्य 500/– रु. से अधिक और 5000/– रु. तक है, उन्हें पूंजीकृत किया जाता है और उन पर मूल्यह्रास 100 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया गया है जिससे प्रत्येक ऐसी परिसम्पत्ति के लिए एक रु. का नाममात्र मूल्य रह जाता है।

(ङ.) पट्टे पर भूमि अधिग्रहण (किश्त) की लागत और उस पर बने ओपेन एरिया की लागत पट्टे की अवधि की समाप्ति के बाद मूल्यह्रासित होती है।

(च) संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण जो उपयोग के लिए अभी तैयार नहीं हैं उन्हें किए जा रहे पूंजीगत कार्य में सम्मिलित किया गया है।

(छ) अधिग्रहण (भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के तहत) के लिए क्षतिपूर्ति पर ब्याज, लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित होते हैं।

(ज) अभियांत्रिकी विभाग में कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज आय एवं निर्माण खंड की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर लगाया गया मूल्यह्रास पूंजीकृत नहीं है।

(झ) वेअरहाउस एवं गोदामों के महत्वपूर्ण घटकों जैसे छत (प्री– कोटेड गालवॉल्यूम स्टील शीट या समक्ष), सड़कें (सीमेंट कंक्रीट) तथा फर्श (सीमेंट कंक्रीट) को पृथक रूप से पूंजीकृत एवं मूल्यह्रासित किया गया है।

(9) जब वित्तीय वर्ष के दौरान किसी परिसंपत्ति में कोई वृद्धि की जाती है या जब किसी परिसंपत्ति को बेचा, समाप्त या नष्ट किया जाता है तब ऐसी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना यथानुपात आधार पर उनकी उपयोग अवधि जो उनके उपयोग के लिए उपलब्ध होने के माह से अथवा उनके बेचने, समाप्त या नष्ट करने के माह तक, जैसा भी मामला हो, के आधार पर की जाएगी।

भूमि तथा सिविल कार्यों पर व्यय

(10) गोदामों का पूंजीकरण, भंडारण–योग्यता के पूर्ति प्रमाण–पत्र के आधार पर है तथा गोदामों के कार्य प्रारंभ होने के प्रमाणपत्र के आधार पर मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है।

(11) भूमि अर्जन से संबंधित वास्तविक व्यय को वर्तमान दर पर देय स्टैम्प ड्यूटी के साथ पूंजीकृत किया गया है। प्रदत्त एवं पहले से पूंजीकृत स्टैम्प ड्यूटी में अंतर के लिए आवश्यक समायोजन भुगतान/अधिकार विलेख के निष्पादन के वर्ष में किया गया है।

(12) जोखिम एवं लागत ठेके (सिविल) पर व्यय यदि उपलब्ध प्रतिभूति जमा से अधिक है, तो इसे वसूली वाले लंबित पूंजी या मरम्मत कार्यों (जैसा भी मामला हो) में प्रभारित किया गया है।

(13) विभागीय रूप से निष्पादित किए गए पूंजी तथा जमा कार्यों पर खर्च निर्माण ओवरहैड को कार्य की लागत का 7 प्रतिशत की दर से या वास्तविक ओवरहैड पर जो भी कम हो, आबंटित किया गया है। बाहरी एजेंसी द्वारा निष्पादित किए गए पूंजी कार्यों के लिए एजेंसी को देय शुल्क/प्रभार वास्तविक देय राशि पर पूंजीकृत किया जाएगा।

यदि किसी यूनिट की वास्तविक ओवरहेड दर मानक ओवरहैड दर से कम है तो वास्तविक ओवरहैड को मरम्मत कार्य, जमा कार्य एवं पूंजीगत कार्यों में आबंटित किया जाता है।

(14) किसी सिविल ठेके में माध्यस्थ निर्णय के अनुसरण में प्रदत्त क्षतिपूर्ति/ब्याज, लाभ में कमी इत्यादि जैसे राजस्व प्रकृति की देय राशि को राजस्व में प्रभारित किया गया है एवं प्रदत्त क्षतिपूर्ति/पूंजी प्रकृति की देय राशि को पूंजीकृत किया जाएगा।

राजस्व मान्यता

(15) राजस्व को मान्यता दी जाती है जब दी गई सेवाओं से प्राप्त की जाने वाली विचारणीय राशि के संबंध में कोई अनिश्चितता न हो।

(क) भंडारण सेवाओं से प्राप्त आय को ग्राहकों के साथ उन्हें निम्न के प्रयोग से दी जाने वाली सेवाओं के अनुसार समझौते/व्यवस्था के आधार पर मान्यता है।

(i) आयातित कार्गो प्राप्ति/कार्गो की रिलीज के लिए सम्पूर्ण सेवा संविदा पद्धति।

(ii) निगम द्वारा प्रदान की गई सभी अन्य सेवाओं के लिए समानुपातिक सम्पूर्ण पद्धति जिसमें निगम द्वारा किए गए जमा कार्य पर प्रभारित परामर्श फीस/पर्यवेक्षण फीस से प्राप्त आय भी शामिल है।

(iii) बिक्री प्रक्रिया से कालातीत बॉन्ड/लंबी अवधि के कार्गो पर इसकी वसूली के संबंध में।

(ख) खाली और बेकार (जैसे पुराने अखबार) वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय को वसूली आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

(ग) लाभांश आय को तभी मान्यता है जब वर्ष के दौरान लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो।

(घ) ब्याज आय को समय अनुपातिक आधार पर मान्यता है जिसे बकाया राशि तथा लागू ब्याज दर को ध्यान में रखकर लिया गया है।

उपभोज्य वस्तुओं की लागत

(16) काली पोलीथीन फिल्मों, मल्टी–लेअर्ड क्रॉस लेमिनेटेड कवर्स, बाँस की चटाइयों, पीवीसी फ्लोर डनेज और पॉलीथिन कवर्स तथा इस प्रकार की अन्य उपभोज्य वस्तुओं की लागत को उपयोग के लिए जारी किए गए वर्ष के राजस्व में प्रभारित किया गया है।

स्वैच्छिक सेवा–निवृत्ति योजना व्यय

(17) सेवांत लाभों (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति व्यय सहित) को उसी वर्ष में लेखाबद्ध किया गया है जिसमें वे प्राप्त हुए हैं।

बीमा दावे

(18) प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर बीमा कंपनी से बीमा दावे के रूप में वसूल की जाने वाली राशि को किए गए दावे के वर्ष में मान्यता दी जाती है। बीमा कंपनी से सर्वे रिपोर्ट/दावे की वास्तविक प्राप्ति के समय बीमा दावे के निपटान के लिए लाभ अथवा हानि को लेखाबद्ध किया जाता है। जमाकर्ता को दावे का भुगतान बीमाकर्ता से उसकी रसीद प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जाता है।

माध्यस्थ निर्णय

(19) निगम के विरुद्ध माध्यस्थ निर्णय को तभी माना गया जब इसके लिए कोई विवाद नहीं उठाया गया। फिर भी, निगम के पक्ष में दी गई राशि को वसूली के समय ही लेखाबद्ध किया जाता है, क्योंकि इसकी वसूली अनिश्चित होती है।

ठेकेदारों/पार्टियों के विरुद्ध दावों को लेखाबद्ध करना

(20) जहां पर यथोचित वसूली निश्चित हो, वहां ठेकेदारों/पार्टियों के विरुद्ध दावों को लेखाबद्ध किया जाता है।

अदावाकृत लाभांश

(21) जिन लाभांश वारंट को इनकैश नहीं किया गया है उन्हें ''अदावाकृत लाभांश'' शीर्ष के तहत देयता के रूप में दर्शाया गया है, चाहे वह किसी भी वर्ष से संबंधित हों।

विदेशी मुद्रा लेन.देन

(22) **प्रारंभिक मान्यता**

विदेशी मुद्राओं में किए जाने वाले लेन–देन को लेन–देन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर रिकॉर्ड किया गया है।

बाद में मान्यता

रिपोर्टिंग की तिथि को गैर–मौद्रिक वस्तुओं (राजस्व मद एवं स्थाई परिसम्पतियां) जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत में नामित शर्तों पर रखा गया है, को लेन–देन की तिथि पर विनिमय दर का प्रयोग करके दर्ज किया गया है।

विदेशी मुद्रा में सभी मौद्रिक परिसम्पतियों एवं देयताओं (वर्तमान परिसम्पतियाँ एवं वर्तमान देयताएं) को तुलन पत्र तिथि पर विनिमय दर का प्रयोग करते हुए पुनः दिया गया है एवं विनिमय के अन्तर को लाभ–हानि लेखे में मान्यता दी गई है।

सरकारी अनुदान

(23) सरकारी अनुदान तभी स्वीकृत किए जाते हैं जब इसमें युक्तिसंगत आश्वासन दिया जाता है कि इसे प्राप्त किया जाएगा और इससे जुड़ी सभी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

(क) विशिष्ट स्थायी परिसम्पतियों से संबंधित पूंजी अनुदान को संबंधित परिसम्पतियों के सकल मूल्य से घटाया गया है।

(ख) राजस्व अनुदान को संबंधित खर्चे घटाकर लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है।

निवेश

(24) निवेश को वर्तमान एवं गैर.वर्तमान निवेश में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान निवेश निचली लागत अथवा शुद्ध मूल्य पर दिखाया गया है। प्रबंधन की राय में लम्बी अवधि के निवेश लागत पर दिखाए गए हैं तथा कीमत में कमी का प्रावधान केवल तभी किया जाता है जब ऐसी गिरावट अस्थायी के अलावा हो।

कर्मचारी लाभ

(25) (क) सभी लघु अवधि कर्मचारी लाभों को उस लेखा अवधि में छूट रहित राशि पर मान्यता दी गई है

जिसमें वे खर्च किए गए हैं।

(ख) भविष्य निधि, पेंशन निधि तथा सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ निधि को अंशदान योजना में पारिभाषित किया गया है। वर्ष के दौरान दिए गए अंशदान की राशि को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

(ग) छुट्टी नकदीकरण, ग्रेच्युटी तथा एलटीसी के संबंध में परिभाषित लाभ योजनाओं के अधीन कर्मचारी लाभों की परिभाषित लाभ देयता को वर्तमान मूल्य के आधार पर मान्यता दी गई तथा वर्ष के अंत में प्रोजैक्टिड यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर गणना की गई। वर्ष के दौरान योजना परिसंपत्तियों की अधिकता को वास्तविक देयता के रूप में मान्यता दी गई है।

(घ) सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि के भुगतान को प्रोद्भूत आधार पर लाभ–हानि खाते में मान्यता दी गई है।

पट्टे

(26) **प्रचालन पट्टे :**

जहाँ निगम पट्टाकर्ता है :

वे पट्टे जिनमें निगम महत्वपूर्ण रूप से परिसंपत्तियों के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों का हस्तांतरण नहीं करता उन्हें प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रचालन पट्टों की परिसम्पत्तियाँ, स्थाई परिसम्पत्तियों में सम्मिलित हैं। प्रचालन पट्टे पर आय को लाभ–हानि लेखों में पट्टे की शर्त पर स्ट्रेट लाइन आधार पर मान्यता दी गई है। मूल्यह्रास सहित लागत को व्यय के रूप में लाभ–हानि लेखे में मान्यता दी गई है।

जहाँ निगम पट्टेदार है :

जहाँ पर पट्टाकर्ता पट्टे की मदों के स्वामित्व के सभी जोखिमों एवं लाभों को प्रभावी रूप से रखता है, वहाँ पट्टेदार को प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रचालन पट्टे भुगतान को पट्टे शर्तों पर स्ट्रेट लाइन आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

आय पर कर

(27) (क) आयकर व्यय में चालू कर एवं आस्थगित कर शामिल हैं। चालू कर के लिए प्रावधान निर्धारण योग्य लाभ पर आधारित है तथा इसकी गणना आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है। आस्थगित कर को मान्यता दी गई है, बशर्ते कि एक अवधि में होने वाले कर–योग्य एवं लेखाबद्ध आय/व्यय के बीच अंतर से होने वाले समय अंतराल पर स्वविवेक के अधीन एक या एक से अधिक आगामी अवधि में उसकी वापसी सुनिश्चित कर दी गई है।

(ख) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां केवल तभी मान्य होगी, जब यह सुनिश्चित हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध हो जाएगी, जिस पर ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियां वसूल की जा सकेंगी। यदि निगम ने अनामेलित मूल्यह्रास तथा कर हानियां, अग्रेषित की हैं, तो आस्थगित कर परिसंपतियों को केवल तभी मान्यता दी जाएगी जब विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा वास्तविक रूप से सुनिश्चित किया जाए कि पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे ऐसी आस्थगित कर परिसंपतियों की वसूली की जा सकेगी।

(ग) कर विधियों के अनुसार प्रदत्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) जो भविष्य के आयकर देयताओं के समायोजन के रूप में भविष्य के आर्थिक लाभों में बढ़ोतरी करते हैं, उन्हें परिसंपत्ति के रूप में तभी माना जाए जब यह विश्वसनीय साक्ष्य हो कि निगम भविष्य में सामान्य कर का भुगतान करेगा। निगम प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में इसकी समीक्षा करता है और मैट क्रेडिट पात्रता की अग्रेषित राशि को उस सीमा तक पुरांकित करता है, जब तक ऐसा कोई वास्तविक साक्ष्य न रह जाए कि निगम विनिर्दिष्ट अवधि में क्रेडिट का उपयोग करने के योग्य होगा।

अमूर्त परिसंपत्तियां

(28) (क) कंटेनर रेल परिवहन के लिए भारतीय रेलवे को दी गई लाइसेंस फीस/पंजीकरण फीस को "अमूर्त परिसम्पत्तियों" के रूप में पूंजीकृत किया

गया है और 20 वर्ष की अवधि अर्थात् प्रचालन प्रारम्भ करने के वर्ष से रेलवे द्वारा जितनी अवधि के लिए अनुमति दी गई है, में परिशोधित किया गया है।

(ख) ऐसी भूमि जिन पर "प्रयोग का अधिकार" आधार पर कब्जा लिया गया है, उनके लिए प्रदत्त राशि को 'अमूर्त परिसंपत्ति' के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और उन पर 10 वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है। इन परिसंपत्तियों की उपयोग अवधि तथा तकनीकी प्रमाणीकरण को ध्यान में रखते हुए ऐसी भूमि पर निर्मित वेअरहाउसों/भवनों और अन्य परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास सामान्य उपयोगी अवधि के अनुसार प्रभारित किया जाता है, जैसा कि लेखा नीति सं. 8(ख) में उल्लिखित है। इसके लिए ''प्रयोग करने का अधिकार'' की अवधि पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यदि ''प्रयोग का अधिकार'' वाली भूमि वापस ली गई है तो ऐसे वेअरहाउस/भवन एवं अन्य निर्मित परिसंपत्तियों को सौंपने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति को उनके पुरांकित मूल्य तथा लाभ या हानि यदि कोई हो, पर समायोजित कर दिया जाता है और लेन–देन को लेखाबहियों में तदनुसार लेखाबद्ध किया जाता है।

(ग) जो सॉफ्टवेयर संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, उसे अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में माना गया है और 03 वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित किया गया है।

(घ) निजी फ्रेट टर्मिनल के लिए लाइसेंस की लागत को 10 वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया है।

परिसंपत्तियों में क्षीणता

(29) यदि परिसंपत्तियों के रख–रखाव की लागत इसकी वसूली योग्य कीमत से बढ़ जाती है तो उन सम्पत्तियों को क्षीण माना जाता है। क्षीणता हानि को उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष में परिसम्पत्तियों की क्षीणता का पता चलता है। यदि वसूली योग्य राशि के प्राक्कलन में परिवर्तन होता है तो पूर्व लेखांकन अवधि में मान्य क्षीणता हानि प्रत्यावर्तित हो जाती है।

प्रावधान, आकस्मिक देयता, आकस्मिक परिसम्पत्तियाँ

(30) (क) पिछली घटना के फलस्वरूप जब निगम के वर्तमान दायित्व होते हैं, तब प्रावधान को मान्यता दी जाती है तथा संभव है कि दायित्वों को पूरा करने के लिए अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता हो और जिसके बारे में वास्तविक अनुमान लगाया जा सकता है।

(ख) निगम के विरुद्ध दावों के संबंध में आकस्मिक देयताओं को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि ऋण उपलब्ध सूचना तथा प्रबंधन के फैसले के आधार पर निर्धारित किए गए तथा लेखों की टिप्पणियों द्वारा प्रकट किए गए । तथापि, आकस्मिक परिसम्पत्तियों को न तो मान्यता दी गई और न ही उन्हें प्रकट किया गया है।

(ग) पूर्वव्यापी प्रभाव के लेखों के परिचालन की तिथि के बाद लिए गए निर्णय के कारण देयताओं/अर्जित आय को सीधे संबद्ध लेखा शीर्ष के अधीन लेखाबद्ध किया गया है।

(घ) कर्मचारियों के यात्रा व्यय तथा छुट्टी यात्रा रियायत संबंधी देयताओं, जहाँ यात्रा वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रारंभ होती है लेकिन बिलों की प्रतीक्षा रहती है, बशर्ते कि उन्हें अग्रिम का भुगतान किया गया है और बिलों का आवश्यक समायोजन अगले वर्ष बिल प्राप्ति पर किया जाता है।

(ड.) जब तक कि कोई विवाद न हो संपत्ति कर को प्राप्त माँग तथा उपलब्ध सूचना के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान

(31) अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए तभी प्रावधान किए जाते हैं, जब देनदार/ऋण एवं अग्रिम की वसूली संदिग्ध मानी जाती है।

अनुसूची XXXII : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. क) लेखा नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव

नीति संख्या	लेखांकन नीति (संशोधित)	लाभ पर प्रभाव (लाख रु. में)
13	विभागीय रूप से निष्पादित पूंजी और जमा कार्यों पर किए गए निर्माण ओवरहेड्स को कार्य की लागत का 7 प्रतिशत (सात प्रतिशत) या वास्तविक ओवरहेड दर जो भी कम हो, आबंटित किया जाता है। बाहरी एजेंसी के माध्यम से निष्पादित पूंजी कार्यों के लिए, एजेंसी को देय शुल्क/प्रभार वास्तविक देय राशि पर पूंजीकृत किए जाएंगे।	358.10 (गिरावट)
15 (घ)	ब्याज आय को तब मान्यता दी जाती है जब इसकी मापनीयता या सामूहिकता के रूप में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो। इसे समय अनुपाल के आधार पर बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए मान्यता दी जाती है।	शून्य
18	प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर बीमा कंपनी से बीमा दावे के लिए वसूल की जाने वाली राशि को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जब दावा किया गया हो। बीमा दावे के निपटान के संबंध में लाभ या हानि को सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति/बीमा कंपनी से दावे की वास्तविक प्राप्ति के समय लेखाबद्ध किया जाता है। जमाकर्ता को दावे का भुगतान उसकी रसीद प्राप्त होने के बाद किया जाता है।	शून्य

2. पूंजी प्रतिबद्धता/सिविल अनुबंधों पर अनुमानित देयताएं:

(क) 31.03.2019 को निष्पादित किए जाने वाले पूंजी लेखा पर सिविल ठेकों की अनुमानित राशि 3902.82 लाख रु. (गत वर्ष 2164.51 लाख रु.) है।

(ख) दिनांक 31.03.2019 तक पूरे किए गए निर्माण कार्य हेतु 1567.28 लाख रु. (गत वर्ष 1581.65 लाख रु.) की अनुमानित देयता जिसके लिए ठेकेदारों द्वारा बिल नहीं दिए गए है, को साइट इंजीनियरों के प्रमाण पत्र के आधार परं लेखाबद्ध किया गया है।

(ग) केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकोर) ने 10.09.2018 को एक संयुक्त कार्यकारी समूह (जोइंट वर्किंग ग्रुप) बनाने के लिए एक समझौता किया है, जिसका नाम पिपावाव इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब (पीआईएलएच) है, जो पिपावाव पोर्ट, गुजरात, भारत में लॉजिस्टिक सुविधा संचालित करने के लिए है। केंद्रीय भंडारण निगम को पीआईएलएच में पूंजी प्रतिबद्धता के रूप में 2019–20 के दौरान 5 करोड़ रु. का निवेश करना है।

3. अभियांत्रिकी ओवरहैड्स का आबंटन

लेखांकन नीति संख्या–13 के अनुसार 365.38 लाख (गत वर्ष 777.43 लाख रु.) की राशि वाले अभियांत्रिकी ओवरहेड्स को वर्ष के दौरान निगम द्वारा किए गए पूंजी और जमा कार्यों के लिए आबंटित किया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:–

i) 354.85 लाख रु. (गत वर्ष 701.40 लाख रु.) पूंजी कार्यों में प्रभारित किए गए।

ii) 10.53 लाख रु. (गत वर्ष 76.03 लाख रु.) जमा कार्यों में प्रभारित किए गए।

4. राजस्व मान्यता

(क) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उनके पत्र दिनांक 13.02.2019 के अनुसार) ने वर्ष 2016–17 के लिए आरक्षण के आधार पर एफसीआई स्टॉक के लिए भंडारण दरों को संशोधित कर 4.30 रु. से 4.68 रु. प्रति बैग प्रति माह कर दिया है। 01.04.2016 से 31.03.2018 तक की अवधि के लिए ऐसे स्टॉक के संबंध में 5225.66 लाख रु. के आय का बकाया चालू वर्ष में लेखाबद्ध किया गया है। वर्ष 2018–19 की आय 4.68 रु. प्रति बैग प्रति माह की दर से लेखाबद्ध की गई है।

(ख) ए.एस.–9 के अनुसार निम्नलिखित मामलों में उनके अंतिम संग्रह (अल्टीमेट कलैक्शन) में अनिश्चितता के कारण राजस्व मान्यता को स्थगित कर दिया गया है :

क) आईसीडी.लोनी में रणनीतिक भागीदारी प्रबंधन प्रचालक (एसएएमओ) के साथ विवाद के संबंध में निगम ने निम्न के लिए दावा किया (क) 1670.28 लाख रु. के खाली कंटेनरों पर परिवर्तनीय शुल्क (ख) अन्य निजी कंटेनर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर (पीसीटीओ) के ट्रेनों पर कंटेनर परिवहन के 6556.94 लाख रु. (ग) टर्मिनल एसेस चार्जेज के 13978.98 लाख रु. (घ) आईसीडी–लोनी एवं गेट.वे पोर्ट के बीच सड़क द्वारा कंटेनर ले जाने के संबंध में 435.21 लाख रु. शुल्क (ड़) अधिक क्षेत्र के लिए 1962.50 लाख रु. प्रभार तथा (च) डब्ल्यूडब्ल्यूआईएलपीएल की विफलता के कारण समझौते के अनुसार एक रेक प्रदान करने हेतु 1036.80 लाख रु. हानि (छ) केंद्रीय भंडारण निगम को व्यापार एवं राजस्व में 454.22 लाख रु. की हानि (ज) भुगतान में देरी पर ब्याज हेतु 20596.34 लाख रु.।

ख) सीएफएस, व्हाइटफील्ड, बेंगलुरू में पूर्व रणनीतिक भागीदारी प्रबन्धन ठेका जो 30.4.2014 से समाप्त हो गया, के संबंध में निगम ने बाण्डेड भण्डारण तथा खाली कंटेनरों इत्यादि से प्राप्त आय की शेयरिंग के लिए माध्यस्थम के समक्ष 2856.13 लाख रु. का प्रतिदावा किया जिसे माध्यस्थम् द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इस मामले की उच्च न्यायालय में अपील की गई है। अन्य माध्यस्थता में निगम ने खर्चों की वसूली के लिए 885.08 लाख रु. का प्रतिदावा भी किया है।

ग) सीएफएस, लॉजिस्टिक पार्क, नवी मुम्बई में रेल लिंक्ड सुविधा के लिए रणनीतिक भागीदारी प्रबंधन ठेके के संबंध में रेलवे प्रचालन शुरू करने के बारे में विवाद है तथा 25 अगस्त, 2014 तक निगम द्वारा दावाकृत 8 प्रतिशत की तुलना में एसएएमओ ने कुल राजस्व के 6 प्रतिशत की दर से परिवर्तनीय शुल्क का भुगतान किया जिसमें परिवर्तन फीस 1558.38 लाख रु. (गत वर्ष 1558.38 लाख रु.) और भुगतान में विलम्ब के लिए 1464.79 लाख रु. (गत वर्ष 1256.20 लाख रु.) का ब्याज, विवादित राशि है।

घ) सीएफएस, कालम्बोली में रेल लिंक्ड सुविधा के लिए रणनीतिक भागीदारी प्रबंधन कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में जहां निर्धारित एवं परिवर्तनीय शुल्क के भुगतान में एसएएमओ द्वारा देरी हुई एवं कानूनी कार्रवाई लंबित है तथा भुगतान में देरी हेतु निगम ने 1441.65 लाख रुपए (गत वर्ष 1343.82 लाख रुपए) के ब्याज का दावा किया है जो एसएएमओ द्वारा विवादित है।

ड.) केन्द्रीय भंडारण निगम के नवी मुम्बई में सीएफएस तथा बफर यार्ड सुविधा की लीज़ समाप्त होने पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) द्वारा सुविधा की फिजीकल पोजेशन दिसंबर, 2005 में दूसरे ऑपरेटर को दे दी गई थी। साथ ही, निगम की कब्ज़े में जो कंटेनर/कार्गो थे, उनका फिजीकल पोज़ेशन भी उसे दे दिया गया था। निगम ने नए प्रचालक/जेएनपीटी पर 3095.00 लाख रु. का दावा किया है। हालांकि, सौंपे गये कंटेनर/कार्गो पर वसूली योग्य वास्तविक राशि अनिश्चित है।

5. अन्य प्रकटन

निगम ने कुछ ठेकेदारों से 1352.52 लाख रु. (गत वर्ष 1164.33 लाख रु.) की वसूली सेवाकर के रूप में प्राप्त करने का दावा किया क्योंकि इसे अतिरिक्त भुगतान के रूप में माना जाता था या ठेकेदारों ने निगम को सेनवेट क्रेडिट का दावा नहीं करने के लिए उचित इन्वाइस प्रस्तुत नहीं किया था। ठेकेदारों से 336.35 लाख रु. (गत वर्ष 323.70 लाख रु.) वसूल किए गए थे तथापि, ठेकेदारों द्वारा विवाद उठाया गया। यह मामला न्यायालय के समक्ष/माध्यस्थ होने के कारण शेष राशि की वसूली हेतु अनिश्चित है। विवाद का निपटारा न होने के कारण वसूल की गई राशि को ठेकेदारों को देय राशि के रूप में दर्शाया गया है।

6. विदेशी मुद्रा में लेन–देन

(क) वर्ष के दौरान निम्नलिखित लेन–देन कार्य विदेशी मुद्रा में किए गए :

	व्यय	लाख रु. में
i)	अभिदान एवं सदस्यता शुल्क	3.18
ii)	अन्य व्यय	शून्य

(ख) वर्ष के दौरान 8.32 लाख रु. (आय) {गत वर्ष 0.33 लाख रु. (आय)} के निवल विनिमय अन्तर को मान्यता दी गई जो विदेशी मुद्रा में निवल भुगतान/प्राप्ति योग्य से संबंधित है।

7. सरकारी अनुदानः

वर्ष 2018–19 के दौरान सरकारी अनुदान की प्राप्ति एवं उपयोगिता तथा दिनांक 31.03.2019 को उनके शेष का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

(लाख रु. में)

क्र. सं.	उद्देश्य	केन्द्र का नाम	अथ शेष	प्राप्त अनुदान	उपयोग किया गया अनुदान	वपिस किया गया अनुदान	अंत शेष
क	**पूंजी अनुदान**		**क**	**ख**	**ग**	**घ**	**ड़ (क+ख+ग+घ)**
1	पुराक्कड़, अलीप्पे में गोदाम का निर्माण–केरल सरकार से प्राप्त (क)	सै.वे. पुराक्कड़	528.00	–	40.00	–	488.00
2	एपीएसडब्ल्यूसी द्वारा निर्यात प्रमाणित प्रसंस्करण एवं शीत भंडारण इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से (438.00 लाख रु.) प्राप्त तथा कोल्ड स्टोरज के लिए स्पाइसिस पार्क, गुंटूर में 500 लाख रु. की लागत से एक्सपोर्ट ओरिएंटिड एंकर यूनिट की स्थापना। (# ख)	गुंटूर में एपीएस डब्ल्यूसी द्वारा कोल्ड स्टोरेज संरचना	938.00.	–	500.00	438.00	शून्य
3	पिपावाव (गुजरात) में सीएफएस की स्थापना– वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त (# ग)	सीएफएस पिपावाव	155.64	–	–	–	155.64
4	आईसीडी–पटपड़गंज (दिल्ली) में आधुनिकीकरण एवं ऑटोमेशन सुविधा लगाना– वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त (# ग)	आईसीडी पटपड़गंज	385.36	–	–	–	385.36
	उप योग		**2007.00**	**0.00**	**540.00**	**438.00**	**1029.00**
ख	**राजस्व अनुदान**						
5	आईजीएमआरआई, हापुड़ में प्रशिक्षण अवसंरचना एवं प्रयोगशाला के उन्नयन, खाद्यान्न टेस्टिंग लेबोरेट्री में पेस्टिसाइड रेसिड्यू और माइकोटॉक्सीन कन्टेमिनेशन के रेनोवेशन के लिए सिविल और इलैक्ट्रिकल कार्यों का भुगतान, 125 केवीए के एक डीजी सेट की खरीद का भुगतान– उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से प्राप्त	हापुड़	3.02	–	3.02	–	शून्य
	उप योग		**3.02**	**–**	**3.02**	**–**	**शून्य**
	कुल अनुदान (क+ख)		**2010.02**	**0.00**	**543.02**	**438.00**	**1029.00**

 # नोटः

क) अनुदान का उपयोग 28 सितंबर, 2018 तक किया जाना था। धान के भंडारण के लिए गोदामों के निर्माण हेतु दलदली भूमि के सुधार/रूपांतरण कारण काम में देरी हुई है। निगम द्वारा समय बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया है। चूंकि अनुदान की निबंधन और शर्तों में कोई ब्याज खंड नहीं है, इसलिए ब्याज नहीं दिया गया है।

ख) 2016–17 में निगम द्वारा वाणिज्य मंत्रालय को 938 लाख रु. का अनुदान वापस किया गया जो एपीएसडब्ल्यूसी की बुनियादी परियोजनाओं के लिए 30.01.2017 को केंद्रीय भंडारण निगम को पुनः जारी किया गया था। 438 लाख रु. का अनुदान 64.68 लाख रुपये के ब्याज सहित वाणिज्य मंत्रालय

को वापस कर दिया गया है। गुंटूर परियोजना के पूरा होने की समय–सीमा 31.03.2018 तक थी। परियोजना के निष्पादन में हुई देरी के लिए 107.67 लाख रु. के 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज को लेखों में दिया गया है और एपीएसडब्ल्यूसी से वसूली योग्य दर्शाया गया है।

ग) पिछले वर्षों में सीएफएस पिपावाव एवं आईसीडी पटपड़गंज के लिए एएसआईडीई योजना के अंतर्गत निगम द्वारा उपयोग किए गए क्रमशः 155.64 लाख रु. एवं 385.36 लाख रु. के अनुदान को किए गए व्यय के नियमितीकरण पर वाणिज्य मंत्रालय के लंबित निर्णय के आधार पर गत वर्ष पुनः दर्शाया गया। ब्याज 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 54.10 लाख रु. के 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज को लेखों में दिया गया है।

8. निवेश का लेखांकन

(क) (i) निगम द्वारा 31.3.2019 तक निम्नलिखित निवेश किया गयाः–

लाख रु. में

दीर्घ अवधि निवेश (अनुधृत)	31.3.2019 को	31.3.2018 को
राज्य भण्डारण निगमों (रा.भ.नि.) (सहयोगी) में इक्विटी (दीर्घ अवधि)	6179.38	6179.38
सैंट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लि. (सीआरडब्ल्यूसी) (100% सहायक कंपनी) में इक्विटी (दीर्घ अवधि)	4056.00	4056.00
नेशनल मल्टी–कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लि. (एनएमसीई) (सहयोगी) में इक्विटी (दीर्घ अवधि)	शून्य	832.90
इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि. (आईसीईएक्स) में इक्विटी (आईसीईएक्स के साथ विलय पर एनएमसीई में शेयरों के बदले में प्राप्त शेयर) – दीर्घ अवधि 376.81 लाख रु. – चालू 456.09 लाख रु.	832.90	शून्य
कुल	**11068.28**	**11068.28**

(ii) केन्द्रीय भण्डारण निगम ने राज्य भण्डारण निगमों की अंश पूंजी में अपना 50 प्रतिशत अंश देना है जहाँ संबंधित राज्य सरकारों ने पहले ही अपना 50 प्रतिशत अंश दे दिया है। राज्य भंडारण निगम की समेकित हानियाँ, लेखों का तैयार न होना, वार्षिक साधारण बैठक का समय पर न होना तथा लाभांश का भुगतान समय पर न देने के कारण निगम ने असम राज्य भण्डारण निगम, कर्नाटक राज्य भण्डारण निगम, केरल राज्य भण्डारण निगम, मेघालय राज्य भण्डारण निगम तथा मध्य प्रदेश भण्डारण और लॉजिस्टिक्स निगम की अंशपूंजी में 50 प्रतिशत के अपने अंश का भुगतान नहीं किया है।

(ख) उपरोक्त निवेश से अर्जित 2529.43 लाख रु. की आय को लाभ एवं हानि लेखे में निम्नानुसार शामिल किया गया है :

लाख रु. में

सहायक	2018–19	2017–18
राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी) से प्राप्त लाभांश	1839.91	989.24
सीआरडब्ल्यूसी (सहायक कंपनी) से प्राप्त लाभांश	689.52	608.40
कुल	**2529.43**	**1597.64**

9. कर्मचारी लाभ का प्रकटन

(क) परिभाषित अंशदान योजना

(i) (क) वर्ष के लिए केभनि कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता का योगदान 3013.13 लाख रु. (गत वर्ष 3007.36 लाख रु.) रहा जिसमें से

2993.64 लाख रु. (गत वर्ष 2943.25 लाख रु.) को व्यय के रूप में मान्यता दी गई और 19.49 लाख रु. (गत वर्ष 64.11 लाख रु.) को पूंजीकृत किया गया है।

(ख) वर्ष में केन्द्रीय भण्डारण निगम पेंशन निधि में नियोक्ता का योगदान महंगाई भत्ते सहित मूल वेतन का 7.6 प्रतिशत की दर से निर्धारित है जिसकी राशि 1972.24 लाख रु. (गत वर्ष 2267.42 लाख रु.) है । इसमें से 1959.11 लाख रु. (गत वर्ष 2232.20 लाख रु.) को व्यय के रूप में मान्यता दी गई तथा 13.13 लाख रु. (गत वर्ष 35.22 लाख रु.) को पूंजीकृत किया गया है।

(ii) (क) वर्ष के लिए केभनि सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ निधि में नियोक्ता का योगदान मंहगाई भत्ते सहित मूल वेतन के 3.03 प्रतिशत की दर पर निश्चित किया गया है जो 732.97 लाख रु. (गत वर्ष 1002.50 लाख रु.) है। इसमें से 728.31 लाख रु. (गत वर्ष 982.96 लाख रु.) को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है और 4.66 लाख रु. (गत वर्ष 19.54 लाख रु.) को पूंजीकृत किया गया है।

(ख) पीआरएमबी योजना में भाग लेने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों में समूह 'क' को 1500/—रु., समूह 'ख' को 1200/—रु., समूह 'ग' को 900/—रु. एवं समूह 'घ' को 600/—रु. का वार्षिक योगदान करना आवश्यक है।

(ग) पीआरएमबी ट्रस्ट का गठन 27.11.2018 को पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनेफिट स्कीम को संचालित करने के लिए किया गया था। वर्ष के दौरान 15000 लाख रु. की राशि का भुगतान ट्रस्ट को किया गया जो निगम द्वारा बनाए गए पीआरएमबी फंड में से किया गया था और पीआरएमबी फंड में रखी शेष 6256.70 लाख रु. की राशि का भुगतान 2019—20 के दौरान ट्रस्ट को किया जा रहा है।

(घ) सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) निधि के लिए आरक्षित के संबंध में 27.11.2015 को बोर्ड के निर्णय के अनुसार पीआरएमबी की आरक्षित निधि निवेश पर 898.29 लाख रु. (आय कर देयता का निवल) (गत वर्ष 905.82 लाख रु.) के ऊपर वर्ष के दौरान निगम द्वारा अर्जित किए गए 6.85 प्रतिशत की दर से ब्याज के लिए क्रेडिट को लाभ एवं हानि विनियोजन लेखा से पीआरएमबी निधि के लिए आरक्षित में हस्तांतरित कर दिया गया है।

(ख) परिभाषित लाभ योजना

(i) कर्मचारी लाभ अर्थात् ग्रेच्यूटी, छुट्टी लाभ एवं छुट्टी यात्रा रियायत का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बीमांकिक मूल्यांकन कर दिया गया है।

(ii) छुट्टी लाभ निधि के लिए आरक्षित के संबंध में, 12.02.2018 को बोर्ड के निर्णय के अनुसार वर्ष के दौरान निगम द्वारा 630.96 लाख रु. (आयकर देयता के निवल) पर अर्जित किए गए 6.85 प्रतिशत की दर से ब्याज के लिए क्रेडिट (गत वर्ष 741.97 लाख रु.) को लाभ एवं हानि विनियोजन खाते से छुट्टी लाभ निधि के लिए आरक्षित में हस्तांतरित कर दिया गया है।

(iii) कर्मचारी लाभ दायित्व के अथशेष एवं अंतशेष का मिलान निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

विवरण	ग्रेच्युटी (निधिकारी)		छुट्टी लाभ (अनिधिकारी)		एलटीसी (अनिधिकारी)	
	2018—19	2017—18	2018—19	2017—18	2018—19	2017—18
1 अप्रैल को देयता का वर्तमान मूल्य	338.29	247.18	140.86	159.06	2.58	2.44
जोड़ा : ब्याज लागत	25.71	17.29	10.71	11.13	0	0
जोड़ा : चालू सेवा लागत	8.95	8.75	6.62	10.51	1.60	1.76
जोड़ा : पूर्व सेवा लागत (गैर निहित लाभ)	0	115.34	0	0	0	0

विवरण	ग्रेच्युटी (निधिकारी)		छुट्टी लाभ (अनिधिकारी)		एलटीसी (अनिधिकारी)	
	2018–19	2017–18	2018–19	2017–18	2018–19	2017–18
जोड़ा : पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	0	0	0	0	0	0
घटाया : प्रदत्त लाभ	(73.07)	(42.36)	(37.37)	(38.37)	(1.21)	(1.62)
देयता में बीमांकिक (लाभ)/हानि (संतुलन आंकड़ा)	(7.44)	(7.91)	8.28	(1.47)	0	0
31 मार्च को देयता का वर्तमान मूल्य	292.44	338.29	129.10	140.86	2.97	2.58
1 अप्रैल को योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	252.23	234.25	0	0	0	0
जोड़ा : योजनागत परिसम्पत्तियों पर संभावित रिटर्न	19.17	18.14	0	0	0	0
जोड़ा : योगदान	86.06	42.93	0	0	0	0
जोड़ा : निधि ट्रांसफर (अंदर की ओर से)	0.05	0.00	0	0	0	0
घटाया : प्रदत्त लाभ	(73.07)	(42.36)	0	0	0	0
योजनागत परिसम्पत्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि (संतुलन आंकड़ा)	1.60	(0.73)	0	0	0	0
31 मार्च को योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	286.04	252.23	0	0	0	0
मानक के अनुसार तत्काल मान्यता दिए जाने वाले कुल बीमांकिक मूल्यांकन (लाभ)/हानि	9.04	7.18	(8.28)	1.47	0	0
निवेश पर रिटर्न से क्रेडिट (कर का निवल)	0	0	6.31	7.42	0	0
वेतन संशोधन प्रावधानों से हस्तांतरित	0	2.09	0	10.34	0	0
लाभ एवं हानि लेखे में मान्य व्यय	6.36	113.55	18.90	1.69	1.58	1.71
पूंजीकृत व्यय हस्तांतरित	0.05	0.42	0.40	0.72	0.02	0.05
कुल व्यय	**6.41**	**116.06**	**19.30**	**12.75**	**1.60**	**1.76**

(iv) योजना परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य का मिलान (ग्रेच्युटी फंड)

कर्मचारियों के लाभ के संबंध में निगम के पास ग्रेच्युटी के सिवाय कोई योजना परिसम्पत्तियां नहीं हैं जिसके लिए 24 मार्च, 2010 को ग्रेच्यूटी ट्रस्ट बनाया गया था। 31.3.2019 को ग्रेच्युटी फंड के संबंध में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य 286.04 करोड़ रु. (गत वर्ष 252.23 करोड़ रु.) है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

करोड रु.में

विवरण	2018–19	2017–18
अवधि के प्रारंभ में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	252.23	234.25
योजना परिसम्पत्तियों पर संभावित वापसी	19.17	18.14
नियोक्ता योगदान (ट्रस्ट को भुगतान)	86.06	42.93
निधि हस्तांतरण (आई एन)	0.05	0.00
योजना परिसम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	1.60	(0.73)
लाभ का भुगतान	(73.07)	(42.36)
अवधि के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	286.04	252.23

(v) मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संगत घटकों पर विचार करने के पश्चात् प्रोजैक्टिड यूनिट क्रैडिट (पीयूसी) का प्रयोग करके कर्मचारियों के लाभ की देयता का बीमांकिक मूल्यांकन किया गया।

(vi) कर्मचारी लाभ की देयताओं के मूल्यांकन के लिए प्रयोग किए गए बीमांकिक पूर्वानुमान निम्नलिखित हैं:–

वित्तीय पूर्वानुमान	ग्रेच्युटी		छुट्टी लाभ		एलटीसी	
	2018–19	2017–18	2018–19	2017–18	2018–19	2017–18
छूट दर	7.60%	7.60%	7.60%	7.60%	7.60%	7.60%
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की संभावित दर	7.60%	7.60%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
भविष्य में अनुमानित वेतनवृद्धि	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	लागू नहीं	लागू नहीं
मृत्यु दर	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मार्टेलिटी 06–08 अंतिम	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मार्टेलिटी 06–08 अंतिम	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मार्टेलिटी 06–08 अंतिम	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मार्टेलिटी 06–08 अंतिम	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मार्टेलिटी 06–08 अंतिम	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मार्टेलिटी 06–08 अंतिम
प्रतिवर्ष संघर्षण/निकासी दर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
औसत भावी कार्यशील अवधि (वर्ष में)	12.84	12.51	12.84	12.51	12.84	12.51

(vii) इस वर्ष तथा गत चार वर्षों की परिभाषित लाभ देयता (योजना परिसम्पत्तियों का निवल) का वर्तमान मूल्य नीचे दिया गया हैं :–

लाख रु. में

परिभाषित लाभ	2018–19	2017–18	2016–17	2015–16	2014–15
ग्रेच्युटी	640.41	8605.69	1292.99	883.61	8390.00
छुट्टी लाभ	12910.45	14085.90	15906.48	17765.26	17256.00
एलटीसी	297.13	258.41	244.35	194.24	129.00

(viii) निगम ने वर्ष 2013–14 से उन कर्मचारियों के नामिति/कानूनी वारिस को एकमुश्त अनुग्रही क्षतिपूर्ति के भुगतान का लाभ देने की सुविधा विस्तारित की है जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई थी, जिसमें ग एवं घ समूह के कर्मचारियों को 7.50 लाख रु. तथा क एवं ख समूह के कर्मचारियों को 10 लाख रु. देय हैं। चालू वर्ष में मृत्यु पर मुआवजे के लिए 182.19 लाख रु. (गत वर्ष 177.75 लाख रु.) के व्यय को लेखाबद्ध किया गया है।

10. वेतन में संशोधन हेतु प्रावधान

चूंकि यूनियनकृत सुपरवाइजर्स एवं कर्मचारियों का वेतन संशोधन दिनांक 01.01.2017 से देय हैं। अतः 8508.01 लाख रु. लेखा बहियों में दर्शाए गए हैं।

11. सेगमेंट रिर्पोटिंग

प्रबंधन की राय में निगम के पास कोई अलग–से रिपोर्ट योग्य खंड नहीं है।

12. संबंधित पार्टी प्रकटन

लेखांकन मानक 18 के अनुसार, संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन का प्रकटन निम्नानुसार है:–

क) संबंधित पार्टियाँ और उनकी सम्बद्धता की सूची:

क्र. सं	संबंधित पार्टी का नाम	संबंध
i)	सैन्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी लि. (सीआरडब्ल्यूसी) (जहां नियंत्रण विद्यमान है)	सहायक कंपनी
ii)	19 राज्य भण्डारण निगम (एसडब्ल्यूसी)	सहयोगी
iii)	नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि., (07.09.2018 तक)	सहयोगी
	मुख्य प्रबंधन कार्मिक	
iv)	श्री डी.वी.प्रसाद (11.01.2019 से)	अध्यक्ष
v)	श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव (18.06.2018 से)	प्रबन्ध निदेशक

vi)	श्री एस.चार्ल्स	निदेशक (वित्त)
vii)	श्री जे.एस.कौशल (31.05.2018 तक)	निदेशक (कार्मिक)
viii)	श्री एस.सी. मुद्गेरीकर	निदेशक (एम एंड सीपी)

ख) संबंधित पार्टियों से लेन–देनः

(लाख रु. में)

(i) सी.आर.डब्ल्यू.सी. (सहायक कम्पनी)	
– प्राप्त लाभांश	689.52
– सीआरडब्ल्यूसी द्वारा प्रत्याभूत ऋण का पुनः भुगतान (31.03.2019 को बकाया ऋण 1138.70 लाख रु. है)	1278.27
– सीआरडब्ल्यूसी को दिए गए ऋण पर प्राप्त ब्याज	149.86
– सीआरडब्ल्यूसी को प्रदान की गई पीसीएस सेवाएं	0.96
(ii) 19 राज्य भण्डारण निगम (एसडब्ल्यूसी) (सहयोगी)	
– राज्य भण्डारण निगमों से लाभांश आय	1839.91
– उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम को प्रदत्त गोदाम किराया	8.24
– गुजरात राज्य भण्डारण निगम को प्रदत्त गोदाम किराया	249.66
– गुजरात राज्य भण्डारण निगम से प्रदत्त रॉयल्टी	4.28
– ओडिशा एसडब्ल्यूसी के लिए निष्पादित जमा कार्य पर अर्जित की गई इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सेवाएं	11.41

मुख्य प्रबंधन कार्मिक	
(iii) श्री डी. वी. प्रसाद	
– सिटिंग शुल्क एवं यात्रा भत्ते	शून्य
(iv) श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव	
– पारिश्रमिक (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अनुसार 30.91 लाख रु. वेतन एवं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत 2.64 लाख रु. की अनुलब्धियां सम्मिलित हैं)	33.55
– यात्रा भत्ता	3.28
(vi) श्री एस. चार्ल्स	
– पारिश्रमिक (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अनुसार 42.96 लाख रु. वेतन एवं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत 1.07 लाख रु. की अनुलब्धियां सम्मिलित हैं)	44.03
– यात्रा भत्ता	4.31
(vii) श्री जे.एस. कौशल	
– पारिश्रमिक (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अनुसार 10.96 लाख रु. वेतन एवं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत 0.74 लाख रु. की अनुलब्धियां सम्मिलित हैं)	11.70
– यात्रा भत्ता	0.20
(viii) श्री एस.सी. मुडगेरीकर	
– पारिश्रमिक (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अनुसार 40.01 लाख रु. वेतन एवं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत 5.65 लाख रु. की अनुलब्धियां सम्मिलित हैं)	45.66
– यात्रा भत्ता	2.53

ग) सहायक कंपनी "सीआरडब्ल्यूसी"

निगम ने अपनी 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी "सैन्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी लि. (सीआरडब्ल्यूसी)" की इक्विटी में 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार 4056.00 लाख रु. (गत वर्ष 4056.00 लाख रु.) का निवेश किया है। रेलसाइड वेअरहाउसों के अन्तरण के लिए 688.70 लाख रु. (गत वर्ष 1606.96 लाख रु.) के ऋण तथा कार्यशील पूंजी के लिए 450 लाख रु. (गत वर्ष 810.00 लाख रु.) के अन्य ऋण से सीआरडब्ल्यूसी के

कुल 1138.70 लाख रु. के ऋणों की राशि बकाया है। सीआरडब्ल्यूसी के साथ हुए समझौते के अनुसार रेलसाइड वेअरहाउसों के अंतरण हेतु लिए गए ऋण पर 7.63 प्रतिशत की दर से प्रति वर्ष (तिमाही आधार पर) एवं कार्यशील पूंजी हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज (तिमाही आधार पर) सीआरडब्ल्यूसी द्वारा देय है जो सीआरडब्ल्यूसी द्वारा ऋणदाता बैंक को दिया जाना है। वर्ष के दौरान उपरोक्त ऋण पर 149.86 लाख रु. (गत वर्ष 259.60 लाख रु.) की ब्याज आय को लेखाबद्ध किया गया है।

13. पट्टों का प्रचालन

पट्टाकार के रूप में

निगम ने आईसीडी, लोनी तथा सीएफएस लॉजिस्टिक पार्क के लिए रणनीतिक भागीदारी प्रबंधन कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, जो रद्द हो सकने वाले प्रचालन पट्टे हैं।

क) पट्टेदारों को 31.03.2019 को प्रदान की गई स्थायी परिसंपत्तियाँ निम्नलिखित हैं :.

लाख रु. में

विवरण	सकल राशि	संचित मूल्यह्रास	निवल खाता मूल्य
भूमि	5,521.00	1,467.04	4,053.96
वेअरहाउस एवं गोदाम	1,028.22	322.35	705.87
जल संस्थापन	5.64	5.36	0.28
विद्युत संस्थापन	245.90	233.60	12.30
खुला कंटेनर यार्ड	2,628.51	563.92	2,064.59
कुल	**9,429.27**	**2,592.27**	**6,837.00**

ख) वर्ष के दौरान पट्टे पर दी गई उपर्युक्त परिसंपत्तियों पर 238.05 लाख रु. (गत वर्ष 442.19 लाख रु.) का सकल मूल्यह्रास प्रभारित किया गया। उपर्युक्त परिसंपत्तियों पर क्षीणता हानि का कोई संकेत नहीं है। उपर्युक्त सीएफएस लोनी तथा आईसीडी लॉजिस्टिक पार्क को प्रति टीईयू निश्चित शुल्क और परिवर्तनशील शुल्क को ध्यान में रखकर 15 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया है, बशर्ते, न्यूनतम गारंटीड थ्रुपुट/न्यूनतम राशि 5 से 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि सहित प्राप्त होनी चाहिए। वर्ष के दौरान प्रचालन पट्टों से 5799.97 लाख रु. (गत वर्ष 6124.38 लाख रु.) की कुल आय दर्शाई गई जिसमें से 79.63 लाख रु. (गत वर्ष 357.02 लाख रु.) आकस्मिक किराए के रूप में दर्शाए गए हैं।

14. प्रति शेयर आय

वर्ष के दौरान शेष इक्विटी शेयरों की वेटिड औसत संख्या से वर्ष में इक्विटी धारकों को होने वाले लाभ को विभाजित करके मूल और मिश्रित ईपीएस राशि की निम्नानुसार गणना की गई :–

मूल एवं मिश्रित	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
क) वर्ष के प्रारंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या	6,80,210	6,80,210
ख) वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या	6,80,210	6,80,210
ग) वर्ष के दौरान शेष इक्विटी शेयरों की वेटिड औसत संख्या	6,80,210	6,80,210
घ) प्रत्येक इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (रु. में)	1000/-	1000/-
ड़) इक्विटी अंशधारियों के लिए उपलब्ध कर पश्चात् लाभ (राशि रु. में)	163,60,52,277/-	31,87,53,277/-
प्रति इक्विटी शेयर आय – मूल (रु. में)	2405.22	468.61
प्रति इक्विटी शेयर आय – मिश्रित (रु. में)	2405.22	468.61

15. आय पर कर

i) इस वर्ष कर व्यय 6181.43 लाख रु. (गत वर्ष 426.06 लाख रु. जमा) हुआ जिसमें वर्तमान कर 4107.37 लाख रु., आस्थगित कर 2321.36 लाख रु. और पिछले वर्ष का कर समायोजन 247.30 लाख रु. (जमा) समाविष्ट है।

ii) आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा आस्थगित कर देयताओं को बंद कर दिया गया है क्योंकि इसे बंद करने हेतु कानून लागू करने योग्य अधिकार हैं। दिनांक 31.03.2019 को निवल आस्थगित कर देयता 5472.67 लाख रु. (गत वर्ष 3151.31 लाख रु.) है जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है:–

(लाख रु. में)

आस्थगित कर देयताएं		2018–19	2017–18
क.	स्थायी परिसम्पत्तियों के खंड में मूल्यह्रास और अन्य अंतर	25456.09	25885.04
ख.	आयकर प्रतिपूर्ति पर अर्जित ब्याज	43.70	255.76
कुल		**25499.79**	**26140.80**
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ			
क.	अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	9507.30	8720.74
ख	ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	223.78	2978.26
ग.	विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, दर, कर एवं शुल्क पीआरएमबी तथा अपरिशोधित पीआरएमबी सेवांत लागत आदि के लिए प्रावधान	8557.11	10089.94
घ.	अनिश्चित देयताओं के लिए प्रावधान	1738.93	1200.55
कुल		**20027.12**	**22989.49**
आस्थगित कर देयताएं (निवल)		5472.67	3151.31

iii) अपीलीय अधिकारी के अनुकूल निर्णयों को देखते हुए निर्धारण वर्ष 1997–98, 1998–99, 2001–02, 2002–03 तथा 2004–05 के लिए दिनांक 31.03.2019 को आयकर विभाग से 1281.81 लाख रु. वसूली योग्य राशि प्राप्त हुई। इस वसूली योग्य राशि पर 1044.77 लाख रु. कर का प्रावधान लाखों में किया गया है, जिसे प्रबंधन ने पर्याप्त माना है। इसके अतिरिक्त, निर्धारण वर्ष 2017–18 के लिए 593.59 लाख रु. के कर प्रावधान (टीडीएस क्रेडिट द्वारा घटाई गई कर देयता) बहियों में भी मौजूद है, जिसके लिए आयकर विभाग द्वारा कर आंकलन अभी तक शुरू किया जाना है। उपलब्ध टीडीएस क्रेडिट को देखते हुए निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए कोई कर प्रावधान अपेक्षित नहीं है।

16. सहायक/संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी

(क) निगम की अपनी सहायक कम्पनी अर्थात् सैन्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी लि., (सीआरडब्ल्यूसी) में 4056.00 लाख रु. की 100 प्रतिशत इक्विटी है, उनके लेखा परीक्षित लेखों के अनुसार वित्तीय विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रु. में)

विवरण	2018–19	2017–18
सकल राजस्व	8794.49	9688.47
सकल व्यय	7158.72	7324.03
कर पूर्व लाभ	1635.77	2364.44
कर पश्चात् लाभ	1487.71	1533.12
परिसम्पत्तियाँ	20067.81	20426.43
पूंजी एवं आरक्षित	12504.57	11848.11
देयताएं	7563.24	8578.32
आकस्मिक देयता	565.76	113.93

(ख) निगम ने वेअरहाउसिंग कारपोरेशंस अधिनियम, 1962 की धारा 19(2) के संबंध में अपनी सहयोगी अर्थात् 19 राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी) की अंशपूंजी में निवेश किया है। इन एसडब्ल्यूसी को दिनांक 31.3.2019 के लेखा परीक्षित लेखों के प्राप्त न होने के कारण इनकी परिसम्पत्तियों, देयताओं, आकस्मिक देयताओं, आय तथा व्यय में निगम के शेयर को प्रकट नहीं किया जा सकता।

(ग) निगम द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार एवं प्रस्तुत नहीं किए गए हैं क्योंकि निगम का गठन वेअरहाउसिंग कारपोरेशंस अधिनियम, 1962 के अधीन हुआ है और उसके अनुसार इन्हें तैयार करना अनिवार्य नहीं है।

(घ) केंद्रीय भंडारण निगम (केभनि) तथा कंटेनर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया (कॉनकोर) ने पिपवाव पोर्ट (गुजरात) पर लॉजिस्टिक सुविधा चलाने हेतु पिपवाव इन्टीग्रेटिड लॉजिस्टिक हब (पीआईएलएच नाम से जॉइन्ट वर्किंग ग्रूप (जेडब्ल्यूजी) स्थापित करने के लिए दिनॉक 10.09.2018 को समझौता किया है। केंद्रीय भंडारण निगम तथा कॉनकोर दोनों निवेश कार्यशील पूंजी तथा लाभ को समान रुप से शेयर करेंगे। चूँकि वर्ष 2018–19 में पीआईएलएच में निवेश नहीं किया गया है तथा पीआईएलएच द्वारा कोई प्रचालन नहीं किया गया है केभनि द्वारा पीआईएलएच में अपनी पूँजी प्रति बद्धता के एक भाग के रूप में दिनॉक 30.05.2019 को 5 करोड़ रु. का निवेश किया गया है।

17. अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

निगम में चार अमूर्त परिसंपत्तियाँ हैः–

क) कंटेनर ट्रेन चलाने के लिए पंजीकरण शुल्क,

ख) भूमि का उपयोग करने का अधिकार

ग) सॉफ्टवेयर, और

घ) निजी फ्रेट टर्मिनल के लिए लाइसेंस शुल्क

वर्ष 2005–06 में, निगम ने श्रेणीं–I मार्गों पर कटंनेर ट्रेनों के संचालन के लिए भारतीय रेलवे को 5000 लाख रु. के पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया और दिनांक 04.01.2007 को निगम और भारतीय रेल के बीच एक रियायत करार पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे केन्द्रीय भण्डारण निगम वाणिज्यिक संचालन की तारीख से 20 वर्षों की अवधि के लिए कटंनेर ट्रेन चलाने का पात्र है जो उसी तारीख से प्रारंभ भी हो गया है। 5000 लाख रु. की पंजीकरण शुल्क को अमूर्त परिसम्पत्ति समझा गया है। रियायती अवधि को अपेक्षित शुल्क का भुगतान करके उसी नियम एवं शर्तों पर 10 वर्षों की अवधि के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकता है। करार के अनुसार, रियायत ग्राही (केभनि) को रेल प्रशासन के अनुमोदन से वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से एक वर्ष के बाद अपने रियायत को किसी भी तीसरे पक्ष को हस्तांतरण करने या देने या रियायत ग्राही के नियंत्रण का हक होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कंटेनर ट्रेनों को चलाने के लिए भुगतान किए गए पंजीकरण शुल्क को वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ करने की तारीख से 20 वर्ष की (उपयोगी अवधि) के लिए परिशोधित किया जा रहा है। दिनांक 31.03.2019 को केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा भारतीय रेलवे को 1750 लाख रु. (गत वर्ष 2000 लाख रु.) पंजीकरण शुल्क की अपरिशोधित राशि का भुगतान किया गया।

(i) उपयोगी अवधि/प्रयुक्त परिशोधन दरें :

अमूर्त परिसम्पत्तियां:	उपयोगी अवधि/ परिशोधन दरें (%)
कंटेनर रेल प्रचालन के लिए पंजीकरण शुल्क	20 वर्ष (अपरिशोधन अवधि 07 वर्ष है)
भूमि प्रयोग का अधिकार	10 वर्ष
सॉफ्टवेयर	3 वर्ष
निजी फ्रेट टर्मिनल के लिए लाइसेंस	10 वर्ष

ii) वर्ष के प्रारम्भ एवं अंत में सकल अग्रेनीत राशि, संचित परिशोधन राशि और वर्ष के प्रारम्भ एवं अन्त में अमूर्त परिसम्पत्तियों की अग्रेनीत राशि का समाशोधन 'स्थायी परिसम्पत्तियां'' की अनुसूची–।। में दिया गया है।

18. परिसम्पत्तियों में क्षीणता

प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान कोई क्षीणता हानि नहीं हुई है गत वर्ष 95.25 लाख रु. की क्षीणता हानि परिवर्तित हुई थी।

19. आकस्मिक देयताएं एवं गारन्टी

(लाख रु. में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2018 से	अब के शेष पर कटौती	वर्ष के दौरान वृद्धि	31.03.2019 से
(क)	निगम के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और इनमें निगम के विरुद्ध आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों एवं अन्यों के द्वारा किए गए वह दावे शामिल हैं जो मध्यस्थता/न्यायालय में हैं।				
	i) केंद्रीय सरकारी विभाग	7027.77	1,624.14	340.91	5,744.54
	ii) राज्य सरकारी विभाग एवं अन्य निकाय	26117.16	1292.15	1890.34	26715.35
	iii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	15166.24	6812.36	5132.75	13486.63
	iv) अन्य (जिन्हें ऊपर कवर नहीं किया गया)	25502.29	1677.97	11176.28	35000.60
	कुल (क)	**73813.46**	**11406.62**	**18540.28**	**80947.12**
गारंटियाँ				**31.03.2018**	**31.03.2019**

क्र.सं.	विवरण	31.03.2018 से	अब के शेष पर कटौती	वर्ष के दौरान वृद्धि	31.03.2019 से
(ख)	बैंक गारंटियों के लिए दी गई काउंटर गारंटी			360.97	291.83
(ग)	कस्टम विभाग को प्रस्तुत अभिरक्षक प्रत्याभूति बांड्स			248018.00	371716.00
देयता, यदि कोई हो, जो कुछ कर्मचारियों/भूतपूर्व कर्मचारियों के विवादित दावों; जमाकर्ताओं/ ठेकेदारों/गोदाम के मालिकों के साथ मध्यस्थम मामलों तथा ब्याज/दण्ड/कानूनी खर्चों के कारण हो सकती है और जो राशि निश्चित नहीं है, उन्हें आकस्मिक देयताओं में प्रकट नहीं किया गया है।					
आकस्मिक देयताएं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, न्यायालय/मध्यस्थता के निर्णय/कोर्ट के बाहर निपटान, अपील के निपटान होने पर निर्भर करती है। संबंधित पार्टियों की मांग के कारण किए जाने वाले अन्य विकास और कॉन्ट्रैक्चुअल बाध्यताओं के लिए राशि ली गई ।					
निगम द्वारा विवादित दावों के संबंध में मुख्य आकस्मिक देयताएं कुल दावों का 2 प्रतिशत से अधिक हैं जो उपरोक्त क्रम संख्या (क) में निम्नानुसार शामिल की गई हैं :					
(i)	कस्टम विभाग द्वारा लागत वसूली प्रभारों के लिए आईसीडी, पटपड़गंज से 2975.00 लाख रु. के दावे।				
(ii)	आईसीडी–लोनी में निगम द्वारा कंटेनर ट्रेन चलाने पर जाँच प्रभारों, सेवा प्रभारों, भूमि किराया, हैंडलिंग प्रभार, ईधन प्रभार आदि के संबंध में सामो द्वारा 5131.85 लाख रु. के दावे तथा उस पर ब्याज।				
(iii)	भंडारण एवं मार्गस्थ हानियों के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया गया 9988.80 लाख रु. का दावा।				
(iv)	सै.वे. टीडब्ल्यू– I, टीडब्ल्यू– II, एम.एस.जेठा एवं वडाला के संबंध में ब्याज सहित किराए का बकाया, दरें एवं करों आदि के लिए मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किए गए 20104.46 लाख रु. के दावे के लिए निगम के साथ विवाद है।				
(v)	सीएफएस, कालम्बोली में रेल लिंक सुविधा की निर्माण लागत, गोदाम किराया घरेलू प्रचालन प्रभार आदि के संबंध में सामो द्वारा 6456. 75 लाख रु. तथा उस पर 1599.46 लाख रु. के ब्याज का दावा।				
(vi)	पूर्व स्ट्रैटेजिक एलाइंस मैनेजमेंट ऑपरेटर (सामो) द्वारा सीएफएस– व्हाइटफील्ड पर 8637.83 लाख रु. का दावा।				

20. खर्चों का प्रावधान

"प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियों" पर ए.एस. 29 के अनुपालन में खर्च के लिए प्रावधान पर अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है:–

(लाख रु. में)

अथशेष	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	वर्ष के दौरान प्रयोग/खर्च की गई/ अभिशून्य राशि	अंत शेष
3469.00	2778.88	1271.55	4976.33

21. अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान

क) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिकांश विविध/वसूली योग्य देनदारियां सरकारी विभागों एवं उपक्रमों से संबंधित हैं, प्रबंधन ने अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए 27207.26 लाख रु. (गत वर्ष 25198.62 लाख रु.) के प्रावधान को पर्याप्त माना है जिसमें विविध देनदारियाँ (भण्डारण प्रभारों के लिए) 22982.67 लाख रु. (गत वर्ष 20267.75 लाख रु.) तथा (विपणन सुसाध्य प्रभारों के लिए) देनदारियाँ 1494.66 लाख रु. (गत वर्ष 1642.40 लाख रु.) 2729.93 लाख रु. (गत वर्ष 3288.47 लाख रु.) अन्य विविध वसूली योग्य देनदारियों के लिए सम्मिलित हैं।

ख) भारतीय खाद्य निगम के संबंध में विभिन्न देनदारियां 26499.74 लाख रु. (गत वर्ष 35215.25 लाख रु.) है। जो उनसे प्राप्त 6155.85 लाख रु. के तदर्थ भुगतान को समायोजित करने के बाद है और जिन्हें दिनांक 31.03.2019 को समायोजित नहीं किया गया था। 31.03.2019 को भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न देनदारों में भंडारण प्रभारों के लिए 21484.19 लाख रु. और विपणन सुसाध्य प्रभारों के लिए 5015.55 लाख रु. शामिल हैं। तदर्थ भुगतान का अंतिम समायोजन भारतीय खाद्य निगम द्वारा वास्तविक समायोजन के अनुसार किया जाएगा।

31.03.2019 को भा.खा.नि. के साथ विवादित कुल

राशि 18387.18 लाख रु. (गत वर्ष 19622.14 लाख रु.) है। भा.खा.नि. के साथ विवादों का निपटान प्रगति पर है। प्रबंधन ने अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए 16237.09 लाख रु. (गत वर्ष 13380.76 लाख रु.) के प्रावधान को पर्याप्त माना है।

ग) पिछले वर्ष के अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान पर 3885.99 लाख रु. बट्टे खाते में डाले गए जिसमें से 2247.68 लाख रु. भंडारण प्रभारों/एम एफ प्रभारों एवं अन्य देयों जिसमें बीआईएफआर मामले भी सम्मिलित हैं और जिनकी वसूली निगम से नहीं हो सकी, के विवादों के संबंध में है एवं भंडारण हानि/परगमन हानि/क्षतियों/सेवाओं में कमी इत्यादि के विवादों के संबंध में 1638.31 लाख रु. की वसूली निगम से नहीं हो सकी। सक्षम अधिकारी के अनुमोदन एवं कमेटी की संस्तुति के आधार पर इन राशियों को बट्टे खाते में डाला गया। बट्टे खाते में डाली गई इस राशि को अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के विरुद्ध समायोजित किया गया है। जैसा कि अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित, अनुसूची ;अद्ध के लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियों में परिलक्षित किया गया है।

22. शेष पुष्टियाँ

पार्टियों के विषय में ऋण एवं अग्रिम, आपूर्तियों, सेवाओं, बयाना राशि तथा प्रतिभूति जमा के लिए नामे तथा जमा शेषों हेतु निगम ने शेष की पुष्टि हेतु पत्र भेजे हैं । कुछ पार्टियों से प्राप्त लेखों की प्रति/पुष्टि का समाधान हो गया है। पार्टियों के संबंध में प्रबंधन का मत है कि जिनसे पुष्टि/लेखे का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी देयता और लाभ पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा।

23. नगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एवं सुस्थिर विकास (एसडी)

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिनांक 21.10.2014 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार निगम को वर्ष 2018–19 के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व तथा सुस्थिर विकास पर 392.74 लाख रु. की राशि (जिसमें वित्तीय वर्ष 2017–18 के सीएसआर खर्चे में 19.57 लाख रु. की कमी शामिल है) खर्च करना अपेक्षित है। वर्ष के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास के लिए 402.65 लाख रु. (गत वर्ष 528.09 लाख रु.) व्यय किए गए ।

वर्ष के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व के तहत खर्च की गई राशि का विवरण नीचे दिया गया है :

(लाख रु. में)

क्रम सं.	विवरण	नकद भुगतान	भुगतान किया जाना है	कुल
(i)	किसी भी परिसम्पत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	उपरोक्त (i) के अलावा कोई अन्य उद्देश्य	366.23	36.42	402.65

24. अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी)

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने दिनांक 23.09.2011 के कार्यालय ज्ञापन में अनुसंधान एवं विकास पर जारी अपने दिशा–निर्देशों को दिनांक 17.07.2019 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा वापस ले लिया है। अतः वर्ष 2018–19 के लिए अनुसंधान एवं विकास पर कोई राशि आरक्षित नहीं की गई एवं अनुसंधान एवं विकास फंड के लिए 289.94 लाख रु. की राशि की आरक्षित निधि को धारा 30(1) के तहत आरक्षित फंड में स्थानांतिरत कर दिया गया है। वर्ष 2018–19 की अवधि में अनुसंधान एवं विकास में व्यय किए गए 4.56 लाख रु. को लाभ–हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

25. हितकारी निधि

हितकारी निधि की स्थापना वर्ष 1989–90 में कर्मचारी कल्याण के उद्देश्य से की गई थी। हितकारी निधि के प्रबंधन हेतु हितकारी निधि ट्रस्ट की स्थापना की गई तथा ट्रस्ट ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए एवं 80जी के अन्तर्गत आयकर छूट हेतु पंजीकरण किया। वर्ष के दौरान 163.61 लाख रु. (गत वर्ष 31.88 लाख रु.) अर्थात् कर–पश्चात् लाभ का 1 प्रतिशत तथा 37.00 लाख रु. की अतिरिक्त राशि बोर्ड के अनुमोदन से हितकारी निधि के लिए आरक्षित में विनियोजित की गई। वर्ष के दौरान ट्रस्ट

में किए गए 37.00 लाख रु. के अतिरिक्त योगदान तथा अथशेष पर हितकारी निधि ट्रस्ट 31.88 लाख रु. का योगदान किया गया। निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद दिनांक 31.03.2019 को हितकारी निधि में शेष आरक्षित 163.61 लाख रु. (गत वर्ष 31.88 लाख रु.) को हितकारी निधि ट्रस्ट को भुगतान कर दिया जाएगा।

26. लाभांश

वर्ष के दौरान, निगम ने 2017–18 के लिए 1012.31 लाख रु. के अतिरिक्त लाभांश एवं वर्ष 2018–19 के लिए 2379.15 लाख रु. के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया। वर्ष 2018–19 के लिए कर पश्चात् लाभ का 30 प्रतिशत की दर से अंतिम लाभांश का प्रस्ताव है (प्रदत्त पूंजी का 72.20 प्रतिशत) जो 4908.16 लाख रु. है। आईसीएआई द्वारा जारी एएस 4 (पैरा–14) के अनुसार वर्ष 2018–19 के लिए प्रस्तावित लाभांश की अप्रदत्त राशि को लेखा बहियों ने दर्ज नहीं किया गया।

27. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

(लाख रु. में)

मद सं.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत अपेक्षित प्रकटन	31.03.2019 को	31.03.2018 को
i)	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में निम्न के कारण देय विलम्बित भुगतान क) मूल एवं ख) उस पर देय ब्याज	शून्य शून्य	शून्य शून्य
iı)	वर्ष के दौरान अधिनियम के प्रावधानों के तहत सभी विलम्बित भुगतान पर प्रदत्त कुल ब्याज	शून्य	शून्य
iii)	वर्ष के दौरान देय तिथि के बाद मूल राशि पर प्रदत्त देय ब्याज किंतु इस अधिनियम के अतर्गत ब्याज राशि के बिना	शून्य	शून्य
iv)	प्रोद्भूत ब्याज राशि तथा प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत तक भुगतान न किया गया शेष	शून्य	शून्य
v)	कुल देय ब्याज जिसका भुगतान न किया गया हो । (लघु उद्यमों को वास्तव में भुगतान किए गए गत वर्षों की इन तिथियों से देय ब्याज के साथ सभी शेष ब्याज राशि को दर्शाता है । मुख्यतः ब्याज की राशि को निश्चित करना जो आयकर उद्देश्यों के लिए स्वीकृत नहीं है)	शून्य	शून्य

28. निर्माण कार्यों के लिए उपकर

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (आरईसीएस) अधिनियम, 1996, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियम, 1998 के अधीन उपकर की वसूली एवं प्रेषण के लिए देयता केवल उन राज्यों में निर्माण कार्य के संबंध में हैं, जहां संबंधित राज्य सरकार द्वारा कल्याण बोर्ड बनाए गए हैं तथा प्रभावी तिथि एवं लगाए जाने वाले उपकर प्रतिशत के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

29. वेअरहाउसिंग निधि

वेअरहाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 की धारा 16 के अनुसार निगम द्वारा वेअरहाउसिंग निधि का रख–रखाव किया जा रहा था जिसका वर्ष 2010–11 में पूरी तरह उपयोग हो गया था। अतः इसके लिए कोई लेखा तैयार नहीं किया गया।

30. सामान्य

आंकड़ों को रुपये में पूर्ण मान लिया गया है। गत वर्ष के आंकड़ों को जहाँ आवश्यक समझा गया, वहाँ उन्हें पुनःवर्गीकृत, पुनर्व्यवस्थित एवं उन पर पुनः कार्य किया गया है।

31.03.2019 को समाप्त वर्ष का नकदी–प्रवाह वितरण

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष		गत वर्ष	
क	**प्रचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाहः**				
	कर पूर्व निवल लाभ		2,254,195,204		276,153,053
	समायोजन के लिएः				
	मूल्यह्रास, परिशोधन एवं क्षीणता हानि	869,008,178		1,337,500,488	
	पूर्व अवधि मूल्यह्रास	6,266,552		5,632,360	
	पीआरएमएस की पूर्व सेवा लागत का परिशोधन	2,165,565		2,165,565	
	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधानं	589,462,819		461,175,338	
	ब्याज खर्च	10,370,274		43,998,699	
	परिसंपत्तियों की बिक्री से हानि/परिसंपत्तियां बट्टे खाते में	14,198,591		31,998,005	
	कार्य प्रगति पर बट्टे खाते में	-		1,394,567	
	अशोध्य ऋण बट्टे खाते में	8,694,323		600,864	
	परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ	(42,575,721)		(562,331)	
	राज्य भण्डारण निगमों से लाभांश आय	(183,990,703)		(98,923,997)	
	सीआरडब्ल्यूसी से लाभांश आय	(68,952,000)		(60,840,000)	
	ब्याज आय	(529,217,954)		(624,768,281)	
	विदेशी मुद्रा विनिमय में अन्तर (निवल हानि)	(832,395)		(33,386)	
	अधिक देयताएं/पुरांकित प्रावधान/समायोजित	(11,413,022)		(19,193,024)	
	अतिरिक्त मूल्यह्रास/समायोजित पुरांकित	(1,139,492)		-	
			662,045,015		**1,080,144,867**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ		**2,916,240,219**		**1,356,297,920**
	व्यापार तथा अन्य प्राप्तियाँ	486,928,282		1,370,395,337	
	इन्वेंटरीज	(251,768)		1,128,020	
	सहायक कम्पनी (सीआरडब्ल्यूसी) को देय/वसूली योग्य राशि	-		24,182,976	
	देयताएं तथा प्रावधान	(1,878,392,596)		1,096,918,677	
			(1,391,716,082)		**2,492,625,010**
	प्रचालन कार्यकलापों से उत्पन्न नकदी		**1,524,524,137**		**3,848,922,930**
	आयकर प्रदत्त		**(538,123,732)**		**(664,182,682)**
	प्रचालन कार्यकलापों से निवल नकदी (क)		**986,400,405**		**3,184,740,248**
ख	**निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाहः**				
	डब्ल्यूआईपी सहित स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद	(1,604,118,375)		(1,592,981,306)	
	स्थाई परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्ति	104,209,764		(26,481,002)	
	पीआरएमबी निधि निवेश	1,471,669,574		(84,113,905)	
	छुट्टी लाभांश निधि निवेश	117,544,763		(1,408,589,572)	
	सीआरडब्ल्यूसी को दिया गया ऋण	127,826,508		177,783,135	
	एसडब्ल्यूसी से प्राप्त लाभांश	184,333,748		112,934,158	
	सीआरडब्ल्यूसी से प्राप्त लाभांश	68,952,000		101,400,000	
	प्राप्त ब्याज	553,716,494		721,724,467	
	निवेश कार्यकलापों में (प्रयुक्त) निवल नकदी (ख)		**1,024,134,476**		**(1,998,324,025)**

31.03.2019 को समाप्त वर्ष का नकदी–प्रवाह वितरण

क्र. सं.	लेखा शीर्ष		इस वर्ष		गत वर्ष
ग	**वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :**				
	हितकारी निधि ट्रस्ट को भुगतान	(6,887,533)		(23,122,133)	
	भारत सरकार से प्राप्त/उपयोग किया गया अनुदान	(98,102,028)		93,800,000	
	प्रदत्त ब्याज	(3,371,158)		(4,708,105)	
	प्रदत्त लाभांश	(402,587,332)		(1,398,789,923)	
	वित्तीय कार्यकलापों में (प्रयुक्त) निवल नकदी (ग)		**(510,948,051)**		**(1,332,820,161)**
घ	**नकदी में निवल गिरावट एवं समकक्ष नकदी (क+ख+ग)**		**1,499,586,830**		**(146,403,938)**
ङ	**वर्ष के आरंभ में नकदी एवं समकक्ष नकदी**		**3,865,329,834**		**4,011,733,772**
	वर्ष के अंत में नकदी एवं समकक्ष नकदी	**घ+ड**	**5,364,916,664**		**3,865,329,834**
1	**नकदी एवं बैंक शेष**				
क	नकदी एवं बैंक में 46435.02 लाख रु. (गत वर्ष 26402.54 लाख रू.) का जमा शामिल		5,306,141,242		3,797,634,285
ख	हस्तगत एफडीआर (निगम के पक्ष में एफडीआर गिरवी के रूप में कॉन्ट्रैक्टर्स से प्राप्त प्रतिभूतियाँ)		43,189,991		63,400,723
ग	बैंक ड्राफ्ट एवं हस्तगत चैक		14,941,821		3,983,360
घ	मार्गस्थ प्रेषण/बैंक ड्राफ्ट/चैक		643,610		311,466
	कुल		**5,364,916,664**		**3,865,329,834**
2	जहाँ कहीं आवश्यक हुआ गत वर्षो के आंकड़ों को पुनर्वर्गीकृत एवं पुनर्व्यवस्थित किया गया है।				

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(एस. चार्ल्स)
निदेशक (वित्त)

(अरुण कुमार श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते रमेश सी अग्रवाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन– 001770सी

(सौम्य अग्रवाल)
पार्टनर
सदस्यता सं. 416438

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 26 अगस्त, 2019

TATA

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)

BALANCE SHEET
AS AT 31ST MARCH, 2019
&
PROFIT & LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019

GENERAL FUND

62nd ANNUAL REPORT 2018-2019

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2019 (GENERAL FUND)

CAPITAL & LIABILITIES	As per Schedule		AS AT 31.03.2019 ₹	AS AT 31.03.2018 ₹
Share Capital	I		680,210,000	680,210,000
Reserves				
- Reserve Fund Under Section 30 (1)	IV		19,654,238,980	18,565,098,108
- Reserve for Bad & Doubtful Debts	V		2,720,725,679	2,519,861,695
- Other Reserves	VI			
- Capital Reserve		-		45,954
- Reserve for Benevolent Fund		16,360,523		3,187,533
- Reserve for Research & Development Fund		-	16,360,523	28,994,266
Reserve fund for Employee Benefits obligation:-	VII			
- Post Retirement Medical Benefit obligation		625,669,608		2,097,339,182
- Leave Benefit obligation		1,291,044,809	1,916,714,417	1,408,589,572
Grant from Govt. of India			102,900,000	201,002,028
Outstanding Liabilities & Provisions				
- Outstanding Liabilities	VIII		5,301,069,458	5,236,892,209
- Provision for Pay & Allowances	IX		1,045,384,806	1,250,229,577
Deferred Tax Liability (Net)			547,267,201	315,130,595
Provision for Income Tax			163,836,157	315,953,568
Unclaimed Dividend			435,022	55,895
TOTAL			**32,149,142,243**	**32,622,590,182**

As per our report of even date attached

For Ramesh C Agrawal & Co.
Chartered Accountants
FRN: 001770C

(Saumy Agrawal)
Partner
M. No. 416438

Place: New Delhi
Dated: 26 August, 2019

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2019 (GENERAL FUND)

PROPERTY & ASSETS	As per Schedule		AS AT 31.03.2019 ₹	AS AT 31.03.2018 ₹
Fixed Assets	II		14,883,415,732	14,229,265,229
Investments (at Cost)	III			
- State warehousing corporations		617,938,400		617,938,400
- Others		488,889,773	1,106,828,173	488,889,773
Income accrued on Investments	X		35,432,640	35,775,685
Post Retirement Medical Benefit Reserve Fund Investment			625,669,608	2,097,339,182
Leave Benefit Reserve Fund Investment			1,291,044,809	1,408,589,572
Current Assets				
- Stores and spares	XI	60,738,978		60,487,210
- Warehousing & other charges accrued		624,955,019		552,342,690
- Sundry Debtors	XII			
Considered good		3,097,435,888		4,093,099,219
Considered doubtful		2,447,733,484		2,191,014,612
- Loans and Advances	XIII			
Considered good		224,351,361		711,443,401
- Other Current Assets	XIV			
Considered good		2,138,232,508		1,964,950,532
Considered doubtful		237,559,555	8,831,006,793	293,131,454
Cash and Bank Balances	XV		5,364,916,664	3,865,329,834
Unamortised Expenditure	XVI		10,827,824	12,993,389
Significant Accounting Policies	XXXI			
Notes forming part of Accounts	XXXII			
TOTAL			**32,149,142,243**	**32,622,590,182**

Schedules referred to above form an integral part of the Accounts.

For and on behalf of the Board

(S. Charles)
Director (Finance)

(Arun Kumar Shrivastava)
Managing Director

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019 (GENERAL FUND)

EXPENDITURE	As per Schedule	Current Year (31.03.2019) ₹	Previous Year (31.03.2018) ₹
Warehousing Licence Fee		7,013,923	7,389,594
Consumption of Chemicals, Covers & Dunnage	XVII	125,164,599	128,249,528
Pay & Allowances (with provisions)	XVIII	5,144,878,932	5,562,151,850
Travelling Allowances etc.,	XIX	64,081,875	55,609,296
Establishment (Others)		981,494,447	934,166,079
Wages		164,185,763	142,029,333
Repairs & Maintenance	XX	300,665,861	394,995,249
Rent, Rates & Taxes	XXI	580,135,524	686,222,398
Insurance		236,722,391	230,554,577
Printing & Stationery		23,104,321	20,682,068
Miscellaneous Expenditure	XXII	746,886,600	792,808,576
Marketing Facilitation Expenses		3,731,951,176	4,146,163,375
Container Rail Transport (CRT) Operation Expenses		156,533,082	461,281,419
Bank Charges		799,019	534,631
Interest (expenses)	XXIII	10,370,274	43,998,699
CSR & Sustainable Development Expenses		40,265,213	52,808,980
Directors' Remuneration (Fees,Travelling Allowances,etc.)		1,580,512	1,594,925
Auditors' Fee and Expenses	XXIV	7,797,149	9,114,620
Loss on Sale of Assets/ Assets written off		14,198,591	31,998,005
Bad Debts Written Off		8,694,323	600,864
Depreciation/Amortisation		869,008,178	1,337,500,488
Reserve for Bad & Doubtful Debts		589,462,819	461,175,338
		13,804,994,572	15,501,629,892
Profit for the year		2,241,239,169	327,740,948
TOTAL		**16,046,233,741**	**15,829,370,840**
Profit for the year		2,241,239,169	327,740,948
Less : Prior Period Adjustments (Net)	XXV	(12,956,035)	51,587,895
Profit Before Tax		2,254,195,204	276,153,053
Less: Tax Expense	XXVI	618,142,927	(42,600,224)
PROFIT AFTER TAX CARRIED DOWN		1,636,052,277	318,753,277
Earning Per Share			
Basic		2,405.22	468.61
Diluted		2,405.22	468.61

As per our report of even date attached

For Ramesh C Agrawal & Co.
Chartered Accountants
FRN: 001770C

(Saumy Agrawal)
Partner
M. No. 416438

Place: New Delhi
Dated: 26 August, 2019

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019 (GENERAL FUND)

INCOME	As per Schedule	Current Year (31.03.2019) ₹	Previous Year (31.03.2018) ₹
Warehousing Charges (Income)	XXVII	9,522,455,053	8,400,177,136
Marketing Facilitation Income		4,368,434,529	4,936,403,931
Income from Container Rail Transport (CRT) Operations		169,068,136	526,778,126
Income from CFSs/ICDs under Strategic Alliance		579,997,482	612,438,770
Income from Pest Control Services		170,801,278	162,389,273
Interest (income)	XXVIII	529,217,954	624,768,281
Dividend Income	XXIX	252,942,703	159,763,997
Miscellaneous Receipts	XXX	398,188,371	386,615,624
Excess Liability, Provision and Depreciation Written Back		12,552,514	19,473,371
Profit on Sale of Assets		42,575,721	562,331
Significant Accounting Policies	XXXI		
Notes forming part of Accounts	XXXII		
TOTAL		**16,046,233,741**	**15,829,370,840**

Schedules referred to above form an integral part of the Accounts.

For and on behalf of the Board

(S. Charles)
Director (Finance)

(Arun Kumar Shrivastava)
Managing Director

PROFIT & LOSS APPROPRIATION ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019 (GENERAL FUND)

PARTICULARS	CURRENT YEAR ₹	PREVIOUS YEAR ₹
TO		
Appropriation to:		
Reserve Fund Under Section 30(1)	1,060,044,757	-
Other funds		
i) Reserve for Benevolent Fund	20,060,523	3,187,533
ii) Reserve for Post Retirement Medical Benefit Fund (Interest net of income tax liability)	89,828,958	90,582,451
iii) Reserve for Leave Benefit Fund (Interest net of income tax liability)	63,095,685	74,196,897
Additional dividend paid for the year 2017-18	101,231,292	-
Interim Dividend paid for the year	237,914,670	217,521,984
Taxes on distributed profits	63,876,392	31,896,765
Balance Carried to Balance Sheet	-	-
TOTAL	**1,636,052,277**	**417,385,630**

As per our report of even date attached

For Ramesh C Agrawal & Co.
Chartered Accountants
FRN: 001770C

(Saumy Agrawal)
Partner
M. No. 416438

Place: New Delhi
Dated: 26 August, 2019

PROFIT & LOSS APPROPRIATION ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019 (GENERAL FUND)

PARTICULARS	CURRENT YEAR ₹	PREVIOUS YEAR ₹
BY		
Balance as per last Balance Sheet	-	72,446
Profit after Tax brought down	1,636,052,277	318,753,277
Transfer from Reserve Fund Under Section 30(1)	-	97,393,673
Transfer from Reserve for Research & Development fund	-	1,166,234
TOTAL	**1,636,052,277**	**417,385,630**

For and on behalf of the Board

(S. Charles)
Director (Finance)

(Arun Kumar Shrivastava)
Managing Director

2018-2019

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND)

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019

SCHEDULE - 'I' - SHARE CAPITAL

		Current Year (₹)	Previous Year (₹)
a)	Authorised		
	1000000 shares of Rs.1000/- each	100,00,00,000	100,00,00,000
b)	Issued		
	745250 shares of Rs.1000/- each	74,52,50,000	74,52,50,000
c)	Subscribed		
	745250 shares of Rs.1000/- each	74,52,50,000	74,52,50,000
d)	Called up & Paid up		
i	663950 Shares of Rs.1000/- each, fully called and paid up	663,950,000	66,39,50,000
ii	81300 Shares of Rs.1000/- each, Rs.200/- per share called and paid up	16,260,000	1,62,60,000
	Total	680,210,000	68,02,10,000

Sl. No.	SHAREHOLDERS	NO. OF SHARES	ISSUED AND SUBSCRIBED ₹	CALLED UP AND PAID - UP ₹
1	Central Government	374,250	374,250,000	374,250,000
2	State Bank of India	177,140	177,140,000	147,940,000
3	Other Scheduled Banks	140,843	140,843,000	108,704,600
4	Co-operative Societies	1,045	1,045,000	1,026,600
5	Insurance Companies including Life Insurance Corporation of India	51,454	51,454,000	47,774,000
6	Recognised Associations dealing in Agricultural Produce	71	71,000	71,000
7	Companies dealing in Agricultural Produce etc.	5	5,000	5,000
	TOTAL	**744,808**	**744,808,000**	**679,771,200**
8	Co-operative Societies (disqualified share holders) pending transfer to the permissible class of shareholders (see Note (i))	442	442,000	438,800
		745,250	745,250,000	680,210,000
	Previous Year	**7,45,250**	**745,250,000**	**680,210,000**

Note:

(i) The District Central Co-op. Banks, who do not qualify to be shareholders in terms of Sec. 2(d) of The Warehousing Corporations Act, 1962, have been disqualified to be the shareholders under the permissible class of shareholders. Pending transfer of shares of these disqualified shareholders to the permissible class of shareholders, they are reflected at Sl. No.8 i.e. under Co-operative Societies(disqualified shareholders). Dividend can not be paid for these shares in terms of Rule 26(3) of the Central Warehousing Corporation Rules, 1963.

SCHEDULE - II : FIXED ASSETS

Sl. No.	Particulars	COST			
		Gross carrying amount as on 01.04.2018 ₹	Additions during the year ₹	Deductions/ Adjustments during the year ₹	Gross carrying amount as on 31.03.2019 ₹
PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT					
TANGIBLE ASSETS:					
1	Land (Freehold)	680,920,234	396,994,635	(18,802)	1,077,896,067
2	Land (Leasehold)	2,812,430,704	298,487,992	945,840	3,111,864,536
3(a)	Roof (Pre-coated galvalume steel sheet)	174,411,119	158,219,116	(60,224)	332,570,011
3(b)	Floor (Cement Concrete)	46,089,251	35,707,310	-	81,796,561
3(c)	Road (Cement Concrete)	203,935,027	150,089,669	-	354,024,696
3(d)	Warehouses & Godowns and ancillaries	12,126,055,764	398,083,854	(88,920,984)	12,435,218,634
4	Container Yards	1,062,604,243	32,058	(1)	1,062,636,300
5	Electric Installations	562,543,780	30,245,089	(365,537)	592,423,332
6	Water Installations	42,344,927	480,762	(53,340)	42,772,349
7	Plant & Machinery	1,179,290	-	-	1,179,290
8	Office Buildings	256,035,990	46,608	-	256,082,598
9	Residential Flats	187,991,211	-	-	187,991,211
10	Furniture	192,923,397	6,605,104	(1,187,990)	198,340,511
11	Office Equipments	50,422,790	28,343,879	957,316	79,723,985
12	Mobile Phones	4,588,248	7,312,567	(499,623)	11,401,192
13	Vehicles	19,078,421	1,755,326	(1,169,972)	19,663,775
14	Laboratory Equipments	17,440,914	2,032,998	(290,102)	19,183,810
15	Disinfestation Equipments	31,740,492	3,195,651	(953,867)	33,982,276
16	Construction Equipments	674,195	25,193	-	699,388
17	Other Equipments	522,699,291	118,351,483	(11,129,421)	629,921,353
18	Wooden Crates	32,234,069	-	4,782,143	37,016,212
19	Racks	15,650,702	151,042	5	15,801,749
20	Tin Trays	223,032	-	-	223,032
21	Railway Sidings	42,970,865	-	-	42,970,865
22	Computers & Laptops	148,084,367	38,964,791	(5,338,378)	181,710,780
23	H.B.L.Sheet	69,477,957	-	(12,330,856)	57,147,101
24	P.C.C. Blocks	1,461,360	-	-	1,461,360
25	Poly Pallets	23,632,541	-	(211,310)	23,421,231
26	Convertible Plinths	11,130,131	-	-	11,130,131
27	Non Convertible Plinths	23,052,942	-	(771,682)	22,281,260
		19,364,027,254	**1,675,125,127**	**(116,616,785)**	**20,922,535,596**
28	Work-in-Progress	320,966,756	521,744,798	(597,403,082)	245,308,472
29	Equipment in Hand	14,441,893	12,042,883	(11,758,161)	14,726,615
	SUB Total	**19,699,435,903**	**2,208,912,808**	**(725,778,028)**	21,182,570,683
INTANGIBLE ASSETS:					
30	Reg. fee for running container trains	500,000,000	-	-	500,000,000
31	Right to use of Land	1,554,750	-	-	1,554,750
32	Software	21,152,223	4,366,810	(860,148)	24,658,885
33	Licence for Private Freight Terminal	10,565,278	-	-	10,565,278
	SUB Total	**533,272,251**	**4,366,810**	**(860,148)**	**536,778,913**
	TOTAL	**20,232,708,154**	**2,213,279,618**	**(726,638,176)**	**21,719,349,596**
	Previous Year	**18,639,081,724**	**2,099,250,283**	**(505,623,853)**	**20,232,708,154**

SCHEDULE - II : FIXED ASSETS

Sl. No.	Particulars	Depreciation / Impairment / Amortisation				Carrying Amount / W.D.V	
		Upto 01.04.2018 ₹	For the year ₹	Written Back/ Adjusted during the year ₹	Upto 31.3.2019 ₹	As on 31.3.2019 ₹	As on 31.03.2018 ₹
PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT							
TANGIBLE ASSETS:							
1	Land (Freehold)	-	-	-	-	1,077,896,067	680,920,234
2	Land (Leasehold)	710,461,187	120,242,951	1,074,148	831,778,286	2,280,086,250	2,101,969,517
3	Roof (Pre-coated galvalume steel sheet)	2,400,294	9,402,322	86,681	11,889,297	320,680,714	172,010,825
4	Floor (Cement Concrete)	895,983	2,617,560	(57,370)	3,456,173	78,340,388	45,193,268
5	Road (Cement Concrete)	2,646,141	10,331,882	1	12,978,024	341,046,672	201,288,886
6	Warehouses & Godowns and ancillaries	3,102,433,034	519,858,295	(16,512,552)	3,605,778,777	8,829,439,857	9,023,622,730
7	Container Yards	386,620,225	46,812,134	-	433,432,359	629,203,941	675,984,018
8	Electric Installations	433,272,491	47,598,305	(347,260)	480,523,536	111,899,796	129,271,289
9	Water Installations	38,349,218	1,260,013	(47,676)	39,561,555	3,210,794	3,995,709
10	Plant & Machinery	1,120,463			1,120,463	58,827	58,827
11	Office Buildings	45,047,548	4,022,595		49,070,143	207,012,455	210,988,442
12	Residential Flats	64,927,955	2,952,949	(1)	67,880,903	120,110,308	123,063,256
13	Furniture	161,942,014	8,823,848	(1,211,201)	169,554,661	28,785,850	30,981,383
14	Office Equipments	36,507,787	10,195,017	863,070	47,565,874	32,158,111	13,915,003
15	Mobile Phones	2,471,607	4,042,336	(353,966)	6,159,977	5,241,215	2,116,641
16	Vehicles	15,666,413	727,761	(1,010,226)	15,383,948	4,279,827	3,412,008
17	Laboratory Equipments	14,276,258	1,533,689	(270,066)	15,539,881	3,643,929	3,164,656
18	Disinfestation Equipments	28,577,070	1,495,985	(856,611)	29,216,444	4,765,832	3,163,422
19	Construction Equipments	563,132	40,808		603,940	95,448	111,063
20	Other Equipments	334,767,820	30,283,616	(10,140,632)	354,910,804	275,010,549	187,931,471
21	Wooden Crates	31,917,670	6,580	4,782,494	36,706,744	309,468	316,399
22	Racks	13,719,736	373,356	(20)	14,093,072	1,708,677	1,930,966
23	Tin Trays	215,008	-	-	215,008	8,024	8,024
24	Railway Sidings	18,262,877	1,740,410	1	20,003,288	22,967,577	24,707,988
25	Computers & Laptops	122,107,936	20,437,705	(4,695,089)	137,850,552	43,860,228	25,976,431
26	H.B.L. Sheet	64,061,015	1,834,715	(11,897,349)	53,998,381	3,148,720	5,416,942
27	P.C.C. Blocks	1,313,910			1,313,910	147,450	147,450
28	Poly Pallets	20,203,394	531,174	(211,084)	20,523,484	2,897,747	3,429,147
29	Convertible Plinths	3,452,478	503,071	(1)	3,955,548	7,174,583	7,677,653
30	Non Convertible Plinths	21,885,163		(717,966)	21,167,197	1,114,063	1,167,779
		5,680,085,827	**847,669,077**	**(41,522,675)**	**6,486,232,229**	**14,436,303,367**	**13,683,941,427**
31	Work-in-Progress	400,968	-	(400,968)	-	245,308,472	320,565,788
32	Equipment in Hand	743,135	-	-	743,135	13,983,480	13,698,758
SUB Total		**5,681,229,930**	**847,669,077**	**(41,923,643)**	**6,486,975,364**	**14,695,595,319**	**14,018,205,973**
INTANGIBLE ASSETS:							
33	Reg. fee for running container trains	300,000,000	25,000,000	-	325,000,000	175,000,000	200,000,000
34	Right to use of Land	1,433,295	-	(1)	1,433,294	121,456	121,455
35	Software	19,723,172	1,549,125	(860,147)	20,412,150	4,246,735	1,429,051
36	Licence for Private Freight Terminal	1,056,528	1,056,528	-	2,113,056	8,452,222	9,508,750
SUB Total		**322,212,995**	**27,605,653**	**(860,148)**	**348,958,500**	**187,820,413**	**211,059,256**
TOTAL		**6,003,442,925**	**875,274,730**	**(42,783,791)**	**6,835,933,864**	**14,883,415,732**	**14,229,265,229**
Previous Year		**4,797,232,271**	**1,343,132,848**	**(136,922,194)**	**6,003,442,925**	**14,229,265,229**	**13,841,849,453**

NOTES TO SCHEDULE –II:- FIXED ASSETS

1) "The ancillaries of Warehouses and Godowns consist of all ancillary civil Works within the Warehouse Complex like bituminuos road, office block, labour shed, fencing, boundary wall, weighment cabin, lavatory block, sentry box, rain water harvesting, wire mesh steel doors ."

2) a) The useful life of Road (cement concrete), Roof (pre-coated Galvalume steel sheet) and Floor (Cement Concrete) is independent of the useful life of warehouse and godowns and same are capitalized and depreciated separately. The warehouse & godowns on completion of their useful life are repaired or replaced as the situation may warrant. All additions to the warehouse & godowns and its ancillaries are depreciated based on their useful life i.e. 30 years.

   b) As and when the new Road (cement concrete), Roof (pre-coated Galvalume steel sheet) and Floor (Cement Concrete) is constructed, the written down value of old betumunous road, AC Roof and floor is derecognised from the books. The WDV of assets de-recognised in 2018-19 is ₹.108.06 lakh. For the purpose of de-recognition of old road, roof and floor, the cost is taken as 11.06%, 5%, 5.06% of the total cost of warehouse and godown respectively.

3) "During the year 2018-19, capital expenditure of ₹ 1102.97 lakh was incurred on setting up warehousing facilities at CW Kakkancherry, CW Kannur and CW Adilabad for storage of Agricultural Produce for which deduction is allowed u/s 35AD of Income Tax Act,1961. Same has been capitalised under Warehouse and Godowns."

4) "Land (Freehold and Leasehold): Number of sites in possession of the Corporation are 415. The lease deeds/title deeds in respect of 45 land sites (ROs - Ahmedabad-5, Bangalore-2, Bhubaneswar-13, Bhopal-3, Chandigarh-3, Kolkata-2, Delhi-2, Guwahati-1, Hyderabad-1, Lucknow-3, Mumbai-2, Patna-8) valued at ₹ 3385.17 lakh are yet to be executed. The liability for stamp duty on such lands has been provided as per Accounting Policy No.11."

5) "In respect of 19 Leasehold lands in possession of the Corporation, the lease period has expired. The renewal of lease for these lands is in progress. In view of non availability of renewal premium payable, the liability for lease rent has been accounted for on the basis of the information available."

6) The forest lands at Khabli and Shimla were allotted to the Corporation on right to use basis for construction of warehouses for PDS activity. The ownership of these lands is with the Forest Department and possession is with the Corporation. The cost of these lands are shown as intangible asset as Right to Use of Land.

7) "Department of Agriculture,Govt. of Bihar allotted lands at Munger, Khagaria and Bettiah on right to use basis to create and hold the storage infrastructure for foodgrains. The ownership of these lands is with the Department of Agriculture, Govt. of Bihar and possession is with the Corporation. Since these lands are allotted free of cost they are not shown as Intangible Assets."

8) "The title of the land of CW Madhepura in Patna Region is with a private party, but the possession of the same is with the corporation."

9) "The corporation purchased 86 flats at Bokadvira, Navi Mumbai in the year 1998-99 whose cost is ₹ 933.02 lakh. These flats are not occupied as on date and Corporation is incurring expenses on the rates & taxes, maintenance and security, they will be disposed off at appropriate time. The expected sale value being more than the cost of purchase, there is no impairment in the value of the flats."

10) "The land at Land Custom Station(LCS) - Petrapole (West Bengal) and the immovable assets developed thereon was transferred to Land Port Authority of India (LPAI) on 31st Jan, 2016. As per Memorandum of Agreement signed with LPAI on 15.06.2016, the land was transferred by the corporation to LPAI at the book value and the assets developed thereon were transferred based on valuation to be done as per GFR Rules. These assets have been removed from the books of the accounts. The book value of land of Rs. 108.50 lakh has been received from LPAI. LPAI referred to CPWD to value the immovable assets on said Land which were valued at Rs 1026.87 lakh as per valuation report dated 08.12.2017. The report has not been accepted by the corporation as some items are left out. Pending receipt of revised valuation report, WDV of these assets is being shown as recoverable from LPAI. After receipt of the revised valuation report from CPWD, necessary adjustments shall be made in the books of accounts."

11) For Lease hold Land at CW, Mundra in possession of corporation, lessor has disputed the use of the land for general warehousing. CWC has filed a petition in Hon'ble High Court of Gujarat and matter is subjudice.

12) The allotment of leasehold land of 3.71 acre at Thalassery valuing ₹ 80.84 lakh is in dispute since M/s KINFRA has terminated the allotment of land. The amount of ₹ 50.55 lakh refunded by M/s KINFRA has not been accepted by corporation and has been returned. The matter is in the High Court of Kerala.

13) Depreciation amount of ₹ 8752.75 lakh (previous year ₹ 13431.33 lakh) includes prior period depreciation of ₹ 62.67 lakh (net Debit.) {previous year ₹ 56.32 lakh (net Debit.)}.

SCHEDULE - 'III' -- INVESTMENTS (AT COST)

(A) Long Term Investment in State Warehousing Corporation(Associates) Investment made u/s 19(2) of the Warehousing Corporations Act, 1962 (Unquoted)

Sl. No.	Name of State Warehousing Corporations	No.of Equity Shares(Unquoted) (Face Value ₹ 100)		Amount (₹)	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
1	Andhra Pradesh State Warehousing Corporation	261,502	261,502	26,150,200	26,150,200
2	Assam State Warehousing Corporation	547,000	547,000	54,700,000	54,700,000
3	Bihar State Warehousing Corporation	320,994	320,994	32,099,400	32,099,400
4	Chattisgarh State Warehousing Corporation	201,920	201,920	20,192,000	20,192,000
5	Gujarat State Warehousing Corporation	200,000	200,000	20,000,000	20,000,000
6	Haryana State Warehousing Corporation	292,037	292,037	29,203,700	29,203,700
7	Karnataka State Warehousing Corporation	390,000	390,000	39,000,000	39,000,000
8	Kerala State Warehousing Corporation	575,000	575,000	57,500,000	57,500,000
9	Madhya Pradesh Warehousing and Logistic Corporation $	378,080	378,080	37,808,000	37,808,000
10	Maharashtra State Warehousing Corporation(Includes 24240 Bonus Shares)	435,560	435,560	41,132,000	41,132,000
11	Meghalaya State Warehousing Corporation	122,562	122,562	12,256,200	12,256,200
12	Orissa State Warehousing Corporation	180,000	180,000	18,000,000	18,000,000
13	Punjab State Warehousing Corporation	400,000	400,000	40,000,000	40,000,000
14	Rajasthan State Warehousing Corporation	392,630	392,630	39,263,000	39,263,000
15	Tamil Nadu State Warehousing Corporation	380,500	380,500	38,050,000	38,050,000
16	Telangana State Warehousing Corporation	186,889	186,889	18,688,900	18,688,900
17	Uttar Pradesh State Warehousing Corporation	539,770	539,770	53,977,000	53,977,000
18	Uttarakhand State Warehousing Corporation	18,480	18,480	1,848,000	1,848,000
19	West Bengal State Warehousing Corporation	380,700	380,700	38,070,000	38,070,000
	TOTAL (A)	**6,203,624**	**6,203,624**	**617,938,400**	**617,938,400**
(B)	**Other Investments**				
1	**Investment in Subsidiary (Long Term)(Unquoted)**				
	Central Railside Warehouse Company Ltd., (Subsidiary) 4,05,59,990 shares having face value of ₹10 each			405,599,900	405,599,900
2	**Others(Long Term/Current) #**				
	a "National Multi-Commodity Exchange of India Ltd.,(Associate) (unquoted) 56,78,347 shares each having face value of ₹ 10/- (includes 13,00,000 shares purchased at premium of ₹ 5 per share and 17,78,347 shares purchased at premium of ₹ 11.25 per share)"			-	83,289,873
	b Indian Commodity Exchange Limited (ICEX) Unquoted 58,963,956 shares each having face value of Rs. 5/- each allowed in lieu share in NMCE since NMCE is merged with ICEX)				-
	Long Term investment (5% shareholders in ICEX i.e. 2,66,75,373 no. of shares of face value of Rs. 5 each)			37,680,451	
	Current investment (6.05% shareholders in ICEX i.e. 3,22,88,583 no of shares of face value of Rs. 5 each)			45,609,422	
	GRAND TOTAL (A) + (B)			**1,106,828,173**	**1,106,828,173**

Note:-

1 $ Corporation had invested ₹ 480 lakh in Madhya Pradesh State Warehousing Corporation (MPSWC) which was bifurcated into Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation (MPWLC) and Chattisgarh State Warehousing Corporation (CSWC). Further equity of ₹ 50 lakh each was given to these two SWCs. The contribution to the equity share capital made prior to the bifurcation is being treated by MPWLC as loan upto 2011-12 and as capital w.e.f. 2012-13, but this has not been agreed by the Corporation as the equity cannot be converted into loan. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution issued a notification dated 16.11.2012 for apportionment of paid up share capital of MPSWC to MPWLC (68.35%) and CSWC (31.65%), and for paying dividend @20% of the equity and also reconfirmed the same vide letter no. 7-01/2013-SG dated 06.03.2014. A committee has been constituted for resolution of the issue.

2 The investments held in the State Warehousing Corporations are not transferable without prior approval of the Govt. of India.

3 # Corporation had investment of ₹ 832.90 lakh in the equities of National Multi Commodity Exchange of India Ltd.(NMCE). Since National Multi Commodity Exchange of India Ltd. (NMCE) has been merged with Indian Commodity Exchange Ltd. (ICEX) on 07.09.2018, ICEX has allotted to the Corporation 5,89,63,956 no equity shares of Rs. 5/- each in exchange of shares in NMCE. Corporation holds 11.05% share in the equity of ICEX. As per Regulation 17 of SECC Regulations, 2018, no person can acquire or hold more than 5% of the paid up equity share capital in a recognized Stock Exchange. As per SEBI's circular 26th November, 2015, Corporation has taken steps to off-load its equity in ICEX so as to bring it within the prescribed limit . The compliance to this Regulation was to be made by 5th May, 2019. Pending off-loading of the excess equity held by the Corporation in ICEX, SEBI has put restrictions on the voting rights and the payment of dividend on the shares held by the Corporation above the prescribed limit till reduction of shares to the prescribed limit of 5% for a period of nine months from 5th May, 2019 i.e. up to 4th Feb,2020.

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019

SCHEDULE - IV : Reserve Fund Under Section 30 (1)

Amount in ₹

Sl. No.	Head of Account		Current Year ₹	Previous Year ₹
1	As per last Balance Sheet	18,565,098,108		
2	Add: Unclaimed Dividend (more than 7 years old)	55,895		
3	Add: Transfer from Capital Reserve	45,954		
4	Add: Transfer from Research and Development fund	28,994,266		
	Add:Transfer from P & L Appropriation Account	1,060,044,757	19,654,238,980	18,565,098,108

SCHEDULE - V : Reserve for Bad & Doubtful Debts

Amount in ₹

Sl. No.	Head of Account		Current Year ₹	Previous Year ₹
1	As per last Balance Sheet	2,519,861,695		
2	Add: Additional provision made	589,462,819		
3	Less: Bad Debs written off against reserves	388,598,835	2,720,725,679	2,519,861,695

SCHEDULE - VI : Other Reserve

Amount in ₹

Sl. No.	Head of Account		Current Year ₹	Previous Year ₹
1	**Capital Reserve**			
	As per last Balance Sheet	45,954		
	Less: Transfer to Reserve Fund Under Section 30 (1)	45,954	-	45,954
2	**Reserve for Benevolent Fund**			
	As per last Balance Sheet	3,187,533		
	Add: Transfer from P & L appropriation Account	20,060,523		
	Less: Payment to Benevolent Fund Trust	6,887,533	16,360,523	3,187,533
3	**Reserve for Research & Development Fund**			
	As per last Balance Sheet	28,994,266		
	Less: Transfer to Reserve Fund Under Section 30 (1)	28,994,266	-	28,994,266

SCHEDULE - VII : Reserve fund for Employee Benefits

Amount in ₹

Sl. No.	Head of Account		Current Year ₹	Previous Year ₹
1	**Post Retirement Medical Benefit Fund**			
	As per last Balance Sheet	2,097,339,182		
	Add: Interest on earmarked investment	89,828,958		
	Add: Reserve created during the year	73,804,699		
	Add: Contribution received from ex-employees	2,487,332		
	Less: Payment made during the year (Includes payment made to PRMB trust of ₹15000 lakh)	1,637,790,563	625,669,608	2,097,339,182
2	**Leave Benefit Fund**			
	As per last Balance Sheet	1,408,589,572		
	Add: Interest on earmarked investment	63,095,685		
	Add: Reserve created during the year	193,016,394		
	Less: Payment made during the year	373,656,842	1,291,044,809	1,408,589,572

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019

SCHEDULE - VIII : Outstanding Liabilities

Amount in ₹

Sl. No.	Head of Account	Current Year ₹	Previous Year ₹
1	Sundry Creditors (Including M.F and Projects)	1,780,990,593	2,256,264,660
2	Other Liabilities	1,492,963,655	1,228,600,878
3	Deposit Refundable	263,298,492	265,094,575
4	Liability for Expenses	1,140,186,979	862,239,330
5	Provision for Expenses	497,632,748	346,899,860
6	Deposit Work (Others)	16,876,340	5,611,554
7	Liability for Stamp Duty	78,794,470	63,073,795
8	Liability for Pay Revision	-	209,107,557
9	Liability for Special Voluntary Retirement Scheme	30,326,181	-
	TOTAL	**5,301,069,458**	**5,236,892,209**

SCHEDULE - IX : Provision for Pay & Allowances

Amount in ₹

Sl. No.	Head of Account		Current Year ₹	Previous Year ₹
1	**Productivity Linked Incentive**			
	As per last Balance Sheet	14,500,000		
	Add: Provision made during the year	12,498,839		
	Less: Payment made during the year	10,998,839	16,000,000	14,500,000
2	**Perfomance Related Pay**			
	As per last Balance Sheet	-		
	Add: Provision made during the year	84,830,006	84,830,006	-
3	**Gratuity**			
	As per last Balance Sheet	860,569,067		
	Add: Provision made during the year	64,071,566		
	Less: Payment made to Employees Gratuity Trust	860,600,000	64,040,633	860,569,067
4	**LTC**			
	As per last Balance Sheet	25,841,545		
	Add: Provision made during the year	15,981,857		
	Less: Payment made during the year	12,110,702	29,712,700	25,841,545
5	**Pay Revision Provision**			
	As per last Balance Sheet	349,318,965		
	Add: Provision made during the year	501,482,502		
	Less: Payment made during the year	-	850,801,467	349,318,965
	TOTAL		**1,045,384,806**	**1,250,229,577**

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019

SCHEDULE - X : Income Accured on Investments

Amount in ₹

Sl. No.	Head of Account		Current Year ₹	Previous Year ₹
	Considered Good			
1	**From Investment in SWCs**			
	Considered Good	–		60,056
	Considered Doubtful	35,432,640	35,432,640	35,715,629
	TOTAL		**35,432,640**	**35,775,685**

SCHEDULE - XI : Stores & Spares

Amount in ₹

Sl. No.	Head of Account		Current Year ₹	Previous Year ₹
1	**Stores and spares** (As certified by the Management)			
	Chemicals & Fumigants (at lower of weighted average cost and net realisable value)	40,210,279		38,475,254
	Other Stores in hand (at lower of cost price (FIFO) and net realisable value)	19,394,569		21,371,531
	Goods in Transit	1,134,130	60,738,978	640,425
	TOTAL		**60,738,978**	**60,487,210**

SCHEDULE - XII : Sundry Debtors

Amount in ₹

Sl. No.	Head of Account		Current Year ₹	Previous Year ₹
1	**Sundry Debtors** (Warehousing Charges)			
	Considered good	2,586,215,786		3,452,324,308
	Considered doubtful	2,298,267,262	4,884,483,048	2,026,774,536
2	**Sundry Debtors** (Marketing Facilitation Charges & Others)			
	Considered good	511,220,102		640,774,911
	Considered doubtful	149,466,222	660,686,324	164,240,076
	TOTAL		**5,545,169,372**	**6,284,113,831**

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019

SCHEDULE - XIII : Loans and Advances

Amount in ₹

Sl. No.	Head of Account		Current Year ₹	Previous Year ₹
1	**Loan(secured) to Central Railside Warehouse Company Ltd.(CRWC)**			
	Considered good		113,869,880	241,696,388
2	**Other Advances Recoverable in cash or kind or for value to be received**			
	Considered good			
	a) Advances to staff	11,425,042		10,868,008
	b) Capital advance	4,910,781		93,818,693
	c) Other Advances	94,145,658	110,481,481	365,060,312
	TOTAL		**224,351,361**	**711,443,401**

SCHEDULE - XIV : Other Current Assets

Amount in ₹

Sl. No.	Head of Account		Current Year ₹	Previous Year ₹
1	**Interest Accrued on Deposits and others (including saving bank accounts)**		273,883,720	298,382,260
2	**Due from Central Railside Warehouse Company Ltd. (Subsidiary)**		9,492	9,492
3	**Income tax Deducted at Source**			
	Considered good	963,434,041		347,368,311
	Considered doubtful	20,756,408	984,190,449	25,906,424
4	**Recoverable from Income Tax Department**		128,180,842	382,307,685
5	**Other Recoverables {includes security deposit of ₹ 44.07 lakh (Previous years ₹ 14.14) paid to various parties in the form of FDRs}**			
	Considered good	772,724,413		936,882,784
	Considered doubtful	216,803,147	989,527,560	267,225,030
	TOTAL		**2,375,792,063**	**2,258,081,986**

SCHEDULE - XV : Cash and Bank Balance

Amount in ₹

Sl. No.	Head of Account		Current Year ₹	Previous Year ₹
1	**Cash in Hand**			
	(i) Cash in Hand/Imprest/Stamps in hand	8,433,223		3,401,520
	(ii) Temporary Advances	1,715,169	10,148,392	1,261,194
2	**Balance in the Banks**			
	State Bank of India & its Subsidiaries:			
	(i) In Savings/Flexi/Current Accounts [includes nil (previous year ₹ 6.18 lakh) pledged against Bank Guarantee]	132,766,045		260,517,127
	(ii) In Deposit Accounts [includes ₹135.79 lakhs (previous year ₹ 80 lakhs) pledged against Bank Guarantee]	13,579,466		167,445,316
	Other scheduled Banks:			
	(i) In Savings/Flexi/Current Accounts [includes nil (previous year ₹ 10 lakh) pledged against Bank Guarantee]	519,725,071		892,200,133

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019

SCHEDULE - XV : Cash and Bank Balance

Amount in ₹

Sl. No.	Head of Account		Current Year ₹	Previous Year ₹
	(ii) In Deposit Accounts [includes ₹255.58 lakh (Previous Year ₹32.29 lakh) pledged against Bank Guarantees]	4,629,922,268	5,295,992,850	2,472,808,995
3	**FDRs in hand** (Contractors' Securities received in the form of FDRs in favour of the Corporation)	43,189,991		63,400,723
4	**Bank Drafts and Cheques in hand**	14,941,821		3,983,360
5	**Remittance/Bank Drafts/Cheques in Transit**	643,610	58,775,422	311,466
	TOTAL		**5,364,916,664**	**3,865,329,834**

SCHEDULE - XVI : Unamortised Expenditure

Amount in ₹

Sl. No.	Head of Account		Current Year ₹	Previous Year ₹
1	**Past Period cost of Post Retirement Medical Benefit (PRMB)**			
	Balance as per last Balance Sheet	12,993,389		15,158,954
	Less: Amortised during the year	2,165,565	10,827,824	2,165,565
	TOTAL		**10,827,824**	**12,993,389**

SCHEDULE - XVII : Consumption of Chemicals, Covers

Amount in ₹

Sl. No.	Head of Account	Current Year ₹	Previous Year ₹
1	Chemicals	91,823,494	85,869,955
2	Polythene Covers	14,302,535	21,444,063
3	Dunnage	19,038,570	20,935,510
	TOTAL	**125,164,599**	**128,249,528**

SCHEDULE - XVIII : Pay and Allowances (with provisions)

Amount in ₹

Sl. No.	Head of Account	Current Year ₹	Previous Year ₹
1	Chairman	-	-
2	Managing Director	3,837,901	2,310,974
3	Functional Directors	9,472,795	5,742,424
4	Officers & other Employees	3,483,510,764	3,289,706,344
5	Contribution to Provident Fund	299,364,008	294,324,591
6	Contribution to Pension Fund	195,911,511	223,220,027
7	Contribution to Post Retirement Medical Benefit Fund	72,831,304	98,296,055
8	Amortization of Expenses (PRMB Benefit)	2,165,565	2,165,565
9	Death Compensation	18,218,513	17,775,000
	Provisions:		
10	Gratuity {(excluding ₹ 4.36 lakh (previous year ₹ 41.56 lakh) capitalised)}	63,635,215	1,135,495,902
11	Performance Related Pay/Productivity Linked Incentive {(excluding ₹ 0.13 lakh (previous year ₹ 0.95 lakh) capitalised)}	97,316,213	13,809,297
12	Leave Benefits {(excluding ₹ 40.61 lakh (previous year ₹ 71.99 lakh) capitalised)}	188,954,933	16,923,793
13	LTC {excluding ₹ 2.20 lakh (previous year ₹ 5.19 lakh) capitalised}	15,761,381	17,051,922
14	Pay Revision Provision	525,354,217	445,329,956
15	Compensation for Special Voluntary Retirement Scheme (SVRS)	168,544,612	-
	TOTAL	**5,144,878,932**	**5,562,151,850**

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019

SCHEDULE - XIX : Travelling Allowances etc.

Amount in ₹

Sl. No.	Head of Account	Current Year ₹	Previous Year ₹
1	Chairman	-	-
2	Managing Director	348,252	343,734
3	Functional Directors	787,711	789,316
4	Officers & other Employees	62,945,912	54,476,246
	TOTAL	**64,081,875**	**55,609,296**

SCHEDULE - XX : Repairs & Maintenance

Amount in ₹

Sl. No.	Head of Account	Current Year ₹	Previous Year ₹
1	Buildings	225,771,582	337,377,313
2	Equipments	74,894,279	57,617,936
	TOTAL	**300,665,861**	**394,995,249**

SCHEDULE - XXI : Rent, Rates & Taxes

Amount in ₹

Sl. No.	Head of Account	Current Year ₹	Previous Year ₹
1	Rent of Office	4,868,347	35,143,169
2	Rent of Godowns	203,682,045	183,343,037
3	Rent of Leases	195,559,538	307,831,820
4	Rates & Taxes	176,025,594	159,904,372
	TOTAL	**580,135,524**	**686,222,398**

SCHEDULE - XXII : Miscellaneous Expenditure

Amount in ₹

Sl. No.	Head of Account	Current Year ₹	Previous Year ₹
1	Estt. Custom Staff	59,195,909	54,863,768
2	Staff Training Expenses	10,344,824	10,487,312
3	Publicity & Propaganda	2,117,636	2,831,541
4	Royalty	20,298,910	4,360,596
5	Seminars & Conferences	2,164,687	2,713,812
6	Business Promotion Expenses	1,620,793	1,990,904
7	Weighment Charges	8,929,275	9,348,034
8	Cash Incentive to Bulk Depositors	1,451,598	4,074,972
9	Cash Discount on M.F.Charges	-	23,137
10	Engineering Consultancy Services Expenses	1,053,153	10,257,897
11	Advertisement Expenses	23,617,765	19,788,991
12	Conveyance Charges	39,220,959	39,534,146
13	Compensation To Depositors	8,700,623	5,823,227
14	Computerisation Charges	13,003,923	9,519,547
15	Work In Progress Written Off	-	1,394,567
16	Entertainment	12,835,278	8,813,166
17	Freight & Octroi	4,117,478	4,042,259
18	Guest House Expenses	1,036,994	1,536,719
19	Internal Handling	447,662	995,799

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019

SCHEDULE - XXII : Miscellaneous Expenditure

Amount in ₹

Sl. No.	Head of Account	Current Year ₹	Previous Year ₹
20	Legal Expenses	25,692,551	33,916,056
21	Newspapers,Books & Periodicals	1,345,026	1,422,324
22	Postage/ Telegram & Telex	5,998,328	6,030,686
23	Difference In Paisa Rounding Off	(34,125)	(13,204)
24	Research & Development Expenses	456,000	2,760,000
25	Subscription & Member Fees	1,284,883	1,198,187
26	Staff Car Exp.- Petrol	2,194,240	2,296,958
27	Staff Car Exp.- Maintenance	1,282,348	1,010,364
28	Telephone Expenses	17,197,249	17,444,350
29	Water & Elec.Charges	132,215,804	125,592,386
30	Professional Charges	31,058,478	37,481,096
31	FESS Expenses	885,537	453,321
32	Other Expenses -Pest Control services	44,241,237	49,070,465
33	Office Expense	6,591,666	5,357,101
34	ISO Expenses	497,248	67,587
35	Un-Utilised GST/Service Tax Input Credit	222,910,951	280,417,793
36	Insurance Compensation Loss	1,445,242	-
37	Other Miscellaneous Expenses	41,466,470	35,902,712
	TOTAL	**746,886,600**	**792,808,576**

SCHEDULE - XXIII : Interest (expenses)

Amount in ₹

Sl. No.	Head of Account	Current Year ₹	Previous Year ₹
1	Government	-	-
2	Banks	-	-
3	Others	10,370,274	43,998,699
	TOTAL	**10,370,274**	**43,998,699**

SCHEDULE - XXIV : Auditor's Fee and Expenses

Amount in ₹

Sl. No.	Head of Account	Current Year ₹	Previous Year ₹
1	Audit fee {including ₹ 32.99 Lakh (previous year ₹ 38.86 lakh) for Branch Auditors}	5,346,000	6,001,695
2	Travelling Expenses	1,111,149	1,555,510
3	Tax Audit Fee { including ₹ 5.50 Lakh (previous year ₹ 6.55 lakh) for Branch Auditors}	1,128,000	1,345,415
4	For other Services	212,000	212,000
	TOTAL	**7,797,149**	**9,114,620**

SCHEDULE - XXV : Prior Period adjustments (Net)

Amount in ₹

Sl. No.	Head of Account	Current Year ₹	Previous Year ₹
1	Income	(2,189,015)	18,434,970
2	Expenses	(10,767,020)	33,152,925
	TOTAL	**(12,956,035)**	**51,587,895**

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019

SCHEDULE - XXVI : Tax Expense

Amount in ₹

Sl. No.	Head of Account	Current Year ₹	Previous Year ₹
1	Current Tax	410,736,829	656,035,844
2	Deferred Tax	232,136,606	(561,114,622)
3	Tax adjustment of earlier years	(24,730,508)	(137,521,446)
	TOTAL	**618,142,927**	**(42,600,224)**

SCHEDULE - XXVII : Warehousing Charges (Income)

Amount in ₹

Sl. No.	Head of Account	Current Year ₹	Previous Year ₹
1	Warehousing Charges	9,690,908,542	8,568,844,660
	Less: Discount to Co-operative Societies & others	168,453,489	168,667,524
	TOTAL	**9,522,455,053**	**8,400,177,136**

SCHEDULE - XXVIII : Interest (Income

Amount in ₹

Sl. No.	Head of Account		Current Year ₹	Previous Year ₹
1	From Deposits/Saving Bank A/c		493,191,437	445,211,321
2	From Loans and Advances to :			
	Staff	(1,433,790)		2,871,365
	Others (Includes interest on Income Tax Refunds of ₹ 157.81 lakh for AY 1997-98, AY 1998-99, AY 2004-05, and AY 2005-06)	37,460,307	36,026,517	176,685,595
	TOTAL		**529,217,954**	**624,768,281**

SCHEDULE - XXIX : Dividend Income

Amount in ₹

Sl. No.	Head of Account	Current Year ₹	Previous Year ₹
1	From investment in Associates (SWCs)	183,990,703	98,923,997
2	From investment in subsidiary (CRWC)	68,952,000	60,840,000
	TOTAL	**252,942,703**	**159,763,997**

SCHEDULE - XXX : Miscellaneous Receipts

Amount in ₹

Sl. No.	Head of Account	Current Year ₹	Previous Year ₹
1	Operating:		
	From Engineering Consultancy Services	1,140,721	4,221,496
	Other operating Misc. Receipts	383,160,943	378,508,878
		384,301,664	382,730,374
2	Non-operating:		
	Difference in Foreign Exchange (Net Gain)	832,395	33,386
	Other non-operating Misc. Receipts	13,054,312	3,851,864
		13,886,707	3,885,250
	TOTAL	**398,188,371**	**386,615,624**

SCHEDULE XXXI SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICES

Basis of Accounting

(1) The Financial Statements of the Corporation have been prepared under the historical cost convention on the accrual basis of accounting in accordance with the generally accepted accounting principles in India (Indian GAAP) and comply with the Accounting Standards notified by the Institute of Chartered Accountants of India, to the extent applicable.

Use of Estimates

(2) The preparation of the financial statements in conformity with the Indian GAAP requires that the management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, disclosure of contingent liabilities as at the date of financial statements, and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting period. Actual results could differ from those estimates.

Inventories

(3) Chemicals and construction materials are valued at lower of yearly weighted average cost and net realizable value. Cost of purchase includes duties, taxes, freight and other expenses net of trade discount, rebates & other similar items.

(4) Stores in hand i.e. Printing & Stationery, Liveries, Polythene Covers and Dunnage etc. are valued at lower of cost on first in first out basis and net realizable value.

(5) Unserviceable/obsolete construction materials are valued at lower of yearly weighted average cost and net realizable value.

(6) The procurement stock is valued at lower of cost and net realisable value. Cost being worked out on first in first out basis.

Prior period expenses/income

(7) The prior period expenses / income and prepaid expenses having value of ₹ 1,00,000/- and below for each item are recognized in the current year"

Property, Plant & Equipment and Depreciation

(8) (a) The items of Property, Plant & Equipment are carried at historical cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. However, fully depreciated asset is retained at residual value.

(b) Depreciation on Fixed Assets is charged on straight line method on the basis of useful life and residual value of assets determined by the Corporation (based on Technician's report on life of assets) as detailed below:

Fixed Assets	Useful Life (In years)	Residual Value (%)
Property, Plant & Equipment / Tangible Assets		
Warehouses & Godowns and ancillaries, Container Yards, Roof (pre-coated galvalume steel sheets), Floor- Cement Concrete, Road - Cement Concrete (CC)	30	5
Convertible Plinths	30	5
Non-Convertible Plinths	5	5
Office Buildings	60	5
Residential Flats	60	5
Water & Electrical Installations	10	5

Fixed Assets	Useful Life (In years)	Residual Value (%)
Plant & Machinery/ Railway Siding/ Lorry Weighbridge	15	5
Furniture & Fittings / Electrical Equipments	10	5
Office Equipment	5	5
Other Equipments/ Construction Equipments	6	5
Mobile Phones	3	5
HBL Sheets	4	5
Motor Vehicles/ Motor Lorries/ Motor Car	8	5
Laboratory Equipments	5	5
Disinfestation Equipments	4	5
Wooden Crates	6	5
PCC Blocks	8	5
Racks / Tin Trays	10	5
Poly Pallets	10	5
Computers	3	5
Intangible Assets		
Registration fee for Container Trains	20	NIL
Right to use of land	10	NIL
Computers Software	3	NIL
License Fees-Private Freight Terminal	10	NIL

(c) The depreciation on warehouses/ building and ancillaries, container yard, Roof (pre-coated galvalume steel sheets), Floor (Cement Concrete), Road (Cement Concrete) and other assets constructed/ created over the leasehold lands is charged as per their useful life stated above, irrespective of the period of lease since the lease is generally renewed on its expiry. In case the lease of the land is not renewed, the compensation received, on these assets is adjusted against the written down value and profit or loss, if any, in the transaction is accounted in the books.

(d) The assets having value upto ₹ 500/- are charged to Revenue. Assets having value more than ₹ 500/- and upto ₹ 5,000/- are capitalized and depreciation thereon is charged @ 100% leaving a nominal value of ₹ 1/- for each such asset.

(e) Cost of acquisition (premium) of land on lease and the cost of open area developed thereon is depreciated over the period of lease.

(f) Capital work in progress includes the items of Property, Plant & Equipment that are not yet ready for intended use.

(g) Interest on compensation for acquisition (under land acquisition proceedings) is charged to Profit & Loss account.

(h) Interest income on loans & advance to employees in Engineering Division and depreciation on

Property, Plant & Equipment deployed in construction cell are not capitalized.

(i) Significant components of warehouse & godowns i.e. Roof (Pre-coated Galvalume Steel Sheets or equivalent), Roads (Cement Concrete) and Floor (Cement Concrete) are capitalized and depreciated separately.

(9) Where during the Financial year any addition has been made to any Asset, or where any asset has been sold, discarded, demolished or destroyed, the Depreciation on such assets shall be calculated based on useful life on pro-rata basis from the month the asset is available for use or as the case may be upto the month in which such asset has been sold, discarded, demolished or destroyed.

Expenditure on Land and Civil Works

(10) Capitalisation of godowns is based on completion certificate of storage-worthiness and depreciation is charged on the basis of certificate of commissioning of the godowns.

(11) Actual expenditure incurred in connection with the acquisition of land is capitalized along with the stamp duty payable at the prevailing rate. The necessary adjustment for the difference in the stamp duty paid and already capitalized is made in the year of payment/execution of title deed.

(12) Expenditure on risk and cost contracts (Civil) in excess of security deposit available is charged to capital work or repair work, as the case may be pending its recovery.

(13) The construction overheads incurred on the capital and deposit works executed departmentally are allocated @ 7% (seven percent) of the cost of work or at actual overhead rate whichever is less. For capital works executed through outside agency, the fee/charges payable to the agency shall be capitalized at actual amount payable.

(14) Pursuant to arbitration award in a civil contract, the compensation paid/payable of a revenue nature like interest, loss of profit etc. is charged to revenue and compensation paid/payable of a capital nature is to be capitalized.

Revenue Recognition

(15) Revenue is recognized when there is no significant uncertainty regarding the amount of consideration that will be derived from rendering the service.

a) Income from warehousing services rendered is recognized based on agreement/ arrangement with the customers as the service is performed using the;

(i) Completed service contract method for imported cargo on receipt/ release of cargo;

(ii) Proportionate completion method for all other services rendered by the Corporation including income from consultancy fee/supervision fee charged on deposit work undertaken by the Corporation.

(iii) In respect of time barred bonds/ long standing cargo, on its realization out of the sale proceeds.

b) Income from sale of empties and waste (like old newspapers) are accounted for on realization basis.

c) Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established during the year.

d) The interest income is recognized when no significant uncertainty as to its measurability or collectability exists. It is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.

Cost of Consumables

(16) The cost of black polythene films, multi-layered cross laminated covers, bamboo

mats, PVC floor dunnage and polythene covers and other such consumables is charged to revenue in the year of its issue for use.

VRS Expenditure

(17) The termination benefits (including expenditure on Voluntary retirement) are accounted for in the year they are incurred.

Insurance Claims

(18) The amount recoverable from Insurance Company towards insurance claim is recognized in the year the claim occurs based on the facts of each case. The profit or loss on account of settlement of insurance claim is accounted for at the time of receipt of survey report/actual receipt of the claim from the Insurance Company. The payment of claim to depositor is made after receipt of the same from the insurer.

Arbitration Awards

(19) Arbitration awards against the Corporation unless contested are accounted for. However, amounts awarded in favor of Corporation are accounted at the time of realization, owing to uncertainty of their collection.

Accounting of claims against contractors / parties

(20) Claims against contractors/parties are accounted when there is a reasonable certainty of recovery.

Unclaimed Dividend

(21) The dividend warrants which are not encashed are shown as liability under the head "Unclaimed Dividend" irrespective of the year to which they relate.

Foreign Currency Transactions

(22) **Initial Recognition**

Transactions denominated in foreign currency are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transactions.

Subsequent Recognition

As at the reporting date, non-monetary items(revenue items & fixed assets) which are carried in terms of historical cost denominated in a foreign currency are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

All monetary assets and liabilities (current assets & current liabilities) in foreign currency are restated using the exchange rate at the Balance Sheet date and exchange differences are recognized in the Profit and Loss Account.

Government Grants

(23) Government Grants are recognized when there is a reasonable assurance that the same will be received and all conditions attached will be complied with.

(a) Capital Grants relating to specific fixed assets are reduced from the gross value of the respective assets.

(b) Revenue grants are recognised in the profit & loss account by reducing the related expenses.

Investments

(24) Investments are classified into current and non-current investments. Current investments are stated at lower of cost or fair value. Long Term investments are stated at cost and provision for diminution in value is made only if such decline is other than temporary in the opinion of management.

Employee Benefits

(25) a) All short term employee benefits are recognized at undiscounted amount in the accounting period in which they are incurred.

b) The Provident Fund, Pension Fund and Post Retirement Medical benefit Fund being defined contribution plans, amount of contribution made during the year is recognized as an expense.

c) Employees Benefits under defined benefit plans in respect of Leave

Encashment, Gratuity and LTC are recognized based on the present value of defined benefit obligation and computed based on the actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method at the year end. Actuarial liability in excess of plan assets is recognized during the year.

d) Ex-gratia payment on death of employee in service is recognised on accrual basis in profit & loss account.

Leases

(26) Operating Lease:

Where the Corporation is Lessor:

Leases in which the Corporation does not transfer substantially all the risks and benefits of ownership of the asset are classified as operating leases. Assets subject to operating leases are included in fixed assets. Income on an operating lease is recognized in the profit and loss account on a straight-line basis over the lease term. Costs including depreciation are recognized as an expense in the profit and loss account.

Where the Corporation is a Lessee:

Leases, where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of the leased item, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the profit and loss account on a straight line basis over the lease term.

Taxes on Income

(27) a) Income Tax Expense comprises of the current tax and deferred tax. Provision for current tax is based on the assessable profit and computed in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. The deferred tax is recognised, subject to the consideration of prudence, on timing differences, being the difference between the taxable and accounting income / expenditure, that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods.

b) Deferred tax assets are recognized only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized. If the Corporation has carry forward unabsorbed depreciation and tax losses, deferred Tax assets are recognized only to the extent there is a virtual certainty supported by convincing evidence that sufficient taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.

c) Minimum Alternative Tax ('MAT') paid in accordance with tax laws, which gives rise to future economic benefits in the form of adjustment of future income tax liability, is considered as an asset if there is convincing evidence that the corporation will pay normal tax in future. The corporation reviews the same at each balance sheet date and writes down the carrying amount of MAT credit entitlement to the extent there is no longer convincing evidence to the effect that corporation will be able to utilize that credit during the specified period.

Intangible Assets

28 (a) The licence fee / registration fee paid to the Indian Railways for container rail transportation is capitalized as an 'Intangible Asset' and amortized over the period of 20 years i.e. the period for which permission given by Railways, from the year of starting the operations.

(b) The consideration paid towards lands held in possession on

"right to use" basis is capitalized as 'Intangible Asset' and depreciated over a period of 10 years. Keeping in view the life and also technical certification, the warehouses/buildings and other assets constructed on such land, depreciation as per normal useful life mentioned in the accounting policy no.8 (b) is charged, irrespective of the period of right to use. In case the land on "right to use" basis is taken back, compensation received on handing over of such warehouse/building and other assets constructed is adjusted against their written down value and profit or loss if any, in the transaction is accounted for in the books accordingly.

(c) Software which is not an integral part of related hardware is treated as an intangible asset and amortized over a period of 3 years.

(d) The cost of license for Private Freight Terminals is amortised over a period of 10 years.

Impairment of Assets

(29) An asset is treated as impaired when the carrying cost of asset exceeds its recoverable value. An impairment loss is charged to the Profit and Loss Account in the year in which an asset is identified as impaired. The impairment loss recognised in the prior accounting period is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount.

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

(30) (a) Provision is recognized when corporation has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and in respect of which a reliable estimate can be made.

(b) Contingent liabilities in respect of claims against the corporation not acknowledged as debts are determined on the basis of information available and judgment of the management and are disclosed by way of notes to the accounts. However contingent assets are neither recognized nor disclosed.

(c) Liabilities/Income accruing due to decisions after the date of circulation of accounts having retrospective effect are accounted for under the relevant direct head of account.

(d) Liability on account of travelling expenditure and leave travel concession to employees where the journey commenced in current financial year but bills are awaited is provided to the extent of advance paid and necessary adjustment is made in the subsequent year when the bills are received.

(e) Property tax, unless contested, is accounted for on the basis of demand received and information available.

Provision for Bad & Doubtful Debts

(31) The provision for bad & doubtful debts is made whenever the debtors/loans & advances are considered doubtful of recovery.

SCHEDULE XXXII - NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

1. Effect of Changes in Accounting Policies

Policy No.	Accounting Policy (Amended)	Effect on Profit (₹. in lakh)
13	The construction overheads incurred on the capital and deposit works executed departmentally are allocated @ 7% (seven percent) of the cost of work or at actual overhead rate whichever is less. For capital works executed through outside agency, the fee/charges payable to the agency shall be capitalized at actual amount payable.	358.10 (Decrease)
15(d)	The interest income is recognized when no significant uncertainty as to its measurability or collectability exists. It is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.	NIL
18	The amount recoverable from Insurance Company towards insurance claim is recognized in the year the claim occurs based on the facts of each case. The profit or loss on account of settlement of insurance claim is accounted for at the time of receipt of survey report/actual receipt of the claim from the Insurance Company. The payment of claim to depositor is made after receipt of the same from the insurer.	NIL

2. Capital Commitment /Estimated Liabilities on Civil Contracts

(a) The estimated amount of civil contracts on capital account remaining to be executed as on 31.03.2019 is ₹ 3902.82 lakh (Previous year ₹ 2164.51 lakh).

(b) The estimated liability for construction work completed up to 31.03.2019 but not billed by contractors is ₹ 1567.28 lakh (Previous year ₹ 1581.65 lakh), which has been accounted for on the basis of certificate of site engineers.

(c) Central Warehousing Corporation (CWC) and Container Corporation of India (CONCOR) have entered into an agreement on 10.09.2018 to form a Joint Working Group (JWG) named as Pipavav Integrated Logistic Hub (PILH) to operate the logistic facility at Pipavav Port, Gujarat, India. CWC has to make investment of ₹ 5 Crores during 2019-20 as a part of its capital commitment in PILH.

3. Allocation of Engineering Overheads

As per accounting policy no. 13, engineering overheads amounting to ₹ 365.38 lakh (Previous year ₹ 777.43 lakh) have been allocated to Capital and Deposit works undertaken by the corporation during the year, as per details given below:-

i) ₹ 354.85 lakh (previous year ₹ 701.40 lakh) charged to capital works,

ii) ₹ 10.53 lakh (previous year ₹ 76.03 lakh) charged to deposit works.

4. Revenue Recognition

A) Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (vide their letter dated 13.02.2019) revised the storage rates for FCI stocks on reservation basis for the year 2016-17 from ₹ 4.30 to ₹ 4.68 per bag per month. The arrears of income in respect of such stocks of ₹ 5225.66 Lakh for the period from 01.04.2016 to 31.03.2018 have

been accounted for in the current year. Income of 2018-19 is accounted at the rate of ₹ 4.68 per bag per month.

B) Recognition of revenue has been postponed in following cases in accordance with AS-9 due to uncertainty in their ultimate collection:

a. Claims of Corporation in respect of dispute with strategic alliance management operator(SAMO) at ICD-Loni towards (a)variable fee on empty containers for ₹ 1670.28 lakh (b) containers transported on trains of other Private Container Transport Operators(PCTOs) for ₹ 6556.94 lakh (c) terminal Access Charges for ₹13978.98 lakh (d) fee in respect of the containers moved between ICD-Loni & gateway port by road ₹ 435.21 lakh (e) charges towards excess area for ₹ 1962.50 lakh, (f) loss due to failure of WWILPL to provide one rake as per agreement for ₹ 1036.80 lakh, (g) loss of business and revenue to CWC ₹ 454.22 lakh and (h) interest on delay in payment of ₹20596.34 lakh.

b. In respect of erstwhile strategic alliance management contract at CFS, Whitefield, Bangalore which was discontinued from 30.04.2014, Corporation had filed a counter-claim of ₹ 2856.13 lakh before the arbitrator towards share of income from bonded storage and empty containers etc. which was rejected by arbitrator. The matter is in appeal before High Court. In another arbitration, Corporation has also made a counter claim of ₹ 885.08 lakh for recovery of expenses.

c. In respect of strategic alliance management contract for rail linked facility at CFS, Logistics Park, Navi Mumbai, there is a dispute with regard to start of railway operations as strategic alliance management operator (SAMO) paid variable fee @ 6% of gross revenue as against 8% claimed by the corporation up to 25th August 2014, the disputed amount of ₹ 1558.38 lakh (previous year ₹ 1558.38 lakh) towards variable fee and interest of ₹ 1464.79 lakh (previous year ₹ 1256.20 lakh) for delay in payment.

d. In respect of strategic alliance management contract for rail linked facility at CFS, Kalamboli, where the payment towards fixed and variable fee was delayed by Strategic Alliance Management Operator (SAMO) and legal proceedings are pending and interest of ₹ 1441.65 lakh (previous year ₹ 1343.82 lakh) claimed by the Corporation for delay in payment but disputed by SAMO.

e. On expiry of lease of CFS and Buffer yard facility at Navi Mumbai to CWC, the physical possession of facility was handed over by Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) to another operator in December, 2005 when the physical possession of containers /cargo in custody of Corporation was also handed to him. Corporation made a claim of ₹ 3095.00 lakh on the new operator / JNPT, however, the actual amount realizable on the containers / cargo handed over is unascertainable.

5) Other Disclosures

Corporation claimed recovery of Service Tax from some of the contractors amounting to ₹ 1352.52 lakh (Previous year ₹ 1164.33 lakh) as the same was considered as paid in excess or contractors did not submit proper invoice to enable the Corporation to claim CENVAT credit. An amount of ₹ 336.35 lakh (Previous year ₹323.70 lakh) was recovered from the contractors, however recovery has been disputed by them. The matters being in arbitration / before the court, there is uncertainty of recovery of balance amount. Pending resolution of dispute, the amount

recovered has been shown as amount payable to the contractors.

6) Transactions in Foreign Currency

(a) The following transactions were made in foreign currency during the year:

	Expenditure	₹. in lakh
i)	Subscription and membership fee	3.18
ii)	Other expenditure	NIL

(b) The net exchange difference of ₹ 8.32 lakh (Income) (previous year ₹ 0.33 lakh (Income)) has been recognized during the year relates to net payable/receivables in foreign currency.

7) Government Grants

The details of receipts and utilization of government grants during 2018-19 and their balances as on 31.03.2019 are as under:

₹. in lakh

S. No.	Purpose	Centre Name	Opening Balance	Grant Received	Grant Utilised	Grant Returned	Closing Balance
A	**Capital Grant**		a	b	c	d	e=(a+b-c-d)
1	Construction of godown at Purakkad, Alleppey – received from Government of Kerala (#a)	CW, Purakkad	528.00	-	40.00	-	488.00
2	Establishment of export certified processing & cold storage infrastructure by APSWC received from Ministry of Commerce & Industry (₹ 438.00 lakh) and Establishment of an export oriented anchor unit for cold storage at Spices park, Guntur (₹500.00 lakh) (#b)	Cold storage infrastructure by APSWC at Guntur	938.00	-	500.00	438.00	NIL
3	Setting up of CFS at Pipavav (Gujarat) - received from Ministry of Commerce & Industry (#c)	CFS Pipavav	155.64	-	-	-	155.64
4	Modernization and automation of facility at ICD-Patparganj (Delhi) - received from Ministry of Commerce & Industry (#c)	ICD Parparganj	385.36	-	-	-	385.36
	Sub Total		**2007.00**	**0.00**	**540.00**	**438.00**	**1029.00**
B	**Revenue Grant**						
5	Upgradation of training infrastructure and laboratories, payment for civil and electrical works for renovation of pesticide residue and mycotoxin contamination in foodgrains testing laboratory, payment for purchase of one DG set of 125 KVA at IGMRI, Hapur – received from Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution)	Hapur	3.02	-	3.02	-	NIL
	Sub Total		**3.02**	**0.00**	**3.02**	**-**	**NIL**
	Total Grant (A+B)		**2010.02**	**0.00**	**543.02**	**438.00**	**1029.00**

Note:

a) The Grant was to be utilized by 28th September, 2018. There is delay on work due to reclamation/conversion of marshy land for construction of the godowns for storage of paddy. Request for time extention has been made by Corporation. As there is no interest clause in the terms and conditions of grant, interest has not been provided.

b) The grant of ₹ 938 lakh refunded by CWC to ministry of commerce in 2016-17 was reissued to CWC on 30.01.2017 for infra projects of APSWC. The grant of ₹ 438 Lakh has been returned to Ministry of Commerce with interest of ₹ 64.68 Lakh. The timeline for the Guntur project completion was upto 31.03.2018. Interest @ 10% p.a. of ₹ 107.67 Lakh for delay in execution of project has been provided in books and shown as recoverable from APSWC.

c) Grants of ₹ 155.64 lakh and ₹.385.36 lakh utilized by the corporation under ASIDE scheme for CFS Pipavav and ICD Patparganj respectively in earlier years was reinstated in previous year pending decision of Ministry of Commerce on regularization of expenditure made. Interest @10% p.a. of ₹. 54.10 Lakh for current Financial Year 2018-19 has been provided in books.

8) Accounting for Investments

(a) (i) The investments made by the corporation as on 31.03.2019 are as under:-

₹ in lakh

Investments (unquoted):	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
Equity in State Warehousing Corporations (SWCs) (associates) (Long Term)	6179.38	6179.38
Equity in Central Railside Warehouse Company Ltd., (CRWC) (100% subsidiary) (Long Term)	4056.00	4056.00
Equity in National Multi-Commodity Exchange of India Ltd., (NMCE) (associate) (Long Term)	NIL	832.90
Equity in Indian Commodity Exchange Limited(ICEX) (Shares received in lieu of shares in NMCE on merger with ICEX) - Long Term ₹ 376.81 Lakh - Current ₹ 456.09 Lakh	832.90	NIL
Total	**11068.28**	**11068.28**

(ii) Corporation has to subscribe for 50% of its share in the share capital of State Warehousing Corporations (SWCs) where respective State Governments have already subscribed for their 50% share. Corporation has not paid its share of 50% in the share capital of Assam SWC, Karnataka SWC, Kerala SWC, Meghalaya SWC and MPWLC due to reasons such as accumulated losses of SWC, non preparation of accounts, non holding the AGM in time and non payment of the dividend in time.

(b) The Income earned on above investments amounting to ₹ 2529.43 lakh and included in Profit & Loss Account is as under:

₹ In lakh

Subsidiary	2018-19	2017-18
Dividend from State Warehousing Corporations (SWCs)	1839.91	989.24
Dividend from CRWC (subsidiary company)	689.52	608.40
Total	**2529.43**	**1597.64**

9) Disclosure on Employees Benefits

(A) Defined Contribution Plan

(i) a) The employer's contribution to CWC employee's provident fund for the year has been ₹ 3013.13 lakh (previous year ₹ 3007.36 lakh), out of which ₹ 2993.64 lakh (previous year ₹ 2943.25 lakh) has been recognized as an expense and ₹ 19.49 lakh (previous year ₹ 64.11 lakh) has been capitalized.

b) The employer's contribution to CWC pension fund for the year has been fixed @ 7.6% of basic pay plus dearness allowance amounting

to ₹ 1972.24 lakh (previous year ₹ 2267.42 lakh), out of which ₹ 1959.11 lakh (previous year ₹ 2232.20 lakh) has been recognized as an expense and ₹ 13.13 lakh (previous year ₹ 35.22 lakh) has been capitalized.

(iii) a) The employer's contribution to CWC Post Retirement Medical Benefit Fund for the year has been fixed @ 3.03% of basic pay plus dearness allowance amounting to ₹ 732.97 lakh(previous year ₹ 1002.50 lakh), out of which ₹ 728.31 lakh (previous year ₹ 982.96 lakh) has been recognized as an expense and ₹ 4.66 lakh (previous year ₹19.54 lakh) has been capitalized.

b) In PRMB scheme, the participating retired employees are required to make annual contribution of ₹ 1500/- by group A, ₹ 1200/- by group B, ₹ 900/- by group C and ₹ 600/- by group D category of employees.

c) PRMB Trust was formed on 27.11.2018 to administer the Post Retirement Medical Benefit Scheme. During the year an amount of ₹ 15000 lakh was paid to trust out of the PRMB fund maintained by the Corporation and remaining amount lying in PRMB fund amounting to ₹ 6256.70 lakh is being paid to the trust during 2019-20.

d) In terms of the decision of the Board on 27.11.2015, in respect of Reserve for Post Retirement Medical Benefit (PRMB) Fund, the credit for interest @ 6.85% earned by the corporation during the year of ₹ 898.29 lakh (net of income tax liability) (previous year ₹ 905.82 lakh) on PRMB reserve fund investment has been transferred from Profit & Loss Appropriation A/c to Reserve for Post Retirement Medical Benefit Fund.

(B) Defined Benefit Plan

(i) The Provision for Employee Benefits i.e. Gratuity, Leave Benefit and LTC has been made on the basis of Actuarial valuation. The Actuarial Valuation is got done at the end of the financial year.

(ii) In respect of Reserve for Leave Benefit Fund, in terms of the decision of the Board on 12.02.2018 credit for interest @ 6.85% earned by the corporation during the year of ₹630.96 lakh (net of income tax liability) (previous year ₹ 741.97 lakh) on Leave Benefit Fund Investment has been transferred from Profit & Loss Appropriation A/c to Reserve for Leave Benefits Fund.

(iii) Reconciliation of opening and closing balance of Employee Benefit obligation is as under :

(₹ in crore)

S.N	Particulars	Gratuity (funded)		Leave Benefit (unfunded)		LTC (unfunded)	
		2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
1	Present Value of Obligation as on 1st April	338.29	247.18	140.86	159.06	2.58	2.44
2	Add: Interest Cost	25.71	17.29	10.71	11.13	0	0
3	Add: Current Service Cost	8.95	8.75	6.62	10.51	1.60	1.76
4	Add: Past Service Cost – (non-vested benefits)	0	115.34	0	0	0	0

S.N	Particulars	Gratuity (funded)		Leave Benefit (unfunded)		LTC (unfunded)	
5	Add: Past Service Cost – (vested benefits)	0	0	0	0	0	0
6	Less: Benefits Paid	(73.07)	(42.36)	(37.37)	(38.37)	(1.21)	(1.62)
7	Actuarial (Gain) / Loss in Obligation (balancing figure)	(7.44)	(7.91)	8.28	(1.47)	0	0
8	**Present Value of Obligation as on 31st March**	292.44	338.29	129.10	140.86	2.97	2.58
9	**Fair value of Plan Assets, 1 April**	252.23	234.25	0	0	0	0
10	Add: Expected return on Plan Assets	19.17	18.14	0	0	0	0
11	Add: Contributions	86.06	42.93	0	0	0	0
12	Add: Fund Transfer (Inwards)	0.05	0.00	0	0	0	0
13	Less: Benefits Paid	(73.07)	(42.36)	0	0	0	0
14	Actuarial Gain / (Loss) on Plan Assets (balancing figure)	1.60	(0.73)	0	0	0	0
15	**Fair value of Plan Assets as on 31st March**	286.04	252.23	0	0	0	0
16	**Total Actuarial Valuation Gain / (Loss) to be recognized immediately as per Standard**	9.04	7.18	(8.28)	1.47	0	0
17	**Credit from return on Investment(Net of Tax)**	0	0	6.31	7.42	0	0
18	**Transferred from pay revision provisions**	0	2.09	0	10.34	0	0
19	**Expenses recognized in P & L A/c**	6.36	113.55	18.90	1.69	1.58	1.71
20	**Expenses capitalized**	0.05	0.42	0.40	0.72	0.02	0.05
	Total Expenses	**6.41**	**116.06**	**19.30**	**12.75**	**1.60**	**1.76**

(iv) Reconciliation of Fair Value of Plan Assets (Gratuity Fund)

In respect of employee benefits, the Corporation has no plan assets except for Gratuity, for which a Gratuity Trust was established on 24th March 2010. The fair value of the plan assets in respect of Gratuity Fund as on 31.03.2019 is ₹ 286.04 crore (previous year ₹ 252.23 crore) as per details given below:

₹ in Crore

Particulars	2018-19	2017-18
Fair Value of Plan Assets at beginning of the period	252.23	234.25
Expected return on plan assets	19.17	18.14
Employer contributions(Paid to Trust)	86.06	42.93
Fund Transfer (IN)	0.05	0.00
Actuarial Gain/(Loss) on Plan Assets	1.60	(0.73)

Benefits paid	(73.07)	(42.36)
Fair Value of Plan assets at the end of the period	286.04	252.23

(v) The liability of Employee Benefits has been valued by the Actuary using Projected Unit Credit (PUC) method after considering inflation, seniority, promotion and other relevant factors.

(vi) The Actuarial Assumptions used for valuation of liability for employee benefits are as under:-

Financial Assumptions	Gratuity		Leave Benefit		LTC	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
Discount Rate	7.60%	7.60%	7.60%	7.60%	7.60%	7.60%
Expected rate of return on Plan Assets	7.60%	7.60%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Estimated Future Salary Increase	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	N.A.	N.A.
Mortality	Indian Assured Lives Mortality 06-08 Ultimate	Indian Assured Lives Mortality 06-08 Ultimate	Indian Assured Lives Mortality 06-08 Ultimate	Indian Assured Lives Mortality 06-08 Ultimate	Indian Assured Lives Mortality 06-08 Ultimate	Indian Assured Lives Mortality 06-08 Ultimate
Attrition / Withdrawal rate per annum	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Average future working life (in years)	12.84	12.51	12.84	12.51	12.84	12.51

(vii) The present value of the defined benefit obligation (net of plan assets) for the current year and previous four years are as under:

₹ in lakh

Defined Benefit	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
Gratuity	640.41	8605.69	1292.99	883.61	8390.00
Leave Benefit	12910.45	14085.90	15906.48	17765.26	17256.00
LTC	297.13	258.41	244.35	194.24	129.00

(viii) With effect from year 2013-14, Corporation extended the benefit of payment of lump-sum ex-gratia compensation to the nominee / legal heir of employees who die while in service where amount ₹ 7.50 lakh is payable for C&D group of employees and ₹ 10.00 lakh is payable for Group A & B group of employees. The expenditure of ₹ 182.19 lakh (previous year ₹ 177.75 lakh) towards death compensation has been accounted for in the current year.

10) Provision for Pay Revision

The pay revision for unionized supervisors and workers being due w.e.f. 01.01.2017, ₹ 8508.01 lakh has been provided in the books.

11) Segment Reporting

In the opinion of the management, the Corporation does not have separate reportable segment.

12) Related Party Disclosures

As per Accounting Standard 18, the disclosures of transaction with the related parties are given below:

a. List of Related parties and relationship:

Sl. No.	Name of the Related Party	Relationship
i)	Central Railside Warehouse Company Ltd.(CRWC) (where control exists)	Subsidiary Company

Sl. No.	Name of the Related Party	Relationship
ii)	19 State Warehousing Corporations (SWCs)	Associate
iii)	National Multi Commodity Exchange of India Ltd. (Up to 07.09.2018)	Associate
	Key Management Personnel	
iv)	Shri D.V. Prasad (w.e.f 11.01.2019)	Chairman
v)	Shri Arun Kumar Shrivastava (w.e.f 18.06.2018)	Managing Director
vi)	Shri S. Charles	Director (Finance)
vii)	Shri J. S. Kaushal (up to 31.05.2018)	Director (Personnel)
viii)	Shri S.C. Mudgerikar	Director (M & CP)

b. Related Party Transactions:

(₹ in lakh)

(i) CRWC (Subsidiary Company)	
- Dividend received	689.52
- Repayment of Secured Loan by CRWC(Loan outstanding as on 31.03.2019 is ₹ 1138.70 lakh)	1278.27
- Interest received on loan given to CRWC	149.86
Pest Control Services provided to CRWC	0.96
(ii) 19 State Warehousing Corporations(SWCs) (Associates)	
– Dividend income from SWCs	1839.91
– Godown rent paid to UPSWC	8.24
– Godown rent paid to Gujarat SWC	249.66
– Royalty paid to Gujarat SWC	4.28
– Engineering consultancy services earned on deposit work executed for Orissa SWC	11.41
Key Management Personnel	
(iii) Dr. D.V.Prasad	
- Sitting fee and Travelling Allowances	NIL
(iv) Sh. Arun Kumar Shrivastava	
Remuneration(Including salary as per section 17(1) of Income Tax Act,1961 ₹ 30.91 lakh and perquisite under section 17(2) of Income Tax Act,1961 ₹ 2.64 lakh)	33.55
Travelling Allowances	3.28
(vi) Sh. S.Charles	
Remuneration(Including salary as per section 17(1) of Income Tax Act,1961 ₹ 42.96 lakh and perquisite under section 17(2) of Income Tax Act,1961 ₹ 1.07 lakh)	44.03
Travelling Allowances	4.31
(vii) Sh. J. S. Kaushal	
Remuneration(Including salary as per section 17(1) of Income Tax Act,1961 ₹ 10.96 lakh and perquisite under section 17(2) of Income Tax Act,1961 ₹ 0.74 lakh)	11.70
Travelling Allowances	0.20
(viii) Sh. S.C. Mudgerikar	
Remuneration(Including salary as per section 17(1) of Income Tax Act,1961 ₹ 40.01 lakh and perquisite under section 17(2) of Income Tax Act,1961 ₹ 5.65 lakh)	45.66
Travelling Allowances	2.53

c. Subsidiary company "CRWC"

As on 31.03.2019, Corporation has an investment of ₹ 4056.00 lakh (previous year ₹4056.00 lakh) in the equity of its 100% owned subsidiary company "Central Railside Warehouse Company Ltd.(CRWC)". The amount of loans outstanding from CRWC of ₹ 1138.70 lakh consists of a loan towards transfer of Railside Warehouses of ₹ 688.70 lakh (previous year ₹ 1606.96 lakh) and another loan of ₹ 450 lakh (previous year ₹ 810.00 lakh) towards Working Capital. As per agreement with CRWC, the interest payable by CRWC on loan towards transfer of Railside Warehouses is @7.63% per annum (on quarterly rest). For working capital loan, the interest is payable by CRWC at the interest rate (on quarterly rest) payable by CRWC on loan availed by it from its bank. The interest income of ₹ 149.86 lakh (previous year ₹ 259.60 lakh) on the above loans has been accounted for during the year.

13) Operating Leases

As a Lessor

The Corporation has entered into strategic alliance management contracts for ICDs at Loni and CFS Logistic Park, which is in the nature of cancelable Operating Lease.

a) The Fixed Assets provided to the lessees as on 31.03.2019 are as under:-

₹ in lakh

Particulars	Gross carrying amount	Accumulated Depreciation	Net Book Value
Land	5,521.00	1,467.04	4,053.96
Warehouses & Godowns	1,028.22	322.35	705.87
Water Installation	5.64	5.36	0.28
Electric Installation	245.90	233.60	12.30
Open Container Yard	2,628.51	563.92	2,064.59
Total	**9,429.27**	**2,592.27**	**6,837.00**

b) The aggregate depreciation of ₹ 238.05 lakh (previous year ₹ 442.19 lakh) has been charged on the above leased assets during the year. There is no indication of impairment Loss on the above assets. The ICD Loni and CFS Logistic Park have been leased for a period of fifteen years in consideration of Fixed fee and Variable fee per TEU subject to minimum guaranteed throughput/ minimum amount with escalation clause of 5% and 10% per annum respectively. Total income of ₹ 5799.97 lakh (previous year ₹ 6124.38 lakh) has been recognized during the year from operating leases out of which contingent rent is ₹ 79.63 lakh (previous year ₹ 357.02 lakh).

14) Earnings Per Share

Basic and diluted EPS has been calculated below by dividing the profit for the year attributable to equity share holders by the weighted average number of Equity shares outstanding during the year:

Basic and Diluted	Year ended 31.03.2019	Year ended 31.03.2018
a) Number of Equity shares at the beginning of the year	6,80,210	6,80,210
b) Number of equity shares at the end of the year	6,80,210	6,80,210
c) Weighted average number of equity shares outstanding during the year	6,80,210	6,80,210
d) Face Value of each Equity share(In ₹)	1000/-	1000/-
e) Profit after Tax available for equity shareholders (Amount in ₹)	163,60,52,277/-	31,87,53,277/-
Earning Per Equity Share - Basic (In ₹)	2405.22	468.61
Earning Per Equity Share - Diluted (In ₹)	2405.22	468.61

15) Taxes on Income

i. The tax expense for the current year is ₹ 6181.43 lakh (previous year ₹ 426.06 lakh(Credit)) which comprises of current tax of ₹ 4107.37 lakh, deferred tax of ₹ 2321.36 lakh, and tax adjustment of earlier years of ₹ 247.30 lakh(Credit).

ii. The deferred tax assets and deferred tax liabilities have been set off there

being a legal enforceable right to set off the same. The net deferred tax liability as on 31.3.2019 is ₹ 5472.67 lakh (previous year ₹ 3151.31 lakh) comprising of the following:

₹ in lakh

	Deferred Tax Liabilities	2018-19	2017-18
a.	Depreciation and other differences in block of Fixed Assets.	25456.09	25885.04
b.	Accrued interest on income tax refund	43.70	255.76
	Total	**25499.79**	**26140.80**
Deferred Tax Assets			
a.	Provision for Bad & Doubtful Debts	9507.30	8720.74
b.	Provision for Gratuity	223.78	2978.26
c.	Provision for SVRS, rates, taxes & duties PRMB and unamortized PRMB past service cost etc.	8557.11	10089.94
d.	Provision for Unascertained Liabilities	1738.93	1200.55
	Total	**20027.12**	**22989.49**
	Deferred Tax Liability (Net)	**5472.67**	**3151.31**

iii. In view of favourable decisions of the Appellate Authority, the amount recoverable from Income Tax Department as on 31.3.2019 for AY 1997-98, 1998-99, 2001-02, 2002-03 and 2004-05 is ₹ 1281.81 lakh. Against this recoverable amount, provision for tax of ₹1044.77 lakh exists in the books which management considers adequate. Additionally, provision for tax of ₹ 593.59 lakh (tax liability reduced by TDS credits) also exists in the books for AY 2017-18, for which the tax assessments are yet to start by the income tax department, No provision for tax for AY 2019-20 is required in view of TDS credit available.

16) Interests in Subsidiary/Joint Venture

(a) Corporation holds 100% equity of ₹4056.00 lakh in its subsidiary company i.e. Central Railside Warehouse Company Ltd., (CRWC), whose financial details as per their audited accounts are as under:

₹ in lakh

PARTICULARS	2018-19	2017-18
Gross Revenue	8794.49	9688.47
Gross Expenses	7158.72	7324.03
Profit before tax	1635.77	2364.44
Profit after tax	1487.71	1533.12
Assets	20067.81	20426.43
Capital & Reserves	12504.57	11848.11
Liabilities	7563.24	8578.32
Contingent Liability	565.76	113.93

(b) In terms of section 19(2) of the Warehousing Corporations Act, 1962, Corporation has invested in the share capital of its Associates i.e. 19 State Warehousing Corporations (SWCs). Due to non-receipt of audited accounts as on 31.03.2019 of these SWCs, the share of the Corporation in their assets, liabilities, contingent liabilities, income and expenses cannot be disclosed.

(c) The consolidated financial statements have not been prepared and presented as preparation of same is not mandatory as per The Warehousing Corporations Act, 1962 under which corporation has been constituted.

(d) Central Warehousing Corporation (CWC) and Container Corporation of India (CONCOR) have entered into

an agreement on 10.09.2018 to form a Joint Working Group (JWG) named as Pipavav Integrated Logistic Hub (PILH) to operate the logistic facility at Pipavav Port(Gujarat). Both CWC and CONCOR will share the investment, working capital and profits equally. In the year 2018-19, since no investment has been made in PILH and no operations were performed by PILH, CWC has made an investment of Rs. 5 Crores on 30.05.2019 as a part of its capital commitment in PILH.

17) Intangible Assets

Corporation has Four Intangible Assets –

a) Registration Fee for Running Container Trains,

b) Right to use of land,

c) Software, and

d) License fee for Private Freight Terminal.

In the year 2005-06, Corporation paid registration fee of ₹ 5000 lakh to Indian Railways for running of container trains on Category-I Routes and Concessionaire Agreement was signed between CWC and Indian Railways on 04.01.2007, which entitles CWC to run the container trains for a period of 20 years from the date of commercial operations which commenced on same date. The Registration Fee of ₹5000 lakh has been shown as Intangible Asset. The concessional period is extendable for a further period of 10 years on the same terms & conditions by paying requisite fee. As per the agreement, the concessionaire (CWC) is entitled to transfer or assign the concession to any third party or change the control of concessionaire after one year from the date of commercial operations with the approval of Railway Administration. Keeping this in view, the registration fee paid for running container trains is being amortized over a period of 20 years (useful life) from the date of commencement of commercial operations. The unamortized amount of Registration Fee paid by CWC to Indian Railways as on 31.03.2019 is ₹ 1750 lakh (previous year ₹ 2000 lakh).

i) Useful life / Amortization Rates used:

Intangible Assets:	Useful life/ amortization rate (%)
Registration Fee for running Container Trains	20 years (unamortized period is 07 years)
Right to use of land	10 years
Software	3 years
License for Private Freight Terminal	10 years

ii) The gross carrying amount, accumulated amount of amortization at the beginning and end of the year, reconciliation of carrying amount at the beginning and end of the year of intangible assets are stated in Schedule II on "Fixed Assets".

18) Impairment of Assets

In the opinion of the management there has been no impairment loss during the year. Previous year Impairment loss of ₹ 95.25 lakh was reversed.

19) Contingent Liabilities and Guarantees

(₹ in lakh)

S. No.	Particulars	As on 31.03.2018	Reduction against opening	Addition during the year	As on 31.03.2019
(a)	Claims against the Corporation not acknowledged as debts including claims of suppliers / contractors and others against the Corporation which are in arbitration / court.				
	i Central Govt. Departments	7027.77	1,624.14	340.91	5,744.54

S. No.	Particulars	As on 31.03.2018	Reduction against opening	Addition during the year	As on 31.03.2019
	ii) State Govt. Departments or local Bodies	26117.16	1292.15	1890.34	26715.35
	iii) Central Public Sector Enterprises (CPSEs)	15166.24	6812.36	5132.75	13486.63
	iv) Others (Not Covered above)	25502.29	1677.97	11176.28	35000.60
	Total (a)	**73813.46**	**11406.62**	**18540.28**	**80947.12**
Guarantees				**31.3.2018**	**31.03.2019**
(b)	Counter Guarantees given for Bank Guarantees			360.97	291.83
(c)	Custodian guarantee bonds furnished to Customs department			248018.00	371716.00
Liability, if any, that may arise due to disputed claims of some of the employee(s) / ex-employee(s), arbitration cases with depositors/ contractors / godown owners and interest / penalty / legal costs is not disclosed in contingent liabilities in respect of which amounts are unascertainable.					
The contingent liabilities stated above are dependent upon the outcome of decision of court / arbitration / out of court settlement, disposal of appeal, the amount being called up in terms of contractual obligations and other developments arising on account of demand by concerned parties.					
The Major Contingent Liabilities in respect of claims disputed by the corporation exceeding 2% of the total claims included in S. No.(a) above are as under:					
(i)	The claim of Customs Department of ₹ 2975.00 lakh for ICD, Patparganj towards cost recovery charges.				
(ii)	Claim of ₹ 5131.85 Lakh made by SAMO at ICD-Loni towards Examination Charges, Service Charges, Ground Rent, Handling Charges, Fuel Surcharge etc. on containers moved by train by the corporation and interest thereon.				
(iii)	The Claims of ₹ 9988.80 lakh made by FCI against storage and transit losses.				
(iv)	The Claim of ₹ 20104.46 lakh made by Mumbai Port Trust towards arrears of rent, rates & taxes including interest etc. in respect of CW, TW-I, TW-II, M.S. Jetha and Wadala disputed by the corporation.				
(v)	Claim of ₹ 6456.75 Lakh made by SAMO at CFS-Kalamboli towards construction cost of Rail linked facility, godown rent, domestic operation charges etc. and interest thereon of ₹ 1599.46 lakh.				
(vi)	The claim of ₹ 8637.83 lakh made by erstwhile strategic alliance management operator (SAMO) at CFS – Whitefield.				

20) Provisions for expenses

In compliance of AS 29 on "Provisions, Contingent liabilities and Contingent Assets", the required information on Provision for Expenses is as under:

(₹ in lakh)

Opening Balance	Additions during the year	Amount used/ Incurred/ reversed during the year	Closing Balance
3469.00	2778.88	1271.55	4976.33

21) Provision for Bad & Doubtful Debts

a) Considering that most of the sundry debtors/recoverable relate to government departments/ undertakings, the management considers provision for Bad &

Doubtful Debts of ₹ 27207.26 lakh (previous year ₹ 25198.62 lakh) as adequate which comprises of provision of ₹ 22982.67 lakh (previous year ₹ 20267.75 lakh, towards sundry debtors(storage charges), ₹ 1494.66 lakh (previous year ₹ 1642.40 lakh) towards sundry debtors (marketing facilitation) charges and ₹ 2729.93 lakh (previous year ₹ 3288.47 lakh) towards other sundry debtors/recoverable.

b) The sundry debtors with respect to FCI are ₹ 26499.74 lakh (previous year ₹ 35215.25 lakh) after adjusting the ad-hoc payments received from them of ₹ 6155.85 lakh which remains unadjusted as on 31.03.2019. The sundry debtors of FCI as on 31.03.2019 comprises of ₹ 21484.19 lakh due towards storage charges and ₹ 5015.55 lakh due towards marketing facilitation charges. The final adjustment of the adhoc payment shall be made as per the actual adjustment by FCI.

The total amount under dispute with FCI as on 31.03.2019 is ₹ 18387.18 lakh (previous year ₹ 19622.14 lakh). The settlement of disputes with FCI is in progress. The management considers provision for Bad & Doubtful Debts of ₹16237.09 lakh (previous year ₹ 13380.76 lakh) as adequate.

c) Against provision for Bad & Doubtful Debts created in the earlier years, an amount of ₹ 3885.99 lakh has been written off, out of which ₹ 2247.68 lakh is in respect of disputes of storage charges / MF charges and other dues including BIFR cases against which recovery could not be made by the Corporation and ₹1638.31 lakh is in respect of dispute of storage losses / transit losses / damages / deficiency in services etc. against which recovery could not be made by the Corporation. These amounts have been written off based on the recommendations of the committee and approval of the competent authority. The amount written off has been adjusted against the provision for Bad & Doubtful Debts as reflected in Schedule V on 'Reserves for Bad & Doubtful Debts' of Notes forming part of accounts.

22) Balance Confirmations

For debit and credit balances in respect of parties for Loans and Advances, Supplies, Services, Earnest Money and Security Deposit, Corporation has sent letters for confirmation of balances. The confirmation / copy of Accounts received from some of the parties have been reconciled. The management is of the view that in respect of parties from whom confirmation / statement of account has not been received, the impact on the liability and profit will not be significant.

23) Corporate Social Responsibility (CSR) and Sustainable Development (SD)

As per guidelines of Department of Public Enterprises (DPE) issued vide OM dated 21.10.2014, Corporation was required to spend during the year 2018-19 an amount of ₹392.74 lakh (including ₹ 19.57 lakh of shortfall in CSR expenses of financial year 2017-18) on Corporate Social Responsibility and Sustainable Development. An amount of ₹ 402.65 lakh (previous year ₹528.09 lakh) was incurred during the year towards Corporate Social Responsibility and Sustainable Development.

The details of amount spent during the year on Corporate Social Responsibility is as under:-

(₹ in lakh)

S.No.	Particulars	Paid in Cash	Yet to be paid	Total
(i)	Construction/acquisition of any asset	NIL	NIL	NIL
(ii)	On purposes other than (i) above	366.23	36.42	402.65

24) Research & Development (R & D)

Department of Public Enterprises (DPE) vide OM dated 17.07.2019 has withdrawn its guidelines on research and development issued vide OM dated 23.09.2011. Therefore, no Reserve for Research and Development fund has been created for the 2018-19 and the amount of ₹ 289.94 lakh lying in Reserve for Research and Development fund has been transferred to Reserve Fund Under Section 30 (1). The R&D expenditure of ₹ 4.56 lakh incurred during the year 2018-19 has been charged to Profit & Loss Account.

25) Benevolent Fund

The Benevolent Fund established during the year 1989-90 for the purpose of staff welfare, is being managed by Benevolent Fund Trust which is registered for income tax exemption under sections 12A and 80G of the Income Tax Act,1961. During the year, 1% of profit after tax i.e. ₹ 163.61 lakh (Previous year ₹ 31.88 lakh) and additional amount of ₹ 37.00 lakh approved by board is appropriated to the Reserve for Benevolent Fund. During the year an amount of ₹ 31.88 lakh was contributed to Benevolent Fund Trust against the opening balance and additional contribution during the year ₹ 37.00 lakh made to the trust. The balance in Reserve for Benevolent Fund as on 31.03.2019 is ₹ 163.61 lakh (Previous year ₹ 31.88 lakh) shall be paid to Benevolent Fund Trust after the approval of the Board of Directors.

26) Dividend

During the year, Corporation paid additional dividend of ₹ 1012.31 lakh for the year 2017-18 and Interim Dividend of ₹ 2379.15 lakh for the year 2018-19. The final dividend for the year 2018-19 is proposed @ 30% of Profit after Tax (Being 72.20% of paid up capital) amounting to ₹ 4908.16 lakh. The unpaid amount of proposed dividend for the year 2018-19 has not been accounted in the books as per AS 4(Para 14) issued by ICAI.

27) Micro, Small, and Medium Enterprises

(₹ in lakh)

Item No.	Disclosure required under the Micro, Small & Medium Development Act, 2006	As on 31/03/2019	As on 31/03/2018
i)	Delayed payments due as at the end of each accounting year on account of		
(a)	Principal &	NIL	NIL
(b)	Interest due thereon	NIL	NIL
ii)	Total interest paid on all delayed payments during the year under the provisions of the Act	NIL	NIL
iii)	Interest due on principal amounts paid beyond the due date during the year but without the interest amounts under this Act	NIL	NIL
iv)	The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year	NIL	NIL
v)	Total Interest Due but not paid (Represents all interest amounts remaining due together with that from prior year (s) until such date when the interest was actually paid to the small enterprises. Mainly to ascertain the amount of interest disallowable for income tax purposes)	NIL	NIL

28) Cess for Construction Works

Liability for collection and remittance of Cess under the Building & Other Construction Workers (RECS) Act, 1996, Building & Other Construction Workers Welfare Cess Act, 1996 and Building & Other Construction Workers Welfare Cess Rules 1998, has been created in respect of works only in those States where the Welfare Board has been constituted by the concerned State Government and notification regarding effective date and Cess percentage to be levied has been issued.

29) Warehousing Fund

The Warehousing Fund which was being maintained by the Corporation as per section 16 of the Warehousing Corporations Act, 1962 got fully utilized in the year 2010-11, hence no accounts have been prepared for the same.

30) General

The figures have been rounded off to the nearest rupee. The previous year figures have been reworked, regrouped and rearranged wherever considered necessary.

Abhay Prashal Silver Jubilee Year
26th National Masters Table Tennis Championships - 2018
STAG

Powered by
STAG
the aegis of
Federation of India
Madhya
STIGA

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

	PARTICULARS	CURRENT YEAR ₹	CURRENT YEAR ₹	PREVIOUS YEAR ₹	PREVIOUS YEAR ₹
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES :**				
	Net profit before Tax		2,254,195,204		276,153,053
	Adjustments for :				
	Depreciation, Amortisation & Impairment Loss	869,008,178		1,337,500,488	
	Prior Period Depreciation	6,266,552		5,632,360	
	Amortisation of Past Service Cost of PRMS	2,165,565		2,165,565	
	Provision for Bad & Doubtful Debts	589,462,819		461,175,338	
	Interest Expense	10,370,274		43,998,699	
	Loss on sale of Assets/ Assets written off	14,198,591		31,998,005	
	Work In Progress written off	-		1,394,567	
	Bad Debts written off	8,694,323		600,864	
	Profit on sale of Assets	(42,575,721)		(562,331)	
	Dividend Income from SWC's	(183,990,703)		(98,923,997)	
	Dividend Income from CRWC	(68,952,000)		(60,840,000)	
	Interest Income	(529,217,954)		(624,768,281)	
	Difference in Foreign Exchange (Net Loss)	(832,395)		(33,386)	
	Excess Liabilities/Provisions written back/ adjusted	(11,413,022)		(19,193,024)	
	Excess Depreciation written back/adjusted	(1,139,492)		-	
			662,045,015		**1,080,144,867**
	Operating Profit before Working Capital Changes		**2,916,240,219**		**1,356,297,920**
	Trade and Other Receivables	486,928,282		1,370,395,337	
	Inventories	(251,768)		1,128,020	
	Amount Payable to /Recoverable from Subsidiary (CRWC)	-		24,182,976	
	Liabilities and Provisions	(1,878,392,596)		1,096,918,677	
			(1,391,716,082)		**2,492,625,010**
	CASH GENERATED FROM OPERATING ACTIVITIES		**1,524,524,137**		**3,848,922,930**
	Income Tax paid		**(538,123,732)**		**(664,182,682)**
	NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES (A)		**986,400,405**		**3,184,740,248**
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES:**				
	Purchase of Fixed Assets including WIP	(1,604,118,375)		(1,592,981,306)	
	Proceeds from sale of Fixed Assets	104,209,764		(26,481,002)	
	PRMB Fund Investment	1,471,669,574		(84,113,905)	
	Leave Benefit Fund Investment	117,544,763		(1,408,589,572)	
	Loan given to CRWC	127,826,508		177,783,135	
	Dividend received from SWC	184,333,748		112,934,158	

	Dividend received from CRWC		68,952,000		101,400,000	
	Interest Received		553,716,494		721,724,467	
	NET CASH (USED IN) INVESTING ACTIVITIES (B)			**1,024,134,476**		**(1,998,324,025)**
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:**					
	Payment to Benevolent Fund Trust		(6,887,533)		(23,122,133)	
	Grant received from/utilised to Govt. of India		(98,102,028)		93,800,000	
	Interest Paid		(3,371,158)		(4,708,105)	
	Dividend Paid		(402,587,332)		(1,398,789,923)	
	NET CASH (USED IN) FINANCING ACTIVITIES (C)			**(510,948,051)**		**(1,332,820,161)**
D.	**NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS(A+B+C)**			**1,499,586,830**		**(146,403,938)**
E.	**CASH AND CASH EQUIVLENT AT THE BEGINNING OF THE YAER**			**3,865,329,834**		**4,011,733,772**
	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE CLOSE OF THE YEAR #	**D+E**		**5,364,916,664**		**3,865,329,834**
#	**Cash and Bank Balances**					
a	"Cash and Bank includes Deposit of ₹ 46435.02 lakh (previous year ₹ 26402.54 lakhs)"			5,306,141,242		3,797,634,285
b	FDRs in hand (Contractors' Securities received in the form of FDRs pledged in favour of the Corporation)			43,189,991		63,400,723
c	Bank Drafts and Cheques in hand			14,941,821		3,983,360
d	Remittance/Bank Draft/Cheques in Transit			643,610		311,466
	Total			**5,364,916,664**		**3,865,329,834**

2. Previous years figues have been regrouped and rearranged whereever necessary.

For and on behalf of the Board

(S.CHARLES)
Director (Finance)

(ARUN KUMAR SHRIVASTAVA)
Managing Director

In terms of our separate report of even date

For Ramesh C Agrawal & Co.
Chartered Accountants
FRN: 001770C

(Saumy Agrawal)
Partner
M. No.416438

Place : New Delhi
Dated: 26 August, 2019

2018-19

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
तथा
निगम के उत्तर

AUDITOR'S REPORT
&
REPLIES OF THE CORPORATION

रमेश सी. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में
सभी अंशधारी
केन्द्रीय भंडारण निगम

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

राय

हमने मैसर्स केन्द्रीय भंडारण निगम ("निगम") के सामान्य निधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2019 के तुलन–पत्र तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि खाता, नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं।

हमारी राय में दिए गए वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2019 को निगम की वित्तीय स्थिति तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष के वित्तीय निष्पादन एवं नकदी प्रवाह विवरण की इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुरूप सही एवं स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के तहत हमारे दायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के दायित्व में भी उल्लेखित किया गया है। हम नैतिक अपेक्षाओं जो वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से संबंधित है, के अनुसार इकाई के लिए स्वतंत्र हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त हुए लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा जिन पर प्रशासन का प्रभार है, उनका उत्तरदायित्व

प्रबंधन उक्त लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा इनके सही प्रस्तुतीकरण के

RAMESH C. AGRAWAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANT

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO
THE SHAREHOLDERS OF
CENTRAL WAREHOUSING
CORORATION

Report on Financial Statements

Opinion

We have audited the Financial Statements of M/s Central Warehousing Corporation ("the Corporation") for the General Fund, which comprise the Balance Sheet at March 31st 2019 and the Profit and Loss Account, Cash flow statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the Corporation as at March 31, 2019, and of its financial performance and its Cash flow statement for the year then ended in accordance with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statement section of our report. We are independent of the entity in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial

लिए उत्तरदायी है तथा प्रबंधन के रूप में ऐसा आंतरिक नियंत्रण निर्धारण करना आवश्यक है जिससे वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय धोखा या त्रुटि किसी भी कारण से होने वाली गलत जानकारी से बचा जा सके।

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन, सतत् गोइंग कंसर्न के लिए निगम की सक्षमता का निर्धारण करने, प्रकटन, जो भी लागू हो, गोइंग कंसर्न संबंधित मामलों और लेखांकन के लिए गोइंग कंसर्न आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि प्रबंधन या तो निगम को बंद या उसके प्रचालनों को समाप्त न करना चाहता हो या उसके लिए कोई वास्तविक विकल्प न हों।

जिनके पास प्रशासन का प्रभार है वे निगम के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख–रेख के उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य यथोचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण धोखा या त्रुटि किसी भी कारण से होने वाली जानकारी से पूरी तरह मुक्त है तथा ऑडिट रिपोर्ट जारी करने में हमारी राय भी शामिल है। यथोचित आश्वासन उच्चस्तरीय है किन्तु इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानदण्ड़ों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा हमेशा ही गलत जानकारी यदि कोई हो, का पता लगा सके। धोखा, गलत विवरण, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकते हैं और यह विचारणीय सामग्री हो सकती है, यदि यह व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हो। यह सामान्यतः इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपभोक्ता द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णयों को प्रभावित भी कर सकते हैं।

मामले पर बल

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

(क) 3385.17 लाख रु. के 45 भूमि साइटों के लीज़ डीड/टाइटल डीड के संबंध में, जो अभी किया जाना है (अनुसूची-II की टिप्पणी सं. 4)।

(ख) अंतिम वसूली की अनिश्चितता से निगम की 57992.30 लाख रु. की राशि का विवादित दावा होने के कारण राजस्व की पहचान न होने के संबंध में (अनुसूची-XXXII की टिप्पणी सं. 4(ख))।

statements in accordance with the aforesaid Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Corporation's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Corporation or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Corporation's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Emphasis of Matters

We draw attention to the following matters in the notes to the financial statements.

(a) Note No. 4 of Schedule-II-regarding lease deed/title deed of 45 land sites valued at Rs.3385.17 lakhs ,yet to be executed.

(b) Note No. 4 (B) of Schedule – XXXII-regarding non recognition of revenue on account of disputed claims of the Corporation to the tune of Rs. 57992.30 lakh due to uncertainty in their ultimate collection.

(ग) कुछ पार्टियों से शेष की पुष्टि न होने से लेखों पर प्रभाव के संबंध में (अनुसूची XXXII की टिप्पणी सं. 22)।

(c) Note No.22 of Schedule-XXXII – regarding impact on accounts due to non-confirmation of balances from some of the parties.

कृते रमेश सी. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
एफआरएन नं. 001770सी

(सौम्य अग्रवाल)
(पार्टनर)
एम.नं.–416438

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 26 अगस्त, 2019

For Ramesh C. Agrawal & Co.
Chartered Accountants
FRN.001770C

(Saumy Agrawal)
Partner
M.No. 416438

Place of Signature: New Delhi
Dated 26 August, 2019

वर्ष 2018–19 के लिए निगम के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के उत्तर

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (मामले पर बल)	प्रबंधन के उत्तर
(क) 3385.17 लाख रु. के 45 भूमि साइटों के लीज डीड/टाइटल डीड के संबंध में, जो अभी किया जाना है (अनुसूची–।। की टिप्पणी सं. 4)।	45 गैर निष्पादित भूमि लीज डीड के मामले को प्रबंध निदेशक स्तर पर मासिक आधार पर निगरानी की जा रही हैं। इसके अलावा, लेखा परीक्षा समिति द्वारा भी अपनी बैठकों में नियमित कार्यसूची मद के अनुसार समीक्षा की गई है। जो लीज डीड अभी तक निष्पादित नहीं हुई हैं उनके लिए मुख्य अभियंता (योजना) द्वारा संबंधित यूनिटों को सलाह दी गई है कि वे संबंधित प्राधिकारी के साथ टाइटल डीड के निष्पादित कार्य को शीघ्र करने के लिए मामले को उठाएं।
(ख) अंतिम वसूली की अनिश्चितता से निगम की 57992.30 लाख रु. की राशि का विवादित दावा होने के कारण राजस्व की पहचान न होने के संबंध में (अनुसूची–XXXII की टिप्पणी सं. 4(ख))।	निगम के विवादित दावे न्यायिक निर्णय के अधीन हैं। इसके परिणाम अनुकूल होने के आधार पर विवादित राजस्व की पहचान की जा सकती है।
(ग) कुछ पार्टियों से शेष की पुष्टि न होने से लेखों पर प्रभाव के संबंध में (अनुसूची–XXXII की टिप्पणी सं. 22)।	वर्ष 2018–19 की शेष की पुष्टियों के पत्र संबंधित पार्टियों को इस अनुरोध के साथ भेजे हैं कि वे सांविधिक लेखा परीक्षकों को सीधे ही शेष की पुष्टि करें। कुछ पार्टियों ने उत्तर नहीं दिया है। शेष की पुष्टि के पत्र इस वर्ष भी छमाही आधार पर भेजे जाएंगे तथा पुष्टि प्राप्त न होने पर अनुस्मारक भेजे जाएंगे।

Replies to the Statutory Auditor's Report on the Accounts of the Corporation for the year 2018-19

Auditor's Report (Emphasis of matters)		Reply of the Management
(a)	Note No. 4 of Schedule II – regarding lease deed/title deed of 45 land sites valued at Rs.3385.17 lakh, yet to be executed.	The issue of non execution of 45 land lease deeds is now being monitored on monthly basis at MD level. Further the Audit Committee has also been reviewing this as a regular agenda item in its meetings. For the lease deeds not yet executed, the concerned units have been advised by the Chief Engineer (Planning) to take up with the concerned authorities for expediting the execution of the title deeds.
(b)	Note No. 4(B) of Schedule – XXXII – regarding non recognition of revenue on account of disputed claims of the Corporation to the tune of account of disputed claims of the Corporation to the tune of Rs. 57992.30 lakh due to uncertainty in their ultimate collection.	The disputed claims of the corporation are under adjudication. The disputed revenues can be recognized based on the outcome of the same being favorable.
(c)	Note No. 22 of Schedule XXXII – regarding impact on accounts due to non-confirmation of balances from some of the parties.	The letters of confirmations of balances were sent to all the concerned parties in 2018-19 with a request to confirm the balance to the Statutory Auditors directly. Some parties did not respond. Letters of confirmation of balance shall be sent this year also on half year basis and wherever confirmation is not received, reminders will be sent.

2018-19

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

REPORT OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए केन्द्रीय भंडारण निगम के लेखों पर वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन अधिनियम, 1962 की धारा 31(8) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।

वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन्स अधिनियम, 1962 तथा सेंट्रल वेअरहाउसिंग कारपोरेशन नियम, 1963 के अन्तर्गत 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए **केन्द्रीय भंडारण निगम** की सामान्य निधि के वित्तीय विवरण निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क[1] के अनुसार तैयार करने की जिम्मेदारी निगम के प्रबंधन की है। वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन्स अधिनियम, 1962 की धारा 31(3) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अपने व्यावसायिक निकाय यानि दि इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन्स अधिनियम, 1962 की धारा 31(5) के अधीन इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। दिनांक **26 अगस्त 2019** की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा करने का वक्तव्य दिया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन्स अधिनियम, 1962 की धारा 31(8) के अधीन दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए **केन्द्रीय भंडारण निगम** के सामान्य निधि के संबंध में वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों की कार्य प्रणाली के कागजात को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों की जांचों, निगम के कार्मिकों एवं लेखों के कुछ चुनिंदा प्रलेखों के परीक्षण तक सीमित है।

अपनी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मैं अधिनियम की धारा 31(5) के अधीन निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख करना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में लाए गए हैं तथा जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों तथा संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट को बेहतर रूप से समझने के लिए आवश्यक हैं।

लाभप्रदत्ता पर टिप्पणी

लाभ तथा हानि का विवरण

1. आय

अधिक देयता, प्रावधान तथा पुरांकित मूल्यह्रास : 1.26 करोड़ रु.

संदिग्ध दावों के लिए प्रावधानों को पुरांकित किए जाने के कारण उपर्युक्त को 2.20 करोड़ रु. अधिक दर्शाया गया है जबकि यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मई, 2018 में उच्च न्यायालय, दिल्ली ने निगम के पक्ष में निर्णय दिया था और मै. ओरिएंटल इंश्योरेंस कं. लि. (ओआईसीएल) को धूरी वेअरहाउस, पंजाब में बाढ़ और आग के कारण निगम को स्टॉक में हुई हानि के लिए 2.20 करोड़ रु. का भुगतान करने के आदेश दिए। ओआईसीएल ने मई, 2018 के न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की और अब यह मामला न्यायालय में लंबित हैं। चूंकि अपील फाइल कर दी गई है और मामला न्यायालय के अधीन है। अतः राशि की वसूली निश्चित नहीं है, इसलिए निगम दी जाने वाली 2.20 करोड़ रु. पर संदिग्ध दावों के लिए मौजूदा प्रावधान को पुरांकित नहीं कर सकता।

इसके परिणामस्वरूप, संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान को कम दर्शाया गया है तथा वर्ष के लाभ को 2.20 करोड़ रु. अधिक दर्शाया गया है।

---

1 जिस फार्मेट में केंद्रीय भंडारण निगम के वार्षिक लेखे तैयार किए गए है वे फार्मेट वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन अधिनियम, 1962 और सेंट्रल वेअरहाउसिंग कारपोरेशन नियम, 1963 के तहत निर्धारित फार्मेट से भिन्न हैं। जैसा कि केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा सूचित किया गया है कि यह विविधता वित्तीय सूचना के बेहतर प्रस्तुतिकरण और प्रकटन के लिए अपनाई गई हैं।

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 31(8) OF THE WAREHOUSING CORPORATIONS ACT, 1962 ON THE ACCOUNTS OF CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019.

The preparation of financial statements in respect of General Fund of **Central Warehousing Corporation** for the year ended 31st March 2019 in accordance with the financial reporting framework[1] prescribed under the Warehousing Corporations Act, 1962 and the Central Warehousing Corporation Rules, 1963, is the responsibility of the management of the Corporation. The Statutory Auditors appointed by the Government of India on the advice of Comptroller and Auditor General of India under section 31(3) of the Warehousing Corporations Act, 1962 are responsible for expressing opinion on these financial statements under Section 31(5) of the warehousing Corporations Act, 1962 based on the independent audit in accordance with the Standards on Auditing prescribed by their professional body, the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated **26th August 2019.**

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 31(8) of the Warehousing Corporations Act, 1962 of the financial statements in respect of General Fund of **Central Warehousing Corporation** for the year ended 31st March 2019. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and corporation personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 31(5) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

Comments on Profitability

Statement of Profit and Loss

1. Income

Excess Liability, Provision and Depreciation written back: Rs 1.26 crore

The above is overstated by Rs 2.20 crore due to writing back of provision for doubtful claims through the matter was sub-judice in the High Court. In May 2018, High Court Delhi decided the case in favour of Corporation and ordered M/s Oriental Insurance Company Limited (OICL) to pay Rs 2.20 crore on account of loss of stock suffered by the Corporation due to flood and fire occurred at Dhuri warehouse, Punjab. OICL filed appeal against the May 2018 Court's order and the case is pending before the Court. As the appeal has been filed and the matter is sub-judice, the recoverability of the amount is not certain. Therefore Corporation should not have written back existing provision for doubtful claims made against awarded amount of Rs 2.20 crore.

This has resulted in the understatement of provision for doubtful claims and overstatement of profit for the year by Rs 2.20 crore.

1 formats in which Central Warehousing Corporation has made annual accounts are in variations with formats prescribed under The Warehousing Corporation Act, 1962 and the Central Warehousing Corporation Rules, 1963. As informed by the Central Warehousing Corporation, variations were adopted for better presentation and disclosure of financial information.

2. व्यय

विविध व्यय (अनुसूची XXII) 74.69 करोड़ रु.

उपर्युक्त शीर्ष में ये शामिल नहीं हैं:

i. जनवरी, 2012 से मार्च, 2015 तक की अवधि के लिए लोनी में इनलैंड कंटनेर डिपो (आईसीडी) के लिए सीमा शुल्क विभाग को 5.31 करोड़ रु. लागत वसूली प्रभार देय है। मै. वर्ल्ड विंडो इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड (डब्ल्यूडब्ल्यूआईएलपीएल) के साथ हुए करार के अनुसार निगम द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले लागत वसूली प्रभार डब्ल्यूडब्ल्यूआईएलपीएल से वसूली योग्य थे। तथापि मै. डब्ल्यूडब्ल्यूआईएलपीएल ने निगम द्वारा दिए गए दावे को स्वीकार नहीं किया और लागत वसूली प्रभार की प्रतिपूर्ति करने से मना कर दिया। चूंकि मै. डब्ल्यूडब्ल्यूआईएलपीएल ने लागत वसूली प्रभार की प्रतिपूर्ति करने से मना किया था। अतः आईसीडी, लोनी के कस्टोडियन होने के नाते निगम सीमा शुल्क विभाग को लागत वसूली प्रभार के भुगतान हेतु उत्तरदायी है। इसलिए सीमा शुल्क विभाग को देय लागत वसूली प्रभार के लिए लेखा बहियों में देयता का प्रावधान किया जाना चाहिए।

ii. सीमा शुल्क विभाग द्वारा आईसीडी, सहारनपुर के डी–नोटिफिकेशन से पहले आईसीडी, सहारनपुर के लिए लागत वसूली प्रभार हेतु 1.63 करोड़ रु. की मांग की गई थी। (जून, 2018) निगम के इस मांग को स्वीकार किया और 1.63 करोड़ रु. की राशि के लागत वसूली प्रभार का भुगतान करने के लिए सहमति (मई, 2019) दी। अतः लेखांकन मानक 4 (पैरा 8) एवं लेखांकन मानक 29 (पैरा 14) के अनुसरण में निगम को आईसीडी, सहारनपुर के संबंध में सीमा शुल्क विभाग को देय लागत वसूली प्रभार के लिए लेखा बही में देयता के लिए प्रावधान करना चाहिए।

उपर्युक्त (i) और (ii) को ध्यान में रखते हुए विविध व्यय एवं बकाया देयताएं 6.94 करोड़ रु. कम दर्शाए गए हैं और इतनी ही राशि को वर्ष के लाभ में अधिक दर्शाया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

(राजदीप सिंह)
प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–IV

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 15.11.2019

2. Expenditure

Miscellaneous Expenditure (Schedule-XXII): Rs 74.69 crore

The above head does not include:

(i) Rs 5.31 crore being cost recovery charges (CRC) payable to Custom Departments for inland Container Depot (ICD) at Loni for the period January 2012 to March 2015. As per the agreement entered with M/s Worlds Window Infrastructure & Logistics Pvt Ltd. (WWILPL), CRC to be paid by the Corporation was recoverable from WWILPL. However, M/s WWILPL did not accept the claim made by the Corporation and declined for reimbursement of CRC. Since M/s WWILPL had denied for reimbursement of CRC, the Corporation being the custodian of the ICD, Loni is liable to pay CRC to Custom Department and therefore should have made provision for liability in the books of accounts for CRC payable to Customs Department.

(ii) Rs 1.63 crore towards CRC demanded (June 2018) by the Custom Department for ICD, Saharanpur before de-notification of the ICD Saharanpur. The Corporation accepted the demand and agreed (May 2019) to pay CRC amounting to Rs 1.63 crore. Therefore in pursuance of Accounting Standards 4 (Para 8) and Accounting Standard 29 (Para 14), the Corporation should have made provision for liability in the books of accounts for CRC payable to customs Department in respect of ICD, Saharanpur.

Considering (i) and (ii) above, miscellaneous expenditure and outstanding liabilities are understated by Rs 6.94 crore and profit for the year is overstated by the same amount.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: New Delhi
Date: 15.11.2019

(राजदीप सिंह)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड -IV

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर।

1. निगम ने इस मामले का बचाव करने के लिए अधिवक्ता की राय प्राप्त की और उनकी राय के अनुसार, पूरी संभावना है कि अपीलकर्ता (मैसर्स ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी) की अपील को खारिज कर दिया जाएगा और एकल न्यायाधीश के फैसले (डिक्री) की पुष्टि की जाएगी। इस आधार पर, प्रबंधन का विचार है कि संसाधनों के आउटफ्लो की संभावना नहीं है, अतः प्रावधान को सही तरीके से समायोजित किया गया है। यदि 31 मार्च, 2020 तक मामला न्यायालय के अधीन रहता है, तो निगम द्वारा वर्ष 2019–20 में 2.20 करोड़ रु. के संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान बनाया जाएगा।

2. (i) केंद्रीय भंडारण निगम ने सीमा शुल्क से लागत वसूली प्रभार छोड़ने की मांग की थी, इसलिए वर्ष 2018–19 के दौरान देयता प्रदान नहीं की गई। चूंकि सीमा शुल्क ने अपने दिन. ांक 15.10.2019 के पत्र द्वारा सहमति दर्शायी है अतः इसका भुगतान किया जाएगा और वित्तीय वर्ष 2019–20 में इसे लेखाबद्ध किया जाएगा। आईसीडी लोनी के लिए करार/आरएफपी की संबंधित धारा के अनुसार लागत वसूली प्रभार का भुगतान केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा किया जाएगा तथा प्रचालकों द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। अतः भुगतान के बाद, इसे मैसर्स डब्ल्यूडब्ल्यूआईएलपीएल से वसूल किया जाएगा।

   (ii) चालू वर्ष 2019–20 में लागत वसूली प्रभार के लिए मांगी गई 1.63 करोड़ रु. की राशि का भुगतान किया गया तथा इसे इसी वर्ष लेखाबद्ध किया गया।

Management replies on the comments of the Comptroller and Auditor General of India on the accounts of the Corporation for the year ended 31st March 2019.

1. The corporation has obtained the opinion of the advocate defending this case and as per their opinion, in all likelihood the appeal of the appellant (M/s Oriental insurance co.) would be dismissed and the decree of the single judge would be confirmed. Based on this, management is of the view that no outflow of resources is expected and thus the provision has been rightly adjusted. In case the matter remains sub-judice as on 31st March, 2020, corporation shall create the provision for doubtful claims of Rs. 2.20 Crore in 2019-20.

2. (i) As CWC had sought waiver of the Cost recovery charges from the Customs, hence liability was not provided during the year 2018-19. However, Customs, vide its letter dated 15.10.2019, has not agreed. The same shall be paid and accounted during the financial year 2019-20. As per the relevant clause of the RFP/Agreement for ICD Loni, the cost recovery charges shall be paid by CWC and shall be reimbursed by the operators. Hence, after payment, the same shall be accounted as recoverable from M/s WWILPL.

   (ii) The amount of Rs. 1.63 crore towards cost recovery charges demanded has been paid in current year 2019-20 and has been accounted in current year.

अध्यक्ष का अभिभाषण

CHAIRMAN'S ADDRESS

प्रिय अंशधारियो, देवियो एवं सज्जनो,

आपके निगम की 57वीं वार्षिक साधारण बैठक में निदेशक मण्डल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। आज यहाँ आपकी उपस्थिति और निगम के प्रति आपके संरक्षण एवं विश्वास बनाए रखने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। वर्ष 2018–19 के लिए आपके निगम के कार्य–निष्पादन को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है।

आर्थिक एवं व्यापारिक परिवेश

प्रिय अंशधारियो,

हम प्रतिस्पर्धी विश्व में रह रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि 2019 में भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और शीघ्र ही इसका 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया है। देश का औद्योगिक और आर्थिक रूप से विस्तार हो रहा है और इसलिए भंडारण की आवश्यकता भी बढ़ रही है। भारतीय वेअरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अगले पांच वर्षों में लगभग 10 बिलियन डॉलर के निवेश की संभावना है। पूरे भारत में लगभग 200 मिलियन वर्ग फुट के भंडारण स्थान के साथ 2022 तक कुल आपूर्ति लगभग दोगुनी होने की संभावना है।

वेअरहाउसिंग और लॉजिस्टिक क्षेत्र 2017 से लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि इसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्तर प्रदान किया गया था। वस्तु और सेवा कर अधिनियम के कार्यान्वयन जैसे संरचनात्मक सुधारों के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र में विकास हुआ है। अब बिना किसी बाधा के पूरे देश में माल की आवाजाही हो सकती है। अगले कुछ वर्षों में वेअरहाउसिंग और औद्योगिक क्षेत्र की गति तीव्र बने रहने की आशा है।

वेअरहाउसिंग कंपनियां सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़कर पारंपरिक सेट–अप से आधुनिक अवसंरचना की ओर बढ़ रही हैं। रणनीतिक रूप से बनाए गए गोदाम से न

Dear Shareholders, Ladies and Gentlemen,

On behalf of the Board of Directors, I am happy to welcome you to the **57th Annual General Meeting** of your Corporation. I thank you for your presence here today and for your patronage and confidence reposed on the Corporation. It is a privilege for me to present the performance of your Corporation for the year 2018-19.

Economic & Business Environment

Dear Shareholders,

We are living in a competitive world. India is forecasted to be the world's fifth largest economy in 2019 and is targeting to become a USD 5 trillion economy very soon. The country is expanding industrially & economically and so its warehousing needs. Indian warehousing and logistics sector is expected to attract nearly $10 billion investments over the next five years. With an addition of around 200 million sq ft warehousing space across India, total supply is expected to be nearly doubled by 2022.

Warehousing and logistics sector has been growing steadily since 2017, after it was granted infrastructure status. Structural reforms such as the implementation of Goods and Services Tax Act have directly or indirectly resulted in the growth of the sector. Now goods can move throughout the country without any hinderance. Warehousing and industrial segment is expected to retain strong momentum over the next few years.

The warehousing companies are moving from traditional set up to the modern one with the integration of information technology. A strategically placed

केवल उपभोक्ता सेवाओं में सुधार होगा बल्कि समुचित आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

वित्तीय निष्पादन

प्रिय साथियो, मुझे उम्मीद है कि आपको वर्ष 2018–19 की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्राप्त हो गई होगी, जिसमें वर्ष 2018–19 के दौरान आपके निगम के कार्य–निष्पादन की विशेषताओं पर निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा–परीक्षित वित्तीय विवरण तथा उन पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल है। आपकी सहमति से मैं मान लेता हूँ कि आपने इन्हें पढ़ लिया है।

यद्यपि निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में वर्ष के दौरान निगम के भौतिक एवं वित्तीय कार्य–निष्पादन एवं विभिन्न गतिविधियों का विस्तृत विवरण भी दिया गया है, फिर भी मैं वर्ष 2018–19 के दौरान निगम की कुछ विशेष उपलब्धियों पर प्रकाश डालना चाहूँगा जो इस प्रकार हैं:

(क) आपके निगम का टर्नओवर गत वर्ष 1582.94 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष के दौरान 1604.62 करोड़ रु. रहा।

(ख) वर्ष 2017–18 के दौरान 27.62 करोड़ रु. की तुलना में इस वर्ष कर–पूर्व लाभ (पीबीटी) लगभग 225.42 करोड़ रु. रहा। इस वर्ष कर–पश्चात् लाभ (पीएटी) 163.61 करोड़ रु. रहा।

(ग) वर्ष 2017–18 के 162.87 करोड़ रु. की तुलना में इस वर्ष 167.51 करोड़ रु. पूंजी व्यय किया गया।

(घ) आपके निगम ने अटारी, पैट्रापोल एवं अगरतला के एकीकृत चेक पोस्ट से गत वर्ष के 78 करोड़ रु. की तुलना में 82.25 करोड़ रु. का सकल राजस्व अर्जित किया।

warehouse not only improves the consumer services but also facilitates proper supply chain management.

Financial Performance:

Dear friends, I hope, you all have received the copy of Annual Report for the year 2018-19, which contains the Audited Financial Statements, the Statutory Auditor's Report thereon and the Directors' Report highlighting the performance of your Corporation during 2018-19. With your consent, I take them as read.

Though the Directors' Report gives a more detailed account of the physical and financial performance of the Corporation and also various activities undertaken by the Corporation during the year, I will broadly highlight before you the accomplishments of the Corporation during the year 2018-19 as under:-

(a) Your Corporation has achieved a turnover of Rs.1604.62 crore during the year as against Rs.1582.94 crore last year.

(b) In the year, your Corporation has earned Profit Before Tax (PBT) of Rs. 225.42 crore approx. as compared to Rs. 27.62 crore during the year 2017-18. The Profit After Tax (PAT) for the year is Rs. 163.61 crore.

(c) Achieved CAPEX of Rs.167.51 crore as against Rs.162.87 crore in the year 2017-18.

(d) Your Corporation has earned gross revenue of Rs. 82.25 crore as against Rs.78 crore last year from management of Integrated Check Posts at Attari, Petrapole and Agartala.

लाभांश

आपका निगम शुरू से ही लाभांश का भुगतान कर रहा है। वर्ष के दौरान कर पश्चात् लाभ (पीएटी) 163.61 करोड़ रु. तथा प्रदत्त पूंजी 68.02 करोड़ रु. रही। वर्ष 2018–19 के लिए अंशधारियों को प्रदत्त शेयर पूंजी के 35 प्रतिशत पर 23.79 करोड़ रु. के अंतरिम लाभांश का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। वर्ष के दौरान अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त, प्रदत्त पूंजी के 37 प्रतिशत पर 25.29 करोड़ रु. का अंतिम लाभांश प्रस्तावित है। इस प्रकार, वर्ष 2018–19 के लिए कुल लाभांश प्रदत्त पूंजी का 72 प्रतिशत होगा। इसके कारण वर्ष 2018–19 के लाभांश के लिए 10.08 करोड़ रु. के लाभांश–कर सहित निगम का कुल आउटफ्लो 59.16 करोड़ रु. होगा।

भौतिक निष्पादन

31 मार्च, 2019 को आपका निगम 422 वेअरहाउस चला रहा था। वर्ष के दौरान औसत भंडारण क्षमता 99.80 लाख मी.टन थी और 2017–18 के 79 प्रतिशत की तुलना में औसत क्षमता उपयोग 83 प्रतिशत रहा।

कड़ी प्रतिस्पर्धा एवं मुख्य पोर्टों पर कंटेनरों की सीधी पोर्ट एंट्री (डीपीई) एवं सीधी पोर्ट डिलीवरी (डीपीडी) में वृद्धि होने के बावजूद आपके निगम ने वर्ष के दौरान अपने 24 कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस)/इनलैंड क्लियरेंस डिपो (आईसीडी) पर 5.58 लाख टीईयू हैंडल किए।

परियोजना कार्यान्वयन

आपके निगम ने वर्ष 2018–19 के दौरान तीन राज्यों अर्थात् तेलंगाना, कर्नाटक तथा केरल में पांच स्थानों पर 33540 मी.टन की भंडारण क्षमता शामिल की है। इसके अतिरिक्त, 19 वेअरहाउसों को 12.04 करोड़ रु. की लागत से अपग्रेड किया गया। वर्ष के दौरान कुल पूंजी व्यय 167.51 करोड़ रु. था।

Dividend

Your Corporation has been paying dividend since inception. Profit After Tax (PAT) for the year is Rs. 163.61 crore and the paid up capital is Rs.68.02 crore. Interim Dividend for the year 2018-19 at 35% of the paid up share capital amounting to Rs. 23.79 crore has already been paid to the shareholders. In addition to the interim dividend, final dividend at 37% of the paid up capital amounting to Rs. 25.29 crore for the year is proposed. With this, the total dividend for the year 2018-19 shall be 72% of the paid up capital. This shall result in a total outflow of Rs. 59.16 crore to the Corporation on account of dividend for the year 2018-19, including dividend tax of Rs. 10.08 crore.

Physical Performance

As on 31st March, 2019, your Corporation has operated 422 warehouses. The average storage capacity during the year was 99.80 lakh MT and average capacity utilization was 83% as against 79% in 2017-18.

Inspite of stiff competition and increase in Direct Port Entry (DPE) and Direct Port Delivery (DPD) of containers at major Ports, Corporation handled 5.58 lakh TEUs during the year at its 24 Container Freight Stations (CFSs) / Inland Clearance Depots (ICDs).

Project Implementation

Your Corporation added a storage capacity of 33540 MT during the year 2018-19 at five locations in three States i.e. Telangana, Karnataka and Kerala. In addition, 19 warehouses were upgraded at a cost of Rs. 12.04 crore. The total capital expenditure during the year was to the tune of Rs. 167.51 crore.

वर्ष 2019–20 के दौरान, निगम ने देश के विभिन्न स्थानों पर 1.25 लाख मी.टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता के निर्माण तथा 172 वेअरहाउसों को अपग्रेड करने की योजना बनाई है।

सूचना प्रौद्योगिकी

- ➢ निगम अपने विकास, परिचालन क्षमता, पारदर्शिता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए वेअरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम (डब्ल्यूएमएस) लागू करने की प्रक्रिया में है जिससे देश भर में स्थित वेअरहाउसों में विभिन्न कार्य ऑटोमेटिक किए जाएंगे। डब्ल्यूएमएस पहले से ही 333 वेअरहाउसों में लागू कर दिया गया है तथा अन्य वेअरहाउसों में इसे लगाने का कार्य किया जा रहा है।
- ➢ सीएफएस/आईसीडी और इंटीग्रेटिड चेक पोस्ट पर क्लाउड आधारित प्रौद्योगिकी पर संचालन का कार्य भी ऑटोमेटिक किया जा रहा है।
- ➢ निगम ने अपने लेखांकन कार्यों को ऑटोमेटिक करने के लिए क्लाउड आधारित एप्लीकेशन पर टैली ईआरपी लेखांकन पद्धति को भी अपनाया है।
- ➢ भारतीय खाद्य निगम डिपो ऑनलाइन सिस्टम 144 स्थानों में स्थापित किया गया है।
- ➢ मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में पेरोल, सीपीएफ, पेंशन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, आयकर, छुट्टी प्रबंधन, वार्षिक अप्रेज़ल आदि को ऑटोमेटिक किया गया है।
- ➢ नियमित निगरानी और सीवीसी को समय–समय पर ऑनलाइन रिटर्न जमा करने के अलावा शिकायतों/जांच/दंड/पुरस्कार आदि के शीघ्र निपटान के लिए निगम में सतर्कता सूचना

During the year 2019-20, Corporation has planned to construct additional storage capacity of 1.25 lakh MTs at various locations in the country and upgrade 172 warehouses.

Information Technology

- ➢ In its endeavour to leverage information technology for its growth, operational efficiency, transparency and competitiveness, Corporation is in the process of implementation of Warehouse Management System (WMS) which will automate the various functions in the warehouses across the country. WMS is already in operation at 333 warehouses and at other warehouses, the roll out is in progress.
- ➢ The operations at CFSs / ICDs and the Integrated Check Posts are also being automated on Cloud Based Technology.
- ➢ The Corporation has also graduated to Tally ERP accounting system, a Cloud Based Application automating its accounting functions.
- ➢ FCI Depot Online system has been installed at 144 locations.
- ➢ On the Human Resource Management front, the Payroll, CPF, Pension, Medical Reimbursement, Income Tax, Leave Management, Annual Appraisals, etc have been automated.
- ➢ Vigilance Information System (VIS), has been implemented in the Corporation automating the various activities of the Vigilance Division for regular monitoring and speeding

प्रणाली (वीआईएस) लागू कर सतर्कता विभाग की विभिन्न गतिविधियों को स्वचालित किया गया है।

- निगम फेसबुक और ट्विटर एकाउंट के माध्यम से सोशल मीडिया से भी जुड़ा हुआ है। निगम के नवीनतम समाचार और महत्वपूर्ण गतिविधियों को नियमित रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के साथ साझा किया जाता है।
- निगम ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर समय–समय पर होने वाली बैठकों, चर्चाओं और रिपोर्टों के लिए निगमित कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा को लागू किया है।
- निगम की आधिकारिक वेबसाइट को एनआईसी क्लाउड पर होस्ट किया गया है जो केंद्रीय भंडारण निगम के विभिन्न कार्यक्षेत्रों के बारे में अद्यतन जानकारी के अलावा टेंडर होस्टिंग भी करता है।
- निगम ने ई–टेंडरिंग वेबसाइट तैयार की है जो व्यापक प्रचार, पारदर्शिता तथा दक्षता के लिए ई–टेंडरिंग/ई–नीलामी को ऑनलाइन प्रस्तुत करने हेतु सपोर्ट करती है।

गुणवत्ता प्रबंधन

आपके निगम ने उन्नत गुणवत्ता मानक आईएसओ 9001:2015 को सफलतापूर्वक कार्यान्वित एवं व्यवस्थित रखा है। सभी 368 स्वनिर्मित वेअरहाउसों/सीएफएस/आईसीडी/एसीसी और 15 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं निगमित कार्यालय को आई एस ओ 9001:2015 क्यू एम एस के लिए, आईएसओ 14001:2015 ईएमएस के लिए और 18001:2007 व्यावसायिक स्वास्थ्य के लिए और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली हेतु प्रमाणित किया गया।

up the disposal of complaints/investigations/penalty/awards, etc besides online submission of periodical returns to the CVC.

- Corporation has also registered its presence on the social media through Facebook & Twitter Accounts. The latest news and important activities of the Corporation are regularly shared with the public through social media.
- Corporation has implemented Video Conferencing facility at Corporate Offices and Regional Offices for carrying out periodical meetings, discussions and reports on the important issues.
- Official website of the Corporation has been hosted on NIC cloud, which carries updated information about the various verticals of CWC besides tender hosting.
- Corporation maintains e-tendering website that supports online submission of e-tenders and e-auctions for greater publicity, transparency and efficiency.

Quality Management

Your Corporation has successfully implemented and maintained upgraded Quality Standard ISO 9001:2015. All the 368 owned warehouses/CFSs/ICDs/ACCs and 15 Regional Offices and Corporate Office have been certified under ISO 9001:2015 for QMS, ISO 14001:2015 for EMS and OHSAS 18001:2007 for occupational Health & Safety Management System.

भविष्य का दृष्टिकोण

प्रिय अंशधारियो, बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए वेअरहाउसिंग क्षमता का विस्तार, निजी फ्रेट टर्मिनल की स्थापना, अधिक से अधिक मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करना जैसे सूची प्रबंधन, बिलिंग, ग्राहकों की आवश्यकतानुसार वितरण व्यवस्था, वेअरहाउसिंग और ई–बिज़नेस अवसरों की बढ़ती क्षमता का उपयोग करना, विज्ञापन और प्रचार में बढ़ोतरी, लेन–देन की लागत कम करने और ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का विभिन्न गतिविधियों के लिए और अधिक प्रयोग करना जैसे अनेक नए कदम उठाए गए जिससे हम निगम को उच्चतम विकास के पथ पर ले जाएं।

Future Outlook

Dear Shareholders, keeping in view the competitive position in the market, many new initiatives such as expansion of warehousing capacity, setting up of Private Freight Terminals, providing more and more value added services such as inventory management, billing, distribution customized to the requirements of customers, tapping the growing potential of warehousing and e-business opportunities, increase in publicity and advertisement, more extensive use of information technology in various activities for minimizing transaction costs and meeting customer requirements are being taken to take the organization to a higher growth path.

राज्य भंडारण निगम

आपका निगम 19 राज्य भण्डारण निगमों (एस डब्ल्यू सी) में 50 प्रतिशत इक्विटी रखता है और शेष 50 प्रतिशत इक्विटी संबंधित राज्य सरकारों के पास है। 31 मार्च, 2019 तक ये राज्य भण्डारण निगम 340.83 लाख मी.टन की कुल भण्डारण क्षमता के साथ 2145 गोदामों का नेटवर्क संचालित कर रहे थे। 31 मार्च, 2019 तक राज्य भण्डारण निगमों की इक्विटी में निगम का कुल निवेश 61.79 करोड़ रु. रहा। वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य भण्डारण निगमों में निवेश करने से निगम ने 18.40 करोड़ रु. की लाभांश आय अर्जित की।

State Warehousing Corporations

Your Corporation holds 50% equity in 19 State Warehousing Corporations (SWCs) with respective State Governments holding the remaining 50% equity. As on 31st March, 2019, these SWCs operate a network of 2145 warehouses with aggregate storage capacity of 340.83 lakh MT. The total investment of the Corporation in the equity of the SWCs as on the 31st March, 2019 stood at Rs.61.79 crore. During 2018-19, dividend income of Rs. 18.40 crore was earned by the Corporation from investment in the State Warehousing Corporations.

सहायक कंपनी: सैंट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लिमिटेड (सीआरडब्ल्यूसी)

निगम की सहायक कम्पनी यानि सैन्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी (सीआरडब्ल्यूसी) है जिसके पास 3.46 लाख मी. टन की कुल भंडारण क्षमता के साथ 20 रेलसाइड वेअरहाउस कॉम्पलैक्स (आरडब्ल्यूसी) हैं।

Subsidiary Company: Central Railside Warehouse Company Ltd. (CRWC)

The subsidiary Company of the Corporation i.e. Central Railside Warehouse Company Ltd. (CRWC) which is having 20 Rail Side Warehouse Complexes (RWCs) with total storage capacity of 3.46 lakh MT, handled

वर्ष 2018–19 के दौरान 127463 वैगन हैंडल किए गए। इसी साल सीआरडब्ल्यूसी ने कर पूर्व लाभ के 16.36 करोड़ रु.के साथ 87.94 करोड़ रु. की आय अर्जित की तथा 14.88 करोड़ रुपये कर पश्चात् लाभ अर्जित किए। वर्ष 2018–19 के दौरान, सीआरडब्ल्यूसी ने केंद्रीय भंडारण निगम को 6.89 करोड़ रु. के लाभांश का भुगतान किया।

127463 wagons during the year 2018-19. During this year, CRWC earned an income of Rs. 87.94 crore, with a profit before tax of Rs. 16.36 crore. It earned a profit after tax of Rs.14.88 crore. During 2018-19, CRWC paid a dividend of Rs. 6.89 crore to CWC.

निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास गतिविधियाँ

प्रिय अंशधारियो, आपका निगम निगमित सामाजिक दायित्वों के प्रति अत्यंत उत्तरदायी और संवेदनशील है। वर्ष के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास गतिविधियों पर 4.02 करोड़ रु. व्यय किए गए जिसमें से 20.49 लाख रु. ''नमामि गंगे फंड'' और 129.25 लाख रुपये का योगदान ''स्वच्छ भारत कोष'' के लिए दिया गया। हमारा मानना है कि सीखना और परिवर्तन आपस में जुड़े हुए हैं। निरंतर प्रशिक्षण और विकास से निगम परिवर्तनों का सामना कर सकता है और बदलते हुए बाजार को बेहतर तरीके से अपना सकता है। केंद्रीय भंडारण निगम में पर्याप्त कौशल विकास, कैरियर विकास और जॉब रोटेशन द्वारा मानव पूंजी के विकास पर ध्यान दिया जाता है।

Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Activities

Dear Shareholders, your Corporation has great sense of responsibility and sensitivity towards its social obligations. During the year, an expenditure of Rs. 4.02 crore was made on various CSR and Sustainable Development Activities out of which Rs. 20.49 lakh was contributed towards "Namami Gange" fund and Rs. 129.25 lakh was contributed to Swachh Bharat Kosh. We believe that learning and change are inter-linked. With continuous training and developments, organizations can respond to changes and adopt to changing market in a better way. In Central Warehousing Corporation, focus is given to development of human capital by providing adequate skill development, career development and job rotation.

आईजीएमआरआई, हापुड में निगम का प्रशिक्षण केंद्र भंडारण तकनीकों और प्रबंधकीय क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। वर्ष 2018–19 के दौरान केंद्रीय भंडारण निगम ने 39 इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जहां 2739 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

The Corporation's Training Centre at IGMRI, Hapur has been imparting training in warehousing technologies and managerial areas. During the year 2018-19, CWC conducted 39 in-house training programmes where 2739 officials were trained.

कॉरपोरेट गवर्नेंस

आपका निगम सभी हितधारियों के लिए मूल्य सृजित करते हुए पारदर्शी और नैतिक प्रशासन की पद्धतियों के

Corporate Governance

Your Corporation has been upholding the highest standards of transparent and ethical

उच्चतम मानकों को बनाए रखता है। केंद्रीय भंडारण निगम में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रूपरेखा के मार्गदर्शक सिद्धांत अक्षरशः नियमों/विनियमों के अनुपालन पर आधारित होते हैं, जिनसे सभी हितधारियों के हितों को बढ़ाने तथा सुरक्षित करने हेतु पारदर्शी प्रणाली/पद्धतियों को अपनाया जाता है। पारदर्शिता तथा समय पर सामग्री की जानकारी देने के उद्देश्य से सभी कार्मिकों की सत्यनिष्ठा तथा नैतिक व्यवहार एवं विश्वास और भरोसे का वातावरण तैयार किया जाता है। आपका निगम लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस के दिशा–निर्देशों का पालन भी कर रहा है। इस संबंध में आपका निगम संगत विनियामक और संवैधानिक रूपरेखा का अनुपालन कर रहा है। इसे प्रमाणित करते हुए, कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशा–निर्देशों में दी गई शर्तों के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षों से प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र वर्ष 2018–19 की निदेशकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में दिया गया है।

पुरस्कार और सम्मान

वर्ष 2018–19 में आपके निगम को निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया हैं :–

- ➢ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) (नराकास), दिल्ली द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए निगम की त्रैमासिक गृह पत्रिका ''भंडारण भारती'' को उत्कृष्ट प्रकाशन हेतु प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- ➢ राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए त्रैमासिक गृह पत्रिका ''भंडारण भारती'' को उत्कृष्ट पत्रिका के लिए ''राजभाषा कीर्ति पुरस्कार'' माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर–कमलों से प्रदान किया गया।
- ➢ खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए राजभाषा कार्यान्वयन में

governance practices while creating value for all stakeholders. The guiding principles of Corporate Governance framework at CWC are based upon compliance of law/regulations in letter and spirit, adopting transparent systems/ practices, to promote and safeguard the interests of all stakeholders, integrity and ethical behaviour of all personnel and having a climate of trust and confidence by means of transparent and timely disclosure of material information. Your Corporation is also following guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises (DPE). Your Corporation is duly complying with relevant regulatory and statutory framework in this regard. As a testimony of the same, a certificate of compliance from statutory auditors with respect to conditions enumerated in DPE guidelines on Corporate Governance forms part of the Directors' report for 2018-19.

Awards & Accolades

Your Corporation has been bestowed with the following awards in the year 2018-19:

- ➢ 1st Prize from Town Official Language Implementation Committee (Undertaking) (TOLIC) for best publication for its quarterly magazine "Bhandaran Bharati" during the year 2017-18.
- ➢ 1st Prize in "Rajbhasha Kirti Puraskar" for best in-house quarterly Magazine "Bhandaran Bharti" for the year 2017-18 by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs awarded by Hon'ble Vice-President of India.
- ➢ 2nd Prize for excellent performance in "Implementation of Official Language

उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

➢ इंस्टीटयूट ऑफ कॉस्ट एकांउन्टेंटस ऑफ इंडिया द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की श्रेणी में एक्सीलेंस इन कॉस्ट मैनेजमेंट–2017'' का तृतीय राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

आभार

निदेशक मण्डल की ओर से, मैं सभी हितधारियों अर्थात् हमारे अंशधारियों, जमाकर्ताओं, आपूर्तिकताओं, रणनीतिक भागीदारों, बैंकरों, बीमाकर्ताओं को उनके विश्वास तथा समर्थन के लिए आभार और प्रशंसा व्यक्त करता हूं। मैं अपने प्रमुख जमाकर्ताओं जैसे भारतीय खाद्य निगम, राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों, नैफेड, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और विशेष रूप से कृषक समुदाय को उनके निरंतर समर्थन और संरक्षण के लिए धन्यवाद देता हूं और उन्हें अपनी बेहतर सेवाएं देने का विश्वास दिलाता हूं।

मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा दिए गए समर्थन और मार्गदर्शन के लिए उनका आभार प्रकट करता हूं।

मैं सभी कर्मचारियों को निगम को निरंतर नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं।

मैं आपके निरंतर समर्थन के लिए पुनः धन्यवाद देता हूं और आश्वासन देता हूं कि हम अपने सभी हितधारियों को अधिक से अधिक सुविधाएं निरंतर प्रदान करते रहेंगे।

धन्यवाद। जयहिन्द।

for the year 2017-18" by the Department of Food & Public Distribution.

➢ 3rd National Award for "Excellence in Cost Management – 2017" by the Institute of Cost Accountants of India in PSU Category.

Acknowledgement

On behalf of the Board of Directors, I take this opportunity to express our gratitude and appreciation for all the stakeholders i.e. our shareholders, depositors, suppliers, strategic alliance partners, bankers, insurers for their trust and support. I would like to thank our major depositors i.e. Food Corporation of India, the State Civil Supplies Corporations, NAFED, Cotton Corporation of India and particularly the farming community for their continuous support and patronage and we assure them of our best services.

I gratefully acknowledge the support and guidance provided by the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution and Government of India.

I specially thank all employees of our Corporation for taking this Corporation to greater heights year after year.

I once again thank you all for your continuous support and assure you that we shall continue to create more value for all our stakeholders.

Thank you. Jai Hind.

श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय भण्डारण निगम, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निगमित कार्यालय में ध्वजारोहण करते हुए।
Shri Arun Kumar Shrivastava Managing Director, Central Warehousing Corporation Hositing the flag on Independent day.

केन्द्रीय भण्डारण निगम
4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग,
हौज खास, नई दिल्ली-110016

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg,
Hauz Khas, New Delhi - 110016

दूरभाष / Phone : 011-26566107, वेबसाईट / Website : www.cewacor.nic.in